बीएड – 102

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Contemporary India and Education
समकालीन भारत और शिक्षा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

संरक्षक	अध्यक्ष
प्रो. अशोक शर्मा	**प्रो. एल.आर. गुर्जर**
कुलपति	निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

** संयोजक	* संयोजक
डॉ. अनिल कुमार जैन	**डॉ. रजनी रंजन सिंह**
सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ	सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

प्रो. (डॉ) एल.आर. गुर्जर
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. जे. के. जोशी
निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रो. दिव्य प्रभा नागर
पूर्व कुलपति
ज.रा. नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रो. दामीना चौधरी (सेवानिवृत्त)
शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. अनिल शुक्ला
आचार्य शिक्षा ,
लखनऊ **विश्वविद्यालय**, लखनऊ

डॉ. रजनी रंजन सिंह
सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. अनिल कुमार जैन
सह आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. कीर्ति सिंह
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. पतंजलि मिश्र
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. अखिलेश कुमार
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

*डॉ. रजनी रंजन सिंह ,सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 13.06.2015 तक
**डॉ. अनिल कुमार जैन ,सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ14 .06.2015 से निरन्तर

समन्वयक एवं सम्पादक

समन्वयक (बी.एड.)
डॉ. कीर्ति सिंह
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सम्पादक
डॉ. कीर्ति सिंह
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम लेखन

1 **श्री संजय कुमार (**इकाई सं. 1)
सहायक आचार्य, प्रारंभ शिक्षक शिक्षा
विद्यापीठ झझ् रहरियाणा ,

2 **अनिल कुमार जैन** (इकाई सं. 4,5,9,19)
टीचर एजुकेटर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान, बरुआसागर, झाँसी

3 **श्री हेमन्त नामदेव** (इकाई सं. 8)
व्याख्याता
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उज्जैन

4 **निधि प्रजापति** (इकाई सं. 10)
व्याख्याता
सर्वोदय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा

5 **प्रज्ञा त्रिपाठी** (इकाई सं. 2,11,13)
व्याख्याता
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर

6 **प्रदीप सिंह देहल (**इकाई सं. 12,18)
सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग ICDEOL,
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

7 **डॉ कीर्ति सिंह .(**इकाई सं. 7, 15)
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

8 **डॉ कान्तकृष्णा .**(इकाई सं. 14)
प्राचार्य एवं आचार्य शिक्षा
भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
गंगापुर सिटी (.राज)

9 **डॉ प्रीति सिंह .**(इकाई सं. 17)
पीडीएफ
जामिया मिलिया इस्लामियानई दिल्ली ,

10 **डॉपतंजलि मिश्र .** (इकाई सं. 16)
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

11 **राजेश कुमार** (इकाई सं. 3,6)
व्याख्याता
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर

आभार

प्रो. विनय कुमार पाठक
पूर्व कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. अशोक शर्मा
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रो .एल.आर .गुर्जर
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रो. करण सिंह
निदेशक
पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

डॉ. सुबोध कुमार
अतिरिक्त निदेशक
पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

उत्पादन 2015, ISBN : 978-81-8496-522 -3

इस सामग्री के किसी भी अंश को व.म.खु.वि.वि., कोटा, की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। व.म.खु.वि.वि., कोटा के लिए कुलसचिव, व.म.खु.वि.वि., कोटा (राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुक्रमणिका

इकाई सं .	इकाई का नाम	पेज न .
1	शिक्षा के क्षेत्र में मुद्दे	1
2	शैक्षिक अवसर की समानता को प्राप्त करने की विधियाँ	20
3	मानव अधिकार, बाल अधिकार और सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में शिक्षा	32
4	समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय की शिक्षा में समस्याएँ, मुद्दे एवं उपचार	45
5	भारत के संविधान का एक परिचय	57
6	भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित संशोधन	71
7	भारत में आधुनिक शिक्षा	84
8	शिक्षा के व्यक्तिगतसामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्य ,	109
9	भारत में लड़की /महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में नीतियों का सिंहावलोकन	129
10	मैकाले मिनट्सवुड डिस्पैच ,, हंटर आयोग, गोखले विधेयक, वर्धा योजना, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोगसैड्लर आयोग/, हार्टोग समिति, एबाट - वुड रिपोर्टसार्जेंट रिपोर्ट ,	144
11	भारत में ब्रिटिश शिक्षा	162

12	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग)1948-49(माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53(,शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की रिपोर्ट)1964-66(, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और)1986) और प्रोग्राम ओफ एक्शन (1986/1992(	175
13	लर्निंग द ट्रेजर विदइन	198
14	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC, 2005)	212
15	भारत में स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना	231
16	भाषा की राजनीति एवं स्कूल शिक्षा पर इसके प्रभाव	270
17	भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एवं वैश्वीकरण	282
18	भारत की शैक्षिक विरासत	296
19	बौद्ध काल के दौरान शिक्षा, बौद्ध शिक्षा की प्रकृति, वैदिक और बौद्ध शिक्षा के बीच तुलना, शिक्षाके केन्द्र (सीखने के), मध्यकालीन (इस्लामी) शिक्षा	311

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठकों से आग्रह

प्रिय पाठकों,

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 एवं 2010 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दी गई अनुशंसाओं के क्रम में एनसीटीई द्वारा 2014 में तैयार किये गये पाठ्यक्रम की अनुपालना में विश्वविद्यालय ने अपनी विद्या परिषद् की स्वीकृति के पश्चात अन्तिम रूप में बने बी.एड. (ओडीएल) पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष की स्व-अधिगम सामग्री (SLM) तैयार की है। यह पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के सदस्यों और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अन्य शिक्षाविदों के अथक प्रयास से तैयार की गई है। यह एनसीटीई द्वारा 2014 में सुझाये गये नये पाठ्यक्रम के प्रकाश में किया गया प्रथम प्रयास है। आप प्रबुद्ध पाठक हैं। आपको इस SLM के किसी विषय, उप विषय, बिन्दु या किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई पड़ती है या इसके परिवर्द्धन हेतु आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो शिक्षा विद्यापीठ सहर्ष आपके सुझावों को अगले संस्करण में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा। आप अपने सुझाव हमें निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, रावतभाटा रोड, कोटा - 324010 या मेल soe@vmou.ac.in पर भेजने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(डॉ. अनिल कुमार जैन)
निदेशक
शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

इकाई – 1

शिक्षा के क्षेत्र में मुद्दे

(शिक्षा में समता और समानता,क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के सम्बन्ध में | अलग-अलग स्तर पर विविधता की संकल्पना, विविध समुदायों और व्यक्तियों और शिक्षा से उम्मीदें | विविध स्थिति में बच्चों को सवारने में शिक्षा की भूमिका, सामूहिकरूप से रहने में शिक्षा की भूमिका एवं संघर्ष निवारण हेतु उपकरण)

Issues in Education

(Equity and Equality in Education, concept of diversity at the level of individual in regard to regions, languages, religions, castes, tribes, etc. Diverse communities and individuals and expectations from Education, role of Education in grooming children in diversified situation, role of Education for collective living and tool for conflict resolution)

इकाई की रुपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 शिक्षा के क्षेत्र में मुद्दे: सम्प्रत्यय
1.4 शिक्षा में समता और समानता
1.5 क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता का संप्रत्यय
1.6 विविध समुदायों और वैयक्तिकता तथा शिक्षा से अपेक्षाएँ
1.7 विविधतापूर्ण परिस्थितियों में बढ़ते बच्चों के लिए शिक्षा की भूमिका
1.8 सामूहिक जीवन और संघर्ष विघटन के लिए उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका
1.9 सारांश
1.10 शब्दावाली

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.12 निबंधात्मक प्रश्न
1.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

1.1 प्रस्तावना

मानव विकास का मूल साधन शिक्षा है। यह सप्रयोजन प्रक्रिया है जो मानव समाज में सदैव चलती रहती है । विद्वानों के दृष्टिकोण में यह मानव को अपने जीवन में उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाती है। देशकाल, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है । यदि यह परिवर्तन न हो तो शिक्षा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है । उसमें अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । उसके उद्देश्य में भी बदलाव दिखायी देने लगता है । वह क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति के साँचों में ढल जाती है । प्रस्तुत इकाई में आप शिक्षा में न्याय और समानता, क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता का संप्रत्यय, विविध समुदायों और वैयक्तिकता तथा शिक्षा से अपेक्षाएँ, विविधतापूर्ण परिस्थितियों मैं बढ़ते बच्चों के लिए शिक्षा की भूमिका, सामूहिक जीवन और संघर्ष विघटन के लिए उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- शिक्षा में न्याय और समानता के संप्रत्यय को समझ सकेंगे ।
- क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता के संप्रत्यय को समझ सकेंगे ।
- विविध समुदायों और वैयक्तिकता तथा शिक्षा से अपेक्षाएँ को बता सकेंगे ।
- विविधतापूर्ण परिस्थितियों में बढ़ते बच्चों के लिए शिक्षा की भूमिका को समझ सकेंगे ।
- सामूहिक जीवन के लिए शिक्षा की भूमिका के विषय में बता सकेंगे ।
- संघर्ष विघटन के लिए उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे ।
- विविधतापूर्ण परिस्थितियों में बढ़ते बच्चों के लिए शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।

1.3 शिक्षा के क्षेत्र में मुद्देः सम्प्रत्यय

किसी भी देश के लिए शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है । एक शिक्षित समाज ही देश को उन्नत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है । शिक्षा रहित समाज साक्षात पशुवत होता है । वैदिक परंपरा में भी कहा गया है कि –"असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्मय गमय " अर्थात शिक्षा सत्य का, ज्ञान का और अमरता का कारण है । जब शिक्षा आपको अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाकर अमरता प्रदान करने में सहायक है, तब एक शिक्षित समाज देश को विकसित करने में अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा सकता ? आज भारतीय शिक्षा के सम्मुख ढेरों चुनौतियाँ हैं। जिस देश को विश्व जगतगुरु की उपाधि से विभूषित कर

चुका है, आज उस विशाल देश को शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर पतन का सामना करना पढ़ रहा है। शिक्षा के सबसे आवश्यक और मजबूत स्तम्भ छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम सभी निरन्तर स्तरहीन होते जा रहे हैं। जिस देश में योगिराज श्री कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में शिक्षित हुए हों, उस देश में विद्यालयों का विभाजन क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति और जनजाति आदि के आधार पर हो चुका है। जिस शिक्षा के द्वारा भारत स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में प्रदत्त समानता की ओर कदम बड़ा सकता था। आज वही शिक्षा समाज में असमानता की समस्या उत्पन्न कर रही है। भाषा, लिंग, धर्म, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर आज असमानता विकराल रूप धारण कर चुकी है। **कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66)** की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सरकार द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि 'कॉमन स्कूल सिस्टम' अर्थात समान शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए जायेंगे। परन्तु आज तक इस दिशा में कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किये गए हैं। बल्कि असमान शिक्षा जैसे- केन्द्रीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और न जाने कितने प्रकार और श्रेणियों के स्कूल सम्पूर्ण भारत में संचालित हो रहे हैं जिनके विषय में सम्बंधित मंत्रालय को भी कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा की ऐसी परम्परा बना दी गयी है कि बड़े विश्वविद्यालयों में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को प्रवेश मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट का कटऑफ अत्यधिक ऊँचा रहता है, जो अधिकांश सरकारी विद्यालयों में पढ़े बच्चों के लिए असम्भव है। इस प्रकार वर्तमान में असमानता ही शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। यह देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। शैक्षिक असमानता के कारण वंचित वर्ग गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है। आज जो 100 आदिवासी बच्चे विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, उनमें से मात्र छह प्रतिशत बच्चे ही 12वीं उत्तीर्ण कर पाते हैं। अतः क्षेत्रीय असमानता के कारण ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का विकास एक चुनौती बन गयी है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी प्रकार बिजली, पानी, भोजन, आवास, सड़क, स्वास्थ्य और कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में असमानताओं की समस्या से देश के नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी हो रहा है। शिक्षा में असमानता की समस्या समाज को अन्दर-ही-अन्दर खोखला बनाये जा रही है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अतः शिक्षा ऐसी हो जो आपको समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाये और साथ ही कर्तव्यों और अधिकारों का बोध भी कराये।

1.4 शिक्षा में समता और समानता

किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र के विकास की निरंतरता को बनाये रखने के लिए समानता, स्वतंत्रता और विश्वबंधुत्व की भावना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा में शैक्षिक न्याय और समानता मानव समाज की एक प्राचीन अवधारणा है। देशकाल, परिस्थिति और वातावरण के अनुरूप इसका अर्थ परिवर्तित होता रहता है। यह सामाजिक वास्तविकता का एक प्रतिबिंब है। शिक्षा में न्याय से तात्पर्य यह नहीं है कि केवल उनको ही न्याय मिले जो न्यायलय में जाकर उसके लिए वाद दायर करें, लेकिन व्यापक अर्थ में न्याय सभी लोगों, व्यक्तियों को आपस में, राज्य के संबंध में उपलब्ध हो। भारतीय संविधान शैक्षिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में न्याय की विस्तृत व्याख्या करता है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की सेवाओं में रोजगार करने का समान अधिकार

है । सभी को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध करना राज्य का उत्तरदायित्व है । सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए शैक्षिक अवसर की समानता का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है, जो कि व्यक्ति के जीवन में प्रदत्त स्थिति के महत्व को अस्वीकार करने के पश्चात अर्जित स्थिति के महत्व को मान्यता देकर स्वीकार किया गया है । **एम.एस.गोरे (1994)** के मतानुसार शिक्षा तीन प्रकार के अवसरों को समान करने की भूमिका का निर्वहन करती है । ये तीन प्रकार के अवसर इस प्रकार हैं –

- उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा संभव बनाकर जिनकी इच्छा शिक्षित होने की है और उस सुविधा का लाभ उठाने की है।
- शिक्षा की ऐसी विषय-वस्तु का विकास करके जो वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक दृष्टिकोण विकसित करेगी ।
- धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि पर आधारित परस्पर सहिष्णुता का वातावरण पैदा करके ।

समाज में सभी लोगों को सामाजिक गतिशीलता के लिए समान अवसर प्रदान करने में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण बात है । अवसर की समानता प्रदान करने में प्रयासरत समाज केवल चुनिंदा लोगों को ही शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करता है । उस समाज का प्रयास, जो अवसरों की समानता के लिए कटिबद्ध है, अधिकतर सेवाएँ करने का रूप ले लेता है, जो समाजीकृत सामुदायिक सेवाओं और शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करके आर्थिक पृष्ठभूमि में असमानता की क्षतिपूर्ति करते हैं । समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-16 में सन्निहित है, जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है ।

शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ है देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराना । भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तार से व्याख्या की गयी है । **संविधान की धारा 29(2)** में स्पष्ट किया गया है कि –'राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जायेगा ।' कुछ विद्वान शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ अन्य रूप में लेते हैं । उनके अनुसार – शिक्षा के किसी भी स्तर पर सभी बच्चों को प्रवेश की सुविधा प्रदान करना ही शैक्षिक अवसरों की समानता है । शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है । परन्तु अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है । समान अवसरों की पृष्ठभूमि में समान योग्यता और समान क्षमता का भाव निहित है । **कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66)** के अनुसार –'जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यन्त आदर्श मानता है, जनसाधारण की स्थिति सुधारने और सभी शिक्षा प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्याख्या करनी ही होगी कि जनता से सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त होनी चाहिए । एक समतामूलक और मानवतामूलक समाज, जिसमें निर्बल का शोषण कम-से-कम हो, बनाने का यही सुनिश्चित साधन है ।' वास्तव में शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार प्रजातंत्र की देन है । प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातत्व के सिद्धांतों पर टिका हुआ है । यह सामाजिक निष्पक्षता का पक्षधर है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र और समान अवसर प्रदान करता है । प्रजातंत्र की इस भावना के आधार पर

सर्वप्रथम 1870 में ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और सर्वसुलभ बनाया गया। इसके पश्चात यूरोप के अन्य देशों में भी एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य और सर्वसुलभ बनाया गया । औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने इम्पीरियल काउंसिल में प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए अपना प्रसिद्ध विधेयक सन् 1911 में प्रस्तुत किया । परन्तु उनके प्रयासों को तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता ने नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर उनके सुझावों को सियाजी राव गायकवाड़ ने अपने बड़ौदा राज्य के 52 तालुकों (जिलों) में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया । स्वतंत्र भारत में इस दिशा में सर्वप्रथम विचार **कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66)** द्वारा किया गया । उसने सुझाव दिया कि शैक्षिक अवसरों की समान सुविधा प्रदान करने के लिए सबसे पहले 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य, नि:शुल्क और सर्वसुलभ बनाया जाए और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए । साथ ही देश के सभी वर्ग के बच्चों को आगे की शिक्षा उनकी रूचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रदान की जाए । नई शिक्षा नीति 1986 के भाग 4 में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

- विषमताओं को दूर करने पर बल देना और वंचित लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन करने के लिए एक साधन के रूप में करना और उन्हें सशक्त तथा समर्थ बनाना।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर बल देना और उनकी शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करना । इसके साथ ही लिंगमूलक विभाजन को समाप्त करना।
- अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल देना ताकि वे गैर- अनुसूचित जाति के लोगों के समकक्ष आ सकें।
- निर्धन परिवारों के 14 साल की आयु के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना।
- शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता देना और जिला केन्द्रों पर इन जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाओं को क्रमिक रूप से बढ़ाना ।
- आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं के खोलने पर बल देना और पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता को ध्यान में रखना।
- प्रतिभाशाली आदिवासी नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर अपने ही क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन देना।
- आश्रम स्कूल और आवासीय विद्यालयों को बड़े स्तर पर खोलना । पाठ्यक्रम में आदिवासी संवृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता के विषयों को सम्मिलित करना।
- शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के साथ ही अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उनके क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं को खोलना।

- शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए आवासीय विशेष विद्यालयों को खोलना और स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित करना।
- निरक्षरता उन्मूलन के लिए प्रौढ़, दूरस्थ और सतत् शिक्षा को प्रोत्साहित करना और विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी निकायों, संस्थाओं और नियोजकों को इसमें सम्मिलित करना।

इस प्रकार सारांश रुप में कह जा सकता है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है राज्य द्वारा देश के सभी बच्चों को निष्पक्षतापूर्वक एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य और नि:शुल्क रूप से सुलभ कराना और इस दौरान आने वाली समस्याओं का निवारण करना।

अभ्यास प्रश्न :-1

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये |

1. शिक्षा में शैक्षिक -----------और ------------- मानव समाज की एक प्राचीन अवधारणा है।
2. -------------------में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तार से व्याख्या की गयी है।
3. सर्वप्रथम 1870 में ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा को---------------और ------------------बनाया गया।
4. नई शिक्षा नीति 1986 के -----------------में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए प्रावधान किए गए हैं।
5. प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, ---------------------- और भ्रातत्व के सिद्धांतों पर टिका हुआ है।

1.5 क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता का संप्रत्यय

परिवर्तन एक शाश्वत क्रम है जो सृष्टि का एक वांछनीय गुण है। मनुष्य का क्षेत्र, भाषा, विचार, आवश्यकताएँ, जीवन के उद्देश्य, संस्कृति और सभ्यता आदि किसी न किसी रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। इस तरह के परिवर्तन को प्रायः विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने का सशक्त साधन है। शिक्षा द्वारा ही समाज में विद्यमान क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा जन्म पर आधारित वर्ग-भेद को समाप्त कर न्याय और समानता लाती है। न्याय और समानता के विषय में **प्रो. लास्की (Laski)** का विचार है कि –'समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा सभी को समान वेतन दिया जाए। यदि एक पत्थर ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए, तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सभी को उन्नति के समान अवसर मिलें।' राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के सन्दर्भ में क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के आधार पर कोई भेद-भाव न किया जाए, बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव अर्थात शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए।

भारतीय संविधान को 'संघीय-संविधान' माना जाता है । भारत शासन संचालन के दृष्टिकोण से संघात्मक और तत्व के रूप में एकात्मक है। एकात्मक विशेषताओं मे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव के साथ ही एकल नागरिकता और सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली आदि भी शामिल हैं। भारत विविधतापूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं वाले विभिन्न समाजों के संयुग्मन से बना है । क्षेत्रीय असमानताओं के बाद भी भारत की लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में एकीकृत विशिष्टता के दर्शन होते हैं। जब व्यक्ति के मन में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से एक निर्धारित क्षेत्र के प्रति लगाव हो तो वहाँ सभी लोग समता की भावना से प्रेरित हो जाते हैं। आप अपने क्षेत्र की प्रथा, विश्वास, मूल्य और भाषा का जितना सम्मान करते हैं, क्या उतना ही सम्मान अन्य क्षेत्र में प्रचलित प्रथा, विश्वास, मूल्य और भाषा का भी करते हैं ? यदि नहीं तो यह भाव क्षेत्रवाद को जन्म देता है और राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुँचाता है। क्षेत्रीयता का आधार संस्कृति है जिसके आधार पर क्षेत्र विशेष की पहचान की जाती है । एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा का भाव अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रखते हैं और इस निष्ठा के कारण अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता की सूचि में सबसे ऊपर रखते हैं। इससे व्यक्ति की विचारधारा समग्र न होकर एकपक्षीय हो जाती है । उदाहरणत: मुलायम सिंह यादव सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को छोड़कर सैफई में विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक महत्व देते हैं, तो आजम खां रामपुर में विकास को प्राथमिकता देते हैं। इस क्षेत्रीयता की आंधी में शैक्षिक समानता के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों, जिलों, तहसीलों और ग्रामों में वर्गीकृत किया, ताकि समान विकास हो सके। परन्तु आज हम भारतवासी विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त होकर राष्ट्रीयता को भूलते जा रहे हैं। परिणामस्वरुप जगह-जगह अलगाव, हिंसा, साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ अपने पैर फैला रही हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास अर्थात देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास शिक्षा के बिना असंभव है। क्योंकि भारत में मानव और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में विविधता भी दिखाई देती है। जैसे – सामाजिक और शैक्षिक रूप से विकसित केरल प्रान्त में आर्थिक विकास का स्तर निम्न है । भौगोलिक परिवेश, यातायात के साधनों की कमी, श्रम और तकनीकी सुविधाएँ आदि क्षेत्रीय असमानता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं । अशिक्षा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और भूमि असंतुलन भी क्षेत्रीय असमानता को ऑक्सीजन देते हैं। क्षेत्रीय असमानता के कारण ही आज हम देश के सभी भागों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं। भारत को विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए नेतृत्वकर्ताओं को सुदूरवर्ती गाँवों में विकास की किरणों को पहुँचाना होगा। अतः इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान शिक्षा में समानता द्वारा ही संभव है।

किसी समूह के सामाजिक संघटन की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति उसकी भाषा होती है। मानव मस्तिष्क में उत्पन्न विविध विचारों को मूर्त रूप देने का सबसे उन्नत और सुलभ साधन भाषा है। सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भावाभिव्यंजन का कार्य लिया जाता है। मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण विविध सामाजिक संबंधों के बीच अन्तःक्रिया करता है। इसके लिए भाषा ही सर्वोत्कृष्ट साधन है । भाषा बोल सकने के कारण ही मानव को पशुओं की अपेक्षा बहुत उच्चकोटि में स्थान प्राप्त है। भाषा मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम भी भाषा ही है। वैदिक संस्कृति को विश्व की

अत्यंत प्राचीनतम और सम्बृद्ध माना जाता है। जिस भाषा में ज्ञान-विज्ञान और समस्त कलाओं को अभिव्यक्त करने की गहन क्षमता होती है, उसे संपन्न भाषा माना जाता है। किसी भी देश के सांस्कृतिक विकास में भाषाओं की महती भूमिका होती है। परन्तु जब किसी राष्ट्र पर विदेशी भाषा अपना प्रभुत्व जमा लेती है तब उस राष्ट्र की संस्कृति का ह्रास होने लगता है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा नष्ट को कर दीजिए। इस सूत्र को भारत पर शासन करने वाले विदेशियों ने भली-भाँति समझा और इसका भरपूर लाभ उठाया। भाषायी विविधता भारत में क्षेत्रीय विभेदों को मुखर रूप में प्रतिबिंबित करती है। गांधीजी की राय में भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह आसानी से समझ ले। भाषा न केवल विचारों के आदान-प्रदान का साधन मात्र है, अपितु वह पूरी की पूरी परम्परा की संवाहक भी होती है। किसी देश और राष्ट्र के स्वरूप तथा स्वाभिमान को अभिव्यक्ति देने का नाम भाषा है। भाषा देश के इतिहास एवं वर्तमान का वह आईना होती है, जिसमें भविष्य भी देखा जा सकता है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास ही व्यक्ति को अपनी निजता की पहचान कराते हैं, अभिमान तथा स्वाभिमान जगाते हैं। अभिमान और स्वाभिमान की धरती के अभाव में आकाशीय ऊंचाईयों को छूने का उपक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता, प्रयत्न भी कुछ अधिक ही करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। जबकि उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना संघ का कर्तव्य है, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए। देश की भाषा समस्या जनता जनित नहीं है, बल्कि यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जनित है। जन प्रतिनिधियों ने ही इसे 1947 में ही स्वीकार कर लिया था कि देश में एक संपर्क भाषा हो और वह भारत की ही भाषा हो, कोई विदेशी भाषा न हो। संविधान लागू होने के बाद पंद्रह साल का समय भाषा परिवर्तन के लिए रखा गया था और वह समय केवल केंद्र सरकार की भाषा के लिए ही नहीं बल्कि भारत संघ के सभी राज्यों के लिए रखा गया था कि उस दौरान सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अपनी राजभाषा निर्धारित कर लेंगी एवं उन्हें ऐसी सशक्त बना लेंगी कि उनके माध्यम से समस्त सरकारी काम काज किए जाएंगे तथा राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाएं उनके माध्यम से ही शिक्षा देंगी। हिन्दी को 1950 में राजभाषा बनाये जाने के विरोध में दक्षिण भारत में हिंसक प्रदर्शन किये गए। दक्षिण भारतियों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता पर खतरा महसूस किया, जिसके कारण स्वतंत्रता के लगभग छ: दशक बाद भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। अलग-अलग प्रान्तों में हिन्दी के अतिरिक्त प्रान्तीय भाषाओं में शिक्षण की माँग होती है। सामान्यतः एक ही विद्यालय में कई भाषाओं के विद्यार्थी होते हैं जैसे-हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, गुजरती, तमिल और तेलगू आदि। इस तरह की स्थिति में एक शिक्षक के लिए कई भाषाओं में एक साथ शिक्षण कार्य करना बहुत-ही जटिल कार्य है। इस समस्या का समाधान त्रिभाषा सूत्र द्वारा निकालने का प्रयास किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम भाषा-मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय भाषा हिन्दी या तृतीय भाषा के रूप में अँग्रेजी पढ़ाई जाए। दक्षिण के आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं केरल राज्यों ने ईमानदारी के साथ इस सिद्धांत पर अमल किया, परंतु शेष राज्यों ने या तो आंशिक रूप में अनुपालन किया अथवा इसकी उपेक्षा की। इस क्रम से हिन्दी

वास्तव में राजभाषा के पद पर सही अर्थों में कभी स्थापित नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अन्य भाषाओं के प्रति सकरात्मक भाव रखना होगा।

मानव सदैव यह अनुभव करता आया है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, जो इस ब्रह्माण्ड की गतिविधियों का संचालन करती है। यह अदृश्य शक्ति निश्चय ही मानव से अधिक शक्तिशाली और अलौकिक है। इस अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास को ही धर्म की संज्ञा दी जाती है। **एडवर्ड टाइलर (1871)** के अनुसार –'धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है।' आज धर्म ने दुनिया के सभी देशों में द्वंद्वात्मक स्थितियों से मुक्ति प्रदान करने वाले साधन के रूप में अपनी महत्ता स्थापित की है। धर्म किसी सम्प्रदाय का द्योतक नहीं है, बल्कि यह जीवन संहिता, आचार और कर्तव्य है। भारतीय दृष्टिकोण से धर्म से तात्पर्य उन आध्यात्मिक सिद्धांतों, नियमों और आचार-विचार से है जिनके पालन करने से मनुष्य का प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। धर्म भी शैक्षिक असमानता को बढ़ाने का एक कारण रहा है। अभी भी भारत में हिंदु धर्म में पारम्परिक शिक्षा पर बल दिया जाता है और मुस्लिम दीनी तालीम (मजहबी शिक्षा) को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसके कारण शिक्षा एवं शिक्षा के समान अवसरों की प्राप्ति संभव नहीं हो पायी है। धार्मिक विभेद भी असमानता को पुष्ट करने वाले तत्व हैं। भारतीय जनसंख्या का धार्मिक संघटन देश के सामाजिक ताने-बाने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विद्यमान है। धर्म द्वारा पोषित रुढ़ियां और प्रयास महिलाओं की शिक्षा के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। **विवेकानन्द** के शब्दों में –'धर्म शिक्षा का अन्तिम आधार है। मेरा तात्पर्य धर्म के बारे में मेरी अपनी या किसी अन्य की राय से नहीं है।' धार्मिक आस्था मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है और जनतांत्रिक गुणों का विकास भी करती है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा व्यवस्था में मानव धर्म को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, जो कि विश्व मानव की कल्पना पर आधारित है और जिसके अनुसार संसार के सभी धर्मों में एक लक्ष्य की खोज की जाती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया जो अपने मूलरूप में धर्मनिरपेक्ष ही है। परन्तु कालान्तर में धार्मिक मतभेदों के कारण संविधान में धार्मिक उदारता के स्थान पर सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। इसलिए भारत में राष्ट्र धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है और न ही किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। लोगों को अपने-अपने धर्म को मानने और अन्य किसी धर्म को बाधा पहुँचाये बिना प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म मानव में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार भारत जैसे बहुधर्मी देश में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि यहाँ सभी धर्मों का सहिष्णुता के साथ अध्ययन कराया जाए जिससे यहाँ के नागरिक एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें।

जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्टता है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही भारतीय समाज को कर्म के आधार पर विभिन्न वर्णों जैसे-ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में स्तरीकृत किया गया था। प्रत्येक जाति, वंश, कुल के वंशजों के लिए वही काम निश्चित थे जो उनके पूर्वज किया करते थे। इसके बावजूद समय और स्थान परिवर्तन होने पर जातियों, वंशों, कुलों के काम बदल जाया करते थे। जातियाँ बनी रहती थीं परन्तु उनकी पीढ़ियाँ निरन्तर एक ही जाति में बने रहने को अभिशप्त नहीं थीं। कालांतर में कर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था जन्म पर आश्रित होकर विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गयी। अतः जाति मनुष्यों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य किसी वास्तविक या कल्पित सांझी वंश-

परंपरा के माध्यम से स्वयं को एक नस्ल के वंशज मानते हैं। इस परम्परागत जातिगत सामाजिक व्यवस्था में शनैः-शनैः अस्पृश्यता, छुआछूत और भेदभाव आदि जैसी कुरीतियों ने अपना स्थान बनाना प्रारम्भ कर दिया । परिणामस्वरूप चतुर्थ सोपान पर स्थित सेवाकार्यों से जुड़ी जातियों का शोषण किया जाने लगा । आज भी जातिगत भेदभाव और असमानता समाज में मुखर और प्रछन्न रूप में लगातार कायम है ।

स्वतंत्रता के बाद से ही लिंगगत असमानता को समाप्त करने के प्रयास सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर जितनी गंभीरता से किए गए, वैसे और उतने प्रयास जातिगत असमानता को मिटाने के लिए नहीं हुए । जातिगत असमानता को मिटाने के सभी प्रयास केवल सरकारी स्तर पर ही हुए, क्योंकि वहाँ संविधान की बाध्यता थी। लड़कियों के लिए अलग से स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल सुविधाओं, अलग शिक्षण संस्थाओं को न केवल सरकारी प्रयासों से अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में खोला गया, बल्कि समाज सुधार संस्थाओं, मिशनरी सोसाइटियों तक ने ऐसे बहुत से प्रयास किए । जबकि निम्न जातियों के लिए ऐसे सभी प्रयास केवल सरकारों द्वारा ही संविधान को दृष्टिगत्त रखते हुए किए गए। निम्न जातियों की शिक्षा को लेकर स्वयं सामाजिक संस्थाओं के ऐसे प्रयास लगभग नगण्य ही कहे जाएँगे । निम्न जातियों के लिए कुछ भी करने के कार्य-भार से सामाजिक संस्थाएँ लगभग मुक्त रहीं अथवा उनके प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में न के बराबर रहे हैं । सामाजिक संस्थाएँ और गैर-सरकारी संस्थाएँ लिंगगत असमानता मिटाने के लिए तो सततप्रयासरत रहीं और आज भी हैं, परन्तु जातिगत असमानता को ख़त्म करने का उत्तरदायित्व केवल सरकारों का ही रहा है । जातिगत असमानता के प्रति सभी उदासीन बने रहते हैं। देखने में आता है कि समाज में जितना संभव होता है प्राय: उतना ही निम्न जाति का व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान को छिपाकर रखना चाहता है, क्योंकि ऐसा करके वह प्रत्यक्ष रूप से होने वाले जातीय दुर्व्यवहार से स्वयं को बचा सकता है। यह बात अलग है कि उच्च जाति के व्यक्ति जहाँ बात-बात पर प्राय: जातिगत अभिमान से भरी टिप्पणियाँ करते रहते हैं और जब निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा ऐसे अवसरों पर चुप रह जाया जाता है, तब यह अनुमान हो ही जाता है कि कौन निम्न जाति से है और कौन उच्च जातियों से सम्बन्ध रखता है । लेकिन उसके बावजूद यथासंभव तथा कथित निम्न जातियों के व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को छिपाकर रखते हैं और जातीय अपमान की घटना को काफ़ी हद तक सह भी जाते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते ही सबसे पहले जाति छिपा जाने का उनका अथक प्रयास ही मिट्टी में मिल जाता है। अपनी जातीय पहचान के प्रति सहज न रह पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सामान्यतः उच्च जातियाँ व्यवहार में तो जातिगत भेदभाव के नियमों को बनाए रखती हैं और रखना चाहती हैं, परन्तु उनके पक्ष में सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहतीं हैं। क्योंकि आधुनिक स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक समाजों में इसे सैद्धान्तिक रूप से चलाए रखने का कोई नैतिक आधार उनके पास नहीं है । हमारी योजनाएँ और नीतियाँ ऐसी हैं, जो निरन्तर बेरोजगारी पैदा कर रही हैं। लगातार श्रम और हाथ से काम करने की संस्कृति की अवहेलना की जा रही है। श्रम और हाथ से काम करने वाली संस्कृति के विरोध ने ही आज यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि न तो सबके पास काम है और न काम को करने की नीयत और योग्यता । महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज के कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग अछूतोद्धार था। स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम का भी प्रमुख अंग वंचितों की सेवा करना था। इन सामाजिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप उच्च वर्ग के हिन्दुओं के मन में निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उदार भाव जाग्रत होने लगे थे । भारत एक विशाल

महामानव समुद्र है ऐसा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था । इस महामानव समुद्र, जो पेशेवर जातियों के रूप में रहा है, को काम की जरूरत है। उसे काम चाहिए ऐसा काम जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता हो, जिसमें इतनी कमाई हो कि मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए।

भारतीय संस्कृति के विकास में जाति और जनजाति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों समूहों ने अपनी पृथक पहचान बनाई हुई है । जनजाति (tribe) वह सामाजिक समुदाय है, जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर हैं। प्राचीनकाल से ही मानव जाति विभिन्न समूहों में विभाजित रही है, उसी में एक समूह को जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। यह समूह दुर्गम स्थानों जैसे -पहाड़ों, घने जंगलों और मरुस्थल आदि में रहता है। इसका शिल्पशास्त्र सरल और अर्थव्यवस्था अस्तित्व-अभिमुख होती है। **डव्ल्यू. एच. आर. रिवर्स** के अनुसार – 'जनजाति एक सरल सामाजिक समूह होता है, जिसके सदस्य सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं और युद्ध तथा अन्य प्रकार के क्रियाकलापों के समय साथ-साथ कार्य करते हैं।' भारतीय विद्वान **डी. एन. मजुमदार** के मतानुसार- 'जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जिसके सदस्य एक आम भाषा का प्रयोग करते हैं, एक आम क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाते हैं, पेशा और भोजन में जिसके सदस्य आम निषेधों का पालन करते हैं और जिनके मध्य पारस्परिक विनिमय व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती है।' विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक शैक्षिक असमानता पाई जाती है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। जनजातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

सारांशतः भारत में क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, जनजाति आदि के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता दिखाई देती है, परन्तु सभी एकीकृत रूप से भारत संघ का निर्माण करते हैं। जहाँ समानता की आकांक्षा की जाती है, शिक्षा को पहली और अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। इतना ही नहीं, शिक्षा स्वयं समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान अवसर भी प्रदान करती है। इस दृष्टि से सुविधावंचित और समाजिक भेदभाव से पीड़ित समूहों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न :-2

सही विकल्प का चयन करें -

1. शिक्षा/सिनेमा समाज में परिवर्तन लाने का सशक्त साधन है।
2. जापान /भारतीय संविधान को 'संघीय-संविधान' माना जाता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 343/346 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी।
4. धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर आघात/विश्वास है।
5. भारत एक विशाल महामानव समुद्र है ऐसा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर/महर्षि अरविन्द ने कहा था|

1.6 विविध समुदायों और वैयक्तिकता तथा शिक्षा से अपेक्षाएँ

भारतीय समाज बहु-सांस्कृतिक और बहु-जातीय समाज है। इसमें धर्म, जाति, लिंग पर आधारित घोर विषमताएं हैं, जो भारतीय समाज के विकास के साथ-साथ यहाँ के सामाजिक वातावरण में

अत्यंत गहराई से स्थापित होती चली गई हैं। इन विषमताओं के कारण भारत में एक बड़े समुदाय शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। इस वंचित समुदाय में दलित, आदिवासी एवं महिलाएँ शामिल हैं। **जॉन ड्यूवी** के मतानुसार उत्तम और सबसे बुद्धिमान माता-पिता जो कुछ बच्चे के लिए चाहते हैं समुदाय भी अपने बच्चों के लिए वही चाहेगा। विद्यालय और समुदाय के उद्देश्य समान होते हैं। दोनों का मुख्य उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समग्र विकास करना है। बच्चों के समग्र विकास में ही समुदाय का विकास निहित है। विद्यालयों को समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। भारतीय जातीय समूहों की संख्या और आकार में बहुत भिन्नता है। कहीं यह बेहद सीमित जातीय और जनजातीय समहू हैं तो कहीं विशाल भाषायी और धार्मिक समूह। किसी समूह का स्पष्ट एकाधिकार नहीं है और न ही इन समूहों के बीच किसी प्रकार की सीमाएं भी निश्चित नहीं हैं। **सर हरबर्ट रिजले** ने भारतीय लोगों को अपनी पुस्तक '**The People of India**' में सात प्रजातीय समुदायों में वर्गीकृत किया है। कई सामाजिक विचारकों, मानवशास्त्रियों और विद्वानों ने अपने भारतीय समाज सम्बन्धी अध्ययनों में भारतीय समुदायों को विविध आयामों से विवेचित किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से समुदाय वह वृहत् सामाजिक समूह होता है, जिसमें रहकर उस समूह के लोगों की सामान्य आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं। **मैकाईवर और पेज** के अनुसार –'जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार मिल-जुलकर रहते हैं कि वे एक-दूसरे के विशिष्ट कार्यों में ही हाथ नहीं बंटाते, बल्कि सामान्य जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो हम उस समूह को समुदाय कहते हैं।' भारत सम्पूर्ण विश्व का एक प्रतिनिधिक मानवीय समुदाय है। **के. एस. सिंह** ने अपने अध्ययन में 4693 भारतीय समुदायों की पहचान की है। इन सभी समुदायों में भिन्न-भिन्न जीवन शैली होने के बावजूद भी सांस्कृतिक एकरूपता और भावात्मक घनिष्टता पाई जाती है। सामान्यतः समुदाय शिक्षा की अनौपचारिक संस्था है जिसमें रहकर आप अपने व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। भारत में राज्य और समुदाय दोनों ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। आप अपने समुदाय की क्रियाओं में भाग लेकर भाषा और आचरण की शिक्षा ही नहीं, अपितु अपने समुदाय की संस्कृति और परम्पराओं से भी परिचित होते हैं। समुदाय अपने सदस्यों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, व्यायामशालाओं, धार्मिक केन्द्रों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, धर्मशालाओं, पार्कों, सामुदायिक बारात घरों और विद्यालयों का निर्माण करते हैं। जब आप परिवार से निकलकर समुदाय में प्रवेश करते हैं तो आपको समुदाय के सदस्यों का प्रेम, सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होता है। आप शिक्षा के माध्यम से समुदाय की भाषा, संस्कृति और परम्पराओं को आत्मसात कर उसके साथ समायोजन करते हैं। समुदायों का उच्च धार्मिक वातावरण नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक होता है। व्यवसाय और उद्योग के संचालन की शिक्षा आपको अपने समुदाय से ही प्राप्त होती है। यदि समुदाय के सदस्य अपने मूल अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं तो आप उनका अनुकरण कर सहज भाव से नागरिकता की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बच्चों के सर्वांगीण विकास में समुदाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। आपके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के पश्चात सबसे अधिक योगदान समुदाय का ही होता है। अतः प्रत्येक समुदाय को अपने शैक्षिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन ईमानदारीपूर्वक एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। अशिक्षा किसी भी समुदाय के लिए एक बुराई के समान है जिसे समाप्त करने के लिए समुदाय के सदस्यों को हर संभव सकारात्मक प्रयास करने चाहिए।

अभ्यास प्रश्न :-3

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये |

1. भारतीय समाज बहु-सांस्कृतिक और --------------------------समाज है।
2. ------------------ने भारतीय लोगों को अपनी पुस्तक 'The People of India' में सात प्रजातीय समुदायों में वर्गीकृत किया है।
3. समुदाय वह वृहत् ---------------समूह होता है, जिसमें रहकर उस समूह के लोगों की सामान्य आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं।
4. ---------------------ने अपने अध्ययन में 4693 भारतीय समुदायों की पहचान की है।
5. भारत में राज्य और समुदाय दोनों ही ------------------- की व्यवस्था करते हैं।

1. 7 विविधतापूर्ण परिस्थितियों में बढ़ते बच्चों के लिए शिक्षा की भूमिका

भारत विविधताओं से भरा देश है, जो उपनिवेशिक काल के दौरान कई रियासतों को अपने अंदर समाहित करके निर्मित हुआ है। यह सत्ता हस्तांतरण के बाद एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। इसलिए भारतीय समाज में भौगोलिक, प्राकृतिक, भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधताएं हैं। यह भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, रक्तसंबंध, जाति, धर्म, स्थान आदि के आधार परविभिन्न श्रेणियों जैसे- उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग निम्न वर्ग में बॅटा हुआ है। भारतीय संविधान और सरकारी संस्थाएँ जहाँ एक ओर भेदभाव रहित समाज की बात करती हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न माध्यमों से इसको प्रोत्साहन भी देती हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि सरकार के खाद्य एंव आपूर्ति विभाग द्वारा नागरिकों को चार प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं जिनका रंग क्रमशः हरा, गुलाबी, सफ़ेद और पीला होता है। हरे रंग का अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड उन निराश्रित लोगों के लिए जारी किया जाता है, जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होती है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जारी होने वाले राशन कार्ड का रंग गुलाबी होता है। सफ़ेद रंग का राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जारी किया जाता है और पीले रंग का राशन कार्ड उन परिवारों के लिए जारी किया जाता जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं। इसमें रोचक तथ्य यह है कि सरकार के पास ऐसा कौन-सा पैमाना है जो गरीबी की रेखा का निर्धारण यथार्थ रूप से करता है। इसी प्रकार उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की विविधतापूर्ण परिस्थतियों में बढ़ते बच्चों के लिए विद्यालयों का भी वर्गीकरण कर दिया गया है। उच्च वर्ग के परिवारों में पैदा होने वाले बच्चे नामी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में सांसद कोटे से प्रवेश लेकर पढ़ते हैं या फिर विदेश के किसी प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में मोटी फ़ीस देकर बिना प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पाते हैं और शिक्षा पूरी करने पर जब भारत वापस लौटते हैं तो बड़ी आसानी से संसद या विधानसभा में परिवार के सहयोग से पहुँचकर देश के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में बढ़ते बच्चे भारत में ही रहकर कान्वेंट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाते हैं। अन्त में बचे निम्न या आदिवासी परिवारों में बढ़ते बच्चों के लिए सुविधाविहीन सरकारी विद्यालय जहाँ उन्हें मिड-डे मील खिलाकर वापस घर भेज दिया जाता है। इन परिवारों के बच्चों का भविष्य अनिश्चिता के भंवर में फंसा रहता है। निरक्षरता और प्रचार-प्रसार की कमी के

चलते इन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का पता ही नहीं चल पता है। फलस्वरूप इनके बच्चे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं और विवशतापूर्ण अभिशप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

सामाजिक एवं इस विविधतापूर्ण समाज में शिक्षा की एकरूपता या एक ही समान पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों का विकास संभव नहीं है। विविधतापूर्ण शिक्षा के अभाव के कारण समाज में असमानता की खाई को नहीं काटा जा सकता। इसी कारण आज एक उत्तर भारतीय व्यक्ति दक्षिण या पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण या पूर्वोत्तर का व्यक्ति देश के अन्य भाग की सांस्कृतिक धरोहर को नहीं समझ पाता है। इसलिए ऐसे पाठ्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों को अपनी मातृ भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता की जानकारी प्रदान कर सके। विविधतापूर्ण परिस्थितियों में बढ़ते बच्चों के लिए शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, चरित्रिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है और उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण कर लोकतंत्र में सबल, योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाना है।

अभ्यास प्रश्न :-4

संक्षिप्त में उत्तर लिखिए-

1. सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाने वाले राशन कार्ड पर संक्षिप्त टिपण्णी लिखिए|
2. "मिड डे मील" पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. विविधतापूर्ण बढते बच्चों के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की सूची बनाइए|

1.8 सामूहिक जीवन और संघर्ष विघटन के लिए उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका

भारतीय सामाजिक संरचना विभिन्नताओं से परिपूर्ण वृहत समूह है जिसमें बहुत से लघु समूह जैसे- परिवार, जाति, उपजाति, ग्रामीण समुदाय और सगे-संबंधियों की व्यवस्था सम्मिलित है। जिस प्रकार अनार या अन्य फल के अन्दर कई छोटे-छोटे विभाजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना के अन्तर्गत छोटे-छोटे समूह होते हैं। समूह के सदस्यों की भूमिकाएँ उनकी योग्यता, क्षमता और रूचि के अनुसार निर्धारित होती है। सामाजिक समूहों के सदस्य समाज में अपनी सम्मानजनक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मानव अपने सामाजिक स्वभाव के कारण विभिन्न प्रकार के समूहों का निर्माण करता है, जो सामान्यतः भाषा, रक्तसंबंध, जाति, धर्म, स्थान आदि के आधार पर स्तरीकृत होते हैं। एक वृहत सामाजिक व्यवस्था की नींव छोटे-छोटे समूहों पर टिकी होती है। भारतीय समाजिक समूह की प्रकृति प्रारंभ से ही जटिल रही है जिसमें विभिन्न जातियों, लिंग, नृजातीयता और वर्गों का अस्तित्व रहा है।

आज के तकनीकी युग में उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने जहाँ एक ओर विश्व को एक वृहद सामाजिक समूह में तबदील किया है, तो वहीँ दूसरी ओर तनाव और संघर्ष को भी जन्म दिया है। भारत जैसी जनतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक विभिन्न समूहों के बीच बढ़ता तनाव और संघर्ष है। भारतीय जनतांत्रिक व्यवस्था

में विभिन्न सामाजिक समूह अपनी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल और परम्पराओं के माध्यम से अपनी अलग पहचान स्थापित किए हुए हैं। लेकिन जब किसी एक सामाजिक समूह को यह महसूस होने लगता है कि अन्य समूहों की अपेक्षा उसे लाभ के अवसरों से वंचित किया जा रहा है या कम अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो उसके मन में अन्य समूहों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है और यही मनोवृत्ति सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों के मध्य आपसी वैमनस्य और विभाजक प्रवृत्तियों की उत्पत्ति और वृद्धि का मूल कारण होता है। ये विघटनकारी प्रवृत्तियां स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण में तनाव और संघर्ष को जन्म देकर राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करती हैं। संजातीय समूह के सदस्य समान संस्कृति के कारण एक समूह में जीवन व्यतीत करते हुए आपसी एकता का अनुभव करते हैं। यह संजातीय एकता सामाजिक व्यवस्था में सजातीय नकारात्मक पूर्वाग्रहों को जन्म देती है। परिणामस्वरूप विखंडित जनादेश और राजनीतिक अस्थिरता की परिस्तिथियां उत्पन्न होती हैं। भारत जैसी विकासशील व्यवस्थाओं के लिए राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है – सम्पूर्ण राष्ट्र के नागरिकों के लिए आस्था और विश्वास का एक ही केन्द्र विकसित करना, जिससे सभी लोग अपनी निष्ठा को संकीर्ण संजातीय समूहों में सीमित न रखकर समस्त राष्ट्र को अपनी उम्मीदों का केन्द्र माने।

एक शिक्षित समाज जनतांत्रिक अवधारणा के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करने में अहम् भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षा से भारतीय समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग जुड़ा है। संचार माध्यमों जैसे- रेडियो, टेलीविजन, समाचार – पत्र और इंटरनेट का प्रभाव शहरों में ही नहीं अपितु ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों तक देखने को मिल रहा है। जिनके माध्यम से शैक्षिक कर्यक्रमों का प्रचार और प्रसार करके समूहों के बीच उत्पन्न तनाव और संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **दुर्खिम** के अनुसार –'शिक्षा के सिद्धांत का गहरा सम्बन्ध सबसे अधिक समाज से है।' शिक्षा किसी भी सामाजिक समूह के अस्तित्व को समाज में कायम रखती है और आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्ण रूप से उसे परिवर्तित भी करती है। इस तरह शिक्षा सामाजिक समूहों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले उपकरण का कार्य करती है। यह वास्तव में सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और तात्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करती है। सारांशतः वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव परिवर्तनों जैसे- दूरस्थ शिक्षा, सामुदायिक रेडियो, वेब रेडियो, इंटरनेट, खुला विश्वविद्यालय, महिला शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा आदि से शिक्षा की सार्थकता स्वयं प्रमाणित होती है।

अभ्यास प्रश्न :-5

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये।

1. भारतीय सामाजिक संरचना विभिन्नताओं से परिपूर्ण---------------------------है।
2. एक वृहत ----------------------------------की नींव छोटे-छोटे समूहों पर टिकी होती है।
3. ------------------------के सदस्य समान संस्कृति के कारण एक समूह में जीवन व्यतीत करते हुए आपसी एकता का अनुभव करते हैं।
4. संजातीय एकता सामाजिक व्यवस्था में संजातीय--------------------------को जन्म देती है।
5. शिक्षा के सिद्धांत का गहरा सम्बन्ध सबसे अधिक ------------------ से है।

1.9 सारांश

एक शिक्षित समाज ही देश को उन्नत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षा की ऐसी परम्परा बना दी गयी है कि बड़े विश्वविद्यालयों में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को प्रवेश मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट का कटऑफ अत्यधिक ऊँचा रहता है, जो अधिकांश सरकारी विद्यालयों में पढ़े बच्चों के लिए असम्भव है। शैक्षिक असमानता के कारण वंचित वर्ग गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय में यह असमानता ही शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। जबकि भारतीय संविधान शैक्षिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में न्याय की विस्तृत व्याख्या करता है।

शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ है देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराना। हम भारतवासी विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त होकर राष्ट्रीयता को भूलते जा रहे हैं। क्षेत्रीय असमानताओं के बाद भी भारत की लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में एकीकृत विशिष्टता के दर्शन होते हैं। भाषा मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम भी भाषा ही है। किसी भी देश के सांस्कृतिक विकास में भाषाओं की महती भूमिका होती है।

अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास को ही धर्म की संज्ञा दी जाती है। **एडवर्ड टाइलर (1871)** के अनुसार –'धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है।' धार्मिक विभेद भी असमानता को पुष्ट करने वाले तत्व हैं। भारतीय जनसंख्या का धार्मिक संघटन देश के सामाजिक ताने-बाने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विद्यमान है।

प्राचीन वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न जाति व्यवस्था ने नए भारत में विविध सामाजिक बुराईयों को उत्पन्न किया है। जाति एक आधुनिक परिघटना है जो भारत और पाश्चात्य औपनिवेशिक शासन के टकराव का एक विलक्षण परिणाम है। आज यह भारतीय समाज के लिए अभिशाप बन चुकी है जो भविष्य में गृह युद्ध की स्थिति की ओर संकेत कर रही है।

प्राचीनकाल से ही मानव जाति विभिन्न समूहों में विभाजित रही है, उसी में एक समूह को जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। **डब्ल्यू. एच. आर. रिवर्स** के अनुसार –'जनजाति एक सरल सामाजिक समूह होता है, जिसके सदस्य सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं और युद्ध तथा अन्य प्रकार के क्रियाकलापों के समय साथ-साथ कार्य करते हैं।' इनको राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

भारत में राज्य और समुदाय दोनों ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। आप अपने समुदाय की क्रियाओं में भाग लेकर भाषा और आचरण की शिक्षा ही नहीं, अपितु अपने समुदाय की संस्कृति और परम्पराओं से भी परिचित होते हैं। समुदाय अपने सदस्यों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, व्यायामशालाओं, धार्मिक केन्द्रों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, धर्मशालाओं, पार्कों, सामुदायिक बारात घरों और विद्यालयों का निर्माण करते हैं। अतः बच्चों के सर्वांगीण विकास में समुदाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं।

विविधतापूर्ण परिस्थितियों में बढ़ते बच्चों के लिए शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है और उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण कर लोकतंत्र में सबल, योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाना है।

भारत जैसी जनतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक विभिन्न समूहों के बीच बढ़ता तनाव और संघर्ष है। सारांशतः शिक्षा किसी भी सामाजिक समूह के अस्तित्व को समाज में कायम रखती है और आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्ण रूप से उसे परिवर्तित कर एक सशक्त उपकरण के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय भी करती है। यह वास्तव में सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और तात्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करती है।

1.10 शब्दावली

- **समवर्ती -** जो समान रूप से स्थित रहता हो।
- **जनजाति -** दुर्गम स्थानों जैसे -पहाड़ों, घने जंगलों और मरुस्थल आदि में रहने वाला एक सरल सामाजिक समूह।
- **जनतांत्रिक**– जनतंत्र से सम्बंधित सिद्धांतों में विश्वास करना।
- **संजातीय**–सामाजिक रूप से लोगों का परिभाषित समूह जिसकी सांझी समान पहचान होती है, जो अन्य समूहों से उसे अलग करती है।
- **अलौकिक** – इस लोक से परे या लोकोत्तर।
- **औपनिवेशिक** – उपनिवेश से सम्बंधित।
- **अभिशप्त** – जिस पर मिथ्या या झूठा आरोप लगाया गया हो ।
- **भावाभिव्यंजन** – भाव या अर्थ को अभिव्यक्त करना।
- **वैधानिक** – सरकार द्वारा शासित सिद्धांतों के समुच्चय से सम्बंधित।
- **आध्यात्मिक -** ईश्वरीय उद्दीपन की अनुभूति प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण।

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1. निष्पक्षता, समानता
2. भारतीय संविधान
3. अनिवार्य, सर्वसुलभ
4. भाग 4
5. समानता

अभ्यास प्रश्न -2

1. शिक्षा
2. भारतीय
3. 343
4. विश्वास
5. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

अभ्यास प्रश्न -3

1. बहु-जातीय 2. सर हरबर्ट रिजले

3. सामाजिक 4. के. एस. सिंह 5. शिक्षा

अभ्यास प्रश्न -5

1. वृहत समूह 2. सामाजिक व्यवस्था

3. संजातीय समूह 4. नकारात्मक पूर्वाग्रहों 5. समाज

1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षा में कौन-कौन-सी समस्याओं को आप महत्वपूर्ण समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए।
2. शिक्षा में न्याय और समानता का वर्णन उचित उदाहरणों की सहायता से कीजिए।
3. क्षेत्र, भाषा और धर्म के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता के संप्रत्यय को समझाइए।
4. जाति और जनजाति के सन्दर्भ में वैयक्तिकता के स्तर पर विभिन्नता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
5. विभिन्न समुदायों के लिए शिक्षा से क्या अपेक्षाएँ की जाती हैं। तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए।
6. सामूहिक जीवन से आप क्या समझते हैं ? इसके लिए शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
7. संघर्ष विघटन के लिए उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए।
8. 'धर्म शिक्षा का अन्तिम आधार है। मेरा तात्पर्य धर्म के बारे में मेरी अपनी या किसी अन्य की राय से नहीं है।' इस कथन के सन्दर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

1.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- एंडरसन, एन. एवं ईश्वरन, के. (1965). *अर्बन सोशिओलोजी,* बम्बई : एशिया पब्लिशिंग हाउस।
- लाल, आर. बी. (2009). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त,* मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स।
- महाजन, एस. (2010). *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन,* नई दिल्ली: अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
- पाण्डेय, आर. एस., आर्य, जे. एवं सिंह, आर. पी. (1974). *भारतीय शिक्षा की समस्याएँ,* आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
- रामेन्द्र (1999). *समाज और राजनीति दर्शन,* नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स।
- शर्मा, रामनाथ एवं शर्मा, आर. (2006). *शैक्षिक समाजशास्त्र,* नई दिल्ली: एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- शर्मा, शशि (2010). *राजनीतिक समाजशास्त्र की रुपरेखा,* नई दिल्ली:पी.एच.आई.लर्निंग।

- सक्सेना, एस. (2004). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार,* आगरा: साहित्य प्रकाशन।
- सिंह, के.एस. एवं सहाय, सी. (1977).*आधुनिक भाषा विज्ञान,* नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- सिंह, जे. पी. (2013). *समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धांत,* नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड।
- सिंह, एन. (2006). *सामाजिक न्याय और सतत् विकास,* नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशन्स।
- वर्मा, ए.के.(2014).*प्रारम्भिक समाज एवं राजनीति दर्शन,* नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स।

इकाई – 2

शैक्षिक अवसर की समानता को प्राप्त करने की विधियाँ

(शैक्षिक अवसर की समानता का प्रावधान, असमानता के कारण और शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आदर्शों की प्राप्ति की समानता के लिए प्रावधान, शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आदर्शों की प्राप्ति)

Approach to attain equality of educational opportunity

(Provisions for equality of educational opportunity,causes of inequality and Attainment of ideals of equality in education)

इकाई की रुपरेखा

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ
2.4 शैक्षिक अवसर की असमानता का कारण
2.5 शैक्षिक अवसर की समानता को प्राप्त करने की विधियाँ
2.6 शैक्षिक अवसर की समानता का प्रावधान
2.7 शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आदर्शों की प्राप्ति
2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.9 सारांश
2.10 शब्दावली
2.11 निबंधात्मक प्रश्न
2.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.1 प्रस्तावना

आधुनिक समय में किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के सभी नागरिक शिक्षित हों। शिक्षा के बगैर कोई भी देश विकास की दौड़ में सफल नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोगों को शिक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उचित व समान रूप से उपलब्ध कराई जायें। इसी के साथ प्रत्येक राष्ट्र व समाज का यह दायित्व भी होना चाहिए कि वह हर एक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसके अंतर्गत समाहित प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ समझ सकेंगे।
- शैक्षिक अवसर की असमानता का उल्लेख कर सकेंगे।
- शैक्षिक अवसर की समानता को प्राप्त करने की विधियाँ लिख सकेंगे।
- शैक्षिक अवसर की समानता का प्रावधान जान सकेंगे।
- शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आदर्शों की प्राप्ति को समझ सकेंगे।

2.3 शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ

भारत में प्राचीनकाल से शिक्षा पर कुछ विशिष्ट वर्गों का ही अधिकार रहा है। सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ सुवर्ण जाति के लोगों को ही था। अन्य वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजी शासन के समय शिक्षा उच्च वर्ग के लिए सीमित थी। इस युग में जो व्यक्ति अंग्रेजी सीखना चाहता था उसी को शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध थीं। फलतः बहुत से प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे निर्धनता के कारण शिक्षा से वंचित थे। इसी के साथ जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं लिंग के आधार पर भी शिक्षा में भेदभाव किया जाता था।

1947 में जब भारत आजाद हुआ, तत्पश्चात भारत सरकार ने सभी जाति के लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया। 1950 में भारत का संविधान लिखा गया तब इस बात पर विशेष बल दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, रंग आदि के आधार पर शिक्षा में भेदभाव न किया जाये तथा योग्यता के आधार पर सभी को समान अवसर उपलब्ध कराये जायें।

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता व समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर की मांग करे। संविधान के अनुसार जाति-पांति, रंग, धर्म, लिंग भेद के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार सभी बालक अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

कोठारी शिक्षा आयोग(1964-66) के अनुसार – "शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबको समान अवसर प्रदान करना, जिससे पिछड़े हुए तथा सामाजिक सुविधाओं से वंचित वर्गों के बच्चे भी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकें।"

किसी भी समाज की उन्नति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में विकासशील परिवर्तन होते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। शिक्षा के ही द्वारा समाज से कुरीतियाँ, अन्धविश्वास एवं रूढ़िवादिता समाप्त हो सकती है। समाज के दलित, शोषित एवं पीडित वर्ग को जब शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे, तो उनका

जीवन- स्तर तो सुधरेगा ही, साथ ही समाज भी गतिशील होगा। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के अवसरों में समानता लाना अत्यंत आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न :-1

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये |

1. प्राचीनकाल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ -------------------- जाति के लोगों को था।
2. अंग्रेजी शासन के समय शिक्षा -------------------- के लिए सीमित थी।
3. -------------------- में भारत का संविधान लिखा गया।
4. भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को ------------------------ व ---------------------- का मौलिक अधिकार दिया गया है।
5. सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के अवसरों में ------------------ लाना अत्यंत आवश्यक है

2.4 शैक्षिक अवसर की असमानता के कारण

भारत में शैक्षिक अवसर की असमानता के विभिन्न कारण हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाये तो शिक्षा में असमानता की स्थिति अत्यंत विकट है। एक ओर जहाँ कुछ बच्चे ऊँची इमारतों की एसी कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं वहीँ कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें क, ख, ग लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तक नहीं मिले हैं। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. देश के विभिन्न राज्यों में निर्जन एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ अभी तक शिक्षण सुविधाओं का अभाव है। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय तक नहीं हैं। अतः यहाँ के निवासियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहे।
2. हमारे देश की अधिकांश जनसँख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन करती है। ऐसे लोगों का प्रथम लक्ष्य अपने लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना होता है। इसीलिए ये अपने बच्चों को भी विभिन्न प्रकार की मजदूरी में लगा देते हैं। इन परिस्थितियों में शिक्षा के समान अवसरों की कल्पना करना उचित नहीं है।
3. ऐसे संस्थान जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं वहां बच्चों के लिए उत्तम कोटि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहीँ कई विद्यालयों में स्थिति ऐसी है कि बच्चों को खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेनी पड़ रही है।
4. प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जिससे प्रत्येक बच्चा विद्यालय पहुंचे। पर यदि वास्तविकता पर नजर डाली जाये तो हम देख सकते हैं की आज भी निर्बल वर्ग के बच्चे शिक्षा सुविधाओं से वंचित हैं। पहले तो वे विद्यालय जाते ही नहीं, और अगर जाते भी हैं तो घरेलू आवश्यकताओं के कारण शिक्षा पूरी किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं।
5. निर्बल वर्ग के बच्चों को संपन्न घरों की अपेक्षा कम सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जैसे- घर का वातावरण, कोचिंग, आदि।

6. माध्यमिक स्तर पर भी निर्धन वर्ग के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण संपन्न घरों के बच्चों से पीछे रह जाते हैं। इन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की भी कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है।
7. उच्च शिक्षा में यह स्थिति और भी विकट हो जाती है। उच्च संस्थाएं अधिकांशतः शहरी क्षेत्र में होने के कारण उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के बच्चे ही लाभ उठा पाते हैं जबकि निर्बल वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं।
8. जिन संस्थाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है वहां भी उच्च वर्ग के बच्चे निर्बल वर्ग के बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं।
9. जब किसी विश्वविद्यालय या अन्य संस्थाओं में प्रवेश माध्यमिक स्तर की परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है तब भी शहरी क्षेत्र के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं।
10. शहरी क्षेत्र के बच्चों के माता- पिता अधिकांशतः पढ़े-लिखे होते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अनपढ़, इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में समानता की बात करना उचित नहीं है।
11. हमारे देश में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो कि शैक्षिक विषमता का एक महत्वपूर्ण कारण है।

अभ्यास प्रश्न :-2

सही विकल्प का चयन करें -

1. हमारे देश की अधिकांश जनसँख्या गरीबी/ अमीरी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती है।
2. भारत में बालकों/ बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
3. जिन संस्थाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है वहां उच्च वर्ग/ निर्बल वर्ग के बच्चे अधिक प्रवेश पाते हैं।
4. उच्च वर्ग/ निर्बल वर्ग के बच्चे घरेलू आवश्यकताओं के कारण शिक्षा पूरी किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं।
5. देश के विभिन्न राज्यों में निर्जन एवं पहाड़ी/ शहरी क्षेत्र हैं।

2.5 शैक्षिक अवसर की समानता को प्राप्त करने की विधियाँ

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से वास्तविक और सर्वाधिक लाभ साधन- संपन्न, धनीवर्ग और शहरी वर्ग के लोगों को हो रहा है। इस प्रणाली का लाभ निर्धन, निर्बल और सुविधाविहीन लोगों को नहीं हो पा रहा है। अतः वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाये जो सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए और सबके लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करे।

1. कोठारी आयोग (1964-66) ने लोक शिक्षा की "समान स्कूल व्यवस्था" को अपनाने की सलाह दी है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान करती है। इस व्यवस्था के अनुसार-

- सभी वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव (जाति, सम्प्रदाय, समाज, धर्म, आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा) के शिक्षा के समान अवसर सुलभ हों।

- बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए।
- ऐसी शिक्षण संस्थाएं खुले जिसमें सभी प्रकार की उत्तम शिक्षण व्यवस्था हो।
- बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- ये ऐसी संस्थाएं होंगी जिसके कारण अभिभावकों को अपने बच्चों को महंगे विद्यालयों में नहीं भेजना पड़ेगा।
- ये संस्थाएं देश के सभी भागों में हो साथ ही इनमें स्कूल शिक्षा की सभी अवस्थाएं सम्मलित हों।

आचार्य राममूर्ति समिति (१९९०) ने भी इस प्रणाली का समर्थन किया है और कहा है कि "शिक्षा आयोग को रिपोर्ट के समय से अर्थात 25 वर्ष से भी अधिक समय से समान स्कूल प्रणाली का अस्तित्व मात्र रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान सरकार को स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को उनकी स्थिति में सुधार करके वास्तविक पडोसी स्कूलों में बदलना होगा। उसी प्रकार प्राइवेट स्कूलों को भी अपने द्वार सभी योग्य बच्चों के लिए खोलने चाहिए।"

1 शिक्षा शुल्क निर्धन और निर्बल वर्ग को शिक्षा से दूर करने का एक प्रमुख कारण है। अतः ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि १० वीं तक की शिक्षा निःशुल्क हो जाये। और आगे की शिक्षा का भी लक्ष्य यही होना चाहिए जिससे सभी बच्चों को समान अवसर मिल सकें।

2 वर्तमान में शिक्षा में अनेक प्रकार के व्यय बढ़ गए हैं जैसे कि पाठ्य- पुस्तकें, स्टेशनरी, सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप आदि। निर्बल व निर्धन वर्ग के बच्चे इतना अधिक व्यय करने में समर्थ नहीं होते। अतः इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने चाहिये कि जरूरतमंद और योग्य छात्रों को स्टेशनरी नहीं तो पाठ्य- पुस्तकें ही कम दामों में मिल सकें।

3 शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु छात्रवृतियां भी एक उत्कृष्ट उपाय है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योग्य और जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा आगे जारी रहे, उनके लिए छात्रवृति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4 विकलांग बच्चों को भी ऐसी उपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भी सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन-यापन कर सकें। उचित शिक्षा विकलांग अवस्था पर पर्याप्त सीमा तक विजय पाने योग्य बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में भी कहा गया है कि विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य उन्हें समाज के साथ कंधे से कन्धा मिलकर चलने योग्य बनाना है जिससे वे साहस के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा को 'विशेष शिक्षा' कहा जाता है।

5 जो बच्चे पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं उनके लिए अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः पिछड़े राज्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ऐसे केन्द्रों का वित्तीय दायित्व केंद्र और राज्य सरकारें ६०:4० के अनुपात में वहन करती हैं।

6 बालिकाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक योजनायें चलायी जा रहीं हैं।

7 नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्धन, ग्रामीण और योग्य बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके।

8 नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए हैं जिससे वे काम के साथ- साथ पढाई भी कर सकें।

अभ्यास प्रश्न :-3

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये |

1. कोठारी आयोग ने लोक शिक्षा की ---------------------------- को अपनाने की सलाह दी है।
2. शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु ---------------------- भी एक उत्कृष्ट उपाय है|
3. विकलांगों को दी जाने वाली शिक्षा को ---------------------- कहा जाता है।
4. नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए ---------------------- खोले गए।
5. नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्धन, ग्रामीण और योग्य बच्चों के लिए ----------------------खोले जा रहे हैं।

2.6 शैक्षिक अवसर की समानता का प्रावधान

शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाये जिनमें समानता लाना आवश्यक है। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

1. अनुसूचित जाति की शिक्षा (Education for scheduled castes)
2. निशक्तजनों की शिक्षा (Education of disabled)
3. जनजातियों की शिक्षा (Tribal-education)
4. स्त्री शिक्षा (Women education)

अनुसूचित जाति की शिक्षा (Education for scheduled castes)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में अनुसूचित जाति की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इसका कारण है कि वर्तमान में इस जाति की एक बड़ी जनसँख्या आज भी शिक्षा से वंचित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं जिसके द्वारा इनकी शिक्षा में सुधार किया जा सके-

1. विद्यालय भवन ऐसी जगहों में खोले जायें जहाँ छात्र आसानी से पहुँच सकें।
2. अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
3. बालकों को छात्रवृतियां दी जाये।
4. जिला मुख्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था की जाये।
5. ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ रहे हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
6. निर्बल और निर्धन परिवारों को अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

निशक्तजनों की शिक्षा (Education of disabled)

कोठारी शिक्षा आयोग ने निशक्तजनों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं-

1. निशक्तजनों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओंको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
2. नवीन प्रयोगों के आधार पर इन बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए।

3. इन बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये अपना जीवन-यापन कर सकें।
4. अगर संभव हो तो चालकीय बाधाओं वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. ऐसे बालकों बालकों को शिक्षा देने वाले अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

जनजातियों की शिक्षा(Tribal-education)

हंटर आयोग ने जनजातीय शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं-

1. जनजातीय शिक्षा में सुधार कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
2. शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क दी जाये।
4. जहाँ तक संभव हो शिक्षकों का चयन भी जनजातीय समाज से किया जाना चाहिए।
5. शिक्षा का माध्यम इनकी भाषा होगी तो ये आसानी से समझ सकेंगे।
6. सरकार द्वारा जनजातियों की शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

शिक्षा आयोग ने भी जनजातियों की शिक्षा में सुधार हेतु जो सुझाव दिए हैं वे अग्रलिखित हैं-

1. शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए।
2. जनजातियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को इनकी संस्कृति और जीवनशैली के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
3. विद्यालयों में किये जाने वाले क्रिया-कलाप जनजातियों के अनुकूल होने चाहिए।
4. जिन क्षेत्रों में आबादी कम है वहां आश्रम विद्यालय खोले जायें जिनमें निःशुल्क रहना, खाना, वस्त्र, शिक्षा व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं-

1. राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग के लिए विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।
2. इस वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश में आरक्षण दिया जाना चाहिए।
3. इस वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए साथ ही कॉपी- किताबें, यूनिफार्म व अन्य सामग्री भी बगैर किसी शुल्क के दी जानी चाहिए।
5. जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है।
6. शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रकोष्ट खोले गए हैं।
7. राजकीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जनजातीय वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
8. इन क्षेत्रों में लोक-जुंबिश, शिक्षा कर्मी, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा "पोषाहार" कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि विशेष रूप से चलाये जा रहे हैं।
9. जनजातीय छात्रों की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी निःशुल्क कर दी गई है।

स्त्री शिक्षा (Women education)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न समितियों का गठन हुआ जिनका प्रमुख उद्देश्य स्त्रियों की शिक्षा में सुधार, उनकी उन्नति और उन्हें जागरूक बनाना था। इन समितियों में प्रमुख रूप से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में, हंसा मेहता की अध्यक्षता में तथा श्री भक्त वत्सल्म की अध्यक्षता में बनायी गई समितियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा में सुधार एवं उन्नति के लिए जो सुझाव दिए हैं वे निम्नलिखित हैं

1. पुरुष एवं स्त्री शिक्षा में भिन्नता को तत्काल समाप्त किया जाये।
2. स्त्री शिक्षा के लिए विशेष योजनायें बनाई जायें और धन की व्यवस्था की जाये।
3. केंद्र व राज्यों में स्त्री शिक्षा के लिए अलग – अलग विभागों की स्थापना की जाये।
4. स्त्रियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
5. प्रौढ़ स्त्रियों के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न :4

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये|

1. राजकीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ---------------------- के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
2. स्त्रियों के लिए ---------------------- देने की व्यवस्था की जाये जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
3. जनजातीय छात्रों की ---------------------- शिक्षा भी निःशुल्क कर दी गई है।
4. निशक्तजनों को -------------------------------- के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए।
5. निर्बल और निर्धन परिवारों को अपने बच्चों को ----------------- वर्ष की आयु तक विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

2.7 शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आदर्शों की प्राप्ति

आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र में शिक्षा का उद्देश्य सभी लोगों को शिक्षा के समान व उचित अवसर प्रदान करना है। प्रगतिशील राष्ट्रों में आज भी अधिकांश वर्ग ऐसा है जो शिक्षा से वंचित है। इन वर्गों में मुख्य रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, निशक्तजन और स्त्रियाँ आती हैं जिनकी शैक्षिक स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है। इनके लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करना प्रत्येक राष्ट्र का पहला कर्त्तव्य है।

1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत में प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था को लागू किया गया। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिज्ञों का प्रथम उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। इसके लिए सबसे उपयुक्त साधन शिक्षा था किन्तु उस समय शिक्षा की सुविधाएँ बहुत सीमित थीं और जो थीं भी उसका लाभ विशेष वर्गों तक ही सीमित था। समाज का एक बड़ा भाग जिसमें नारी, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग आदि आते हैं, अनेक कारणों से शैक्षिक सुविधाओं से वंचित थे। अतः इस कमजोर वर्ग तक शैक्षिक सुविधाएँ पहुँचाना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए जब 1950 में भारत

का संविधान लिखा गया उसमें भी इस वर्ग की उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया गया और सभी वर्गों में शैक्षिक समानता लाने का समर्थन किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों की शिक्षा विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।"

शिक्षा के क्षेत्र में सबको समान रूप से अवसर मिल सकें इसके लिए कोठारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं जो निम्नलिखित हैं-

शुल्क- शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का एक प्रमुख कारण शुल्क को माना गया है। अतः समानता के आदर्शों की प्राप्ति के लिए आयोग द्वारा शुल्क सम्बन्धी दी गयीं सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

1. चौथी योजना (1975 के अंत तक प्राथमिक अवस्थाओं में ऐसी स्थिति बनायें कि बच्चों को कोई शुल्क न देना पड़े।
2. पांचवी योजना (1978) के अंत तक टयूशन फीस समाप्त कर दी जाये।
3. आगामी 10 वर्षों में ऐसे प्रयास किये जायें कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 30 प्रतिशत निःशुल्क व्यवस्था कर दी जाये जिसका लाभ जरूरतमंद और योग्य बच्चों को मिले।

अन्य उपाय- शुल्क के साथ ही कोठारी आयोग ने शिक्षण साधनों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं जो अग्रलिखित हैं-

1. विद्यालय में नए प्रवेश करने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जायें।
2. वार्षिक परीक्षा के अंत में सफल हुए छात्रों को अगली कक्षा की पुस्तकें पहले से दी जायें जिससे वे गर्मियों की छुट्टी में पढ़ सकें।
3. माध्यमिक विद्यालयों और उच्च संस्थाओं में विकसित पुस्तकालय बनाये जायें।
4. विद्यालय में संपूर्ण छात्र संख्या के 20 प्रतिशत छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिया जाये।
5. माध्यमिक विद्यालयों और उच्च संस्थाओं में बुक- बैंक बनाया जाये।

छात्रवृत्तियाँ –कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए छात्रवृत्तियों को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। आयोग का मानना है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास प्रतिभा तो होती है पर धन अभाव के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः प्रतिभाशाली छात्रों के विकास में धन समस्या न बने इसके लिए छात्रवृत्तियों को देने का समुचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव आयोग द्वारा दिए गए हैं-

1. योग्य और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति मिले इसके लिए व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया जाये।
2. यह कार्यक्रम क्रमबद्ध होना चाहिए।
3. इसका आयोजन प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए।
4. इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्था का निर्माण किया जाये।
5. यह कार्यक्रम उदार और व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार बनाया जाये।

6. विदेशों में शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति देने का कार्यक्रम बनाया जाये। इसके अंतर्गत 500 छात्रवृत्तियाँ योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए प्रदान की जायें।

क्षेत्रीय असमानता- क्षेत्रीय असमानता भी शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने में एक बाधा बन रही है। अगर विभिन्न राज्यों में शिक्षा की वास्तविकता पर नजर डाली जाये तो उसमें भी एकरूपता नहीं दिखाई देगी। इसके लिए आवश्यक है कि राज्यों और जिलों में शैक्षिक एकरूपता और समानता लाने का प्रयास किया जाये। इस हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं-

1. विकसित और अर्धविकसित क्षेत्रों में एकसमान शैक्षिक कार्यक्रम चलाये जायें।
2. जिला स्तर पर व्याप्त विषमताओं को राज्य स्तर से दूर किया जाये।
3. राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में शैक्षिक असमानता को दूर करने का कार्य केंद्र द्वारा किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न :- 5

सही विकल्प का चयन करें –

1. कोठारी आयोग के अनुसार विद्यालय में नए प्रवेश करने वाले बच्चों को शुल्क से /निःशुल्क पुस्तकें दी जायें।
2. विकसित और अर्धविकसित क्षेत्रों में एकसमान/ अलग-अलग शैक्षिक कार्यक्रम चलाये जायें।
3. प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी/ नहीं दी जाये।
4. विद्यालय में संपूर्ण छात्रसंख्या के 20 प्रतिशत/ 40 प्रतिशत छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिया जाये।
5. संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्ग/ सामान्य वर्ग की शिक्षा की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1. सुवर्ण
2. उच्च वर्ग
3. 1950
4. स्वतंत्रता व समानता
5. समानता

अभ्यास प्रश्न -2

1. गरीबी
2. बालकों
3. उच्च वर्ग
4. निर्बल वर्ग
5. निर्जन एवं पहाड़ी

अभ्यास प्रश्न -3

1. समान स्कूल पद्दति
2. छात्रवृतियां
3. विशेष शिक्षा
4. मुक्त विश्वविद्यालय
5. नवोदय विद्यालय

अभ्यास प्रश्न -4

1. जनजातीय वर्ग
2. व्यावसायिक शिक्षा
3. उच्चतर माध्यमिक
4. नवीन प्रयोगों
5. 14

अभ्यास प्रश्न -5

1. निःशुल्क
2. एकसमान
3. दी
4. 20 प्रतिशत
5. दुर्बल वर्ग

2.9 सारांश

भारत में प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ सुवर्ण जाति के लोगों को था | अन्य वर्ग के लोगों में प्रतिभा तथा कुशाग्र बुद्धि होने पर भी निर्धनता के कारण शिक्षा से वंचित थे, साथ ही जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं लिंग के आधार पर भी शिक्षा में भेदभाव किया जाता था |

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता तथा समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है | इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर की मांग करे |

कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है – सबको समान अवसर प्रदान करना, जिससे पिछड़े हुए तथा सामाजिक सुविधाओं से वंचित वर्गों के बच्चे भी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयुक्त कर सके |

शैक्षिक अवसर की असमानता के प्रमुख कारण- देश के विभिन्न राज्यों में निर्जल एवं पहाड़ी क्षेत्र का होना, देश की अधिकांश जनसंख्या का गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करना निर्बल वर्ग के बच्चों को सम्पन्न घरों की अपेक्षा घर का वातावरण, कोचिंग आदि सुविधाएँ कम प्राप्त होना, छात्रवृत्ति की संतोषजनक व्यवस्था का न होना आदि हैं |

शैक्षिक अवसर की समानता को प्राप्त करने की विधियों में कोठारी कमीशन ने लोक शिक्षा की समान स्कूल व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की | यह एक ऐसी अवधारणा है जो योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान करती है |

शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु आवश्यक है कि अनुसूचित जाति की शिक्षा, नि:शक्तजनो की शिक्षा, जनजातियों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि की तरफ ध्यान देते हुए इनमे समानता लायी जाए |

शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आदर्शों की प्रप्ति के लिए छात्रवृत्तियां, क्षेत्रीय असमानता तथा शैक्षणिक शुल्क में शिथिलता भी कुछ अन्य उपाय हैं |

2.10 शब्दावली

- **सुवर्ण जाति -** धन सम्पन्न, उच्च जाति के लोग
- **कुशाग्र बुद्धि-** तीव्र बुद्धि
- **गतिशील होना-** उन्नति की ओर आगे बढ़ना

- **निर्बल वर्ग-** ऐसे वर्ग के व्यक्ति जो अपने लिए रोटी, कपड़ा तथा मकान जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी मुश्किल से जुटा पाते हैं
- **उच्च संस्थान-** शिक्षा की ऐसे संस्थाए जंहा उच्च शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्थाएँ हो
- **नि:शक्तजन** – ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1- शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

2- शैक्षिक अवसरों की समानता में आने वाली वाली बाधाओं का वर्णन कीजिये।

3- सरकार द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

4- अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए शिक्षा के समान अवसर कैसे प्रदान किये जा सकते हैं ? स्पष्ट कीजिये।

5- कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा में सुधार एवं उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए हैं ? वर्णन कीजिये।

6- "शैक्षिक अवसरों की समानता से देश का विकास होगा।" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें।

2.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- त्यागी, जी.डी. (2010), *भारत में शिक्षा का विकास,* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- पाण्डेय, आर. (2010). *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास,* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- अग्रवाल, बी.बी. (1996). *आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएँ,* आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
- कुमार, के. (1998). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व,* नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
- अग्रवाल, के.के. (2008). *भारत में शिक्षा का विकास,* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- सिंह, बी. और त्यागी, ओ.सि. *उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा*, जयपुर: अरिहंत शिक्षा प्रकाशन।

इकाई - 3

मानव अधिकार, बाल अधिकार और सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में शिक्षा

(शिक्षा का सार्वभौमीकरण का संप्रत्यय, शिक्षा का सार्वभौमीकरण की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की संकल्पना, शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीति, नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्ता के सन्दर्भ में शिक्षा के सार्वभौमीकरण(भौतिक और सामाजिक) में बाधाएं)

Education as Human Rights, Child Right & protective discrimination

(Concept of Universalisation of Education, qualitative & quantitative aspects of Universalisation of Education, Strategies for achieving Universalisation of Education, obstacles in Universalisation of Education in relation to access (physical & social), enrolment, relation & quality)

इकाई की रुपरेखा

3.1 प्रस्तावन

3.2 उद्देश्य

3.3 मानव अधिकार

3.4 मानव अधिकार का इतिहास

3.5 अधिकारों के सिद्धांत

- 3.5.1 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत
- 3.5.2 अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत
- 3.5.3 अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत
- 3.5.4 अधिकारों का क़ानूनी सिद्धांत
- 3.5.5 अधिकारों का सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत

3.6 बाल अधिकार और सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में शिक्षा

3.7 शिक्षा का सार्वभौमीकरण का संप्रत्यय

3.7.1 सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य

3.7.2 सार्वभौमिक शिक्षा के लिए प्रयास

3.8 शिक्षा का सार्वभौमीकरण की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की संकल्पना

3.9 शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीति, नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्ता के सन्दर्भ में शिक्षा के सार्वभौमीकरण (भौतिक और सामाजिक) में बाधाएं

3.10 सारांश

3.11 शब्दावली

3.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

3.13 निबंधात्मक प्रश्न

3.14 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

3.1 प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | सामाजिक प्राणी होने के कारण अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन की अनिवार्य एवं उचित आवश्यकता है जिसके बिना वह न तो समाज में जीवन यापन कर सकता है और ना ही समाज के लिए लाभ दायक हो सकता है | दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व की कुछ मांगे होती है जिन्हें अधिकारों के नाम से पुकारा जाता है |

प्रस्तुत इकाई में आप मानव अधिकार का अर्थ व परिभाषा, बाल अधिकार और सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में शिक्षा, शिक्षा का सार्वभौमीकरण का संप्रत्यय, शिक्षा का सार्वभौमीकरण की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की संकल्पना, शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीति, नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्ता के सन्दर्भ में शिक्षा के सार्वभौमीकरण (भौतिक और सामाज्कि) में बाधाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे |

3.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के के बाद आप –

- मानव अधिकार का अर्थ बता सकेंगे एवं परिभाषित कर सकेंगे|
- बाल अधिकार के बारे में बता सकेंगे |
- शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संप्रत्यय के बारे में बता सकेंगे|
- शिक्षा के सार्वभौमीकरण की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की संकल्पना के बारे में बता सकेंगे |
- शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीति के बारे में बता सकेंगे |
- शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीति, नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्ता के सन्दर्भ में शिक्षा के सार्वभौमीकरण (भौतिक और सामाजिक) में बाधाओं के बारे में बता सकेंगे|

3.3 मानव अधिकार

मानव अधिकार का आदि काल से ही वर्णन मिलता है | लेकिन आदि काल में मनुष्य-मनुष्य में भेद किया जाता था | आज की तरह समानता का भाव नहीं था | अधिकार कुलीन वर्ग को ही प्राप्त थे | आम लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे | सामान्यत: मानवाधिकार को अधिकार के एक व्यापक विमर्श के रूप में देखा जाता है। वस्तुत: अधिकार की संकल्पना एक जटिल एवं बहुअर्थी संकल्पना है। मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, समानता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान एवं प्रतिष्ठा से सम्बंधित होते है। अथार्त मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है

निम्नलिखित परिभाषाओं के आधार पर मानव अधिकार को और अधिक सही प्रकार से समझ सकते है-

- लास्की के अनुसार, "अधिकार, सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यत: अपने 'उत्तम' का प्रदर्शन नहीं कर सकता |"
- बोसांके के अनुसार, "अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है |"
- हॉबहाउस के अनुसार, "अधिकार वही है जैसा कि हम अन्यों से अपने प्रति आशा करते हैं और जैसा कि अन्य हम से आशा करते हैं |"
- विले के अनुसार, "अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दावा है जो कुछ कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है

  अधिकार सम्बन्धी उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सारांशत: यह कहा जा सकता है कि–

  - अधिकारों का जन्म समाज में होता है |
  - राज्य अधिकारों का सृष्टा नहीं है |
  - अधिकार विकासशील होते है |
  - प्रत्येक अधिकार का किसी न किसी दायित्व से घनिष्ठ संबंध है|
  - अधिकार सार्वजनिक हित के लिए ही होते हैं |
  - अधिकार निश्चित होने चाहिए |

3.4 मानव अधिकार का इतिहास

मानवाधिकार का इतिहास सदियों पुराना है | विभिन्न प्राचीन दस्तावेज तथा बाद के धर्म एवं दर्शन ने कई तरह के आदर्श एवं विचार प्रस्तुत किए, जिनमें मानवाधिकारों की झलक मिलती है जैसे - 539 ईसा पूर्व का साइरस सिलेंडर (फारस के शासक साइरस महान द्वारा नये बेविलोनिया प्रांत को जीतने के बाद जारी घोषणापत्र), अशोक सम्राट द्वारा जारी अशोक के राजकीय आदेश (272-231 ईसा पूर्व) और 622 ई0 का मदीना का संविधान जिसे मुहम्मद ने समस्त आदिवासी और यात्रिब के परिवारों (जो बाद में मदीना के रूप में जाने गए) के लिए तैयार किया था, इत्यादि।

आम लोगों के लिए अधिकार बनाना सन 1215 में प्रारम्भ हुआ | 1215 में इंग्लैंड में जॉन –II द्वारा किसान और पादरियों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की गई थी | प्रारंभ में इसे 'मेग्नाकार्टा' के नाम से जाना गया | इस अधिकारों का मूल उद्देश्य था, पादरियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना | बाद में यही अलिखित 'मेग्नाकार्टा' लिखित दस्तावेज अमेरिका में सन 1776 में "बिल ऑफ़ राईट" के नाम के क्रियान्वित किया गया | इसलिए इसे "लिखित मेग्नाकार्टा" के नाम से भी जाना जाता है | इस में फर्क यही है कि अमेरिका में अपने देश की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख कर कुछ और परिवर्तन किये गए थे- जैसे औद्योगिक वर्गों से जुड़े कर्मचारियों को भी विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था एवं इसाई धर्म स्वीकार करने वालों को कुछ अन्य मौलिक अधिकार प्रदान किये गए थे | संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में मानव अधिकार संबंधी पृथक् घोषणा तो शामिल नहीं है लेकिन अनेक स्थानों पर मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है | बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने तीन वर्षों की मेहनत के बाद एक मसविदा "मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा" तैयार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 10 दिसम्बर,1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया | भारतीय संविधान को अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रेरणा मिली|

3.5 अधिकारों के सिद्धांत

समय के साथ अधिकारों से सम्बंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ| अधिकारों से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित है-

3.5.1 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत-

अधिकारों की उत्पत्ति और प्रकृति के संबंध में अनेक सिद्धांतो का प्रतिपादन किया गया| इनमें सबसे प्राचीन सिद्धांत 'प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत' है | प्राकृतिक सिद्धांतवादी मानते है कि मनुष्य को अधिकार प्रकृति से प्राप्त हुए है | मनुष्य को अपने जन्म के साथ ही अनेक अधिकार प्राप्त हो जाते है | प्राकृतिक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक सामाजिक समझौतावादी है जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम आता है | हॉब्स के अनुसार, "प्रकृति अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्वभाव की रक्षा के किए अर्थात् प्राणों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को स्वेच्छानुसार प्रयोग करने की स्वतंत्रता है | " जॉन लाक ने तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है – स्वतंत्रता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार तथा जीवन का अधिकार | रूसो के अनुसार, "मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र उत्पन्न होता है परन्तु बाद में समाज उसे चारों ओर से जंजीरों से जकड़ लेता है |" मिल्टन, वोल्टेयर,दिदरो, पेन ब्लेकस्टोन आदि विचारकों ने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है |

3.5.2 अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत-

यह सिद्धांत मान्ता है कि अधिकारों का जन्म इतिहास से होता है | प्रत्येक समाज के अपने-अपने रीति-रिवाज और परम्परा होती है | पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनका पालन करते है | समय के साथ ये रीति-रिवाज और परम्पराएं अधिकारों का रूप धारण कर लेती है | सभी मनुष्य इनका पालन करते है | कोई भी इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता है | रिची के अनुसार, "हम प्राय: जिन अधिकारों को

आवश्यक समझते हैं वे ऐसे ही अधिकार होते हैं, जिनके हम अभ्यस्त होते हैं या जिनके बारे में यह परम्परा रहती है कि वे कभी हमें प्राप्त थे |”

3.5.3 अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत-

अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अधिकार बाहरी परिस्थितियों है जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है | इन परिस्थितियों के बिना मनुष्य का पूर्ण विकास संभव नहीं है | सभी मनुष्य को ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिस से कि मनुष्य का पूर्ण विकास हो सके | बाकी के अधिकार इन पर निर्भर करते है | हम इसे और अधिक समझने के लिए इन परिभाषाओं की सहायता ले सकते है -

हेंरिची के अनुसार, “मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए जो भी भौतिक परिस्थितियाँ आवश्यक है उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरुरी हो, वही अधिकार है |”

एन. विले का मत है कि “अधिकार कुछ कार्यों के करने में युक्ति और विवेकपूर्ण स्वाधीनता का दावा है |”

3.5.4 अधिकारों का क़ानूनी सिद्धांत-

यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है| प्राकृतिक सिद्धांत का मानना है कि अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते है | इसके विपरीत इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार राज्य से प्राप्त होते हैं और वही उनका निर्माता भी है | राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार अधिकारों की मात्रा में कमी और वृद्धि कर सकता है | यह सिद्धांत प्रभुता संबंधी परम्परागत एकलवादी विचारधारा कापरिणाम है इस सिद्धांत का समर्थन हॉब्स,बेन्थम तथा आस्टिन ने किया है |

3.5.5 अधिकारों का सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत-

अधिकारों के सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत के अनुसार अधिकार सामाजिक कल्याण के लिए अति आवश्यक है | अधिकार के बिना समज का विकास नहीं हो सकता है | इन अधिकारों का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है | रोस्को पाउंड और प्रो. चैफी इस सिद्धांत के समर्थक है| इनका मानना है कि “कानून रीति-रिवाज और प्राकृतिक अधिकारों आदि का लक्ष्य समाज का हित या भलाई होना चाहिए |” उपयोगितावादी बेन्थम और मिल ने भी सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत का समर्थन किया है |

अभ्यास प्रश्न -1

1. प्राकृतिक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक सामाजिक समझौता वादी है जिसमें ---------------------- का नाम आता है |
2. “मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र उत्पन्न होता है परन्तु बाद में समाज उसे चरों ओर से जंजीरों से जकड़ लेता है |” यह किसका कथन है ?

3.6 बाल अधिकार और सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में शिक्षा

अगर शिक्षा को अधिकारों का अभिरक्षक कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी | शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है | शिक्षा के अभाव में अधिकारों की रक्षा नहीं हो

सकती है | शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति के जीवन के अँधेरे को दूर किया जा सकता है | शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है|

व्यक्ति के अधिकारों को अगर बच्चों के साथ जोड़ दिया जाए तो, ये अधिकार बाल अधिकार कहलाते है | बाल अधिकारों के कारण ही बालकों की रक्षा होती है | उनका शोषण नहीं किया जा सकता है | अगर किसी के द्वारा इनके अधिकारों का शोषण किया जाता है तो कानून द्वारा इनकी रक्षा की जाती है | अधिकारों का ज्ञान नहीं होने के कारण वह अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है | लोग कदम-कदम पर उसका शोषण करते है | शिक्षा के अभाव में वह अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है | अत: इन भेदभावों का अंत करने के लिए शिक्षा आवश्यक है |

3.7 शिक्षा का सार्वभौमीकरण का संप्रत्यय

शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है | शिक्षा द्वारा ही मनुष्य के जीवन को बेहतर और उच्च बनाया जा सकता है | शिक्षा द्वारा ही मनुष्य के जीवन के अँधेरे को दूर किया जा सकता है | बालक की शिक्षा जन्म से ही आरम्भ हो जाती है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है |

प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था | क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता उच्च कोटि की थी | लेकिन विदेशी आक्रमणों, नैतिक मूल्यों के पतन और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव के कारण इसका प्रभाव कम हो गया है | 1947 में भारत अंग्रजों की दासता से आजाद हुआ | उस समय देश में गरीबी और निरक्षरता का माहोल था | विश्व गुरु की पदवी को फिर से प्राप्त करने का सबसे उचित साधन शिक्षा है | शिक्षा द्वारा ही खोये हुए सम्मान को फिर से प्राप्त किया जा सकता है | 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की| उसमें कहा गया कि “प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त होगी |” इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व की समस्त सरकारें अपने-अपने देश के नागरिकों को शिक्षा देने का प्रयास कर रही है |

शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि देश के सभी नागरिकों को उचित शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए | यह बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए | बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने के विचार को शिक्षा का सार्वभौमीकरण कहलाता है | भारत सरकार ने स्वतंत्रता के समय से ही शिक्षा के सार्वभौमीकरण का प्रयास किया है | हमारे संविधान के भाग 4, अनुच्छेद- 45 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें | शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए संविधान में 86 वा संविधान संशोधन 2002 में किया गया | इस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 क में इसे जोड़ा गया | इस अधिकार को मूल रूप देने के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, जो 1 अप्रैल, 2010 को लागू किया गया |

3.7.1 सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य

सार्वभौमिक शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य है-

1. निरक्षरता में कमी लाना |
2. 15-35 वर्ष की आयु की निरक्षरता कम करना |

3. 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना|
4. अनौपचारिक व औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का स्तर पूरा होने तक उनकी सर्वव्यापक भागीदारी निश्चित करना|
5. शिक्षा को बनाए रखने के अवसर उपलब्ध कराना|
6. आधारिक संरचना का विकास करना जो स्त्रियों को अधिकार प्रदान कर सके और शिक्षा को स्त्रियों की समानता का एक साधन बनाना|
7. शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना|

3.7.2 सार्वभौमिक शिक्षा के लिए प्रयास

सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे है-

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड-

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का शुभारम्भ केन्द्रीय सरकार द्वारा 1986 में किया गया| यह कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आरम्भ किया गया था, जिसमें निम्न बाते कही गई–

(a) विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री(ब्लैकबोर्ड, मानचित्र, चार्ट, खिलौने और कार्यानुभव के उपकरण आदि) उपलब्ध हो|
(b) कम-से कम 50 % अध्यापक महिला अध्यापक होगी, जो बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि में सहायक होगा|
(c) जिन विद्यालय में 100 से अधिक नामांकन हो उन विद्यालय के लिए एक अध्यापक का वेतन अलग से उपलब्ध हो|

इस कार्यक्रम का 9वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए विस्तार किया गया|

जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme-DPEP)-

जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना थी| इसका शुभारम्भ 1994 में किया गया था| इस का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना| इस योजना का शुभारम्भ देश के सात राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, कर्नाटक और असम) के 42 जिलों में किया गया था तथा वर्तमान में यह योजना देश के 18 राज्यों (हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, बिहार, झारखण्ड तथा राजस्थान) के कुल 248 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है|

इस योजना के उद्देश्य निम्न लिखित है|

a) सभी बच्चों को अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा व्ययस्था द्वारा प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना|
b) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग की बालिकाओं को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करना|
c) सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ करना|

d) शिक्षा के लैंगिक अंतराल को कम करना |
e) प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की उपलब्धि को 25 % तक वृद्धि करना |

सर्वशिक्षा अभियान (2001) :-

सर्वशिक्षा अभियान ऐसी योजना है जिसे एक निश्चित समयावधि में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए आरम्भ किया गया था | इस योजना को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया | इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना था |

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य :- सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य निम्न लिखित है-

a) वर्ष 2005 तक सभी बच्चों का विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, विद्यालयों में वापस लोटे शिविर की उपलब्धता |
b) वर्ष 2007 तक सभी प्रकार के बालक-बालिका तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करना और 2010 तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना |
c) जीवन के लिए शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ-साथ बेहत्तर स्तर की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना |
d) नये विद्यालय खोलना और उनके लिए अध्यापक, अध्ययन उपकरण उपलब्ध करवाना |
e) विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा उपलब्ध करवाना |
f) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग की बालिकाओं को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करना |
g) खंड और बस्ती स्तर पर शैक्षणिक संसाधन केन्द्रों का विकेंद्रीकरण|

स्कूल चलो अभियान :-

इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 1996 में किया गया | यह योजना सर्वशिक्षा अभियान का प्रमुख अंग है | इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1-8 तक के बच्चों को विद्यालय के लिए आकर्षित करना है| इस के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकवर्गों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई तथा मध्याह्न भोजन का विस्तार किया गया | बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राथमिक से स्नातक स्तर की शिक्षा को नि:शुल्क कर दिया गया है | इस अभियान का 75 %खर्च केंद्र सरकार और 25 % खर्च राज्य सरकार वहन करती है | इस उद्देश्य के लिए राजस्थान की घुमन्तु जनजाति के लिए सचल विद्यालय तथा बिहार में चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई है |

मध्याह्न भोजन योजना :-

यह केंद्र सरकार की योजना है | इस योजना का शुभारम्भ 15 अगस्त, 1995 को देश के 2408 ब्लोक्स में किया गया | वर्ष 1997-98 में इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया | वर्ष 2007 में इस का विस्तार शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लोक्स में कक्षा 6-8 तक के बच्चों के लिए किया गया | वर्ष 2008-09 में इस योजना को देश के सभी उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी विस्तार कर दिया गया |

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य :- मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य निम्न लिखित है-

a) बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना|
b) लाभवंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता प्रदान करना|
c) ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता करना|

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन :-

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारम्भ 1988 में किया गया| इसका मुख्य उद्देश्य 15-35 वर्ष की आयु के लोगों तक प्रयोजन मूलक साक्षरता पहुचाना है| वर्ष 1994 तक देश के 258 जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और 80 जिलों को साक्षरता परवर्ती अभियान का अंग बनाया गया|

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना –

इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है| इस योजना के अंतर्गत उन स्थानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जहाँ आबादी छितराई हुई है| इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 75 % स्थान आरक्षित है तथा 25 % स्थान गरीबी रेखा के नीचे जीवन- यापन करने वाले लोगों के परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित है|

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य-

- शिक्षा की दृष्टि से वंचित तबकों की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
- बालक बालिकाओं के बीच शिक्षा की दृष्टि से अंतर को समाप्त करना।
- बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में नीति-

वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक लक्ष्य जोड़ा गया, जो अधिगम के आवश्यक स्तर तक बच्चों को पहुंचाना था| इससे पहले यह केवल प्राथमिक विद्यालयों में सब बच्चों के प्रवेश और पढाई पूरी होने तक प्रतिधारण के बारे में था| शिक्षा नीति द्वारा प्राथमिक स्तर के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्रिकोणीय कार्य विधि अपनाने की नीति बनाई गई, जो इस प्रकार है–

1. प्राथमिक स्तर पर बाल केन्द्रित और क्रियाकलाप पर आधारित अभिप्रेरित करने वाला वातावरण बनाना तथा पिछले आयोगों द्वारा प्रस्तावित बच्चों को अनुत्तीर्ण न करने की नीति को जारी रखा जाए और विद्यालयों में समय तथा अवकाशों को बच्चों की सुविधा के अनुसार सविजित किया जाए|
2. शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए गैर-औपचारिक कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएँ और ये

कार्यक्रम उन बस्तियों में हो जहाँ विद्यालय नहीं है| अनौपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए|

3. प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएँ: जैसे – कमरे, शिक्षक तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रबंध करना जिससे शिक्षण व्ययस्था में सुधार लाया जा सके और ये सभी सुविधाएँ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के माध्यम से धीरे-धीरे प्रदान की जाए|

अभ्यास प्रश्न-2

1. 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने-------- की घोषणा की|
2. जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ ------- में किया गया था|

3.8 शिक्षा का सार्वभौमीकरण की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की संकल्पना

आज हमारी शैक्षिक व्यवस्था में बहुत खामियां है| शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है| विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है| कई विद्यालय तो ऐसे है जिन के पास भवन नहीं है| वहां पर अध्यापक शिक्षण कार्य खुले आसमान और पेड़ के नीचे करवाते है| विद्यालयों में आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षण कार्य के लिए जरुरी सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं है| इन समस्याओं के कारण शिक्षा के सार्वभौमीकरण की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है|

शिक्षा के सार्वभौमीकरण की गुणात्मक पहलु से तात्पर्य है कि बच्चे का अधिगम स्तर का उच्च होना| शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किये गए है, वे उसको प्राप्त होने चाहिए| बच्चे को उसके स्तर के अनुसार जो कुछ भी पूछा जाये उसका उत्तर बच्चे को आना चाहिए| अगर बच्चा उत्तर देता है तो शिक्षा गुणात्मक है और अगर बच्चा उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो शिक्षा गुणात्मक नहीं है वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में अधिकांश सरकारी विद्यालयों का गुणात्मकता से कोई लेना देना नहीं है| कक्षा 5 तक के अधिकांश विद्यार्थी एक भी वाक्य न तो लिख पाता है और ना ही पढ़ पाता है| 5 वी कक्षा का विद्यार्थी कक्षा दो के गणित के सवाल हल नहीं कर सकता है| शिक्षा के सार्वभौमीकरण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण गुणात्मक हो|

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के मात्रात्मक पहलू से आशय यह है कि देश के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए| अमीर-गरीब, शहरी एवं सुदूर ग्रामीण सभी लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने चाहिए| शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है न कि कुछ चुने हुए लोगों के लिए| इसलिए शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए आवश्यक है कि देश के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए| चाहे वह सुदूर गाँव में रह रहा हो या शहर में, अमीर हो या गरीब|

3.9 शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीति, नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्ता के सन्दर्भ में शिक्षा के सार्वभौमीकरण (भौतिक और सामाजिक) में बाधाएं

हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रावधान किया गया था| लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका| जब वर्ष 1964 का शिक्षा पर चौथा सम्मलेन आयोजित हुआ तो निम्न असमानताएं प्राप्त हुई-

a) क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएं –शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में असमानता देखने को मिली जहाँ शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत अधिक था, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम था |
b) जिला स्तर पर असमानताएं – कई जिलों में साक्षरता के प्रतिशत में असमानता देखने को मिली | कुछ जिलों में शिक्षा का प्रतिशत अधिक था और कुछ जिलों में कम |
c) प्रांतीय असमानताएँ – जहाँ एक ओर संविधान में वर्णित अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में अपेक्षित सफलता मिली | वही दूसरी ओर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शिक्षा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, जिससे प्रांतीय असफलता देखने को मिली |
d) समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य साक्षरता के प्रतिशत में भिन्नता |
e) लड़के व लड़कियों के मध्य असमानता |

इन असमानताओं के कारण शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है |

शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने में निम्नलिखित बाधाएं आती है |

a) **रणनीति के बाधाएं:-** शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने में रणनीति की अनेक बाधाएं है | शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए रणनीति बनाने में बहुत कठिनाई आती है | विधायिका में एक दल का बहुमत नहीं होने के कारण सरकार शिक्षा से सम्बंधित विधेयकों को पास नहीं करा सकती है | विधेयक पास नहीं होने कारण विधेयक कानून का रूप धारण नहीं पाता है | बनाए गए सारे कानून ठंडे बस्ते में पड़े रह जाते है | अगर नीतियां बना भी दी जाती है तो आर्थिक कमी के कारण नीतियों को कार्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता | हमारी सरकारी व्यवस्था में बहुत भ्रष्टाचार होने के कारण नीतियाँ कागजों में ही पूरी हो जाती है | इन सब के साथ-साथ जनता भी अपने अधिकारों और कर्त्तव्य के प्रति उदासीन है | इसलिए शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने में बाधाएं आ रही है|
b) **नामांकन की बाधाएं :-** शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने में नामांकन सबसे बड़ी समस्या है | शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए नामांकन आवश्यक है| माता –पिता अपने बच्चों विद्यालय में दाखिला नहीं दिलवाते है | माता –पिता शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं | ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति शहरी क्षेत्रों की स्थिति से बदत्तर है | माता –पिता द्वारा अपने बच्चों में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है | वे लड़कों को तो विद्यालय में प्रवेश दिला देते है, लेकिन लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलवाया जाता है | अगर विद्यालय में प्रवेश दिलवाया भी जाता है तो लड़कियों की पढाई बिच में ही छुडवा दी जाती है | लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है जिसके कारण भी विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाता है | विद्यालय में नामांकन और ठहराव नहीं होने के कारण शिक्षा के सार्वभौमीकरण में बाधाओं का सामना करना पड़ता है |
c) शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने में गुणवत्ता की समस्या आती है | भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है | एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है | इसलिए अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दे पाता है | बच्चे अक्षर ज्ञान से वंचित रह जाते है| इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ पाती | पाँचवीं कक्षा तक के अधिकांश बच्चे एक भी सही वाक्य नही लिख पाते है। प्रो0 जे0एस0 राजपूत के अनुसार कक्षा 5 के 70 प्रतिशत

विधार्थी कक्षा दो के गणित के सवाल हल नहीं कर पाते है। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था में हम ऐसे बच्चों को शिक्षित कर रहे है जिसके द्वारा उनके भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है|

d) वर्तमान में भी भारत की साक्षरता दर कम है| लोग अभी भी अंधविश्वास करते है| लड़की और लड़के में भेद किया जाता है| आज भी समाज में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है| लड़कियों को विद्यालय भेजने की बजाय उनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती है| वे शिक्षा से वंचित हो जाती है| इससे हम शिक्षा के सार्वभौमीकरण से दूर हो जाते है|

e) वर्तमान में शिक्षा विभाग अध्यापकों की कमी से जूझ रहा है| सरकार समय पर अध्यापकों की भर्ती नहीं करती है| इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है| माता-पिता के गरीब होने के कारण बच्चों को निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिलवा पाते है और वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं| इससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण में बाधा आती है|

अभ्यास प्रश्न –3

1. जनता भी अपने -------------------- के प्रति उदासीन है|
2. वर्ष 1964 में शिक्षा पर ------------ आयोजित हुआ|

3.10 सारांश

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। वर्तमान संदर्भ में प्रारम्भिक शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित न रखकर उसे प्रभावी एवं जीवनोपयोगी बनाने की आवश्यकता है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। शिक्षा बच्चे पर बोझ नहीं होनी चाहिए| प्रारम्भिक विद्यालय में पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया जाय तथा सतत मूल्यांकन प्रक्रिया अपनायी जाय। गाँधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है इसलिए गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जाय। सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता में हमे पुन: सुधार करना होगा। इससे ही शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है|

3.11 शब्दावली

- **सर्वसम्मति-** सभी की सहमति
- **स्वेच्छानुसार-** स्वयं की इच्छा के अनुसार
- **अभिरक्षक-** जिसके द्वारा किसी अन्य की सुरक्षा होती है
- **समावेशी शिक्षा-** शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जहाँ अन्य बच्चों के साथ निशक्त बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके|
- **घुमंतू जनजाति** –ऐसी जनजाति के लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं|
- **सचल विद्यालय**-ऐसा स्कूल जो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए शिक्षा प्रदान करता है|

- **लाभवंचित वर्ग-** ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें अन्य वर्गों के लोगों के समान लाभ या सुविधाएँ नही मिल पाती |
- **आवासीय विद्यालय-** ऐसे स्कूल जहाँ बच्चों की पढाई के साथ रहने तथा खाने-पीने की व्यवस्था होती है |
- **बाल केंद्रीय वातावरण**- ऐसा वातावरण जो बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता हो|
- **खामियां**- कमियां
- **रणनिति**- योजनाएँ

3.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1 हॉब्स, लाक और रूसो 2. रूसो

अभ्यास प्रश्न -2

1 मानवाधिकारों 2. 1994

अभ्यास प्रश्न-3

1 अधिकारों और कर्त्तव्य 2. चौथा सम्मलेन

3.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. मानव अधिकार को परिभाषित करते हुए इसके सिद्धांतों का वर्णन करो|
2. शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संप्रत्यय का समझाए|
3. शिक्षा का सार्वभौमीकरण की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की संकल्पना की व्याख्या कीजिए|
4. शिक्षा का सार्वभौमीकरण में उत्पन्न बाधाओं का उल्लेख कीजिए

3.14 संदर्भ ग्रंथ सूची

- राजपूत, जे0एस0 (1994) ; प्रारमिभक शिक्षा का सार्वजनीकरण *परिप्रेक्ष्य*; नई दिल्ली, अंक-3
- बर्णवाल, सुमित कुमार व अन्य(2013), *शिक्षाशास्त्र*; दिल्ली: अरिहंत पब्लिकेशन्स(इण्डिया) लिमिटेड
- कश्यप, सुभाष (2004), *हमारा संविधान*; नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
- पाण्डे, अनुराग. *संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र एवं अभिसमय* राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
- http://elearning.sol.du.ac.in

इकाई - 4

समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय की शिक्षा में समस्याएँ, मुद्दे एवं उपचार

(लिंग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ग, जाति, जनजातियां, आदि)

Problems, issues and remedies for the education of marginalized section of Community

(Gender, Regions, languages, Religions, Class, Castes, Tribes, etc.)

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय

4.4 समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की शिक्षा में समस्याएँ एवं मुद्दे

- 4.4.1 वर्ग के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे
- 4.4.2 जाति, जनजाति के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे
- 4.4.3 भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे
- 4.4.4 धर्म के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे
- 4.4.5 लैंगिक असमानता के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे
- 4.4.6 जागरुकता का अभाव

4.5 समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की शिक्षा के लिये उपचार

- 4.5.1 निम्न वर्ग के लिये आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से कल्याणकारी योजनाऐं चलाना
- 4.5.2 जाति एवं जनजाति के आधार पर शैक्षणिक विकास करना
- 4.5.3 सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के संदर्भ में आधार तैयार करना एवं प्रचार प्रसार करना
- 4.5.4 भाषा के आधार पर भेदभाव समाप्त करना
- 4.5.5 धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करना

4.5.6 लैंगिक भेदभाव समाप्त करने के लिए संवैधानिक उपाय बनाना

4.5.7 हाशिए पर स्थित वर्ग की शिक्षा के विकास के लिये नये कानून बनाना

4.5.8 सरकार द्वारा संचालित शिक्षा प्रावधानों पर अमल एवं आवश्यक संशोधन

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

4.9 निबंधात्मक प्रश्न

4.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय के संदर्भ में हम समाज के उस वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं जिन्हे समाज की मुख्य धारा से उपेक्षित करके अलग कर दिया गया है। इस कारण यह वर्ग शिक्षा से वंचित रह गया है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इस इकाई के अन्तर्गत आप समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय की शिक्षा में समस्याएँ, मुद्दे एवं उपचारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य (Object)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय के बारे में जान सकेंगे।
- समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय की शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में प्रमुख समस्याओं को जान सकेंगे।
- समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय की शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों के बारें में बता सकेंगे।
- समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय को शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों का उपचार बता सकेंगे।
- समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु पहले से चल रहीं योजनाओं की समीक्षा कर सकेंगे।
- समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिये नई योजनाएँ एवं सुझाव दे सकेंगे।

4.3 समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय एवं उनकी शिक्षा (Marginalized section of community and their Education)

समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय का तात्पर्य समाज के एक ऐसे वर्ग या खण्ड से है जो समाज के उच्च वर्गों द्वारा उपेक्षा के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग हो गया है एवं जिन्हें समाज में निम्न

स्थान प्राप्त है एवं जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न है। समाज में इस वर्ग को प्राचीन काल से ही उनकी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर उपेक्षित किया जा रहा है जिस कारण समाज में इन्हें उच्च स्थान प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त सभी आधारों में जातिवाद के आधार पर समाज के इस खण्ड पर सबसे अधिक अत्याचार हुये हैं जो कि आज भी कम होने की जगह निरन्तर बढते जा रहे हैं। उपेक्षित वर्गों में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग महिलाऐं हैं जिसका प्रमुख कारण भारत में प्राचीन काल से पुरुष सत्तात्मक शासन प्रणाली है।

समाज के इस वर्ग को सदैव शिक्षा से दूर रखा गया है जिस कारण ये समाज की मुख्य धारा से और दूर होते चले गये एवं वर्तमान में भी शिक्षा ग्रहण करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वर्तमान में समाज के इस खण्ड को समाज मुख्य धारा से जोडने के लिये विशेष सहायता एवं उनमें जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा समाज के इस खण्ड को मुख्य धारा में जोडने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। भारत के विकास क्रम में समाज के हाशिए पर खड़े समुदाय का तात्पर्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिलाओं से है।

अभ्यास प्रश्नः- 1

1. समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय के साथ किस आधार पर भेदभाव किया जाता है।

   (क) जाति (ख) वर्ग (ग) लिंग (घ) उपर्युक्त सभी।

2. समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग है।

   (क)महिलायें (ख) विकलांग (ग) उपर्युक्त दोनों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

4.4 समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की शिक्षा में समस्याएँ एवं मुद्दे(Problems and issues for the education of marginalized section of Community)

वर्तमान में समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। फलस्वरूप समाज के इस वर्ग की शिक्षा गृहण करने सम्बन्धित समस्याओं ने कई मुद्दों को जन्म दिया है। समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की शिक्षा में प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दों का विवरण लिंग,क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ग, जाति, जनजातियों, आदि के आधार पर निम्नवत् है -

4.4.1 वर्ग के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे-

वर्ग एक समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। किसी व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर न होकर उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। वर्तमान में समाज मुख्यतः तीन वर्गों उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग तीन भागों में विभाजित है। इनमें से निम्न वर्ग के लोग मंहगी शिक्षा होने की वजह से आर्थिक अक्षमता के कारण अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात गरीबी इस वर्ग में शिक्षा प्राप्त करने में सबसे बडी समस्या बनी हुई है। समाज में जो व्यक्ति उच्च वर्ग में शामिल हो गये हैं उनके द्वारा अपनी जाति के लोगों की उपेक्षा की जाती है। निम्न वर्ग के लोगों को अपना जीवन यापन करने में भी समस्याएँ आती है फलतः उनके

बच्चों को विद्या गृहण करने की आयु में मजदूरी करनी पडती है जिससे वे शिक्षा गृहण नहीं कर पा रहे हैं।

वर्तमान में अच्छे विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए तथा पढ़ने के लिए बहुत अधिक शुल्क लिया जाता है जिस कारण समाज के निम्न वर्ग के लोग अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में शिक्षा गृहण कराने में अक्षम हैं। सरकार द्वारा जाति गत आरक्षण प्रदान करने के फलस्वरूप विद्यालयों में सीटें खाली रहने के बावजूद सामान्य जाति के निम्न वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को प्राइवेट विद्यालयों में कुछ प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश लेने एवं शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा प्रदान की गई है परन्तु उन्हे विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता है जो कि एक प्रमुख मुद्दा है।

4.4.2 जाति, जनजाति के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे-

जाति वास्तव में एक ऐसे वर्ग को व्यक्त करता है जिसका आधार वंश या नस्ल परिशुद्धता से है जो कि पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है। **कूले** के अनुसार, ‘‘जब एक वर्ग पूर्णत: वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं।’ जाति एक ऐसा बंद वर्ग है जो प्रमुख रूप से भारत वर्ष में ही पाया जाता है।प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलन में रही है। भारत में इस समय 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। प्रारम्भ में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी परन्तु कालान्तर में वर्ण का निर्धारण कर्म की जगह जन्म हो गया। शूद्र वर्ण सबसे उपेक्षित वर्ण था एवं समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था जिस कारण समाज का यह वर्ग शैक्षिक दृष्टि से पिछडता चला गया। वैदिक काल में निम्न वर्ग के लोगों के लिये चण्डाल, अन्त्यज, निषाद, डोम आदि शब्दों का प्रयोग होता था। महर्षि मनु ने तो यह तक कहा है कि चण्डालों को गांव से बाहर रहना चाहिए, दिन में गांव में नहीं आना चाहिए और अपने वर्तनों के प्रयोग को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की पहचान उनके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। समाज में जिस जाति के लोग मैला ढ़ोने, चमड़े आदि का व्यापार करते हैं उन्हे आज भी उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, जो कि शिक्षा में इस वर्ग की सबसे बडी समस्या है। इस वर्ग के कुछ लोग उच्च वर्ग के द्वारा उपेक्षा के कारण स्वयं को अछूत एवं शिक्षा ग्रहण करने में अयोग्य समझते हैं, जिस कारण वे स्वयं शिक्षा ग्रहण करने में रुचि नहीं दिखाते हैं जो कि एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

जनजाति वर्ग का तात्पर्य परम्परागत समाज के ऐसे सामाजिक भाग से है जो आपस में सामाजिक, आर्थिक अथवा रक्त सम्बन्ध एवं समान संस्कृति के आधार पर जुड़े हुये हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग पर्वतों, जंगलों, रेगिस्तान आदि जगहों पर निवास करते हैं। समाज में प्राचीन काल से ही समाज के इस भाग को शिक्षा से वंचित रखा गया जिस कारण उनके पूर्वज भी शिक्षा से वंचित रहे एवं आज भी समाज का ये वर्ग शिक्षा से अछूता है। जनजाति वर्ग के अधिकांशतः लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिये बहुत कठिन परिश्रम करना पडता है। उनके लिये जीविका चलाना शिक्षा ग्रहण करने से कहीं अधिक आवश्यक है। जनजाति वर्ग के लोग अधिकांशतः दूर दराज इलाकों में निवास करते हैं जिस कारण इन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा सम्बधित मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा इनके लिये आश्रम विद्यालयों की स्थापना की गई है परन्तु

इनमें सभी बच्चों का नामांकन सम्भव नहीं है एवं जिन बच्चों का नामांकन है उन्हें भी घर पर कार्य करना पडता है जिस कारण बच्चे पढने के लिये नहीं आते हैं जो कि जनजातियों का शिक्षा सम्बन्धित सबसे बडा मुद्दा है।

4.4.3 भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे

समाज के कुछ वर्ग जिनकी बोलचाल की भाषा अलग है जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित हैं जो कि एक समस्या है जिसका मुख्य कारण पाठ्यक्रम का स्वरूप है। जब छात्र अपनी लोकभाषा में अध्ययन करके ऐसे शहरों में जाता जहां अंग्रेजी प्रचलित है या ऐसे छात्रों से मिलता है जिसने अंग्रेजी में अध्ययन किया है, तो छात्र स्वयं उपेक्षित समझता है। लोकभाषा अलग-अलग होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सबसे अधिक समस्यायें आती हैं।

इसके साथ ही कुछ वर्ग सुदूर इलाकों या गांवों में निवास करते हैं जिस कारण भी वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसका मुख्य कारण है शिक्षा सुविधाओं का अभाव है । सुदूर इलाकों या ग्रामीण क्षेत्रों में यदि विद्यालय हैं तब भी वहां पर अध्यापक नहीं जाते है जिस कारण चाहते हुये भी ग्रामीण इलाकों के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो कि इनकी शिक्षा का सबसे बडा मुद्दा है।

4.4.4 धर्म के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे

धर्म एक धारक तत्व है एवं धर्म जीवन का सत्य है। जब किसी धर्म को मानने वालों की संख्या कम होती है तो वह समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग कहलाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा गृहण करने में कई परेशानियों का सामना करना पडता है जिसका मुख्य कारण है समाज में उनकी संख्या में कमी जिस कारण वे हीन भावना से ग्रसित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे स्वयं को ऐसे विद्यालयों में उपेक्षित महसूस करते हैं जहां पर उनकी संख्या नगण्य होती है जिस कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिये शिक्षा प्राप्त न करने का एक प्रमुख मुद्दा है। मुस्लिम धर्म के अनुसार महिलायें शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं अतः उन्हें शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए फलतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है।

4.4.5 लैंगिक असमानता के आधार पर समस्याएँ एवं मुद्दे

समाज द्वारा पुरुष एवं स्त्री के मध्य उनके कार्य के आधार पर जब असमानता जोड दी जाती है एवं उनमें भेद निर्धारित किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। भारत एक पुरुष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक समाज है जिस कारण प्राचीन काल से महिलाओ के अधिकारों की उपेक्षा हो रही है। वैदिक काल में केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और महिलाओं की यही स्थिति बौद्ध काल में भी रही। मनु के अनुसार, ''स्त्रियों के लिए विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जो वेद मंत्र के साथ किया जाता है। उनके लिये पति सेवा ही गुरु के पास वास करना है और गृह-कार्य ब्रह्मचारिणी द्वारा किया जाने वाला अग्निहोत्र है।'' इसके फलस्वरूप पति का स्तर ऊपर हो गया और वह देवता बन गया। महिलाओं के लिये शिक्षा वह नहीं थी जो विद्यालयों में दी जाती वरन् पति एवं परिवार द्वारा दिये गये उपदेश ही उनके लिए एक मात्र शिक्षा थी। मध्यकाल में स्त्री शिक्षा का स्तर और कम हो गया एवं मध्यकाल के अन्त तक महिलाओ की शिक्षा का स्तर केवल दो प्रतिशत रह गया।

बालिकाओं की शिक्षा ग्रहण करने की सबसे मुख्य समस्या विद्यालयों की दूरी है जिस कारण माता-पिता अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। गरीब मां बाप जो कि अशिक्षित है अपने बालको को शिक्षा प्रदान करने में प्राथमिकता देते हैं एवं बालिकाओं को घर का कार्य करना पडता है जिससे ऐसी बालिकाऐं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। बालिकाओं की असुरक्षा की भावना के कारण भी पालक बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह प्रथा प्रचलित है यहां पर बालिकाओं का विवाह ही उनके लिये उपनयन संस्कार मान लिया जाता है। कम उम्र में विवाह के फलस्वरूप अल्पव्यस्क आयु में की बालिकाओ के ऊपर पूरे घर के काम काज का बोझ होने के कारण भी उनकी शिक्षा बीच में रुक जाती है एवं बालिकाऐं चाह कर भी शिक्षा को जारी नहीं रख पाती हैं। कुछ परिवारों में बालिकाओं को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है एवं घर के काम करने पडते हैं जिस कारण भी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। विद्यालय का पाठ्यक्रम बालिकाओं के जीवन की वास्तविकता से दूर है जिस कारण भी बालिकाऐं शिक्षा में रुचि नहीं लेती हैं। जहां पर स्त्री शिक्षा के लिये कुछ सिलाई-कढ़ाई, गृह- सज्जा, सौन्दर्यीकरण आदि कोर्स है वो परम्परागत तरीके से संचालित हो रहे हैं जिस कारण वे आज की औद्यौगिक मांग से सम्बन्धित नहीं हैं, जो कि इनकी शिक्षा के मुख्य मुद्दे हैं। कहीं कहीं विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है जिस कारण भी बालिकायें विद्यालय आना छोड देती हैं।

4.4.6 जागरुकता का अभाव-

समाज के इस वर्ग में अशिक्षा का मुख्य कारण जागरुकता का अभाव भी है। समाज के इस वर्ग को शिक्षा का महत्व पता न होने के कारण वे स्वयं शिक्षा गृहण करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की शिक्षा ग्रहण करने के प्रति जागरुकता नगन्य है । जिसका मुख्य कारण यह है कि समाज का यह खण्ड पहले से ही उपेक्षित रहा है एवं पूर्वजों ने शिक्षा गृहण नहीं कर पाई है जिस कारण वर्तमान में समाज के इस वर्ग को शिक्षा से होने वाले लाभों की समुचित जानकारी नहीं है। अतः वे अपने बच्चों को भी विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। जिस कारण शासकीय विभागों में इनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। समाज के इस वर्ग को इनके हितों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में समुचित जानकारी भी नहीं है जो कि एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार द्वारा नई योजना चलाये जाने पर भी उसका समाज के आखिरी हिस्से तक प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप समाज का यह वर्ग इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उन्हीं के लिये चलाई जा रही हैं। पहले से ही शिक्षा में पिछडे होने के कारण इस वर्ग के लोग अपने हितों के लिए चलाये जा रहे शिक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

अभ्यास प्रश्नः- 2

1. प्राचीन काल में जाति के आधार पर वर्गों की संख्या थी ?

   (क) 2 (ख) 3 (ग) 4 (घ) 5

2. वैदिक काल में निम्न वर्ग को लोगों को कहा जाता था ।

   (क) चण्डाल (ख) अन्त्यज (ग) निषाद (घ) उपर्युक्त सभी।

3. भारत में महिलाओं की शिक्षा के निम्न स्तर का प्रमुख कारण है ।

   (क) भ्रष्टाचार (ख) राजनीति

(ग) लैंगिक असमानता (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

4.5 समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की शिक्षा के लिये उपचार (Remedies for the education of marginalized section of Community)

समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की शिक्षा सम्बन्धित अनेक समस्यायें एवं मुद्दे हैं जो कि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं एवं आज भी विद्यमान हैं जिनका हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें चलाई जा रहीं हैं एवं शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये अनेक सुझाव हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

4.5.1 निम्न वर्ग के लिये आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से कल्याणकारी योजनाऐं चलाना -

निम्न वर्ग के लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिये सरकार द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रहीं हैं, जिससे अनेक लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। जिसके अन्तर्गत जिन बच्चों के परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं एवं शिक्षा ग्रहण करने में अनेक प्रकार की शुल्क में भी छूट प्रदान की जाती है। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रत्येक प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब एवं निःशक्त विद्यार्थियों के लिये संरक्षित की गई हैं एवं इन सीटों में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है । परन्तु शिक्षा में सकारात्मक सुधार लाने के लिये सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव एवं संशोधन करने की आवश्यकता है । प्राथमिक विद्यालयों में सभी वर्ग के लिये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है परन्तु निम्न वर्ग के बच्चों को अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए जिस कारण वे शिक्षा ग्रहण करने में उत्साहित हो सकें । उच्च कक्षाओं में अध्ययन के लिये भी निम्न वर्ग को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए । महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये आरक्षण जाति के आधार पर न देकर कुछ आरक्षण वर्ग के आधार पर भी प्रदान करना चाहिए एवं शिक्षण की शुल्क भी माफ की जानी चाहिए जिस कारण निम्न वर्ग के छात्र भी उच्च शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकें । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये अधिक छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए ।

4.5.2 जाति एवं जनजाति के आधार पर शैक्षणिक विकास करना-

भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के अनेक प्रयास किये गये। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर बनाने के लिये अनेक सुझाव दिये। जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिये अलग से छात्रावास की सुविधा प्रदान की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान दिया गया। जनजाति वाले क्षेत्रों में विद्यालय खोले गये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोग आर्थिक रूप से भी कमजोर थे जिस कारण अलग-अलग स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई। फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के शिक्षा के स्तर अभूतपूर्व सुधार हुआ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों की शिक्षा के स्तर में और अधिक बढोत्तरी लाने के लिये बुनियादी स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है। जिनमें नये शिक्षा प्रावधानों को जोडने की आवश्यकता है। अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि जातिगत अन्तर कम हो

सके। जाति पर आधारित संस्थाओं को खडा करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होना चाहिए । अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिये विशेष आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो लोग आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम हो गये हैं उन्हे भी इस संदर्भ में प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी जाति के अन्य लोगों को आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें।

4.5.3 सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के संदर्भ में आधार तैयार करना एवं प्रचार प्रसार करना

सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये सर्वप्रथम इनके क्षेत्र में ही विद्यालय, आंगनवाडियाँ खुलवाना चाहिए । इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये विशेष शिक्षा सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये जो विद्यालय खोले जा चुके हैं उनकी निगरानी करने के लिये समिति गठित की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके । पिछडे हुये क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें राष्ट्र की मुख्य विकासधारा से जोडा जा सके । जहाँ तक सम्भव हो ग्रामीण इलाकों में शिक्षक उसी गांव के हों। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरुक करने के लिये समय-समय पर अनेक प्रकार के उपाय करने चाहिए । जैसे- रैलियां, पोस्टर, बैठक, नुक्कड नाटक आदि का आयोजन समय-समय पर होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये भी विशेष आरक्षण दिया जाना चाहिए । उच्च शिक्षा में ग्रामीण स्तर के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए । छात्रावासों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी उच्च शिक्षा में अपनी रुचि दिखायेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के साथ खेती सम्बन्धी विषयों का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्र विद्यालय में प्रवेश लें।

4.5.4 भाषा के आधार पर भेदभाव समाप्त करना-

भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषायें प्रचलित हैं। जिस कारण विद्यार्थी अपनी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषा में करते हैं परन्तु तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। गांव के जो विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करते हैं शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष स्वयं उपेक्षित महसूस करते हैं। एक क्षेत्र के विद्यार्थी जब दूसरे क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तब भी उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। इस समस्या से निपटने के लिये जहाँ तक सम्भव हो पूरे भारत में एक ही पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा अंग्रेजी होने के कारण प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं साथ साथ उनकी क्षेत्रीय भाषा भी प्रयोग में लानी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

4.5.5 धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करना-

भारत एक विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों वाला राष्ट्र है। अतः भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर उपेक्षित समुदाय को मुख्य धारा में जोडने के लिये सरकार द्वारा भी प्रयास किये गये हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा मिल सके एवं विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में रुचि लें इसके लिये सरकार द्वारा इस वर्ग के लिये आरक्षण एवं छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा से जोडने के लिए प्राइवेट विद्यालयोंमें

भी कुछ प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस वर्ग के जो परिवार आर्थिक रूप से अक्षम हैं उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए।

4.5.6 लैंगिक भेदभाव समाप्त करने के लिए संवैधानिक उपाय बनाना-

स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने की पहल बौद्ध काल में की गई । परन्तु लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं के शिक्षा के स्तर में समुचित विकास न हो सका। सरकार द्वारा भारत के संविधान में लैंगिक असमानता समाप्त करने के लिये कानून बनाया गया है। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा दो प्रमुख योजनायें एनपीईजीईएल, केजीबीवीवाई योजनायें चलाई जा रहीं हैं जिसके परिणाम स्वरूप बालिकाओं के शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए । आधुनिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है । स्त्री सशक्तिकरण को बल दिया जाना चाहिए । जहां पर लैंगिक असमानता का स्तर बहुत अधिक है एवं महिला साक्षरता की दर बहुत कम है वहां पर अलग से विद्यालय खोले जाने चाहिए । महिलाओं का शिक्षा स्तर सुधारने के लिये बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा सशक्त कदम उठाये जाने चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को साक्षर करने के लिये संचालित प्रौढ़ केन्द्रो की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए एवं इन्हे प्रभावी ढंग से संचालितकरने के लिये पूर्ण प्रयास किये जाने चाहिए । महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसके लिये सरकार को विशेष आरक्षण नीति अपनानी चाहिए जिस कारण महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके । महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरुकता लाने के लिये समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए । इन गोष्ठियों में ऐसी महिलाओं को आमन्त्रित करना चाहिए जो शासकीय विभागों में उच्च पदों पर आसीन हो या समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो जिन्हें देखकर बालिकाओं की शिक्षा में रुचि उत्पन्न हो सके । महिलाओं की शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए । बालिकाओं को सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए । अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खोले जाने चाहिए एवं यथा सम्भव वहां पर पढाने के लिये अध्यापिकायें नियुक्त की जायें।

4.5.7 हाशिए पर स्थित वर्ग की शिक्षा के विकास के लिये नये कानून बनाना-

भारत में समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों की शिक्षा के लिये बहुत सारे कानून बना दिये गये हैं । परन्तु आज भी शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड पा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिये नये प्रावधानों की आवश्यकता है। स्त्रियों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए एवं जो पालक अपनी बालिकाओं को नही पढाते उनके लिये कुछ कानून होना चाहिए। पूरे भारत में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए जिसके कारण भाषागत समस्या का समाधान हो सके । सुदूर क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के लिये कानून बनना चाहिए । धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की यदि उपेक्षा की जाती है तो उपेक्षा करने वालों को दण्ड का प्रावधान होना चाहिए । जो अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त हैं एवं विद्यालय में पढाने के लिये नहीं जाते हैं ऐसे अध्यापकों को चेतावनी देने के उपरान्त सेवामुक्त करने का कानून बनाया जाना चाहिए ।

4.5.8 सरकार द्वारा संचालित शिक्षा प्रावधानों पर अमल एवं आवश्यकसंशोधन -

समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय के लिये जो शिक्षा प्रावधान बना दिये गये हैं उन पर पूर्णत: अमल किया जाना चाहिए। निजी विद्यालयों में जो 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं उन पर केवल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसका निरीक्षण करने के लिये जिला स्तर पर समिति गठित होनी चाहिए जो कि प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि वास्तव में इस योजना से निम्न वर्ग के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। छात्रवृत्ति की जो सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उसमें भी आवश्यक संशोधन अपेक्षित हैं। जाति के आधार पर बहुत कम छात्रवृत्ति दी जाती है जिसे और बढ़ाना चाहिए। छात्रवृत्ति वर्ग के आधार पर भी प्रदान करनी चाहिए। आरक्षण का आधार जो कि जातिगत है उसे संशोधित कर वर्गवार कर देना चाहिए अर्थात ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हे भी प्रवेश के लिये आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिये चलाई जा रही योजनाओं का समुचित रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए एवं बालिकाओं को प्रदान की गई सुविधाओं में अपेक्षित सुधार अवश्य किये जाने चाहिए। लैंगिक असमानता दूर करने के लिये बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि भी की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार के तहत दिये गये बिन्दुओं का राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक नौकरियों में लैंगिक असमानता दूर करने में महिलाओं को अधिकतम आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न:- 3

1. शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निशक्त एवं निर्धन छात्रों के लिये कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं ?

   (क) 15 प्रतिशत (ख) 25 प्रतिशत

   (ग) 35 प्रतिशत (घ) 45 प्रतिशत।

2. भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिये चलाई जा रही योजना है।

   (क) एनपीईजीईएल (ख) केजीबीवीवाइ

   (ग) उपर्युक्त दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं।

3. के. जी. बी. वी. वाइ. योजना की शुरुआत..............................के अन्तर्गत हुई।

4.6 सारांश (Conclusion)

वर्तमान समाज का जो वर्ग हाशिए पर स्थित है उसका मुख्य कारण प्राचीन काल से उच्च वर्गो के लोगो द्वारा उनकी उपेक्षा है। सरकार द्वारा इसे कम करने के अत्यधिक प्रयास किये गये हैं परन्तु पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध नहीं हैं। जैसे - सरकार द्वारा भारत के संविधान में लैंगिक असमानता, अस्पृश्यता, धार्मिक भेदभाव आदि को समाप्त कर दिया गया हैं परन्तु व्यवहारिक रूप में ये कुरीतियां आज भी समाज में विद्यमान है। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार भारत में साक्षरता की कुल दर 64.8 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 75.3 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 53.7 प्रतिशत है एवं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की कुल दर 74.04 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत है। इन्ही आंकडों से स्पष्ट पता चलता

है कि पुरुषों एवं महिलाओं के बीच साक्षरता का अन्तर 2001 में जो 21.6 प्रतिशत था वह 2011 की जनगणना के अनुसार 16.6 प्रतिशत रह गया है। जो कि संतोषजनक है एवं ये आंकडे यह भी बताते हैं कि सरकार द्वारा लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिये चलाई जा रहीं योजनायें किस हद तक सार्थक साबित हुई हैं।

इसी प्रकार अन्य वर्गों के लिये चलाई जा रही योजनायें अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही एवं सिर्फ संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं।

एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि समस्या की स्थिति केवल तभी पैदा होती है जब मनुष्य इसके प्रति जाग्रत होते हैं। इससे पता चलता है कि आज मनुष्य समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की समस्याओं के प्रति जाग्रत हैं और हमें (समाज के सभी उच्च वर्ग के लोग) भी सम्भवतः यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाज के इस भाग को मुख्य धारा से जोडा जा सके ताकि भारत विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर आकर एक विकसित राष्ट्र बन सके।

4.7 शब्दावली (Vocabulary)

- **हाशिया-**किनारा
- **जेंडर-**स्त्री-पुरुष के बीच विभाजन का एक सामाजिक-सांस्कृतिक आधार
- **जाति-** जाति का अर्थ प्रजाति, नस्ल या जन्म से है

4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न - 1

1. उपर्युक्त सभी 2. उपर्युक्त दोनों।

अभ्यास प्रश्न - 2

1. 4 2. उपर्युक्त सभी 3. लैंगिक असमानता।

अभ्यास प्रश्न - 3

1. 25 प्रतिशत 2. उपर्युक्त दोनों 3. सर्व शिक्षा अभियान

4.9 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type questions)

1. भारत में समाज के हाशिए पर स्थित लोगों की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिये।
2. समाज के हाशिये पर स्थित समुदाय की प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइये।
3. सरकार द्वारा समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय के लिये लागू की गई शिक्षा नीतियां अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावी नहीं हो सकीं। विवेचना कीजिये।
4. सरकार को समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय का शिक्षा के क्षेत्र में स्तर सुधारने के लिए किस प्रकार की योजनाऐं चलानी चाहिए।

4.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची(Reference book list)

- भंडारे, उद्धव तुकाराम (2014), *'भारतीय महिलाऐं: बदलते परिप्रेक्ष्य'* नई दिल्लीः एक्सिस बुक प्राइवेट लिमिटेड
- जैन, अनिल कुमार एवं सिंह, रजनी रंजन (2013)*'प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति : राजस्थान का केस अध्ययन'* परिप्रेक्ष्य, न्यूपा नई दिल्ली. वर्ष 20, अंक 3
- माथुर, एस. एस. (2011), *'शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार'* आगरा : श्री विनोद पुस्तक मन्दिर
- शर्मा, ऋचा (2011), *'भारत में सामाजिक समस्याएँ'* जयपुरः सागर पब्लिशर्स
- महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश (2007), *'भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ'* दिल्लीः विवेक प्रकाशन.
- बघेल, डी. एस. (2007), *'नगरीय समाजशास्त्र'* मध्यप्रदेश : हिंदी ग्रन्थ अकादमी.
- सारस्वत स्वप्निल एवं सिंह,निशांत (2004), *'समाज राजनीति और महिलाऐं : दशा और दिशा'* नई दिल्लीः राधा पब्लिकेशन
- शर्मा,वीरेन्द्र प्रकाश (2004), *'भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ'* जयपुर :पंचशील प्रकाशन
- गुप्ता, मोतीलाल (2003), *'भारत में समाज'* जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी
- लवानिया, एम. एम. एवं राठौड़, अजय सिंह *'भारतीय समाज'* जयपुरः रिसर्च पब्लिकेशन्स
- आहूजा, राम (2000), *'सामाजिक समस्याएँ'* नई दिल्ली रावत पब्लिकेशन्स

इकाई – 5

भारत के संविधान का एक परिचय

(विशेष रूप से प्रस्तावना, नागरिक के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक मूल्यों और शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में)

An introduction to the Constitution of India

(with regard to especially the Preamble,Fundamental Rights and Duties of Citizens and the Directive Principles of State Policies 'constitutional values' and aims of Education)

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 संविधान संक्षिप्त परिचय
5.4 संविधान की प्रस्तावना
5.5 नागरिकता
5.6 राज्य के नीति निदेशक तत्व
5.7 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार
5.8 मूल कर्तव्य
5.9 शिक्षा से सम्बंधित प्रावधान
5.10 संवैधानिक मूल्य
5.11 सारांश
5.12 शब्दावली
5.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.14 निबंधात्मक प्रश्न
5.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची

5.1 प्रस्तावना(Introduction)

संविधान किसी भी राष्ट्र की सम्प्रभुता और स्वाधीनता का द्योतक है। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता और स्वाधीनता उस राष्ट्र के संविधान को ही प्रतिबिम्बित करते हैं और राष्ट्र विशेष की

प्रगति और विकास का सूचक उसके संविधान को ही माना जाता है। संविधान का निर्माण उस राष्ट्र विशेष की जनता द्वारा अथवा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया जाता है।

प्रस्तुत इकाई में भारतीय संविधान के बारे में परिचय देते हुए संविधान की उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, मूल कर्तव्यों आदि के सम्बन्धों को वर्णित किया गया है, साथ ही इसमें संवैधानिक मूल्यों और व शैक्षिक प्रावधानों को भी उल्लेखित किया गया है जिसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

5.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप-

- भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- भारतीय संविधान में वर्णित सम्बन्धों के बारे में जान सकेंगे।
- संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकारों, कर्तव्यों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान सकेंगे।
- मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों में अंतर कर सकेंगें।
- संवैधानिक मूल्यों के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- संविधान में उल्लेखित व शैक्षिक प्रावधानों को जान सकेंगे।

5.3 संविधान संक्षिप्त परिचय (Short introduction of constitution)

वर्ष 1922 में स्वराज का अर्थ बताते हुए महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि, भारतीय ही भारत का संविधान बनायेंगे। संविधान निर्मात्री सभा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि, "एक गतिशील राष्ट्र वह है, जो अपनी पुरानी पोशाक को उतार कर अपने लिए नई पोशाक बनवाता है। लम्बे अर्से तक भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज रहा परन्तु जब भारतवासियों के शरीर में स्वतन्त्रता के लिए तरुणाई लेना प्रारम्भ किया तो उनसे स्वतन्त्रता को दूर रखा जाना ब्रिटिश हुकूमत के लिए आसान न रहा। स्वतन्त्रता सेनानियों ने भी भारत की स्वाधीनता के लिए संविधान सभा के गठन किये जाने की मांग हेतु अंग्रेजी शासन को विवश कर दिया। अंततः केबिनेट मिशन योजना, 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के लिए साठ देशों के संविधान का अध्ययन किया गया तथा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। अंततः 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। जिसमें निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें 8 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव 26 नवम्बर 1949 ई. को पारित हो गया और 26 जनवरी 1950 ई. को इसे लागू कर दिया गया। अब संविधान में 450 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है।

5.4 संविधान की प्रस्तावना (Preamble of Constitution)

प्राय: प्रत्येक संविधान एक प्रस्तावना (उद्देशिका) से प्रारम्भ होता है। जिसमें संविधान के मूल तत्व बताए जाते हैं और इसमें संविधान की प्रकृति, उसका विचार-दर्शन एवं शासन की रीति-नीति की मुख्य धारा को दर्शाया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका मूल रूप में इस प्रकार थी-

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, निवास, धर्म, और उपासना की), समता (प्रतिष्ठा और अवसर की), उपलब्ध कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इस उद्देशिका में 'गणराज्य' को 'लोकतंत्रात्मक' बताने के साथ-साथ 'समाजवादी' व 'पंथ निरपेक्ष' शब्द जोड़े गए और 'राष्ट्र की एकता' के साथ 'अखण्डता' को भी जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से है-

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न, **समाजवादी, पंथ निरपेक्ष**, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, निवास, धर्म, और उपासना की), समता (प्रतिष्ठा और अवसर की), उपलब्ध कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और **अखण्डता** को सुनिश्चित करने वालीबंधुता, बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

उपर्युक्त प्रस्तावना के साथ भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को स्वीकृत किया गया। यह पुनीत वर्ष प्रति वर्ष गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा यह दिन हमें स्मरण दिलाता है कि संविधान में निहित इसकी प्रस्तावना के उपर्युक्त अंकित मूल्यों के प्रति हम निष्ठा बनाये रखें तथा शैक्षिक निहितार्थ हमें ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित करने की प्रेरणा देते हैं जो हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप भावी समाज के निर्माण में सहायक हो। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने संविधान की प्रस्तावना को अपने में समाहित कर लेना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न:- 1

1. संविधान को ……………..अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया?

   (क) 26 नवम्बर, 1949 (ख) 26 जनवरी, 1950

   (ग) 15 अगस्त, 1947 (घ) 26 नवम्बर, 1951

2. उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखण्डता शब्द कब जोड़े गए?

   (क) 1978 (ख) 1976

   (ग) 1980 (घ) 1974

3. कितने दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ।

(क) 11 वर्ष 2 माह 18 दिन (ख) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

(ग) 18 वर्ष 11 माह 2 दिन (घ) 2 वर्ष 11 माह 20 दिन

5.5 नागरिकता (Citizenship)

भारत का संविधान, कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है। नागरिकता की कोई परिभाषा भारत के संविधान में नहीं दी गयी है। उसके कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिनसे किसी व्यक्ति की भारत की नागरिकता प्रकट होती है। भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 में इनका प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अतरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य के सम्बन्ध में नागरिकता अधिनियिम, 1955 बनाया गया है जिसमें अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता से सम्बंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं-

1. **संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (अनुच्छेद-5)-** अनुच्छेद-5 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब बह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो तथा संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का मामूली तौर से निवासी रहा हो।
2. **पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता (अनुच्छेद 6)-** अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भारत में जन्मा हो, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में रह रहा हो तथा इस तिथि के पश्चात भारत में आया था तो भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है।
3. **पाकिस्तान के प्रव्रजित/आव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता (अनुच्छेद 7)-** अनुच्छेद 7 यह उपबंध करता है कि अनु. 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान का आव्रजन कर गया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा किन्तु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को आव्रजन करने के पश्चात किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया है।
4. **भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता (अनुच्छेद 8)-** अनुच्छेद 7 यह उपबंध करता है कि अनु. 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत ड़ोमिनियम की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक को इस संविधान के प्रारम्भ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।
5. **विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति (अनुच्छेद 9)-** अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की

नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जायेगी और वह अनु. 5, 6, या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

6. **नागरिकता के अधिकारों का बना रहना (अनुच्छेद 10)-** अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा।
7. **संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन (अनुच्छेद 11)-** अनुच्छेद 11 के अनुसार इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बंधित अन्य सभी विषयों के सम्बन्ध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

अभ्यास प्रश्नः- 2

1. भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद.............. में नागरिकता का प्रावधान किया गया है?

   (क) अनुच्छेद 5 से 11 (ख) अनुच्छेद 36 से 51 (ग) अनुच्छेद 14 से 18 (घ) अनुच्छेद 12 से 35

2. संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (अनुच्छेद-5) के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब वह-

   (क) भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो (ख) जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो (ग) 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो (घ) उपरोक्त सभी

5.6 राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के नीति निर्धारण के लिए एक पथ-प्रदर्शक का कार्य करतें हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में (अनुच्छेद 36 से 51) तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गयी है।

एम. सी. छागला के अनुसार : इन नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने में भारत की स्थिति पृथ्वी पर स्वर्ग के समान हो जाएगी।

ग्लेडहील के अनुसार : नीति निदेशक सिद्धांत सरकार को दिए गये वे सकारत्मक निर्देश हैं जो सरकार को कुछ निश्चित कार्यों को करने के लिए निर्देशित करते हैं।

नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है और भारतीय परिस्तिथियों के अनुरूप संविधान में स्थान प्रदान किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक हैं। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों को प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी है, नीति निर्देशक तत्व उन आदर्शों

को प्राप्त करने के लिए पथ प्रशस्त करता है। इन तत्वों के माध्यम से भारतीय राज्य के आदर्शों तथा लक्ष्यों की गणना की गयी है। ये नीति निर्देशक तत्व निम्न प्रकार हैं-

- राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 36)
- इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। (अनुच्छेद 37)
- राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। (अनुच्छेद 38)
- राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत।(अनुच्छेद 39)
- समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता।(अनुच्छेद 39-A)
- ग्राम पंचायतों का गठन।(अनुच्छेद 40)
- कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता।(अनुच्छेद 41)
- न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान।(अनुच्छेद 42)
- कर्मचारियों को निर्वाह वेतन।(अनुच्छेद 43)
- उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता।(अनुच्छेद 43-A)
- सहकारी समितियों को प्रोत्साहन।(अनुच्छेद 43-B)
- नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।(अनुच्छेद 44)
- बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा।(अनुच्छेद 45)
- अनु- जाति, अनु- जन-जाति या कमजोर वर्गों के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।(अनुच्छेद 46)
- पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने सम्बन्धी सरकार का कर्तव्य।(अनुच्छेद 47)
- कृषि एवं पशुपालन का संगठन।(अनुच्छेद48)
- पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा।(अनुच्छेद48-A)
- स्मारकों, तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण।(अनुच्छेद 49)
- न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव।(अनुच्छेद 50)
- अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन।(अनुच्छेद51)

अभ्यास प्रश्नः- 3

1. ‘बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा’ किस अनुच्छेद में वर्णित है ?

   (क) अनुच्छेद 47 (ख) अनुच्छेद 46

   (ग) अनुच्छेद 45 (घ) अनुच्छेद 51

2. नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है?

(क) कनाडा (ख) आयरलैण्ड

(ग) अमेरिका (घ) जापान

5.7 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights of the Indian Citizens)

हमारे मूल संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकोंको 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परन्तु सन् 1978 के 44 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300-क के तहत केवल एक साधारण कानूनी या वैधिक अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

1. **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)**
   i. विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
   ii. धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध(अनुच्छेद 15)
   iii. सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
   iv. छुआछूत का अन्त (अनुच्छेद 17)
   v. उपाधियों का अन्त (अनुच्छेद 18)
2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)**
   i. छः प्रकार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)(A) विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (B) निः शस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता(C) समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता (D) देश के किसी भी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता (E) देश के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता (F) व्यवसाय की स्वतंत्रता
   ii. अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा (अनुच्छेद 20)
   iii. जीवन और शरीर-रक्षण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21)
   बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए) संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह नया अधिकार जोड़ा गया।
   iv. गिरफ्तार व बन्दीकरण के विरुद्ध सुरक्षा (अनुच्छेद 22)
3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)**
   i. बाल श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)
   ii. कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम के बच्चों के नियोजन से संरक्षण (अनुच्छेद 24)
4. **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)**
   i. धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)
   ii. धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
   iii. धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)

iv. व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार(अनुच्छेद 29-30)

i. अल्पसंख्यकों के हितों का सरंक्षण (अनुच्छेद 29)

ii. अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 30)

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार(अनुच्छेद 32)

i. डॉ॰ अम्बेडकर ने इस अधिकार को मूल अधिकारों का प्रहरी तथा इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान द्वारा जो मूल अधिकार प्रदत्त किये गए हैं इनका उल्लंघन शासन द्वारा न हो इसलिए संविधान द्वारा व्यक्ति को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जिसमें कुछ याचिकाएं शामिल हैं। (अनुच्छेद 32)

(A) **बंदी प्रत्यक्षीकरण-**गैर कानूनी रूप से बंदी बनाये गए व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(B) **परमादेश-** सार्वजानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करें।

(C) **उत्प्रेषण-** उत्प्रेषण का अर्थ है ऊपर की ओर प्रेषण करना। आदेश अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है कि विवाद से सम्बंधित अभिलेख, सूचना या कोई कागजात वरिष्ठ न्यायलय को प्रेषित किया जाए।

(D) **प्रतिषेध-** ये भी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है कि वह अपने यहाँ कार्यवाही बंद कर दे क्योंकि अमुक विवाद उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(E) **अधिकार पृच्छा-** न्यायालय रिट के माध्यम से किसी पदाधिकारी को वह कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

अभ्यास प्रश्नः- 4

1. छुआछूत का अन्त किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है?

(क) अनुच्छेद 18 (ख) अनुच्छेद 17

(ग) अनुच्छेद 16 (घ) अनुच्छेद 18

2. बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए) मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा नया जोड़ा गया?

(क) 86 वें संशोधन अधिनियम 2002

(ख) 42 वें संशोधन अधिनियम 1976

(ग) 44 वें संशोधन अधिनियम 1978

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है?

(क) 44 वें (ख) 42 वें

(ग) 86 वें (घ) 76 वें

5.8 मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नए भाग 4-क में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर **अनुच्छेद 51-क** के अन्तर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य (11 वाँ) और जोड़ा गया। अब नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं-

1) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोल को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3) भारत की संम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।
4) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।
6) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7) प्राकृतिक वातावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया का भाव रखें।
8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें।
11) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा:-शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करते समय मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए-

I. **पाठ्यवस्तु (Content):-** विभिन्न विषयों की पाठ्यवस्तु में शिक्षक को निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करना होगा-

- ज्ञानात्मक पक्ष- विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए उन्हें संविधान की जानकारी, अधिकार एवं कर्तव्यों की अवधारणा का ज्ञान व वास्तविक जीवन में उसके अनुसार व्यवहार करना सिखाना होगा।

- भावात्मक पक्ष- भाषा, साहित्य एवं अन्य विषयों में प्रेरणा प्रदान करने वाली विषयवस्तु से विद्यार्थियों का भावनात्मक पक्ष मजबूत बनता है। इसलिए उनमें देश के प्रति गौरव की भावना का विकास कर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार करें।
- क्रियात्मक पक्ष- ज्ञान एवं भावना के साथ-साथ विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में संविधान में वर्णित सभी तथ्यों, उपबंधों से सम्बंधित क्रियात्मक पक्ष भी विकसित किए जाने चाहिए।

II. **पाठ्येत्तर क्रियाएँ (Co-curricular Activities)-** विद्यालय में विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु को पढाये जाने के अलावा इनका स्थायी ज्ञान हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उनमें इनके प्रति जागरूकता की भावना उत्पन्न हो सके।

अभ्यास प्रश्नः- 5

1. मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संविधानसंशोधन के तहत जोड़ा गया?

   (क) 86 वें संशोधन अधिनियम 2002

   (ख) 42 वें संशोधन अधिनियम 1976

   (ग) 44 वें संशोधन अधिनियम 1978

   (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने थे?

   (क) 10 (ख) 11

   (ग) 12 (घ) एक भी नहीं

5.9 शिक्षा से सम्बंधित प्रावधान (Provisions Related to Education)

शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके कारण देश के विकास में बढ़ोतरी होती है। भारतीय संविधान अपने आप में लोकतंत्र का अनूठा प्रतिबिम्ब है और यह स्वभाविक है कि शिक्षा को भारतीय संविधान में उपयुक्त स्थान मिले इसलिए देश में सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए संविधान में नीति-निदेशक तत्वों, मौलिक अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों में कुछ प्रावधान किया गया है जो निम्नवत है-

1) संविधान के अन्तर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया है जिसके अन्तर्गत राज्य और केन्द्र सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वे इस सन्दर्भ में कानून बना सकते हैं। अगर कानून बनाने की स्थिति में दोनों में कोई वैमनस्य उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता या वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानून स्वत: ही निरस्त हो जाते हैं।

2) अनुच्छेद-16 में यह प्रतिपादित किया हैं कि किसी के साथ वंश, रूप, लिंग और निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में अवसर हेतु कोई विभेद नहीं किया जायेगा।
3) अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता (छुआछूत) का अन्त करता है।
4) संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत (अनुच्छेद-21ए) बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह नया अधिकार जोड़ा गया।
5) अनुच्छेद 28 (1) में यह उपबंध किया गया है कि राज्यनिधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
6) मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-29 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखा जायेगा इसलिए वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनी रूचि की संस्थाओं को स्थापित करके ही रख सकते हैं। यह अधिकार उन्हें अनुच्छेद-30 (1) द्वारा प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद का खण्ड (2) इस अधिकार को और मजबूती प्रदान करता है जिसके अनुसार राज्य शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में किसी तरह का विभेद न करेगा।
7) 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद-45 को जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि, राज्य बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए उपबन्ध करेगा।
8) नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद-46 के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या कमजोर वर्गों) के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा शोषण से उनकी सुरक्षा करना।
9) 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य (11वाँ) और जोड़ा गया। जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
10) अनुच्छेद-239 में यह उपबंध किया गया है कि केन्द्र शासित प्रदेशों में शिक्षा सम्बन्धी सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह भारतीय सरकार के अधीन होगा।
11) अनुच्छेद-350 (क) के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा की प्राथमिक अवस्था में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ देने का प्रयास करेगा और अनुच्छेद-350 (ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है।
12) संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार हो, उसका विकास करे ताकि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद-351 के अन्तर्गत यह उपबंध किया गया है।
13) संविधान समवर्ती सूची के प्रविष्ट-20 में यह उपबंधित किया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कार्य करते हुए शिक्षा के सन्दर्भ में शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करेंगी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वित करेंगी। तथा प्रविष्ट-25 में यह उपबंध किया है कि मजदूरों को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी

किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण व उसे जारी करने का अधिकार केंद्र व राज्यों दोनों को है।

14) प्रविष्ट 13 में यह उपबंधित किया है कि विदेशों के साथ किस प्रकार के शैक्षणिक व सांस्कृतिक रिश्ते बनाये जायेंगे इसका उत्तरदायित्व भारत सरकार को होगा।

15) केन्द्रीय सूची के प्रथम अध्याय के अन्तर्गत अनुच्छेद 63, 64, 65 और 66 में उच्च शिक्षा एवं शोध से सम्बंधित उपबंध किया गया है।

5.10 संवैधानिक मूल्य(Constitutional Values)

हम प्रमुख चार मूल्यों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे।

- **लोकतंत्र**- लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है,"जनतांत्रिक शासन लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा " होता है। इसमें व्यक्ति का विशेष महत्व होता है तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों पर उसकी दृढ आस्था पर बल दिया जाता है। लोकतंत्र एक राजनैतिक व्यवस्था ही नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकतान्त्रिक व्यवहार करना अपेक्षित है। आज के विद्यार्थी देश के भावी नागरिक हैं, अत: उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाना शिक्षा का महत्व है। इसलिए जनतंत्र में विद्यार्थियों के लिए लोकतान्त्रिक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।
- **समाजवाद-** समाजवाद से अभिप्राय है कि लोगों मे आर्थिक समता लायी जाए तथा पूंजी के केन्द्रीकरण को रोका जाये। हमारे देश में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर देश में ऐसे लोग भी हैं जिनकी मासिक आय लाखों में है। इससे आर्थिक तथा सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है जिस कारण देश उन्नति नहीं कर सकता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसन्धान और विकास को सम्बल मिल सकता है तथा आर्थिक तथा सामाजिक विषमता के विभिन्न स्तरों को पाटा जा सकता है। इसलिए हमारी शिक्षा पद्दति ऐसी होनी चाहिए जो भावी नागरिकों में समाजवाद के प्रति निष्ठा उत्पन्न करे।
- **धर्म निरपेक्षता-** धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय है किसी भी धर्मों के प्रति आदर भाव रखना। यद्धपि हमारा संविधान प्रारम्भ से ही धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, क्योंकि सभी धर्म, जाति, वंश के लोगों को किसी भी धर्म को स्वीकारने की स्वतंत्रता है। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है फिर भी 42 वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा प्रस्तावना में भारत को 'धर्म निरपेक्ष' राज्य घोषित करके धर्मनिरपेक्षता को और बल प्रदान किया गया। अत: शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो समस्त राष्ट्रीय मूल्यों के विकास में सहायक हो एवं सभी में धर्म निरपेक्षता की भावना का विकास कर सके। और यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप ही आयोजित किये जाएँ ताकि भावी समाज का नव निर्माण हो सके।
- **लोक कल्याणकारी समाज-** लोक कल्याणकारी समाज से अभिप्राय है एक ऐसा समाज जिसमेंन्याय, समता, अधिकार और बन्धुत्व के आसव सम्मलित हों। जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ उचित

व्यवहार, स्त्री-पुरुष के साथ समानता का व्यवहार, लोगों को अधिक से अधिक सार्वजनिक हित मिल पाएं, उत्पादन के साधनों और संपत्ति का केन्द्रीकरण, बालक-बालिकाओं की शिक्षा आदि को ध्यान में रखा जाये। सभी लोग एक-दूसरे से मिलजुलकर रहें।

5.11सारांश (References)

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में चार आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बन्धुत्व शामिल किये गये हैं। इनको शामिल करने का उद्देश्य था कि सामाजिक असमानतायें, आर्थिक विभेद तथा राजनैतिक विशेषाधिकार समाप्त किये जा सकें। इन चार आदर्शों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति में शिक्षा द्वारा उनके महत्व के सम्बन्ध में समझ उत्पन्न न हो जाये। हमारे संविधान ने सैद्धान्तिक रूप में ये आदर्श दे दिये हैं जिनका अनुसरण करने से हमारा समाज संसार में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है तथा हमारा देश सबसे अधिक लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील बन सकता है किन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार तथा जनता इनको इस प्रकार व्यवहारिक रूप में लाये ताकि एक कल्याणकारी समाज स्थापित किया जा सके। हमारे संविधान से स्पष्ट होता है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को समान महत्व है और समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा किसी को भी न्याय से वंचित नहीं रखा जायेगा। इन सभी अधिकारों को समझने तथा अभ्यास में लाने के लिए जनता को शिक्षित करना आवश्यक है।

5.12 शब्दावली (Terminology)

- **संविधान:-**बुनियादी नियमों का ऐसा दस्तावेज जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार होता है। तथा जिससे उस संस्था में समन्वय और विश्वास बना रहे।
- **संप्रभुता:-** संप्रभुता से अभिप्राय आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है।
- **सामाजिक न्याय:-**समाज के लोगों के मध्य समता, एकता, मानव अधिकार की स्थापना करना।
- **धर्म निरपेक्षता:-**राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। कोई भी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है।
- **अनुच्छेद:-** किसी विषय का वह विशिष्ट अंश जिसमें किसी खास सूचना का विवेचन किया जाता है।
- **प्रतिषेध:-** इनकार करना।
- **आव्रजन:-** पलायन करना।
- **लोकतंत्र:-**ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का संचालन लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाताहै।

- **कर्तव्य:-** करने योग्य कार्य

5.13अभ्यास प्रश्नों के उत्तर(Answers of Exercises)

अभ्यास प्रश्न - 1

1. 26 नवम्बर, 1949 2.1976 3. 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

अभ्यास प्रश्न - 2

1. अनुच्छेद 5 से 11 2. उपरोक्त सभी

अभ्यास प्रश्न - 3

1. अनुच्छेद 45 2. आयरलैण्ड

अभ्यास प्रश्न - 4

1. अनुच्छेद 17 2.86 वें संशोधनअधिनियम 2002 3. 44वें

अभ्यास प्रश्न - 5

1.42 वें संशोधन अधिनियम 1976 2. एक भी नहीं

5.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
2. भारतीय संविधान में शैक्षिक सम्बन्धी किये गये प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
3. "भारतीय संविधान में दिए गये नीति-निदेशक तत्वों का भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बहुत अधिक महत्व है" इस कथन की व्याख्या किजिये।
4. "भारतीय संविधान में नागरिकता और मूल कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।

5.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (References)

- लक्ष्मीकांत, एम (2014); *भारत की राजव्यवस्था.* नई दिल्ली : मैक्ग्राव हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
- गौतम, विकास (2014); *भारत का संविधान : अनुच्छेद 1-395 क्रमबद्ध.*स्मैशवर्ड्स एडिसन, लाइसेंस नोट्स.
- बसु, दुर्गा दास (2013); *भारत का संविधान एक परिचय.* आगरा : लेक्सिस नेक्सिस.
- माथुर, एस.एस. (2011); *शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार.* आगरा : श्री विनोद पुस्तक मंदिर.
- कुमार, हेमन्त, कुमार गौरव एवं, कुमारी, अनुराधा (2008); *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा.* लुधियाना : विनोद पब्लिकेशन्स.
- गोस्वामी, आचार्य भालचंद्र (2008);*हमारा संविधान.* जयपुर : विवेक पब्लिशिंग हाउस.
- एन.सी.ई.आर.टी (2006); *भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार* नई दिल्ली.

इकाई - 6

भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित संशोधन

(प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, शिक्षा का माध्यम और समानता का अधिकार)

Amendments in the Constitution of India pertaining to Education

(Elementary Education, Religious Minority and ligustic Minority, Rights against Discrimination, Medium of Instruction & Right to Equality)

इकाई की रुपरेखा

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित संशोधन

6.4 धार्मिक अल्पसंख्यक

6.5 भाषाई अल्पसंख्यक

6.6 भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान

6.7 भेदभाव के खिलाफ अधिकार

6.8 संविधान में भेदभाव के खिलाफ अधिकार

6.9 शिक्षा का माध्यम

6.10 मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में तर्क

6.11 समानता का अधिकार

6.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.13 सारांश

6.14 निबंधात्मक प्रश्न

6.15 संदर्भ ग्रंथ सूची

6.1 प्रस्तावना

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संसार में चीजें समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हमारे देश के संविधान में भी समय के साथ संशोधन हुए है। इनमें शिक्षा से संबंधित संशोधन भी शामिल है।

प्रस्तुत इकाई में आप भारत के संविधान में शिक्षा से सम्बंधित संशोधन प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, शिक्षा का माध्यम और समानता का अधिकार) का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- भारत के संविधान में हुए शिक्षा से संबंधित संशोधनों के बारे में बता सकेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के बारे में बता सकेंगे।
- धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बता सकेंगे।
- भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में बता सकेंगे।
- भेदभाव के खलाफ आधिकारों के बारे में बता सकेंगे।
- शिक्षा के माध्यम के बारे में बता सकेंगे।
- समानता के अधिकार के बारे में बता सकेंगे।

6.3 भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित संशोधन

मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था जिस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी। इसलिए इससे संबंधित विधायन का दायरा बढ़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन-1976 द्वारा शिक्षा के विषय को 'राज्य सूची' से 'समवर्ती सूची' के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संशोधन के उपरांतराज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी इस विषय पर कानून बना सकती है।

हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद-45 के अनुसार संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर-अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी यह संभव नहीं हो सका। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में रखा गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन (2002) किया गया जिसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गयी है जो जिंदगी जीने के लिए अनिवार्य है इसलिए इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद-21 क में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए 2009 में एक अधिनियम लाया गया, जिसे "नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम-2009 कहा जाता है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम-2009 में बच्चों का अधिकार का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मापदंडो और मानकों को पूरा

करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

अनुच्छेद 21-क और आर टी ई अधिनियम 1अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आर टी ई अधिनियम के शीर्षक में 'नि:शुल्क' और 'अनिवार्य शिक्षा' शब्द सम्मिलित है। नि:शुल्क शिक्षा' का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फ़ीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके, अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है।

अभ्यास प्रश्न:-1

1. अनुच्छेद 21क और आर टी ई अधिनियम ----------- को लागू हुआ।
2. 'अनिवार्य शिक्षा' के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद------------में सम्मिलित किया गया है।

6.4 धार्मिक अल्पसंख्यक

यद्यपि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। केवल अल्पसंख्यकों जो धर्म या भाषा पर आधारित है, का उल्लेख किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सविस्तार वर्णन किया गया है।

परिभाषाएं-

जैसा कि उपरोक्त में बताया गया है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। हम कह सकते है कि किसी समाज में उससे भिन्न धार्मिक विशेषताओं वाले समूह को धार्मिक अल्पसंख्यक कह सकते हैं। इसको और सही प्रकार से समझने के लिए निम्न परिभाषा को देखिए-

"इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" के अनुसार "अल्पसंख्यक, एक विस्तृत समाज में एक विशिष्ट सांस्कृतिक, वंशीय या जातीय समूह के रहने वालों को कह सकते हैं।" अत: यह दल या समूह उक्त क्षेत्र में रहने वाले समाज से सांस्कृतिक तथा वंशीय दृष्टि से भिन्न होगा। इसी भांति "इन्टरनेशनल इन्साइक्लोपीडिया आफ द सोशल साइंसेज" में अल्पसंख्यक को "व्यक्तियों का एक समूह जो उसी समाज में जाति, राष्ट्रीयता, धर्म या भाषा में दूसरे से भिन्न हो।" उपरोक्त परिभाषा में राष्ट्रीयता के भाव को भी अलग माना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों में इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है।

1992 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया था परन्तु अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई। कहा गया कि इस बारे में भारत सरकार के गजट

में सूचित किया जाएगा । सरकार ने बिना तर्क के मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख तथा पारसी को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनके संरक्षण के लिए अनेक मौलिक अधिकार है-

i) अनुच्छेद-15 :- भारतीय नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।

ii) अनुच्छेद-25 :- (धर्म का प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता) भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

iii) अनुच्छेद-26 :- धार्मिक क्रिया कलापों के लिए संस्था बनाने की स्वतंत्रता- भारत के प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए किसी भी प्रकार की संस्था बना सकता है।

iv) अनुच्छेद-27 :- धार्मिक क्रिया कलापों पर कर (Tax) की छूट- भारत का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म के प्रचार-प्रसार करने के लिए जो भी क्रिया कलाप करता है, वे सभी क्रिया कलाप कर मुक्त होगें।

v) अनुच्छेद-28 :- राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है अर्थात संस्थान राज्य के किसी भी प्रकार की सहायता ले रहा हो चाहे वह आर्थिक सहायता हो या मान्यता प्राप्त, इसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः रोक लगायी गई है और जो संस्थान किसी भी तरह की सहायत नही लेते है, उन संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

vi) अनुच्छेद-29 :- संस्कृति एवं शिक्षा सम्बंधित अधिकार– प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी-अपनी संस्कृति को पल्लिवत और पोषित करने का संवैधानिक अधिकार है उदाहरण – विभिन्न भाषा लिपियों को उनसे जुड़े व्यक्ति द्वारा उनको बढ़ावा देने के लिए न केवल भिन्न-भिन्न तरह का साहित्य प्रकाशित कर सकता है बल्कि समय-समय पर संशोधन भी कर सकता है।

vii) अनुच्छेद-30 :- अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार– भारत का प्रत्येक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। इसमें राज्य आर्थिक सहायता देते समय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक में कोई अंतर नही रखेगा । अल्पसंख्यक द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षण संस्थान में अपने समुदाय के लिए50% सीटों का आरक्षण करना संवैधानिक है।

अभ्यास प्रश्न:- 2

(1) सरकार ने ---------------------------------- को अल्पसंख्यक घोषित किया है।

(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद ---------- में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

6.5 भाषाई अल्पसंख्यक

भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है ।इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा को दर्जा दिया [अनुच्छेद-343 (1)] । संविधान के अनुच्छेद-120(1) भाग 17 में भी कहा गया है कि “किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद- 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की भाषा या राज्यभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।” यह प्रावधान संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक के लिए किया गया था। लेकिन आज तक हम एक भाषा पर निर्णय नहीं ले सके है।

स्वतंत्रता से लेकर आज तक धर्म और भाषा से संबंधित अनेक समस्याएं हमारे सामने आयी है। जिस प्रकार संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है उसी प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। भारत का धर्म और भाषा के नाम पर विभाजन हुआ। वर्तमान में भी भारत भाषावाद की समस्या के जूझ रहा है। भारत में भाषा के नाम पर अनेक सीमाएं खड़ी हो गई है।

1956 में भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। (7 वां संविधान संशोधन– 1956) 18 वां संविधान संशोधन-1966 के अंतर्गत पंजाब का भाषायी आधार पर पुनर्गठन किया गया जिसमें पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया।

6.6 भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान

निम्न अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन किया गया है-

1. अनुच्छेद- 29 :– अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण:- (i) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाष लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
    (i) राज्य द्वारा पोषित या राज्य- निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल मूलवंश, जाति,भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
2. अनुच्छेद- 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापन और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार- (i) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। {(1क) खंड (1) [44 वां संविधान संशोधन-1978 से] में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सपंत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी होकि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए।}

(ii) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

3. अनुच्छेद-347 :- किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध – यदि इस निमित मांग किये जाने पर राष्टपति को यह समाधान हो जाता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए जो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह निर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।
4. अनुच्छेद-350 :- व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निराकरण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकार या प्राधिकारी को यथा स्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।
5. अनुच्छेद-350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानिय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।
6. अनुच्छेद-350 ख :- भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी (1) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्टपति नियुक्त करेगा।

   (2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक- वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अन्तरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अभ्यास प्रश्न:- 3

सत्य या असत्य बताओ -

1 हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

2 चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश नहीं है।

6.7 भेदभाव के खिलाफ अधिकार

भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किये गये है। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, हिन्दु हो या मुस्लमान, सिक्ख

हो या ईसाई। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले इसके लिए संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इससे नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। अगर किसी के द्वारा इन अधिकारों का हनन हो भी जाता है तो न्यायालय द्वारा उनकी रक्षा की जाती है।

6.8 संविधान में भेदभाव के खिलाफ निम्न अधिकार है:

a) अनुच्छेद-14 :- विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार :- विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होना और सभी वर्ग समान रूप से विधि के अधीन होगें। विधियों का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा तथा विभिन्न परिस्थितियों में विभेद करने की अनुज्ञा है। विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जा सकता है किन्तु यह वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए।

b) अनुच्छेद-15 :- केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध :- भारत के प्रत्येक नागरिक के स्थान उसके धर्म, मूलवंश, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

c) अनुच्छेद-16 :- लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता:- केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन सृजित पदों पर आसीन होने का, भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। उसके साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग या जन्म स्थान आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। केवल एससी. एवं एसटी. को आरक्षण का उपबंध किया गया है।

d) अनुच्छेद-17 :- अस्पृश्यता का अंत:- भारत में संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण विधि के अनुसार दण्डनीय है।

e) अनुच्छेद 32 :- संवैधानिक उपचारों का अधिकार- भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को बनाया गया है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न पांच प्रकार के लेख जारी कर सकता है-

- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)- बंदी प्रत्यक्षीकरण लेटिन भाषा के शब्द "Habeas corpus" का हिंदी रूपांतरण है। जिस का अर्थ है "हम शरीर रखते है" या "सशरीर न्यायलय में पेश करो"। बंदी बनाये जाने की वैधता को जाने के लिए यह याचिका दायर की जाती है। यह याचिका बंदी द्वारा या उसके किसी परिचित व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।

- परमादेश (Mandamus)- परमादेश लेटिन भाषा के शब्द 'Mandamus' का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है- 'हम आदेश देते है'। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं करता है।

- उत्प्रेषण (Certiorari)- उत्प्रेषण लेटिन भाषा के शब्द 'Certiorari' का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थहै- 'ओर अधिक सूचनाएं देना'। यह आज्ञा पत्र अधिकांशत: किसी विवाद को निम्न न्यायलय से उच्च न्यायलय में भेजने

के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे।

- प्रतिषेध (Prohibition)- प्रतिषेध अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Prohibition' का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है- 'रोक लगाना'। यह आज्ञा पत्र उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्द्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही स्थगित कर दे।
- अधिकार पृच्छा (Quo-warrarto)- जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार पर इस पद पर कार्य कर रहा है।

अभ्यास प्रश्न:-4

1. संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन ------------- में किया गया है।
2. अनुच्छेद-17 द्वारा ---------- का अंत किया गया है।

6.9 शिक्षा का माध्यम

भारतीय संस्कृति में भाषा को माता का दर्जा दिया जाता है। हर मनुष्य की तीन माताएं होती है- मातृभूमि, मातृभाषा और उसको पैदा करने वाली माता। व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से बहुत लगाव होता है। व्यक्ति मातृभाषा में ही अपने विचार और भावनाओं को सही प्रकार से व्यक्त कर सकता है और उसी मातृभाषा में ही दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझ सकता है | शिक्षा के माध्यम को लेकर आये दिन कई बहस हो रही है। व्यक्ति जिस पृष्ठभूमि से आता है और वहां जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी भाषा में इसे शिक्षा मिलनी चाहिए। अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार भी है।

6.10 मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में तर्क

मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में निम्न तर्क दे सकते है –

(a) बच्चा मातृभाषा से परिचित होता है जिसके कारण अधिगम की प्रक्रिया आसान होती है।

(b) बच्चा मातृभाषा का प्रयोग आसानी से कर सकता है जिसके कारण उसकी अभिव्यक्ति क्षमता का अधिक विकास होता है।

(c) मातृभाषा में शिक्षा बालक के उन्मुक्त विकास में ज्यादा कारगर होती है।

(d) संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट में दो बाते सामने आई है-

(1) अधिकांश बच्चे विद्यालय जाने से कतराते है क्योंकि उनकी शिक्षा का माध्यम वह भाषा नहीं है जो भाषा घर में बोली जाती है।

(2) संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल अधिकारों के घोषणा पत्र में भी यह कहा गया है कि बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाये जिस भाषा का प्रयोग उसके माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन, एवं पारिवारिक सदस्य करते हो।

वर्तमान समय में "नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम-2009" की धारा 29 के खंड 2 की उपधारा 'f' में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा (mother tongue) को स्वीकार किया गया है।

महात्मा गाँधी जी का भी मानना था कि "शिक्षा का माध्यम केवल और केवल मातृभाषा होनी चाहिए तथा समस्त अन्य भाषाओ में उसका स्थान प्रथम होना चाहिए।" गांधी जी ने आगे कहा कि "माँ के दूध के साथ जो संस्कार मिलते हैं और जो मीठे शब्द सुनाई देते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा लेने से टूट जाता है। हम ऐसी शिक्षा के शिकार होकर मातृद्रोह करते हैं।"

अभ्यास प्रश्न:-5

1) मातृभाषा में शिक्षा बालक के --------- में ज्यादा कारगर होती है।
2) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 में शिक्षा का माध्यम ------- को स्वीकार किया गया है।

6.11 समानता का अधिकार

देश के सभी नागरिकों का समान विकास हो इस के लिए संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। कानून की दृष्टि में देश के सभी नागरिक समान है। किसी के साथ भी किसी भी दृष्टिकोण से भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

6.11.1 भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद-14 से 18 तक किया गया है इनका विस्तार से वर्णन निम्न प्रकार है-

(1) अनुच्छेद-14 :- विधि के समक्ष समता – राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान्य संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

(2) अनुच्छेद-15 :- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध- (a) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग,जन्म-स्थान या इनमे से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(b) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर –

- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
- पूर्णत: या भागत: राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(c) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(d) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(3) अनुच्छेद-16 :- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता –

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से विवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले इस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनकी प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, परिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गये आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करे, से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही है, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।

(4.) अनुच्छेद –17 :- अस्पृश्यता का अंत – “अस्पृश्यता” का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

(5.) अनुच्छेद- 18 :- उपाध्यों का अंत—(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमती के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

6.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर –

अभ्यास प्रश्न-1

1. 1अप्रैल, 2010 2. 21-क

अभ्यास प्रश्न-2

1. मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख तथा पारसी 2. 29 व 30

अभ्यास प्रश्न-3

1. सत्य 2. असत्य

अभ्यास प्रश्न-4

1. अनुच्छेद-32 2. अस्पृश्यता

अभ्यास प्रश्न-5

1. उन्मुक्त विकास 2. मातृभाषा

अभ्यास प्रश्न-6

1. 14 से 18 2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान

6.13 सारांश

भारत का संविधान विस्तृत और व्यापक संविधान है| इस संविधान में सभी उपबन्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है| अनेक उपबंधों को दूसरे देशों के संविधान से लिया गया गया है| आज समय बदल गया है| समय के साथ देश के नागरिकों की आवश्यकताएँ भी बदली है| देश के नागरिकों के आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में अनेक परिवर्तन हुए है| आगे भी संविधान को और बेहत्तर बनाने के लिए संशोधन होते रहेंगे|

अभ्यास प्रश्न:-6

1. समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद---------- तक किया गया है।
2. अनुच्छेद-15 में --------------- के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।

6.13 शब्दावली

- **निर्बंधित-** जिस पर कोई बंधन न हो|
- **निराकृत-** जिसकी कोई आकृति न हो|
- **व्यथा-** मुसीबत, शिकायत
- **प्रतिवेदन-** लिखित आवेदन, लिखी सूचना
- **सृजित पद-** बनाये गए पद
- **एस.सी.-** अनुसूचित जाति
- **एस.टी.-** अनुसूचित जनजाति
- **अस्पृश्यता -** छुआ-छूत
- **कतराना-** झिझकना
- **ज्येष्ठ-** बड़ा
- **उपजी-** जन्मी

6.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान में शिक्षा में संबंधित संशोधनों का वर्णन करते हुए शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करो|
2. धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित संवैधानिक उपबंधों का वर्णन करो|
3. भेदभाव के खिलाफ अधिकार का विस्तार से वर्णन करो|
4. शिक्षा का माध्यम पर अपने विचारों का उल्लेख कीजिए|
5. समानता के अधिकार का विस्तार से वर्णन करो|

6.14 सन्दर्भ ग्रंथ

- कुमार, जय व अन्य (2010);*भारत का संविधान:एक पुनर्दृष्टि,* नई दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस
- सेंगर, शैलेन्द्र(2007);*भारतीय शासन और राजनीति*, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर
- कश्यप, सुभाष (2004); हमारा संविधान, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
- लक्ष्मीकांत, एम (2013); *भारत की राजव्यवस्था,* नई दिल्ली: टाटा मेक्ग्राव हिल एजुकेशन
- http://www.ncm.nic.in/ncm_hindi/Constitutional_provisions.html

- http://www.samaylive.com/editorial/267566/question-on-the-definition-of-minority.html
- http://panchjanya.com/arch/2010/5/9/File19.htm

इकाई - 7

भारत में आधुनिक शिक्षा

(शिक्षा के पांरपरिक प्रणालियों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव औपनिवेशिक शिक्षा का प्रभाव, स्कूल शिक्षा और आधुनिक विश्वविद्यालय)

Modern Education In India

(Impact of Colonialism on Traditional System of Education, Emergence of Colonial Education Order: School Education and modern Universities)

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य
7.1 प्रस्तावना
7.2 देशी शिक्षा/ शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का तत्कालीन स्वरूप
7.3 शिक्षा की पांरपारिक प्रणालियों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव
7.4 औपनिवेशिक शिक्षा का उद्भव
7.5 स्कूली शिक्षा और आधुनिक विश्वविद्यालय (1857 से 1947 तक हुए शिक्षा के विकास)
7.6 राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर प्रभाव
7.7 सारांश
7.8 शब्दावली
7.9 बोध–प्रश्न
7.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ सकेगें-

- देशी शिक्षा/ शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का तत्कालीन स्वरूप
- शिक्षा की पांरपारिक प्रणालियों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव
- औपनिवेशिक शिक्षा का उद्भव
- स्कूली शिक्षा और आधुनिक विश्वविद्यालय (1857 से 1947 तक हुए शिक्षा के विकास)
- राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर प्रभाव

7.1 प्रस्तावना

भारत को अंग्रेजो के आगमन से पूर्व शिक्षा प्रसार की दृष्टि से अग्रतम देशों में गिना जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और उसके कुछ काल पश्चात् भी यूरोप के किसी देश में शिक्षा का प्रचार इतना नही हुआ था जितना कि भारत में था। शिक्षित व्यक्तियों की संख्या भी भारत में अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक भी मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ मध्ययुगीन शिक्षा का भी पतन हो गया। अंग्रेजो तथा यूरोपियन मिशनरियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। परन्तु जिस समय आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हो रहा था उस समय देश भर में प्राचीन तथा मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा का भी पर्याप्त प्रचलन था। अत: आधुनिक शिक्षा के स्वरूप को भली प्रकार समझने के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन देशी शिक्षा की रूपरेखा पर भी विचार किया जाए। इस विषय में एन.एन.मुखर्जी लिखते है 'जिस समय यह देश ईस्ट इण्डिया कंपनी के अधिकार में आया उस समय देशी शिक्षा का यहां यथेष्ट विस्तार था। समस्त देश में प्राथमिक स्कूल तथा पर्याप्त विद्यालय थे। प्राथमिक स्कूलों में जनसाधारण के बालको को शिक्षा दी जाती थी। देशी शिक्षा की यह प्रथा भारत में परम्परा से चली आ रही थी। यह हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में गुथ गई थी।

7.2 देशी शिक्षा/ शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का तत्कालीन स्वरूप

औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव को समझने से पूर्व भारत की देशी शिक्षा के तत्कालीन स्वरुप को समझना आवश्यक है| 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत में देशी शिक्षा के अन्तर्गत अनेक प्रकार की संस्थाएं थीं -

(क) **गुरू-गृह**- वैदिक काल और ब्राह्मण काल के समान इस युग में भी छात्र गुरू-गृह में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे।

(ख) **संस्कृति विद्यालय**- इनमें प्रमुख रूप से संस्कृत का शिक्षण होता था, बंगाल में इस प्रकार के विद्यालय टोल के नाम से पुकारे जाते थे। वे विद्यालय मुख्यतया दान द्वारा चलते थे।

(ग) **मकतब तथा मदरसे** - प्रारंभ में यद्यपि इनमें केवल मुसलमानों को ही प्रवेश मिलता था परन्तु इस काल में हिंदु और मुसलमान दोनों ही इनमें अध्ययन करने लगे थे।

(घ) **प्राथमिक पाठशालाये**- प्राथमिक पाठशालाओं में मुख्यतया फारसी एवं प्रान्तीय भाषाओं का शिक्षण होता था। भाषाओं के अतिरिक्त गणित आदि विषयों का भी अध्ययन होता था।

19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने देशी शिक्षा के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने के लिए प्रत्येक प्रान्त के अधिकारियों द्वारा जांच करवाई। इन जांच रिपोर्टों का अध्ययन करने से तत्कालीन देशी शिक्षा के विषय में पर्याप्त जानकारी हो जाती है।

1822 ई. में मद्रास के गवर्नर सर थामस मुनरो के अनुसार देशी शिक्षा संस्था की संख्या 12498 तथा उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 88,000 थी। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या और भी अधिक थी। हिन्दुओं में मुसलमानों की अपेक्षा शिक्षा का प्रसार अधिक था। घर पर भी छात्र अध्ययन करते थे। मद्रास नगर में घर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 26,903 थी। काम्पबेल के मत में विद्यालय खुलने का समय प्रात: का था। सरस्वती वंदना के पश्चात् शिक्षण कार्य होता था। दण्ड प्रणाली कठोर थी।

इस युग में विद्यालयों में अग्रशिष्य प्रणाली का पर्याप्त प्रचलन था। अधिक योग्य छात्र अन्य छात्रों को पढ़ाते थे। प्रत्येक विद्यालय चार वर्गो में विभाजित थे। सबसे निम्न वर्ग के छात्रों को बालू पर उंगली से लिखना सिखाया जाता था। अध्यापको का वेतन अत्यन्त अल्प था । 8 या 9 रू. प्रतिमास अध्यापको का वेतन था। भाषा के आधार पर अनेक विद्यालय थे। 23 विद्यालय मराठी के, 21 फारसी के, 225 तेलगू के, कन्नड़ के 236 तथा तमिल भाषा के केवल 4 विद्यालय थे। संस्कृति का शिक्षण करने वाली केवल 23 पाठशालाये थी।

इसके अतिरिक्त भारत की देशी शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के बारे में हम इकाई 15 में विस्तार से चर्चा करेगें |

7.3 शिक्षा की पांरपारिक प्रणालियों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 19वीं शताब्दी में देशी शिक्षा का भारत में पर्याप्त विकास था। जनसाधारण को शिक्षण प्रदान करने में देशी शिक्षण संस्थाये अपना परम योग प्रदान करती रही। परन्तु जैसे-जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढतर होती गयी वैसे-वैसे देशी शिक्षा का भी लोप होता गया। देशी शिक्षा के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे :-

1. **राज सहायता का अभाव** - देशी शिक्षा के पतन का प्रमुख कारण राजकीय सहायता का अभाव था। अंग्रेजो के आने से पूर्व देशी पाठशालाओं को मुसलमान को हिंदु शासको की ओर से जो आर्थिक सहायता मिलती थी उसका अब मिलना बन्द हो गया। कैम्पबेल के अनुसार-

   ''इस जिले में (बेलारी जिला) अब घटते-घटते शिक्षा सम्बन्धी 533 संस्थाये रह गयी है और मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है कि इसमें किसी एक को भी अब (अंग्रेज) सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता नही दी जाती। .... इनमें कोई संदेह नही कि पुराने समय में विशेषकर हिन्दुओं के शासन काल में विद्या प्रचार सहायता के लिये बहुत बड़ी रकमें और बड़ी-बड़ी जागीरें राज्य की ओर से बांटी हुई थी।

2. **सर्वसाधारण का अत्यधिक निर्धन होना** - कैम्पबेल के अनुसार ''भारतीय जनता में सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने को भी शक्ति नही थी जिसका प्रमुख कारण उसकी निर्धनता था । इस कारण उन अधिकांश गांवों में जहां पहले विद्यालय थे, अब नहीं है और जहां बड़े स्कूल थे, वहां धनवानों के बालक शिक्षा पाते है। अन्य बालक निर्धनता के कारण विद्यालय नहीं जा सकते है।''

3. **ग्राम पंचायतो का विनाश** - ग्राम पंचायते देशी शिक्षा का आधार थी, परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ पंचायतों का भी विनाश होता गया। इस प्रकार देशी शिक्षा के प्रमुख आधार समाप्त हो जाने से उसे भी गहरा आघात लगा।

4. **देशी रियासतों की समाप्ति** - अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ देशी रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये रियासतें देशी विद्यालयों को पर्याप्त दान देती थी। इनके समाप्त होने से देशी विद्यालय भी समाप्त हो गए।

5. **अंग्रेजी स्कूलों का प्रसार**- अंग्रेजो ने देशी शिक्षा की उपेक्षा की तथा नवीन अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की ओर विशेष ध्यान दिया। एस.एन.मुख़र्जी के अनुसार, ''सरकार ने देशी शिक्षा को विशेष मान्यता न दी। .... यह बात अवश्य थी कि इसमें अनेक दोष आ गये

थे। इन्हे सुधारने का प्रयत्न तत्कालीन अंग्रेजी शासन को करना चाहिए था, परन्तु देशी स्कूल निम्न ठहरा दिये गये थे। उनकी प्रतिद्वन्द्वता में आधुनिक स्कूलों और कॉलेज की स्थापना हो गयी। हमारी पुरानी संस्थाये भला इन नवागन्तुको का सामना कर सकती थी ? फलत: अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ देशी स्कूल विलीन हो गए।''

6. **अन्य कारण** - * देशी विद्यालयों का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम था, * अंग्रेजी के शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, * धीरे-धीरे गृह-उद्योगों का विनाश हो गया जिससे निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ी। * देशी पाठशालाओं के अध्यापको को अत्यन्त अल्प वेतन दिया जाता था।

शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरी स्कूल

सत्रहवीं शताब्दी तक भारत में डच, फ्रांसीसी, डेन व अंग्रेज आदि व्यापारियों ने प्रवेश कर अपनी-अपनी अनेक व्यापारिक कम्पनियां बना ली थी। इन समस्त कम्पनियों का मुख्य उदेश्य भारत में रहकर अधिक-से-अधिक व्यापारिक लाभ उठाना था। अत: उनमें संघर्ष का होना स्वाभाविक था। इन विदेशी कम्पनियों का व्यापार करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य था-भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। अत: अपने इसे उदेश्य को पूरा करने के लिए उन्होने अपने-अपने देश से ईसाई मिशनरियों को भारत बुलाया। विभिन्न देशों की मिशनरियों ने भारत में आकर यह आवश्यक समझा कि शिक्षा के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को ईसाई धर्म के सिद्धान्तों का ज्ञान कराया जाए। अत: मिशनरियों ने धर्म प्रसार के साथ-साथ शिक्षा प्रसार की ओर भी ध्यान दिया। इन प्रयासों के कारण ही उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है। इन ईसाई मिशनरियों ने बड़ी लगन और निष्ठा के साथ स्थानीय भाषाओं को सीखा तथा उनका साहित्य तैयार किया।

पुर्तगाली मिशनरियों के प्रयास - भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले सन्त फ्रांन्सिस जैवियर तथा राबर्टडी नोबिली पुर्तगाली मिशनरी थे। जेवियर ने गांव-गांव में स्वयं जाकर ईसाई धर्म का प्रचार किया तथा धर्म पुस्तकें बांटी। नोबिली ने उल्लेखनीय कार्य किये। वह भारतीयों को प्रभावित करने के लिए अपने को पश्चिम का ब्राह्मण कहता था। उसका कथन था कि वह लुप्त भारतीय वेदों को पुन: वापस लाया है। उसने वेश-भूषा भी हिंदु संन्यासियों जैसी बना ली थी। गोवा, दमण, दिव, कोचिन, लंका, हुगली तथा चटगांव में पुर्तगाली मिशनिरयों ने अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की ।इन विद्यालयों में केवल ईसाई बालको को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त मिशनरियों ने उच्च शिक्षा के विस्तार की ओर ध्यान दिया। 1575 में चाले में प्रथम जेसुट कालेज की स्थापना की गई। इस कालेज में लगभग 300 छात्र अध्ययन करते थे इसी प्रकार एक अन्य कालेज की बन्दोरा में स्थापना की गई। इन उच्च शिक्षा के कालेजों में लेटिन, तर्कशास्त्र, धर्म और व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

यह सत्य है कि आधुनिक शिक्षा के बीजारोपण का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। परन्तु उनके शिक्षा प्रसार का कार्य प्राय: बस्तियों तक ही सीमित रहा। इस प्रकार उनके शिक्षा प्रयासो का प्रभाव व्यापक नही पड़ा। पुर्तगालियों के पतन के पश्चात् पुर्तगाली मिशनरियों के प्रयास भी शिथिल हो गये। उनकी गतिविधियां केवल गोआ, दमण, दिव,तक ही सीमित रह गई।

फ्रांसीसियों के प्रयास - फ्रांसीसियों का उद्देश्य भी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार करना था, अत: उन्होने अपनी बस्तियां पांडिचेरी, माही, मनाम, कालीकट तथा चन्द्रनगर में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की ।इन विद्यालयों में प्रत्येक जाति के छात्रों को बिना भेद-भाव के शिक्षा

प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु ईसाई धर्म का अध्ययन सबके लिए अनिवार्य था। प्रत्येक विद्यालय में इसी उदेश्य से एक धर्म प्रचारक की नियुक्ति की गयी थी। निर्धन बालको को भोजन, वस्त्र तथा पुस्तको आदि का लालच देकर इन विद्यालयों में पढने के लिए आकर्षित किया जाता था। फ्रांसीसियों और कम्पनी के भारतीय कर्मचारियों के बालको को फ्रेंच भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए पाण्डिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय भी था।

डेनों के प्रयास - डेनो का उदेश्य भारत में प्रभुत्व की स्थापना करना न होकर ईसाई धर्म का प्रचार करना था। डेन मिशनरियों और फलूशो के नाम विशेष उल्लेखनीय है। ट्रावनकोर में उन्होने बड़ी निष्ठा और लगन के साथ धर्म प्रचार का कार्य किया। उन्होंने बड़े श्रम के साथ तमिल भाषा का अध्ययन किया तथा बाइबिल का अनुवाद तमिल भाषा में किया। इसके अतिरिक्त उन्होने तमिल भाषा के व्याकरण की एक सुन्दर पुस्तक लिखी। ग्रेण्डलर नामक मिशनरी ने मद्रास में दो विद्यालयों को स्थापना की। इसी प्रकार श्वार्ज नामक अन्य डेन मिशनरी ने चिनापल्ली और तंजोर में विद्यालयों की स्थापना की ।इन विद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा ईसाई धर्म का प्रसार अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था।

डचों के प्रयास - डचों ने व्यापार करने के साथ-साथ धर्म का प्रसार भी किया परन्तु वे धर्म प्रसार के प्रति विशेष उत्साहित नहीं थे। डचो ने उच्च शिक्षा के लिए लंका में एक विद्यालय की स्थापना की। डचो द्वारा खोले गये विद्यालयों में मुख्यतया डच कर्मचारियों के बालक ही शिक्षा प्राप्त करते थे।

अंग्रेजों के प्रयास - प्रारंभ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी भारत में धर्म प्रसार को अपना कर्तव्य समझा। अंग्रेजो का विश्वास था कि प्रोटेस्टेंट मत के द्वारा पुर्तगालियों के राजनैतिक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। 1698 में पार्लियामेन्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि उसका कर्तव्य है कि वह अंग्रेज और भारतीय कर्मचारियों के बालको की शिक्षा के लिए अपनी कोठियों तथा सैनिक छावनियों में पादरी रखे | अंग्रेज पादरियों ने भी बड़े उत्साह और निष्ठा के साथ शिक्षा प्रसार तथा धर्म प्रसार के कार्य को अपने हाथ में लिया।

1715 में कंपनी की ओर से सेन्ट मेरीज चैरिटी स्कूल नामक प्रथम दान आश्रित विद्यालय की स्थापना की गयी। 1812 में नगर सेना के एक पादरी ने ‘सण्डे स्कूल’ की स्थापना की। रिचार्ड काबे ने बंबई में 1719 में एक विद्यालय की स्थापना की जिसमें निर्धन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन बालको को विशेष सुविधाऐं दी जाती थी। बंगाल में भी ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किये। उनके प्रयासो के परिणास्वरूप ही 1829 तथा सन् 1789 में कलकता में क्रमश: ‘कलकता चैरिटेबिल स्कूल’ तथा ‘फ्री स्कूल’ की स्थापना हुई | कैरी वार्ड तथा मार्शमैन नामक तीन प्रमुख मिशनरियों ने सीरामपुर में तथा कलकता के अन्य स्थानों में बालक तथा बालिकाओं के लिए 115 विद्यालयों की स्थापना की। यद्यपि इन दिनों कम्पनी की मिशनों के प्रति नीति अधिक उदार नही थी। इस पर भी कैरी और उसके साथियों ने अपूर्व उत्साह के साथ शिक्षा और धर्म प्रसार का कार्य किया।

कैरी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं का गहनता के साथ अध्ययन किया और वार्ड ने एक छापाखाना खोला। इस छापेखाने में सीरामपुर के मिशनरियों और फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापको की पुस्तके ही नहीं वरन् अनेक विद्वानों की पुस्तके भी छपती थी। जान क्लास मार्शमैन ने भारतीय इतिहास पर एक पुस्तक लिखी तथा खगोल विद्या और भूगोल के एक ग्रंथ का अनुवाद किया।

उपर्युक्त मिशनरियों के अतिरिक्त भी अनेक मिशनरियों ने बंगाल में पाश्चात्य ज्ञान की बढ़ती हुई समृद्धि में अपना योगदान किया, जिसमें अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद तथा वैज्ञानिक विषयों पर

रचनाये अपना विशेष महत्व रखती थी । इन प्रयासो ने भारतीय चिन्तन को एक शक्तिशाली उत्तेजना दी और उसे मध्ययुग की वैचारिक दासता से मुक्त करके पाश्चात्य ज्ञान की ओर उन्मुख किया। मिशनरियों द्वारा स्थापित विद्यालयों की अग्रलिखित विशेषतायें थी :-

1. इन विद्यालयों में ईसाई धर्म के सिद्धान्तों तथा बाईबिल की शिक्षा विशेष रूप से प्रदान की जाती थी।
2. इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम भी विस्तृत था। धर्म शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी, स्थानीय, भाषायें, व्याकरण, भूगोल, तथा गणित की शिक्षा प्रदान की जाती थी।
3. इन विद्यालयों में उस शिक्षा को प्रारंभ किया गया जो कि इस देश के लिए पूर्ण तथा नवीन थी।
4. प्राय: शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाती थी।
5. ईस्ट इण्डिया कंपनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रसार के अन्तर्गत 1698 में कंपनी के आज्ञापत्र को दोहराया गया तथा उसकी एक धारा में एक आदेश दिया गया कि कंपनी को अपने किले, नगर रक्षक सेनाओं तथा बड़े कारखानों में विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इन आदेश के आधार पर ही अंग्रेजी बस्तियों में अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुआ। 1698 के आज्ञा-पत्र के आधार पर मद्रास और बम्बई में कुछ दान-आश्रित विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को विशेष सुविधाये प्रदान की जाती थीं।

   सन् 1773 के रेगुलटिंग एक्ट के आधार पर कलकता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी और 1781 के संशोधित एक्ट में यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों के मुकदमों का निर्णय उनके रीतिरिवाज, धर्म परम्पराओं आदि के आधार पर किया जाए। अंग्रेज न्यायाधीश भारतीय परम्पराओं और रीति रिवाजो से अनभिज्ञ थे अत: उनकी कठिनाइयों का हल करने के लिए शिक्षित भारतीय का होना आवश्यक था। तीसरे इन दिनों कंपनी के कार्य का भी पर्याप्त विस्तार हो गया था अत: अब शिक्षित भारतीयों को पदों पर नियुक्त करना आवश्यक था। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पग उठाये जाये। कंपनी ने इस उद्देश्य से हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए निम्न उच्च शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की -

1. **कलकत्ता मदरसा** - बंगाल के प्रमुख मुसलमानों ने वारेन-हेस्टिंग्ज से उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की प्रार्थना की । वारेन-हेस्टिंग्ज भी मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। अत: उसने 1780 में ''कलकत्ता मदरसा'' की स्थापना कर दी। मदरसे का पाठ्यक्रम विस्तृत था, उसमें कुरान के धर्म सिद्धान्त, ज्योतिष, कानून, व्याकरण, दर्शन, पदार्थ विज्ञान, शास्त्र गणित व्याकरण आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित थे।
2. **बनारस संस्कृत कालेज**- ''बनारस संस्कृत कॉलेज '' की स्थापना 1791 में बनारस में जॉनथन डंकन के द्वारा की गई। इस विद्यालय के स्थापना के उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए डंकन लिखते है कि ''इस विद्यालय के स्थापना से मुख्यतया दो लाभ ज्ञात होते है। प्रथम, यह की हिंदु इससे तथा सरकार से प्रेम करने लगेंगे। दूसरे, इस संस्था से हिंदु परम्पराओं की रक्षा हो सकेगी तथा न्यायाधीशों के सहायक मिले रहेगें। इस कालेज का पाठ्यक्रम भी

विस्तृत था। पाठ्यक्रम में हिंदु धार्मिक-सिद्धान्त, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गणित, चिकित्साशास्त्र, संगीत, इतिहास, कविता तथा कानून आदि विषय सम्मिलित किये गये थे।

3. **फोर्ट विलियम कॉलेज** - फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लार्ड वेलजली ने कलकत्ता में 1800 में की थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कंपनी के युवा कर्मचारियों को योग्य तथा कुशल बनाना था। पाठ्यक्रम में हिंदु तथा मुस्लिम कानूनो, भारतीय इतिहास, अरबी, फारसी, संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इस कालेज में पडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, डॉ. गिलक्राइस्ट, डॉ. केरे. जैसे महान् विद्वान शिक्षण कार्य करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही इस कॉलेज के प्रवेश द्वार खुले थे।

सीरामपुर के पादरियों ने अपना प्रचार कार्य तीव्रता से किया। 1808 में ''हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम संदेश'' नामक एक पत्रिका निकाली जिसमें हिंदु धर्म ही निन्दा तथा मुहम्मद साहब हो झूठा पैगम्बर सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकाशन से हिंदु मुस्लिम जनता में तीव्र उत्तेजना फ़ैल गयी। अत: मजबूर हाकर लार्ड मिण्टो को मिशनरियों का प्रेस जब्त करना पड़ा तथा बन्दी बनाकर कलकत्ता बुला लिया। कंपनी की इस दमन नीति से मिशनरियों में रोष और असंतोष फैल गया। परन्तु वे निराश नही हुए और इन्होने अपने समर्थको के माध्यम से अपने समर्थन में इंग्लैण्ड में आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के नेत चार्ल्स ग्राण्ट थे । चार्ल्स ग्राण्ट कंपनी के कर्मचारी और व्यवसायी के रूप में भारत में लगभग 23 वर्ष तक रहा था। दीर्घकाल तक भारत में रहने के कारण उसे यहाँ की जनता तथा परिस्थितियों का पूर्ण परिचय प्राप्त हो गया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उसने इंग्लैण्ड पहुंचने पर "ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक दृश्य का निरीक्षण," नामक पुस्तक में भारतवासियों की दशा पर विस्तार से प्रकाश डाला। चार्ल्स ग्राण्ट के अनुसार ऐसी दशा में व्यापक शिक्षा प्रसार करके ही भारतीयों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है। उसने साहस के साथ कहा, '' भारत पर शासन करते हुए भारतवासियों को शिक्षित न करना एक महान अपराध है।'' ग्राण्ट ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि देश के विभिन्न भागों में निशुल्क विद्यालयों की स्थापना की जाये। वह भारतीयों में ज्ञान का प्रसार करने के लिए अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त मानता था। उसका विश्वास था कि यदि प्रभाव पूर्ण ढंग से भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य, दर्शन, विज्ञान और धर्म को शिक्षा प्रदान की जायेगी तो उनकी विचारधारा में अवश्य ही परिवर्तन आयेगें। कालान्तर में ग्राण्ट द्वारा प्रतिपादित समस्त सुझावों को स्वीकार कर लिया गया।

7.4 औपनिवेशिक शिक्षा का उद्भव

जिस समय इंग्लैण्ड में भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने पर आन्दोलन चल रहा था, उसी समय भारत में कंपनी के कुछ अधिकारी भारतवासियों को उनकी ही (प्राच्य शिक्षा) प्रणाली द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में थे। वे भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना अनुचित समझते थे। इस प्रकार के समर्थको में कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी लार्ड मिण्टो था। वह भारतीय भाषाओं साहित्य तथा विज्ञान का प्रमुख प्रशंसक तथा प्राच्यवादी नीति का समर्थक था। उसका विचार था कि यदि आवश्यक कदम नही उठाये गये तो भारतीय साहित्य और विज्ञान का शीघ्र लोप हो जायेगा।

मिन्टो ने व्यंग्य करते हुए लिखा है, ''यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्र यूरोप में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को इतना अधिक महत्व प्रदान करता है वह भारतीय साहित्य और ज्ञान को अपने संरक्षण में रखने में इतनी उदासीनता दिखा रहा है''।

प्राच्य और पाश्चात्य विचारधाराओं की टकराहट ने शिक्षा के प्रश्नों को विवादस्पद बना दिया। फलस्वरूप जब 1813 में कंपनी का आज्ञापत्र पुनर्शोधन के लिए संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो दोनों विचाराधाराओं के प्रतिपादकों को संतुष्टिकरने के लिए उसमें एक नवीन धारा को और जोड़ दिया गया। इस धारा में उल्लेख किया गया -

''प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लाख की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान और प्रगति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अंग्रेजों के अधीन भारतीय भू-भाग में भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ और प्रचार के लिए व्यय की जायेगी।'' इस आदेश के फलस्वरूप शिक्षा प्रसार कंपनी का उत्तरदायित्व बन गया और पादरियों को भी प्रचार कार्य की स्वाधीनता मिल गयी।

''प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लाख की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान और प्रगति के लिये, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अंग्रेजों के अधीन भारतीय भू-भाग में भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ और प्रचार के लिए व्यय की जायेगी।'' इस आदेश के फलस्वरूप शिक्षा-प्रसार कंपनी का उत्तरदायित्व बन गया और पादरियों को भी प्रचार कार्य की स्वाधीनता मिल गयी।

1813 के आज्ञा पत्र के आधार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व अब कंपनी पर आ गया। इस आज्ञा पत्र में जनसाधारण में शिक्षा प्रसार के लिये एक लाख रूपया प्रति वर्ष धन राशि व्यय करने की भी व्यवस्था कर दी गयी थी। परन्तु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इस निर्धारित राशि का किस प्रकार व्यय किया जाये। इस अस्पष्टता के कारण शिक्षा के प्रश्न पर विवाद प्रारंभ हो गये। इस विवाद को 'प्राच्य पाश्चात्य विवाद' कहकर पुकारा जाता है। यह विवाद लगभग 20 वर्ष तक चलता रहा। इस विवाद के परिणामस्वरूप इस काल में शिक्षा की कोई निश्चित नीति नही अपनायी जा सकी। अत: यह शिक्षा का 'अनिश्चित काल' कहा जाता है।

विवाद के विषय -

विवाद के मुख्यतया चार विषय थे - (1) शिक्षा का उद्देश्य (2) शिक्षा के लक्ष्य (3) शिक्षा के साधन (4) शिक्षा का माध्यम क्या हो ? इन विवादों के आधार पर तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ- (1) प्राच्य-शिक्षावादी, जिनके अनुसार प्राचीन भारतीय साहित्य व दर्शन की शिक्षा-संस्कृत, अरबी व फारसी भाषाओं के माध्यम से प्रदान की जाये। इस विचारधारा की प्रमुख समर्थक हेस्टिंग्ज और मिन्टो थे। (2) देशी भाषाओं के समर्थक, कुछ के विचार में देशी या क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मद्रास के गवर्नर मुनरो तथा बम्बई के गवर्नर एल्फिस्टन थे। (3) पाश्चात्य शिक्षावादी इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कंपनी के नवयुवक अधिकारी एवं मिशनरी थे। इस विचार से प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन्न है। उसको पुनर्जीवित करना समय और धन का अपव्यय करना है। इन विचारको के अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के अतिरिक्त कुछ नही है। यूरोप में विज्ञान ने औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी। ऐसी दशा में पाश्चात्य विचारको के अनुसार भारत वासियों की प्रगति पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के द्वारा की जा सकती है। अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की कुंजी है। अत: भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिये। परन्तु ये विवाद, विवाद ही बने रहे और 1813 से 1823 तक कंपनी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

राजकीय शिक्षा प्रयास (1823-1833)

जन शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1823 को गवर्नर जनरल के प्रस्ताव के अनुसार बंगाल में एक 'लोक शिक्षा समिति' की स्थापना की गयी। साथ ही समिति के कार्यक्रम को सफल

बनाने के लिये उसे एक लाख रुपये की धन-राशि प्रदान की गयी। समिति के अधिकांश सदस्य प्राच्य-साहित्य में श्रद्धा रखते थे। इनमें एच.एच. विल्सन तथा (एच.टी.प्रिन्शेष) के नाम विशेष उल्लेखनीय है। उत्साह के साथ 1833 तक इस समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रलिखित कार्य किये - (1) 'कलकता मदरसा', और 'बनारस संस्कृत कालेज' का पुनर्गठन किया गया (2) प्राच्य शिक्षा के विकास के लिए सन् 1824 में कलकता, आगरा तथा दिल्ली में कॉलेजों की स्थापना की गयी। (3) प्राच्य साहित्य के सरंक्षण के लिये संस्कृत, अरबी, तथा फारसी के ग्रंथो का प्रकाशन किया गया। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के ग्रंथो का प्राच्य भाषा में अनुवाद और प्रकाशन किया गया।

परन्तु समिति द्वारा प्रतिपादित प्राच्यवादी नीति का कुछ भारतवासियों ने स्वागत नही किया। वे परम्परागत शिक्षा प्रणाली के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार चाहते थे। इनमें राजा राममोहन राय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य विज्ञान के प्रमुख समर्थक थे। उन्होने 1823 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड एम्हस्ट को एक प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें उन्होने लिखा था कि कलकत्ता में प्रस्तावित संस्कृत कालेज की स्थापना के विचार को त्याग दिया जाये और इसके स्थान पर एक जागरूक शिक्षा योजना का आयोजन किया जाए जिसमें गणित, जीव विज्ञान, दर्शन, रसायन, शासन और अन्य लाभदायक ज्ञान सम्मिलित किये जाये'',परन्तु राजा राम मोहनराय की उपेक्षा करके कलकता में संस्कृत कालेज की स्थापना कर दी गयी।

कंपनी के संचालक भी प्राच्य शिक्षा के विरोधी थे। 18 फरवरी 1824 के आदेश पत्र में उल्लेख किया गया कि हिंदु मुस्लिम के अधिकांश साहित्य व्यर्थ है। इस बात को ध्यान में रखकर ''लोक शिक्षा समिति'' के कार्यो पर प्रतिबन्ध लगा दिया और उन्होंने प्राच्य ज्ञान के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान एवं विचार का प्रसार करने का आदेश दिया। इस आदेश के फलस्वरूप समिति ने कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, तथा आगरा संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी कक्षाओं की व्यवस्था की।

मिशनरी शिक्षा प्रयास (1813-1833) -

1813 के आज्ञा पत्र के आधार पर मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल चुकी थी अत: संपूर्ण भारत में मिशनरियों का जाल सा बिछ गया। कंपनी के संचालक जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में अनिश्चय की नीति का पालन करे रहे थे, उस समय विभिन्न ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गयी। बंगाल में बेपटिस्ट मिशनरियों ने 1817 में ''श्रीरामपुर कालेज'' की स्थापना की। 1814-1818 तक मध्य 'लन्दन मिशनरी सोसायटी' ने चिन्सुरा में 36 विद्यालयों की स्थापना की। ''चर्च मिशनरी सोसायटी'' ने बर्दवान के आस-पास 10 वर्नाक्यूलर विद्यालय स्थापित किये, जिनमें 1000 बालक अध्यापन करते थे।

1830 में 'अलैक्जेन्डर डफ' नामक पादरी ने 1839 में 'स्काटिश चर्च कालेज' की स्थापना की जिसमें अंग्रेजी माध्यम से बाइबिल ओर पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। डफ अंग्रेजी भाषा के प्रमुख समर्थक थे उनका कथन था कि ''मैं कहता हूँ, अंग्रेजी भाषा वह उपकरण है जो समस्त ज्ञान का वाहक बनकर भारत को हिलाकर रख देगा।'' इस कारण ही डफ राजा राममोहन राय से मिला। राजा राममोहन राय और डफ दोनों ही अंग्रेजी तथा पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के समर्थक थे यद्यपि दोनों के उद्देश्यों में कोसो का अन्तर था। एक का उद्देश्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना ईसाई धर्म के प्रचार के लिये था तो दूसरे का भारतवासियों के अज्ञान को दूर करने के लिए।

डफ के उदाहरण से भारत के मिशनों की नीति पर भी प्रभाव पड़ा। देश भर में पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा देने के लिए मिशनरी सोसाइटियों के द्वारा समर्थित कॉलेजों की स्थापना हुई। बंबई में विल्सन कालेज (1832), मद्रास में क्रिश्चियन कालेज (1837), नागपुर में हिसलय कालेज(1844), आगरा में सेन्ट जॉन्स कालेज (1853) और मसलीपट्नम में नोबल कालेज (1841) आदि इसके उदाहरण है। ईसाई मिशनरियों ने न केवल विद्यालयों की स्थापना की वरन गद्य शैली तथ साहित्य के विकास में भी योगदान किया।

व्यक्तिगत शिक्षा प्रयास (1813-33) -

ईसाई मिशनरियों के अतिरिक्त भारतीय तथा अन्य विद्वानों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। बंगाल में व्यक्तिगत रूप से किये गये प्रयासो में राजा राममोहन राय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। राजा राममोहन राय ने 1817 में ''कलकत्ता समाज'' की स्थापना की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन करना था। 1819 में उन्होने ''कलकता विद्यालय समाज'' की नींव डाली। इस समाज द्वारा लगभग 115 विद्यालयों की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय तथा उनके मित्र व सहयोगी डैबिड हेयर के सहयोग से 20 जनवरी 1817 को हिंदु कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने का भी प्रंबध किया गया था।

बंम्बई और मद्रास में भी व्यक्तिगत शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रयास किये गये। 'चर्च ऑफ इग्लैण्ड'' के सदस्यों ने 1815 में 'बम्बई शिक्षा समिति' की स्थापना की। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य एंग्लो-इंडियन एवं यूरोपियन बालको को शिक्षा प्रदान करना था परन्तु इसमें अन्य छात्रों को भी प्रवेश की अनुमति थी। मद्रास में भी बंगाल के समान कुछ अंग्रेजो ने मद्रास स्कूल समिति की स्थापना की। उतर प्रदेश में बनारस में 1818 में जयनारायण घोषाल द्वारा दिये गये दान से ''जय नारायण घोषाल विद्यालय'' की स्थापना की गयी। 1814 में आगरा में पण्डित बाल गंगाधर शास्त्री ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज को उन्होंने लगभग डेढ़ लाख रूपये की सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान की। आगे चलकर यह संस्कृत कॉलेज आगरा कॉलेज के रूप में परिणित हो गया।

मैकाले का विवरण पत्र -

हम ऊपर जिक्र कर चुके है कि 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिए एक लाख रुपये निर्धारित किये गये थे। इस एक लाख रुपये के व्यय के संबंधमें कंपनी के अधिकारियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो गया था। यह मतभेद शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य साधन तथा माध्यम के विषय में था। 1823 में ऐडम ने, जो अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे, सार्वजनिक शिक्षा के लिए 10 सदस्यो की एक सामान्य समिति नियुक्त की जिसमें एच.टी. प्रिसेप और एच.एच. विल्सन थे। समिति के समक्ष मुख्य रूप से दो समस्यायें थी। प्रथम यह तय करना कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा और दूसरी समस्या यह थी कि यह शिक्षा किसको प्रदान की जाये। अन्य शब्दों में प्रश्न यह था कि क्या संस्कृत और अरबी भाषाओं में मौजूद हिंदु और मुसलमानों के परम्परागत ज्ञान की भी शिक्षा दी जाए । दूसरी समस्या यह थी कि क्या शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्रदान की जाये अथवा सामान्य जनता को भी इसके रसास्वादन का अवसर मिले।

समिति में प्राच्य विद्या विशारदो का बहुमत था जिसका दृढ मत था कि मुसलमानों और हिन्दुओं के जबरदस्त पूर्वाग्रहो और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बड़ी हद तक अभिकरणों के उपलब्ध साधनो की कमी को देखते हुए हम यह समझते है कि निस्संदेह रूप से यह सरकारी संस्थाओं का काम होना

चाहिये कि वे मुस्लिम और हिंदु साहित्य विज्ञान की शिक्षा दें। एच.टी.प्रिन्सेप के मत में ''भारतवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना समय और धन की बर्बादी है।''

द्वितीय विचारक पाश्चात्यवादी थे जिसका प्रभाव निदेशक मण्डल पर था, इनमें बेंथम के शिष्य जैम्स मिल, विशेष हेबर और अलेकजेन्डर ड्रफ जैसे ईसाई मिशनरियों और हिंदु समाज के प्रगतिशील वर्ग के नेता राममोहनराय आदि थे। इस विचारधारा के समर्थको के अनुसार प्राच्य शिक्षा प्रणाली समय के प्रतिकूल है। अत: उस पर बल देना व्यर्थ है। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही भारतवासियों की प्रगति की जा सकती है। भारतीय स्वयं अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है।

जिस समय भारत में ''प्राच्य पाश्चात्य-विवाद'' अपना उग्र रूप धारण कर चुका था, उसी समय 10 जून 1834 को लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आया। वह अंग्रेजी भाषा का पक्षपाती तथा पाश्चात्य विचारधारा का पुजारी था। उसमें यूरोपीय श्रेष्ठता तथा जातीय दर्प की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी, वह कुशल वक्ता और महान कूटनीतिज्ञ भी था।

लार्ड विलियम बैण्टिक ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के लिए तथा 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा सम्बन्धी धारा की व्याख्या करने के लिए तथा लार्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत किया।

लार्ड मैकाले का तर्क था कि भारतीय निश्चित रूप से अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे परन्तु संस्कृत और अरबी पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती थी। एक तथ्य यह भी था कि कुछ भारतीय तरूणों ने समिति का ध्यान अपनी दयनीय दशा की ओर आकर्षित किया | जंहा वर्षो पहले संस्कृत कॉलेज में पढ़ चुके थे फिर भी उनके सामने अपनी स्थिति में उन्नति करने की कोई आशा नही थी। स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 31000 अंग्रेजी किताबें 2 साल के अन्दर बिक चुकी थी, इसके विपरीत अरबी और संस्कृत की इतनी पुस्तके भी 3 साल में नही बिकी कि उन्हें रखने का 2 मास का किराया ही वसूल हो, प्रकाशन के खर्च वसूल होने की तो बात अलग रही।

मैकाले के मत में ''1813 के आज्ञा पत्र में'' साहित्य शब्द का तात्पर्य 'अंग्रेजी साहित्य' से था न कि संस्कृत अरबी साहित्य से । इसी प्रकार ''भारतीय विद्धान का तात्पर्य उस व्यक्ति से था जो लॉक और मिल्टन के साहित्य का ज्ञाता हो न कि प्राच्य साहित्य का । मेकाले ने कहा है कि इंग्लेण्ड के पुनरूत्थान में जिस प्रकार यूनानी तथा लैटिन भाषाओं ने योगदान दिया उसी प्रकार अंग्रेजी भारत के पुनरूत्थान में योगदान प्रदान करेगी। भारतीय साहित्य पर प्रहार करते हुए लार्ड मैकाले ने कहा ''एक श्रेष्ठ यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारतीय और अरबी के संपूर्णसाहित्य के बराबर होगी ''।

लोर्ड मैकाले के तर्को को यद्यपि प्रिन्सेप ने अपने तर्को द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया परन्तु परन्तु लोर्ड विलियम बैण्टिक को प्रिन्सेप के विचार व तर्क अधिक प्रभावित नही कर सके। अत: उसने मैकाले के प्रस्तावों को स्वीकार करके प्राच्य-प्राश्चात्य विवाद का अन्त कर दिया। मैकाले के विवरण पत्र को आधार बनाकर 07 मार्च, 1835 के आज्ञा पत्र में बैण्टिक ने नवीन शिक्षा नीति की घोषणा कर दी जो अग्र लिखित है -

1. ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों में पाश्चात्य-साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना है। ऐसी दशा में शिक्षा की समस्त धन राशि पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान के प्रचार में ही व्यय की जायेगी।

2. परन्तु बैण्टिक ने प्राच्य विद्यालयों को पूर्णतया समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

3. प्राच्य-विद्या की पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन पर पर्याप्त धन व्यय किया जा चुका है। अत: भविष्य में उनका प्रकाशन नही होगा।

4. इस प्रकार से जो धनराशि बचेगी उससे भारतवासियों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का प्रसार किया जायेगा।

इस प्रकार यह प्रथम घोषणा थी जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर के उद्देश्यों, साधनों तथा नीति का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। अन्य शब्दों में प्राच्य पाश्चात्य का अन्त कर, इस घोषणा ने शिक्षा की नीति को निश्चित बना दिया। वास्तव में बैण्टिक कि यह घोषणा भारतीय शिक्षा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। श्री टी.एन – विक्वेरा का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि ''यह घोषणा भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सरकार को जनशिक्षा प्रदान करना चाहती है उसके विषय में निश्चित नीति का सरकारी कथन है''

मैकाले के विवरण पत्र के कारण शिक्षा के उद्देश्य तथा माध्यम पूर्णतया स्पष्ट हो गये। कुछ विद्धानों के अनुसार मैकाले भारतीय संस्कृति का शत्रु तथा भारतवासियों को दासता की ज़ंजीर में जकड़ने वाला था। परन्तु अन्य विद्वानों कीमत में मैकाले ने भारतवासियों को ज्ञान का मार्ग दिखाया तथा भारत का आधुनिकीकरण किया। इस कारण ही कुछ लोग उसे ''भारतीय शिक्षा के मार्ग का पथ-प्रदर्शक मानते है। यह सत्य है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र एक राजनीतिक उद्देश्य से प्रस्तुत किया था परन्तु उसके प्रयासों और कार्यो से हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुए।

1835 से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद ने शिक्षा की प्रगति को धीमा कर दिया था। मैकाले के विवरण पत्र ने इस वाद-विवाद का अन्त कर शिक्षा की नीति को निश्चित बनाया जिसके पश्चात् शिक्षा का विकास तीव्रता के साथ हुआ। अंग्रेजी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की कुंजी है। भारतीयों को इस कुंजी का माध्यम बनाकर भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान के द्वार खोल दिये गए जिससे देश में वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं आर्थिक उन्नति सम्पन्न हो सकी।

यह सच है कि लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढ़ करने के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया था। परन्तु साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में भी सहायक हुई। अंग्रेजी का अध्ययन करके भारतीय, पाश्चात्य देशों के राजनैतिक विचारों से परिचित हुए। उन्हें ज्ञान हुआ कि पश्चिमी देशों में समानता और स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त के लिए किस प्रकार क्रान्तियां हुई। अन्य शब्दों में पाश्चात्य साहित्य ने भारतवासियों में राजनैतिक चेतना उत्पन्न कर दी।

परन्तु कुछ आलोचक मैकाले को भारतीयता का विनाशक मानते है। उनके अनुसार उसे किसी भी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था इस पर भी इसमें उन्हें अविकसित कहकर अपमानित किया। जिन भाषाओं का उसने अध्ययन भी नही किया उनके विषय में विरोधी राय देना कहां तक न्यायसंगत है। भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में इस काल तक उच्चकोटि के साहित्य की रचना हो चुकी थी । सूर, तुलसी, मीरा, विद्यापति तथा बंकिमचन्द्र का साहित्य इस बात का प्रबल प्रमाण है।

मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता का भारत में प्रचार करना था। अन्य शब्दों में वह भारतीय संस्कृति का विनाश कर भारतीयों पर पाश्चात्य संस्कृति लादना चाहता था।

पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता था। यद्यपि मैकाले ने अपने विवरण-पत्र में धार्मिक तटस्थता की घोषणा की थी। परन्तु यथार्थ में वह अंग्रेजी भाषा द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहता था। उसके शब्दों में ''मेरा विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अन्दर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक नही रह जायेगा।''

मैकाले भारत में वर्ग-भेद उत्पन्न करने के लिए एक ऐसा वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो भारतीय होते हुए भी पाश्चात्य विचारधारा का हो। उसके शब्दों में ''हमे भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिये जो रक्त् और वर्ण से भारतीय किन्तु रूचियो, विचारो, नैतिक आदर्शो तथा बुद्धि में अंग्रेज हो,'' (we should form a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in morals and intellect)| मैकाले ने शिक्षा में छनाई सिद्धान्त (Downward filteration theory) का प्रतिपादन कर यह आशा की थी कि यदि शिक्षा भारत में उच्च वर्ग को प्रदान की जायेगी तो वह धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप में निम्न वर्ग तक पहुंच जायेगी। परन्तु उसकी यह आशा व्यर्थ हो गई तथा इसका परिणाम उल्टा निकला कि देश में एक उच्च वर्ग का निर्माण हो गया जो अंग्रेजो के साथ मिलकर भारत की जनसाधारण जनता का शोषण करने लगा। इस प्रकार शिक्षित उच्च वर्ग में और जनसाधारण के मध्य एक गहरी खाई बन गई। डॉ. हौरेस वि. सन ने कामन सभा में भाषण देते हुए। 1853 में कहा था, ''वास्तव में हम लोगों ने अंग्रेजी शिक्षित वर्ग की सृष्टि की है। जिसकी अपने देशवासियों के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं है।

लार्ड मैकाले का उद्देश्य भारत के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार भारतवासियों के उत्थान तथा लाभ के लिए न करके ब्रिटिश साम्राज्य को चिरस्थायी बनाने के लिए करना था। इस प्रकार मैकाले का विवरण पत्र एक राजनीति का दस्तावेज था जिसका उद्देश्य भारतवासियों में ज्ञान का प्रसार न होकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढ़ करना था।

शिक्षा का विकास (1833-1854)

प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के कारण 1833 तक शिक्षा की नीति अनिश्चित रही अत: उसके विकास में मंदता रही। परन्तु लार्ड आकलैड ने अपनी बुद्धिमता के आधार पर प्राज्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया और शिक्षा का मार्ग पूर्णतया निश्चित हो गया। इस निश्चिंतता के कारण शिक्षा के विकास में तीव्रता आ गई है। श्री तारांचद के अनुसार ''1835 और 1838 के मध्य शिक्षा समिति नियंत्रण में रहने वाली संस्थाओं की संख्या जोरो के साथ बढ़ी और छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।''

बंगाल में शिक्षा का विकास - सरकार ने केवल मध्यम वर्ग में शिक्षा के लिए जिम्मेदारी ली थी। इसकी प्रति मुख्यतया बंगाल में हुई। अनेक स्थानों पर अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। आकलैंड ने बंगाल को 9 भागों में विभाजित किया और प्राय: प्रत्येक जिले में एक जिला विद्यालय की स्थापना की। 1844 में लार्ड हाग्र्डज ने घोषणा की, ''अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी।'' जिसने भारतीयों में अंग्रेजी के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए बंगाल में पर्याप्त प्रयास किये गये और अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। लार्ड डलहौजी की भी प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूचि थी, 1854 में लगभग 33 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई तथा कलकत्ता हिंदु कालेज में इंजीनियरिंग की कक्षा प्रारम्भ की। उसने अनुदान प्रणाली द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना को विशेष प्रोत्साहित किया।

'शिक्षा परिषद' ने बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। 1854 तक इसके अंतर्गत 151 शिक्षा संस्थाये थीं जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 13,163 थी। बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास भी किये गये। 1849 में जे.ई.डी. बैथन ने लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। जयकृष्ण मुख़र्जी तथा बारासेत के कुछ निवासियों ने भी स्त्री शिक्षा के प्रसार में पर्याप्त योग दिया।

बम्बई में शिक्षा का विकास - बंबई भारतीय शिक्षा समिति ने 1840 तक समस्त बम्बई प्रदेश में 119 जिला प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की । इन विद्यालयों में वर्णमाला और अंकगणित के अतिरिक्ति इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, बीजगणित तथा भौतिक-विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा के द्वारा प्रदान की जाती थी।

सरकार द्वारा दो कॉलेजों का संचालन होता था जिसमें एक पूना का संस्कृत कॉलेज था जिसे समस्त जातियों के लिए खोल दिया गया। दूसरी संस्था एलफिनस्टन इन्स्टीटयूट थी जिसका उद्देश्य भारतीयों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना था।

'बम्बई भारतीय शिक्षा समिति' को 1840 में भंग करके उसके स्थान पर 'शिक्षा बोर्ड' की स्थापना की गई। इस बोर्ड के सात सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत व तीन बम्बई भारतीय शिक्षा समिति के प्रतिनिधि थे। 1842 में बम्बई को तीन भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग में एक यूरोपियन निरीक्षक एवं एक भारतीय उपनिरीक्षक की नियुक्ति की गई। एस्किरण पैरी जो शिक्षा बोर्ड का सदस्य था, उसने अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। इस प्रकार भाषा के माध्यम पर विवाद छिड़ गया, अंत में 5 अप्रैल 1848 को सरकार ने यह निश्चय किया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा तथा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा माध्यम रहेगी।

मद्रास में शिक्षा का विकास - मद्रास प्रेसीडेन्सी में पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के तीन माध्यम थे- मिशनरी, सरकार और भारतीय। मिशनरी शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे आये। उन्होने अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। 1852 तक मद्रास में 1185 मिशन विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 38,005 थी।

सरकार की ओर से मद्रास में उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया गया ओर देशी शिक्षा की पर्याप्त अवेहलना की गई। 1841 में मद्रास नगर में हाई स्कूल स्थापित किया गया। 1845 में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ताकि सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा का संगठन और देख रेख करे। परिषद को यह भी निर्देश दिया गया कि वह 1841 में स्थापित मद्रास विश्वविद्यालय कॉलेज को चलाने के लिए कुछ जिला और निजी विद्यालयों को भी चलाने में अपना धन लगाये। 1853-54 में 2 अंग्रेजी विद्यालय खोले गये। एक कड्डालोर और दूसरा राजामंदी में।

उत्तर भारत में शिक्षा का विकास – उत्तर भारत में य़द्यपि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की कम मांग थी उस पर भी उसका प्रसार किया गया। जब 1843 में टामसन उतर पश्चिमी प्रांतो के गर्वनर हुए तो उन्होंने इस नीति से हटने का निश्चय किया। उन्होने यह अनुभव किया कि अधिकांश छात्र अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उदासीन है। अत: टामसन ने आठ विद्यालयों को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर महत्वपूर्ण केन्द्रो में जैसे आगरा, वाराणसी और दिल्ली में कालेज और बरेली, अजमेर तथा सागर में विद्यालयों की स्थापना की।

सन् 1846 में टामसन ने वर्नाक्यूलर शिक्षा का संगठन करने के लिए सरकार के आगे एक योजना प्रस्तुत की सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। 1848 में टामसन ने अपनी दूसरी योजना

प्रस्तुत की जो संचालको द्वारा स्वीकार कर ली गयी। इस योजना में देशी विद्यालयों का जीर्णोद्वार तथा प्रत्येक तहसील में एक आदर्श विद्यालय करने के लिए तथा जन साधारण को सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये। 1851 में ‘हलकाबंदी स्कूल प्रणाली’ को मथुरा, आगरा, इटावा, एटा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहापुर में लागू किया गया। 1854 तक इस प्रकार के 758 स्कूलों में स्थापना हो गई थी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इस प्रदेश में पर्याप्त प्रगति हुई। 1852 में आगरा में एक नार्मल स्कूल की स्थापना की गई। इसी वर्ष आगरा में ‘सेंट जॉन्स कॉलेज ’ खोला गया। 1853 में जयनारायण घोषाल स्कूल को डिग्री कालेज में परिवर्तित किया गया।

वुड का घोषणा पत्र, 1854 -

ब्रिटिश सरकार ने अब तक यह अनुभव कर लिया था कि भारतीय शिक्षा का अधिक काल तक अवहेलना नही की जा सकती। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अब वह समय आ गया है जबकि भारतीय के लिए स्थाई शिक्षा-नीति को अपनाया जाना आवश्यक है। इन विचारों के आधार पर ही 19 जुलाई, 1854 को कम्पनी के संचालको ने भारतीय शिक्षा की नीति की घोषणा की। उस समय ‘बोर्ड आफ कण्ट्रोल’ का प्रधान चार्ल्स वुड था। इस कारण ही इस अधिकार पत्र का नाम ‘वुड डिस्पैच’ पड़ा।

यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का विशाल अभिलेख था। इसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था -

शिक्षा के उद्देश्य - शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतया राजनैतिक रखा गया। घोषणा पत्र के अनुसार ‘‘शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और भौतिक लाभो का विस्तार, बौद्धिक उन्नति, सरकारी नौकरियों के लिए विश्वस्त तथा ईमानदार आदमी तैयार करना, देश के साधनों के विकास की इच्छा उत्पन्न करना और धन तथा व्यापार में वृद्धि करना था और साथ ही हमारे (ब्रिटेन के) कारखानों के लिए कच्चा माल और हमारे सभी वर्गो के बहुत अधिक काम में आने वाली बहुत सी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना साथ ही ब्रिटेन में बनी वस्तुओं के लिए, बढ़ती हुई मांग उत्पन्न करना है।’’

शिक्षा का स्वरूप - शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करते हुए घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया- ‘‘हम दृढ़तापूर्वक घोषित करते है कि जिस शिक्षा का प्रसार हम भारत में करना चाहते है उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान दर्शन और साहित्य दूसरे शब्दों में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार है।’’

शिक्षा का अध्ययन - घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया - ‘‘हम अंग्रेजी भाषा एवं भारतीय भाषाओं दोनों को यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में देखते है। यह हमारी इच्छा है कि हम उनका भारत के सभी विद्यालयों में स्वागत करें। परन्तु घोषणा पत्र में अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दिया गया।

उच्च शिक्षा की आवश्यकता पर बल - घोषणा पत्र का सबसे प्रमुख कार्य उच्च शिक्षा की आवश्यकता को समझकर बम्बई, मद्रास तथा कलकता में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना था।

घोषणा पत्र ने शिक्षा के छनाई सिद्धान्तों को ठुकरा कर सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की नीति को अपनाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था।

उपर्युक्त नीति को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रत्येक प्रान्त में विद्यालयी शिक्षा के निरीक्षण के लिए शिक्षा के डायरेक्टर, निरीक्षक वर्ग, तथा शिक्षा विभाग की स्थापना की व्यवस्था की गई। परन्तु इस

योजना के लिए जुटाने के लिए सरकार पर ही सम्पूर्ण उतरदायित्व न डालकर आंशिक रूप से जनता और गैर-सरकारी संस्थाओं पर भी डाल दिया। इस प्रकार अनुदान प्रणाली को अपनाया गया।

वुड के घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए आर.पी. पराजये लिखते है - ''वह घोषणा पत्र सर्वसाधारण को शिक्षित बनाने का आदर्श उपस्थित नहीं करता। वास्तव में उनका उद्देश्य यह भी नही था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिए हो, शिक्षा मातृ भूमि की रक्षा के लिए हो, अथवा ऐसी शिक्षा हो जिसकी आवश्यकता एक स्वतंत्र देश के नागरिक को हो।''

7.5 स्कूली शिक्षा और आधुनिक विश्वविद्यालय (1857 से 1947 तक हुए शिक्षा के विकास)

वुड के घोषणा पत्र के प्रकाशन को केवल तीन वर्ष हुए और उसकी अधिकांश सिफारिशे अभी पूरी नही हो पाई थी कि 1857 की क्रांति प्रज्वलित हो गई। इस क्रांति के परिणामस्वरूप शिक्षा प्रसार में अधिक बाधायें आयी। क्रांति के पश्चात् कम्पनी के शासन का अन्त हो गया और 1 नवम्बर 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया।

स्टेनले का आज्ञा पत्र - लार्ड स्टेनले सर्वप्रथम भारत मंत्री बनकर आया। उसने 1857 की क्रांति का शिक्षा से क्या संबंध, तथा 1854 के घोषणा पत्र की शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया हुई यह जानने के लिए 1859 में एक नवीन आज्ञा पत्र जारी किया जो 'स्टेनले का आज्ञा पत्र कहलाता है। इस आज्ञा पत्र ने वुड के घोषणा पत्र के समस्त सिद्धान्तों का समर्थन किया। प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में इसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। आज्ञा पत्र में सुझाव दिया गया कि जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार को स्वयं प्राथमिक विद्यालयों के संगठन का भार उठाना चाहिए। अध्यापक-प्रशिक्षण पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

आदेश पत्र की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा के उत्तरदायित्व को केन्द्र से प्रान्तीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। सन् 1871 में लार्ड मेयो ने शिक्षा विभाग को प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर उन्हे शिक्षा संबंधी सभी प्रकार के व्यय करने की छूट प्रदान की।

प्राथमिक शिक्षा का विकास - 1854 के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया गया था परन्तु इस पर भी प्राथमिक शिक्षा का विकास उल्लेखनीय नही हुआ। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया। बंगाल में देशी विद्यालयों के विकास पर बल दिया गया 'हल्का बन्दी स्कूल' प्रणाली को जारी रखा गया। सहायता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण सरकारी निरीक्षको द्वारा किया जाने लगा। बंगाल के विपरीत बम्बई में देशी विद्यालयों की अवहेलना की गई। पश्चिमोतर प्रान्त में बंगाल के समान 'हल्का बन्दी योजना' का प्रचलन था। यहां गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को पर्याप्त सहायता अनुदान प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सराहनीय पग उठाये गये। अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी।

माध्यमिक शिक्षा का विकास - 1854 के पश्चात् शिक्षा का विकास तीव्रता से हुआ। शिक्षा के तीव्र विकास का मूल कारण 1844 में की गई लार्ड हार्डिंग की घोषणा थी जिसमें उन्होने कहा था कि सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाये। इस घोषणा से प्रेरित होकर अनेक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी। इस काल में तीन प्रकार के माध्यमिक

विद्यालयों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी - (क)राजकीय (ख) मिशन तथा (ग) भारतीयों द्वारा संचालित।

1854 में केवल 169 सरकारी स्कूल थे जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 18345 थी। 1882 में इन विद्यालयों की संख्या 1363 तक जा पंहुची और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 44605 तक हो गई। इन काल में अनेक मिशन विद्यालय भी खोले गये।

उच्च शिक्षा - इस काल में माध्यमिक शिक्षा के समान उच्च शिक्षा का भी तीव्रता से विकास हुआ। इन दिनों तरूणों में उच्च शिक्षा की दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही थी। 1887 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1854 में समस्त भारत में केवल 22 कॉलेज थे जो सन् 1882 में बढ़कर 72 हो गये। 1869 में 'लाहौर यूनीवर्सिटी कालेज' की स्थापना हुई। 1872 में 'म्योर सेन्ट्रल कॉलेज ' का शिलान्यास विलियम म्योर द्वारा हुआ। अवध के तल्लुकेदारों द्वारा 1864 में 'लखनऊ कैनिंग कालेज' की स्थापना हुई। सर सैयद अहमद खां ने 1875 में 'एंग्लो ओरिएन्टल कालेज' की स्थापना अलीगढ़ में की।

हण्टर कमीशन (भारतीय शिक्षा आयोग) 1882 -

1882 में सर विलियम **हण्टर** की अध्यक्षता में 'भारतीय शिक्षा आयोग' की नियुक्ति की गयी। 'विलियम हण्टर' इस आयोग के अध्यक्ष थे। अत: इसे 'हण्टर कमीशन' भी कहा जाता है।

उद्देश्य - आयोग के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि ''कमीशन का कर्तव्य होगा कि प्रमुख रूप से इस बात की जांच करना कि 1857 के घोषणा पत्र के सिद्धान्तों को किस प्रकार व्यावहारिक रूप दिया गया है, और ऐसे उपायों का सुझाव देना जो इस घोषणा पत्र में निर्धारित नीति को उत्तरोत्तर व्यावहारिक रूप देने के लिए कमीशन के मतानुसार वांछनीय प्रतीत होते है।

सिफारिशें - इस आयोग का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा की जांच करना तथा उसके विकास के साधनों का संग्रह करना था। अत: आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक अंग जैसे नीति, प्रशासन, पाठ्यक्रम, आर्थिक -व्यवस्था, अध्यापक प्रशिक्षण आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा सुधार के अनेक सुझाव दिये। प्राथमिक शिक्षा की आय के विषय में आयोग ने सुझाव दिया कि नगरपालिकायें और जिला परिषदें प्राथमिक शिक्षा के लिए पृथक कोष का निर्माण करें। व्यय के विषय में संकेत दिया गया कि ग्रामों और नगरों के प्राथमिक विद्यालयों के कोष पृथक दिए जाए।

माध्यमिक शिक्षा - आयोग ने देशी पाठशालाओं के महत्व को स्वीकार किया और सुझाव दिया कि सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त देशी विद्यालयों को प्रोत्साहित करे। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि ''सहायता अनुदान प्रणाली'' के द्वारा योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के हाथ माध्यमिक शिक्षा का उतरदायित्व सौंपकर स्वयं को शीघ्र से शीघ्र मुक्त कर लेना चाहिए। पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जाए – A Course जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए हो तथा – B Course का मूल उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना हो।

उच्च शिक्षा - यद्यपि शिक्षा आयोग के विचाराधीन क्षेत्र में नही थी, इस पर भी विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग के अनुसार कॉलेजों को आर्थिक सहायता

प्रदान करते समय अध्यापको की संख्या, उनका व्यय, उनकी कार्य-दक्षता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाये।

स्त्री-शिक्षा - आयोग ने उल्लेख किया कि ''यह स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा अभी तक पर्याप्त पिछड़ी हुई दशा में है। अत: इस बात की आवश्यकता है कि इसका यथा संभव पोषण किया जाए।'' इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालिका विद्यालयों को जितनी सहायता मिल रही है उससे अधिक सहायता प्रदान की जाये। जिस क्षेत्रों में बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों की मांग है वहां सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाये।

मुस्लिम शिक्षा - हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान शिक्षा में पिछड़े हुए थे अत: मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि मुसलमान छात्रो को छात्र वृतियां दी जायें तथा मुस्लिम अध्यापको के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। जो शिक्षा संस्थाये मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करती है उन्हे सरकार द्वारा मान्यता तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

उपर्युक्त सिफारिशों के अतिरिक्त आयोग ने हरिजन और पर्वतीय जातियों में शिक्षा विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत किये।

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति (1899-1905) -

20वीं शताब्दी का प्रारम्भिक चरण भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखता है। यह वह समय था जबकि देश राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत हो रहा था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय जन-मानस अपनी संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के प्रति विशेष लगाव का अनुभव कर रहा था। ऐसे राष्ट्रीयता के वातावरण में लार्ड कर्जन 1899 में भारत में वाइसराय के पद पर नियुक्त हुए। कर्जन स्वभाव से स्वेच्छाचारी तथा सभ्यता के अनन्य भक्त थे। 1901 में उन्होंने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की जिसकी प्रमुख बाते इस प्रकार है - (1) ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा से अपने को अलग नहीं करेगी और शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में उसका नियंत्रण बना रहेगा। (2) केन्द्र सरकार ही शिक्षा नीति का निर्धारण व संचालन करेगी। (3) आदर्श रूप से स्थान-स्थान पर सरकार द्वारा विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। (4) पूर्व की अपेक्षा सरकार शिक्षा पर अधिक धन व्यय करेगी।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1902 - शिक्षा सुधारों में लार्ड कर्जन ने सर्पप्रथम विश्वविद्यालय सुधारों की ओर ध्यान दिया। इस बीच संबंधित कॉलेजों और छात्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों का स्तर भी गिरता जा रहा था। संगठन संबंधी अनेक समस्याये उत्पन्न हो गयी थी। अत: भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार करने के लिए कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग' की नियुक्ति की।

आयोग के निम्न लिखित सुझाव थे :-

1- विश्वविद्यालयों के विधान में इस ढ़ंग से परिवर्तन किया जाए जिससे कि वे कुछ सीमा तक शिक्षण कार्य भी कर सके।

2- सीनेट तथा सिण्डीकेट का पुनसंगठन किया जाए।

3- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के योग्य तथा प्रतिभावान अध्यापकों को सीनेट में उचित प्रतिनिधित्य दिया जाए।

4- कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के नियम कठोर रखे जाये।

5- इण्टरमीडिएट परीक्षा समाप्त कर दी जाए तथा मैट्रीकुलेशन का स्तर ऊंचा किया जाए। बी.ए. के पाठ्यक्रम को तीन वर्ष का कर दिया जाए।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 - इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों के संगठन, कार्य क्षेत्र तथा प्रशासन आदि में परिवर्तन किए गए। विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। अब उन्हे परीक्षा लेने के अतिरिक्त शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधा जुटाने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि सीनेट के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 रहेगी। इनकी अवधि आजीवन के स्थान पर 5 वर्ष कर दी गयी। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों में 20 तथा अन्य 15 फैलो चुन जायेगें। विश्वविद्यालयों की सिण्डीकेंटो को कानूनी स्वीकृति भी प्रदान की गयी। गवर्नर जनरल की परिषद् को भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक क्षेत्र सीमा को भी निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार हम देखते है कि अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र का पूर्व की अपेक्षा अधिक विस्तार हो गया।

प्राथमिक शिक्षा और लार्ड कर्जन - लार्ड कर्जन के अनुसार, ''प्राथमिक शिक्षा से मेरा तात्पर्य जनसाधारण को मातृभाषा की शिक्षा प्रदान करना है। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो समझते है कि सरकार ने इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन नही किया है।'' कर्जन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक विकास किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको को कृषि का सामान्य ज्ञान प्रदान करना भी आवश्यक है। अध्यापको के प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम के सुधार की ओर ध्यान देना आवश्यक है। लिखने -पढ़ने तथा गणित के अतिरिक्त कृषि को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए।

कर्जन और माध्यमिक शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। अत: लार्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा उसके शिक्षणस्तर को ऊंचा उठाने के लिए 1882 से चली आ रही नीति का परित्याग कर एक नवीन नीति को अपनाया। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में नियमों में परिवर्तन किया गया। शिक्षण स्तर को ऊंचा-ऊंचा उठाने के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षित अध्यापक रखने का आदेश दिया गया तथा प्रत्येक जिले में एक राजकीय विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई।

कृषि शिक्षा - कर्जन ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि शिक्षा को अब तक उपेक्षित किए जाने पर खेद प्रकट किया। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रान्त में कृषि विभाग की स्थापना की गयी। प्रत्येक प्रान्त में कृषि कॉलेज की स्थापना पर भी बल दिया गया। कृषको को कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट कक्षाएं खोलने का भी सुझाव दिया।

केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना - वुड के घोषणापत्र के आधार पर प्रान्तो में शिक्षा विभागों की स्थापना हो चुकी थी परन्तु अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो केन्द्रीय सरकार को शिक्षा संबंधी सलाह दे सके। इस अभाव की पूर्ति के लिए लार्ड कर्जन ने 'केन्द्रीय शिक्षा-विभाग' की स्थापना की।

विदेशो में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों का आयोजन – लार्ड कर्जन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य योग्य और कुशल छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करके विदेशों में सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्साहित करना था।

पुरातत्व विभाग की स्थापना करना - कर्जन को ऐतिहासिक भवनो से विशेष प्रेम था। उसने उनकी सुरक्षा तथा देखभाल के लिए 'पुरातत्व विभाग' की स्थापना की तथा उनके संरक्षण के लिए 'प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम' भी पारित किया।

इस प्रकार हम देखते है कि राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से लार्ड कर्जन चाहे जितना भी उग्र तथा कठोर विचारधारा का रहा हो परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उसके कार्यो की अवहेलना नहीं की जा सकती। श्री नुरूल्ला व नायक के शब्दों में ''कर्जन ने जो कार्य सात वर्षो में किये, उन्हे कोई अन्य व्यक्ति नियमित रूप से दुगुने या तिगुने समय में करता।''

7.6 राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर प्रभाव

कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रचण्ड लहर उठने लगी थी। इसका मूल कारण अब तक अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दमन और शोषण की नीति थी। रही-सही कसर लार्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने पूरी कर दी। भारतीयों के प्रति उसके द्वारा किए गए उदण्ड तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार ने अग्नि में घी का कार्य किया। भारतीय जनता अंग्रेजों को अपना शोषक समझने लगी तथा तथा उनका कार्य राष्ट्र विरोधी माना जाने लगा।

बंगाल-विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 के 'कलकत्ता अधिवेशन' में कांगेस ने 'राष्ट्रीय आन्दोलन' को प्रारम्भ किया। इस अधिवेशन में 'राष्ट्रीय शिक्षा' की मांग भी रखी गयी। राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध 1906 में एक प्रस्ताव पास किया कि ''सम्पूर्ण राष्ट्र में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन किया जाए जो भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।'' एनी बेसेन्ट और महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा के आंग्लीकरण का तीव्रतम विरोध किया तथा देश की दुर्दशा का उसे मूल कारण बताया। उसके विचार में भारतीय एक राष्ट्र के रूप में उस समय ही प्रगति कर सकते है जबकि शिक्षा का स्वरूप भी राष्ट्रीय होगा और जब वह अपना विदेशी स्वरूप त्याग कर स्वदेशी हो जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप - राष्ट्रीय नेताओं का विचार था कि भारतीय शिक्षा को पूर्णतया भारतीयों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। एनीबेसेन्ट के शब्दों में ''भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का नियंत्रण हो, उसकी रूपरेखा भारतीयों द्वारा निर्धारित की जाए तथा उसका प्रबंध भी भारतीयों के हाथ में हो।'' दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया भारतीय आदर्शो और संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। भारत के लिए भारतीय आदर्श और विचार अनुकूल हो सकते है उन्हें ही भारतीय शिक्षा का आधार बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक इस बात को समझते थे कि पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की उपेक्षा करना हानिकारक होगा। पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के अध्ययन द्वारा ही भारत की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति हो सकती है। लाला लाजपतराय के शब्दों में ''यूरोपियन भाषाओ, साहित्य एवं विज्ञानों के अध्ययन की भारत में प्रोत्साहन न देना मुढता और पागल पन होगा। अभी हमें उनका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नही हुआ है।''

उस काल की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष केवल पुस्तकीय और सैद्धान्तिक होना था। ब्रिटिश सरकार व्यावसायिक शिक्षा की पूर्णतया उपेक्षा कर रही थी। इस दोष को दूर करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित करने पर विशेष रूप से बल दिया।

राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और शिक्षा का विकास 1905-21 - 1905 ई. के बंगाल विभाजन ने देशभर में रोष उत्पन्न कर दिया। भारतीय छात्रों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए स्थान-स्थान पर प्रदर्शन किए। सरकार ने भी तीव्रता के साथ अपना दमन चक्र चलाया तथा विद्यालयों से छात्रों को निकाल देने की धमकी भी दी गयी। छात्रों ने स्वयं की इच्छा से सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करना आरम्भ कर दिया। ऐसी दशा में आन्दोलन में भाग लेने वाले छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक था।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बंगाल में 'गुरूदास बनर्जी' की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय शिक्षा समिति' की स्थापना की गयी। इस समिति में बंगाल ने 'राष्ट्रीय हाई स्कूलो' का निर्माण किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर और दास बिहारी घोष के सम्मिलित प्रयासो से 'नेशनल कॉलेज ' की स्थापना हुई। ''आर्य प्रतिनिधि सभा'' ने वृन्दावन और हरिद्वार में गुरूकुल की स्थापना की। 1906 में मुस्लिम लीग की प्रेरणा से अनेक मुस्लिम संस्थाओं का भी निर्माण हुआ। 1911 में बंगाल-विभाजन रद्द हो गया अत: राष्ट्रीय आन्दोलन में मन्दता आ गयी।

1920 में राष्ट्रीय आन्दोलन पुन: आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के मूल कारण थे रौलेट एक्ट और अमृतसर का जलियांवाला कांड। इनका विरोध करने के लिए अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'असहयोग आंदोलन' का प्रारम्भ हुआ। गांधी जी ने नवयुवको से अपील की कि वे सरकार विद्यालयो का बहिष्कार करे । गांधी जी की इस अपील के परिणामस्वरूप सहस्त्रों छात्रों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया। अत: राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की पुन: आवश्यकता पड़ी। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय संस्थाओं ने जन्म लिया।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण की मांग की परन्तु वे अपने प्रयास में सफल न हो सके। अत: उन्होने विरोध में आन्दोलन छेड़ दिया। मौलाना मुहम्मद अली ने आन्दोलनकारी छात्रों की शिक्षा व्यवस्था करने के लिए अलीगढ़ में ''जामिया-मिलिया इस्लामिया'' नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की।

''जामिया-मिलिया इस्लामिया'' की स्थापना का देश के विभिन्न भागों में भी अनुकरण किया गया ओर चार मास के अन्दर ही अन्दर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों का जाल सा छा गया। काशी-विद्यापीठ, गुजरात-विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र-विद्यापीठ, तथा राष्ट्रीय विद्यालय इसके उदाहरण है। इस प्रकार 1922 तक राष्ट्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 1257 हो गई थी, जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 80,464 तक हो गई।

कलकता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन)

समय बीतने के साथ-साथ, विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर निम्नतर होता गया। अत: सन् 1917 में लार्ड चेम्सफोर्ड ने माइकेल सेडलर के सभापतित्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आयोग ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किय। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए इण्टर कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिए सुझाव दिया - यथा संभव शीघ्र से शीघ्र ढाका में एक 'सावास ओर शिक्षण' विश्वविद्यालय की स्थापना की जो। कलकता नगर की शिक्षा-संस्थाओं का संगठन इस ढंग से किया जाए कि वास्तविक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके।

भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंधमें आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों पर आवश्यकता से अधिक सरकारी नियंत्रण अनुचित है, अत: उन्हे यथासंभव अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। 'सीनेट व सिंडीकेट' के स्थान पर क्रमश: कोर्ट व कार्य कारिणी समिति एवं एकेडेमिक समिति' की स्थापना की जानी चाहिए। उपकुलपति का पद वैतनिक हो। विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाये अर्थात् -इंजीनियरिंग, व्यावसायिक शिक्षा, अध्यापन, डाँक्टरी, कानून तथा कृषि आदि। एक 'अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड' की स्थापना आवश्यक है। इस बोर्ड का कार्य विश्वविद्यालयों में सामंजस्य स्थापित करना हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाये।

हार्टोग समिति, 1929 - जब यह सन् 1927-28 में भारतीयों की प्रगति की जांच के लिए नियुक्त हुआ, तब इस कमीशन ने भारत में शिक्षा की उन्नति की जांच करने के लिए सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने देश की तत्कालीन शिक्षा को व्यापक दृष्टि से अवलोकन करके 11 सितम्बर 1929 को अपनी शिक्षा संबंधी रिपोर्ट साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत की। समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त अवहेलना की गई है। इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा केवल उच्च शिक्षा की ओर ध्यान देना है।

प्राथमिक शिक्षा के विकास की मन्दता का प्रमुख कारण, कमेटी के अनुसार 'अपव्यय व अपरोधन' है। अत: यह आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर बल देने की अपेक्षा गुणात्मक प्रगति पर बल दिया जाये। समिति ने दूसरा सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप यथा संभव ठोस बनाने की नीति अपनाई जाए तथा प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाए।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में सुझाव दिया गया कि इसके गिरते स्तर को उठाने का यथासंभव प्रयास हो। इसके लिए पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाए और उसमें औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया जाए। इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एकात्मक और संबंधक विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाए। सुसमृद्ध पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान कार्यो की विश्वविद्यालयों में व्यवस्था की जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों के प्रवेश नियमों में कठोरता रखी जाए।

एबट वुड रिपोर्ट, 1936-37 -

'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 'ऐबट-वुड' समिति की नियुक्ति की। इस समिति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए जांच कर सुझाव देना था। समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह दो भागों में विभाजित थी - (क) वुड द्वारा प्रतिपादित सामान्य शिक्षा पर रिपोर्ट (ख) ऐक्ट द्वारा लिखी गई व्यावसायिक शिक्षा पर रिपोर्ट।

समिति ने भारतीय शिक्षा के सुधार के विषय में जो सुझाव प्रस्तुत किये वे अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रेरणाप्रद थे। शिक्षा के संख्यात्मक विकास की अपेक्षा गुणात्मक विकास पर बल देकर शिक्षा स्तर को उंचा उठाने का प्रयास किए गए। ऐबट और वुड ने जो कुछ भी सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा पर सुझाव प्रस्तुत किये वे तत्कालीन परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल थे। इस समिति की सिफारिशों के कारण ही भविष्य में पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को स्थान मिल सका।

सर्जेण्ट योजना, 1944

सन् 1944 में ''वाइसराय की प्रबन्धकारणी काउंसिल की पुननिर्माण समिति' ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सलाहकार 'सर जान सार्जेण्ट' को आदेश दिया कि वे भारत में युद्धोतर शिक्षा विकास पर एक 'स्मृति पत्र' प्रस्तुत करें। सर जान सार्जेण्ट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और सन् 1944 में उसे केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट 'सार्जेण्ट योजना' या 'युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना' के नाम से पुकारी जाती है।

सार्जेण्ट योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना था जिसका मूल आधार भारतीय हो तथा समस्त देश की शैक्षिक आवश्यकताओं की विवेचना करते हुए इस बात का सुझाव देना कि योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यह योजना अत्यन्त विस्तृत योजना थी जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तर तथा अंगो पर विस्तार से विचार किया गया था। योजना में सुझाव दिया गया-राष्ट्रीय शिक्षा योजना उस समय ही सफल हो सकती है जबकि पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना व्यापक स्तर पर की जाएगी। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना 6 वर्ष तक के बालको के लिए की जाए।

प्राथमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा के विषय में सुझाव दिया गया - 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालको के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान करने के लिये उपस्थिति निरीक्षक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए। बेसिक शिक्षा का आधार हस्त-शिल्प हो परन्तु शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के सिद्धान्त को न माना जाए।

योजना के अनुसार हाईस्कूल की शिक्षा 11 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु के बालको के लिए हो। 40 प्रतिशत छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाए तथा योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की व्यवस्था हो। इस स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा रखा जाए और अंग्रेजी को द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया जाए। हाईस्कूल दो प्रकार के हो- (क) साहित्यिक हाईस्कूल (ख) प्राविधिक हाईस्कूल।

विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट के सुझाव थे कि इण्टरमीडिएट को समाप्त करके उनकी 11वीं कक्षा को हाईस्कूल में जोड़ दिया जाए और 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में प्रवेश के कड़े नियम हो। ट्यूटोरियल प्रणाली को प्रारम्भ किया जाए। रिपोर्ट के मत में प्रजातंत्र के आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। स्त्री और पुरूष दोनों के लिए अलग-अलग प्रौढ़ विद्यालय हो। प्राविधिक, वाणिज्य एवं कला संबंधी शिक्षा के लिए पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक विद्यालयों का प्रबंध किया जाए। शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त छात्रों के स्वास्थ्य, विकलांग छात्रों की शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक क्रियाएं, शिक्षा का प्रशासन आदि पर भी योजना में विचार किया गया।

यह योजना ब्रिटिश भारत की सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा की योजना थी तथा सरकार द्वारा इस दिशा में उठाया गया प्रथम कदम था। इस योजना में न केवल भारतीय शिक्षा के दोषों पर ही प्रकाश डाला गया था वरन् उनके सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। के.जी. सैयदीन के शब्दों में ''राष्ट्रीय शिक्षा की यह प्रथम व्यापक योजना है। यह इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि भारत, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रो से पिछड़ा हुआ रहेगा। यह योजना इस विकास पर आधारित है कि अन्य देशों के समान इस देश में भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने की क्षमता है।''

परन्तु अनेक भारतीय विद्धानों ने इस योजना की तीव्र आलोचना भी की। उनके अनुसार इस योजना में कोई मौलिकता या नवीनता नही थी वरन् वह केवल पूर्ण घोषणा-पत्रो, योजनाओं तथा प्रतिवेदनों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सुझावो का संग्रह पात्र है। योजना निर्माताओं का विचार था कि 40 वर्ष के अन्दर इस योजना को पूरा कर दिया जाएगा। परन्तु 40 वर्ष की अवधि एक पर्याप्त लम्बी अवधि होती है अत: यह योजना वास्तव में वर्तमान सुधारो की आवश्यकता की अवहेलना करने का बहाना ढूंढना मात्र थी।

7.7 सारांश

सारांश में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने प्राचीन परम्पराओ और स्थापित विश्वासों को कमज़ोर कर दिया और एक नई सभ्यता और संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया | आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी या पश्चिमी शिक्षा से अभिहित किया जाता है| प्राचीन काल में भारत में शिक्षा कि समुचित व्यवस्था थी | परन्तु उपनिवेषवाद के कारण पारम्परिक शिक्षा प्रणाली समाप्त हो गई और उसका स्थान आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा ने ले लिया | अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में विभिन्न विभिन्न कमेटी और कमीशन के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला और स्कूली शिक्षा और आधुनिक विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ|

7.8 शब्दावली

- **दृढतर-** मजबूत
- **बीजारोपण-** शुरुआत करना
- **नगर रक्षक-** नगर की रक्षा करने वाले
- **सूत्रपात होना-** उदय होना, जन्म होना
- **अवहेलना करना-** नजरंदाज करना
- **तरुणों-** युवाओं
- **उत्तरोंतर-** एक के बाद एक
- **आजीवन-** जीवन भर
- **संरक्षण करना-** देख रेख करना
- **मूढता-** मूर्खता
- **बहिष्कार करना-** विरोध करना
- **वैतनिक-** कार्य के बदले धन(वेतन) दिया
- **सामंजस्य-** आपसी मेल-जोल

7.9 बोध प्रश्न

1. भारत में तत्कालीन शिक्षा का क्या स्वरुप था ?

2. भारत की पारम्परिक शिक्षा प्रणाली पर उपनिवेषवाद का क्या प्रभाव पड़ा ?

3. मिशनरी विद्यालयो की क्या विशेषताएँ थी ?

4. औपनिवेशिक शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ ?

5. मैकाले के विवरण पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ?

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- घोष, एस.सी., (**2001**), " प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास ",मुंशीराम मनोहरलाल प्रकाशन**,** दिल्ली |
- शर्मा,एस.आर., "आधुनिक भारत में शिक्षा का इतिहास और विकास ", (2004),नेहा प्रकाशन, दिल्ली |
- शर्मा, आर.एन. और शर्मा, आर.के., "भारत में शिक्षा का इतिहास ", (2004),एटलानटिक प्रकाशन, नई दिल्ली |
- शर्मा,राम नाथ, "भारत में शिक्षा का इतिहास ", (2007),शुभी प्रकाशन, दिल्ली|
- अग्रवाल,एस.पी., "भारत में शिक्षा का विकास ",(1999),कंसेप्ट प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली |
- सिंह,योगेश कुमार," भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास ''(2007),ए.पी.एच प्रकाशन |
- आचार्य, परमेश., " देशज शिक्षा औपनिवेशिक विरासत और जातीय विकल्प '',(2000) शिल्पी इंडिया प्रकशन, दिल्ली |
- कुमार,कृष्ण., " गुलामी कि शिक्षा और राष्ट्रवाद",(2013) शिल्पी इंडिया प्रकशन, दिल्ली|
- Agarwal,J.C.,," Landmarks in the History of Modern Education'',(2007), Vikas Publishing House, Noida
- दयाल,बी., **1953** भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास
- मुखर्जी, एस.एन**, 1957** भारत में शिक्षा का इतिहास
- नूरुल्लाह और नायक, **1956** भारत में ब्रिटिश काल के समय शिक्षा का इतिहास
- बासु, अपर्णा **1985** भारत में शैक्षणिक और राजनैतिक विकास

इकाई - 8

शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्य

(लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ एवं शिक्षा की भूमिका, समाज का सामाजिक पैटर्न, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा की भूमिका)

Personal, Social and National goal of Education

(Meaning of Democracy, secularism, multiculturalism and role of education, Democracy and social pattern of society. role of education in national integration and emotional integration)

इकाई रुपरेखा

8.1. प्रस्तावना

8.2. उद्देश्य

8.3. शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य

 8.3.1 शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ

 8.3.2 शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप

 8.3.3 वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क

8.4 शिक्षा में सामाजिक

 8.4.1 शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का अर्थ

 8.4.2 सामाजिक उद्देश्य के रूप

 8.4.3 सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क

8.5 शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य

 8.5.1 शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य

8.6 लोकतंत्र

 8.6.1 लोकतंत्र की अवधारणा

 8.6.2 लोकतंत्र की परिभाषाएँ

8.6.3 लोकतंत्र के सिद्धांत

8.6.4 लोकतंत्र की मान्यताएँ

8.6.5 लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता

8.6.6 लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य

8.6.7 लोकतंत्र में शिक्षक का स्थान

8.7 धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा

8.7.1 धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएँ

8.7.2 धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य –

8.7.3 धर्मनिरपेक्षता के कारक

8.7.4 धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय के कार्य

8.8 बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ एवं शिक्षा की भूमिका

8.8.1 बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ एवं आशय

8.8.2 बहुसंस्कृतिवाद की आवश्यकता

8.8.3 बहुसंस्कृतिवाद में शिक्षा की भूमिका

8.9 समाज के सामाजिक प्रतिमान

8.9.1 सामाजिक प्रतिमान का आशय एवं परिभाषाएँ

8.9.2 सामाजिक प्रतिमान के रूप

8.9.3 समाज की सामाजिक संरचना

8.10 राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा की भूमिका

8.10.1 राष्ट्रीय एकता का अर्थ

8.10.2 राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता

8.10.3 राष्ट्रीय एकता में बाधक शक्तियाँ

8.10.4 राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका

8.10.5 भावनात्मक एकता का अर्थ

8.10.6 भावनात्मक एकता की आवश्यकता

8.10.7 भावनात्मक एकता में शिक्षा का योगदान

8.11 सारांश

8.12 शब्दावली

8.13 निबंधात्मक प्रश्न

8.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

8.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्याय में शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्य, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा में समावेश, बहुसंस्कृतिवाद सहित समाज के सामाजिक पैटर्न, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख किया गया है |

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप;-

- शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों के बारे में जान पाएंगे |
- लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, परिभाषा, मान्यताएं, आवश्यकता आदि के बारे में बता सकेंगे |
- बहुसांस्कृतिवाद के बारे ने बता पाएंगे|
- सामाजिक प्रतिमान तथा राष्ट्रिय एकता का आशय तथा शिक्षा में इनकी भूमिका को जान सकेंगे|
- भावनात्मक एकता का अर्थ, आवश्यकता तथा भावनात्मक एकता में शिक्षा के योगदान को बता सकेंगे |

8.3 - शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य

प्रस्तावना–शिक्षा का जीवन से घनिष्ठ संबंध होने के कारण शिक्षा के उद्देश्य वास्तविक जीवन पर आधारित होते है | प्रत्येक समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण विभिन्न पक्षों जैसे – जैविक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं नैतिक सिद्धांतों के साथ-साथ व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओ, आकांक्षाओं और मूल्यों को आधार बनाकर किया जाता है|

8.3.1 शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ–संसार के विभिन्न समाजों मेंप्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों पर किसी न किसी रूप में विचार होता रहा है | आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति ने इस उद्देश्य पर खास तौर से बल दिया है | इस विचार के समर्थक रूस, फ्राबेल, पेस्तोलोजी और नन है | नन ने व्यक्ति के महत्व पर बल देते हुए लिखा है – शिक्षा को ऐसी दशायें उत्पन्न करना चाहिए, जिनसे वैयक्तिकता का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सकें |

शिक्षा के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य, समाज, शिक्षा संस्थाओं आदि सभी को प्रयत्न करना चाहिये | उन्हें बालकों की रुचियों, प्रवत्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न करना चाहिए कि बच्चों का पूर्ण विकास हो और वे भविष्य में सुखी जीवन व्यतीत कर सकें | सभी का एक मात्र यही उद्देश्य होना चाहिए की बालकों को स्वतंत्र रूप से अपनी प्रगति का पूर्ण अवसर प्रदान कराना|

8.3.2 शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप- शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के दो रूप है – (१) आत्माभिव्यक्ति (2) आत्मानुभूति |

आत्माभिव्यक्ति- जो शिक्षा शास्त्री वैयक्तिक विकास को प्रमुख मानते है, उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति है| जिसमें वे आत्म-प्रकाशन पर अधिक बल देते है| उनके अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का कार्य या व्यवहार कर सकता है| इसके अंतर्गत समाज के लाभ या हानि पर ध्यान नहीं दिया जाता है|

आत्मानुभूति–एडम्स का कथन है की "आत्मानुभूति के आदर्श में व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है| " इस प्रकार आत्मानुभूति के उद्देश्य में समाज और सामाजिक व्यवहार के महत्व को स्वीकार किया जाता है|

8.3.3 वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क–वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते है|

1. प्रजातंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना होना चाहिए|
2. संसार की सभी अच्छी बातों की उत्पत्ति मनुष्य के स्वतंत्र प्रयत्न से हुई है अत: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का हित और उसका पूर्ण विकास होना चाहिए|
3. संसार का हर प्राणी अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्र और प्रयत्नशील है अत: व्यक्ति को भी अपने विकास का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए|
4. प्रत्येक व्यक्ति की मूल-प्रवृत्तियों को ध्यान में रख कर ऐसी दशाओं का निर्माण किया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास हो सके|
5. नन के अनुसार – "वैयक्तिकता जीवन का आदर्श है| शिक्षा की किसी भी योजना का महत्व उसकी उच्चतम वैयक्तिक श्रेष्ठता का विकास करने की सफलता से आँका जाना चाहिए|"

अभ्यास प्रश्न -

संक्षिप्त में उत्तर दीजिए|

1. शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट कीजिये
2. शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के कौन-कौन से रूप है|

8.4 शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य

प्रस्तावना–शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को शिक्षा का सामाजिक और नागरिकता का उद्देश्य भी कहा जाता है| इस उद्देश्य के अनुसार समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से ऊँचा है| समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अपना विकास कर सकता है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है|

8.4.1 शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का अर्थ- शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है –सामाजिक कुशलता की प्राप्ति| इसलिए शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना है और इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है की वह अन्य नागरिकों और राज्यों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को सम्मान दे और समाज पर भार नहीं बने|

8.4.2 सामाजिक उद्देश्य के रूप–शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य तीन रूपों में मिलता है| (1) सामान्य, (2) उग्र, (3) उदार|

1. **सामाजिक उद्देश्य के सामान्य रूप-** के अंतर्गत सामाजिकता और सहयोग उत्पन्न किया जाता है, जो जीवन की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए आवश्यक है| समाज से दूर रहकर व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह और विकास नहीं कर सकता है | रेमांट ने लिखा है – "समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है | " इसलिए जब तक मानव सामाजिक प्राणी है, वह समाज में सामाजिक संबंधो द्वारा जीवित रहता है और अपना विकास करता है|
2. **सामाजिक उद्देश्य के उग्र रूप-** सामाजिक उद्देश्य के उग्र रूप के समर्थकों का मानना है कि राज्य व्यक्ति और उसकी आवश्यकताओं से श्रेष्ठ है | राज्य को व्यक्ति से सम्बन्धी समस्त बातों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए| शिक्षा के विषयों और विधियों को राज्य के द्वारा ही तय किया जाना चाहिए |
3. **सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप**– उदार रूप में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाज सेवा और नागरिकता के लिए होना चाहिए | यह शिक्षा सामाजिक हित का विचार करती है और इस बात पर बल देती है की विद्यालयों में विभिन्न विषयों और सामाजिक कार्यों के द्वारा विद्यार्थियों को नागरिकता की शिक्षा दी जाए | लिस्टर स्मिथ का कथन है की – स्कूल को व्यापक कार्य करना चाहिए | उसे निश्चित रूप से सामाजिक दायित्व और समाज के प्रति भक्ति का निर्माण और विकास का कार्य करना चाहिये |

8.4.3 सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क -सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क इस प्रकार है |

1. मनुष्य का जन्म, विकास और पोषण समाज में होता है | अत: उसे समाज के लिए बलिदान करने से संकोच नहीं करना चाहिए|
2. मनुष्य के जीवन के लिए समाज अनिवार्य है | समाज ही उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है | समाज से अलग उनका जीवन असंभव है| उसे समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए |
3. मनुष्य वंशानुक्रम से केवल पाशविक प्रवृतियों को प्राप्त करता है | सामाजिक पर्यावरण ही उसे मानव बनाता है | अत: शिक्षा में सामाजिक हित पर बल दिया जाना चाहिए |
4. समाज में रहकर मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है और भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करता है | जिसके फलस्वरूप उसकी विभिन्न शक्तियों का विकास होता है |
5. समाज ही मनुष्य को उसके एकाकी जीवन को सामूहिक जीवन में बदलने का अवसर देता है | सामूहिक जीवन ही उसे नई खोज और आविष्कार का अवसर देता है जिसके फलस्वरूप उसका जीवन अधिक उत्तम बनता है |

अभ्यास प्रश्न -

संक्षिप्त में उत्तर दीजिए|

1. शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए |
2. शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क दीजिए |

8.5 - शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य

प्रस्तावना -आज हमारे राष्ट्रको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है | ये समस्याएं निम्न है – जैसे अमीर और गरीब, सुविधा प्राप्त और सुविधा हीनों, शहरी और ग्रामीण लोगों, शिक्षित

और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच आज दूरी बढ़ती जा रही है | स्थानीय, प्रादेशिक, भाषा और वर्ग की छोटी मानसिकता राष्ट्रीय एकता एवं भावना को कमजोर बना रही है| अत: शिक्षा रूपी साधन से ही इन समस्याओं से निजात पाकर देश वासियों में राष्ट्रीय एकता और चेतना को जागृत किया जा सकता है |

8.5.1 शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य–शिक्षा के निम्न राष्ट्रीय उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है |

1. **लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास**– लोकतंत्र में नागरिकों को एक कठिन दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है | माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार " लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौती पूर्ण दायित्व है| जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए | साथ ही उसमे बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण भी निहित हो और जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नही की जा सकती है | " इसलिए इन गुणों को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है और यह प्रशिक्षण शिक्षा द्वारा ही दिया जाना संभव है | शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्तियों में अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता. सहिष्णुता तथा धर्मनिरपेक्षता का विकास किया जा सकता है |
2. **उत्पादकता में वृद्धि करना**– प्रत्येक देश के नागरिको को जीवित रहने के लिए में खाद्य पदार्थो की आवश्यता होती है और उसमें आत्मनिर्भरता एक अनिवार्यता दशा है | आज भारत में इसकी कमी है | इसके साथ ही देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं रोजगार की भी समस्या है | ऐसी दशा में शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना एक अनिवार्य आवश्यक है | शिक्षा और उत्पादकता में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए निम्न कार्य किये जाना चाहिए | विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति के मूल रूप में गृहण किया जाये | कार्य अनुभव को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाये | उद्योग, कृषि तथा व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाये | विश्वविद्यालय स्तर पर कृषिकला, शिल्पकलाऔर संबद्ध विज्ञानों की शिक्षा और शोध में सुधार किया जाये |
3. **सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति**–हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने शिक्षितों एवं अशिक्षितों तथा बुद्धिजीवी वर्ग एवं साधारण लोगों के बीच में दूरी बना दी है| ऐसी दशा में देश में राष्ट्रीय और सामाजिक एकता की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है| अत: शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय और सामाजिक एकता की प्राप्ति होना चाहिए | इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयीन शिक्षा में राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा कार्य एवं भाषा साहित्य, धर्म और दर्शन के विकास के साथ राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए | इसके साथ ही विद्यार्थियों को वास्तु कला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक से भी भलीभांति परिचित कराया जाये |
4. **आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति को बढ़ाना**–आज का समाज विज्ञान की तकनीकों पर आश्रित है | इन तकनीकों ने केवल उत्पादन को ही नहीं बढ़ाया बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया है| इन दशाओं में हुए परिवर्तन को ही सामान्य रूप में आधुनिकीकरण कहा जाता है | आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को शिक्षा के द्वारा अधिक तीव्र बनाया जा सकता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही कुशल

और प्रशिक्षित नागरिक तैयार किये जाते है | शिक्षा के बिना राष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं नवीन चुनोतियों का सामना किया जाना संभव नहीं है|

5. **सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना**– शिक्षा आयोग ने आधुनिकीकरण के साथ-साथ शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना भी निर्धारित किया है| अत: इन मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है | विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा देने के लिए समय सारणी निश्चित की जाये | विद्यार्थियों में लिखने, विचार करने और भाषण देने की कला विकसित की जाये | शिक्षा के द्वारा ही विद्यार्थियों में प्राचीन परम्पराओं, रीति-रिवाजो में विश्वास करने एवं नवीन विचारों को गृहण करने की क्षमता विकसित होती है |
6. **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के अनुसार** - शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य में शिक्षा द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तैयार किया जाता है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में – जैसे राजनीति, प्रशासन, उद्योग आदि में सही नेतृत्व कर सकें | शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना है |
7. **माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के अनुसार**–शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में निम्न गुणों का विकास किया जाता है जैसे – लेखन, भाषण, अनुशासन, सहयोग, देशप्रेम, नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तथा नवीन विचारों को स्वीकार करने की क्षमता विकास किया जाता है |
8. **शिक्षा आयोग(1964-66) के अनुसार** - शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करने पर बल दिया है |
9. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार** - शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है सभी के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय मूल्यों एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव विकसित करना प्रमुख है|

हमारी शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो देशप्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हो साथ ही भावी चुनौतियों एवं कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता रखता हो | ताकि वह एक शिक्षित एवं योग्य नागरिक के रूप में लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा सके |

अभ्यास प्रश्न –

संक्षिप्त में टिपण्णी लिखिए |

1 शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों की सूची बनाओ|

2 माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन-कौन से हैं |

8.6 लोकतंत्र (Democracy)

प्रस्तावना - आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है| लोकतंत्र को भारतीयों ने शासन तथा जीवन शैली दोनों ही रूपों में स्वीकार किया गया है| लोकतंत्र को समस्त शासनों में उच्च स्थान प्राप्त है | जब देश

में लोकतांत्रिक संगठन नहीं है तो हम उसको वास्तविक रूप में लोकतंत्र का नाम नहीं दे सकते है| समाज की रचना लोकतांत्रिक आधार पर तभी हो सकती है जब समानता और बंधुत्व की भावनाओं का समावेश हो | इसके साथ ही वर्ग, जन्म या संपत्ति पर आधारित समस्त भेदों का अभाव हो |

8.6.1 लोकतंत्र की अवधारणा–लोकतंत्र या प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन| डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द "डेमोस" और क्रेटोस से बना है | डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति | अत: लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथ न रहकर जन साधारण में निहित होती है | वर्तमान में लोकतंत्र को इसके विभिन्न रूपों – जैसे शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जीवन दर्शन में देखा जाता है |

8.6.2 लोकतंत्र की परिभाषाएँ-

1. अब्राहिम लिंकन– लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनताके लिए तथा जनता द्वारा हो |

2. डायसी– लोकतंत्र वह समाज है जिसमे अधिकारों की साधारण समानता तथा स्थिति की, विचारों की भावनाओं की तथा आदर्शों की समानता पायी जाती है |

8.6.3 लोकतंत्र के सिद्धान्त–लोकतंत्र इस जीवन प्रयोग है | इसको तभी सफल बनाया जा सकता है जब इसके मूल सिद्धान्त को व्यवहार में लाया जाये | प्रमुख सिद्धान्त निम्न है –

(अ) **स्वतंत्रता -** स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है | इसके अभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता है | इसी लिए लोकतंत्र में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जैसे – बोलने, विचार व्यक्त करने, संघ बनाने, निवास करने, बसने और व्यवसाय करने आदि |

(ब) **समानता-** समानता लोकतंत्र का दूसरा मूल सिद्धान्त है | इसमें सभी व्यक्ति समान होते है और उनमें जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म तथा वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है| प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रूचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुकूल विकास की पूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती है|

(स) **भ्रातृत्व**– लोकतंत्र सामाजिक संबंधो की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित की उन्नति के लिए कार्य करती है | व्यक्ति और समूह दोनों का हित पारस्परिकता पर निर्भर करता है | जिसमें नारी और पुरुष मिलजुल कर कार्य करते है साथ ही एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते है |

(द) न्याय– लोकतंत्र में अमीर, गरीब, निर्बल और शक्तिशाली सभी समान है | उनके साथ किसी प्रकार का कानूनी भेदभाव नहीं किया जाता है | भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय के स्थापना पर बल दिया जाता है |

8.6.4 लोकतंत्र की मान्यताएँ–हापकिंस ने लोकतंत्रीय जीवन शैली की निम्न मान्यताएँ बतायी है|

1. प्रत्येक व्यक्ति मानव प्राणी के रूप में अपना महत्व रखता है |

2. प्रत्येक मानव प्राणी सीखने की क्षमता रखता है |

3. प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, वह साधन नहीं है |

4. लोकतंत्र व्यक्तिगत अवसर, दायित्व और नैतिकता पर आधारित है|

5. लोकतंत्र जीवित व्यक्ति की सम्प्रभुता में आस्था रखता है|

6. लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्वपर आधारित है |

7. लोकतंत्र वैयक्तिकता को आदर एवं महत्व प्रदान करता है |

8. लोकतंत्र सहिष्णुता तथा सहयोगी या सहकारी जीवन यापन पर बल देता है |

8.6.5 लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता–लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक बात शिक्षा और उच्च कोटि की राजनैतिक चेतना है | यदि लोगों को राज्य के कार्यों में रूचि नही है और वे समाज की समस्याओं को नहीं समझते है तो लोकतंत्र केवल नाम के लिए होता है | शिक्षा ही नागरिकों को जागरूक बनाती है और राज्य के कार्यों में उनकी रूचि उत्पन्न करती है | अत: लोकतंत्र में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है | जॉन ड्यूवी के अनुसार – शिक्षा के लिए लोकतंत्र की निष्ठा एक सुपरिचित तथ्य है| शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा सूखी, नीरस तथा मृतप्राय है|

8.6.6 लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य - ड्यूवी के अनुसार –" लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर, उससे भी कुछ अधिक है| यह मुख्यत: सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किये गए अनुभव की एक विधि है | " लोकतंत्र में लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाये इस हेतु लोकतंत्रीय शिक्षा में निम्न लिखित उद्देश्यों पर बल दिया जाता है –

1. **समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास -** आज संसार संघर्षो और कटुताओं से भरा है जो कि लोकतंत्र और मानव के लिए हानिकारक है| अत: शिक्षा को सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास करना चाहिए |
2. **व्यक्ति की आर्थिक सम्पन्नता**– लोकतंत्र की सफलता व्यक्तियों की आर्थिक सम्पन्नता पर निर्भर है | इसके अभाव में वे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते है| अत: लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य जनता में किसी न किसी व्यवसायिक दक्षता का विकास कर उन्हें धन संपन्न बनाना है|
3. **व्यक्ति की रुचियों का विकास**– लोकतंत्र में शिक्षा को व्यक्तियों की रुचियों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए | हरबर्ट ने भी बहुमुखी रुचियों के विकास पर बल दिया है|
4. **अच्छी आदतों का निर्माण**– लोकतंत्रीय समाज के नागरिकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है | क्योंकि आदते ही गरीबी, अमीरी, अच्छाई-बुराई, आलस्य या परिश्रम की नींव डालती है |
5. **सामाजिक दृष्टिकोण का विकास**– लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना है | इसमे सामाजिक भावना और सामजिक क्षमता सम्मिलित है|
6. **लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास**– शिक्षा का उद्देश्य बालकों में विभिन्न लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए| जैसे – सहनशीलता, सेवा, त्याग, आत्मनियंत्रण, पारस्परिक सदभावना, विचार विमर्श, समन्वय आदि |

7. **राष्ट्रीय चेतना का विकास**– लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना का विकास करना प्रमुख है| इस हेतु बालकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए |
8. **नेतृत्व के गुणों का विकास**– शिक्षा का विशेष उद्देश्य बालको को सामजिक, राजनैतिक,औद्योगिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व करें के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए |
9. **लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास-** शिक्षा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए | इस हेतु व्यक्ति में मानसिक, सामजिक और नैतिक गुणों का विकास अत्यंत आवश्यक है|
10. **अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास**– भारत में अति प्राचीन काल से ही विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं बहती आ रही है| हमारी संस्कृति अन्य देशो की संस्कृति केसमान नहीं है | इसलिए देश के विभिन्न भागों और विश्व की संस्कृतियों को समझना और उनका आदर करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए |

8.6.7 लोकतंत्र में शिक्षक का स्थान– लोकतंत्रीय समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ-प्रदर्शक, समाज सुधारक तथा नेता के रूप में होता है, ताकि वह अपने विद्यार्थियों और समाज का समुचित रूप से पथ प्रदर्शन कर सकें| लोकतंत्र में शिक्षा स यह अपेक्षा की जाती है की वह समाज में उचित परिवर्तन लाकर उसे प्रगति की और अग्रसर करें |

अभ्यास प्रश्न –

संक्षिप्त में उत्तर दीजिए|

1 लोकतंत्र को परिभाषित कीजिये |

2 लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्यों की सूची बनाओ |

8.7 धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

8.7.1 धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा–सैकुलेरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम १९ वीं शताब्दी में जार्ज जैकब हालीडेक ने किया था | इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेकुलरिज्म शब्द से हुई जिसका अर्थ है – वर्तमान युग | धर्मनिरपेक्षता वह सामाजिक और नैतिक प्रणाली है जो निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है – (1) मानव की भौतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति पर प्राथमिकता से बल दिया जाये (2) सभी प्रकार के सत्यों की खोज एवं उनका सम्मान (3) एक स्वतंत्र विवेकी नैतिकता जो स्वयं देवी सत्ता पर आधारित नहीं होती है|

8.7.1 धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएँ -

1. **आक्सफोर्ड शब्दकोष** के अनुसार – धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो नैतिकता को वर्तमान जीवन में मानव जाति के कल्याण के सन्दर्भ में निर्धारित करता है और ईश्वर में आस्था से सम्बंधित सभी विचारों को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है|
2. **वेबस्टर शब्दकोष** के अनुसार – धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो धर्म को राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने देता है |
3. **महात्मा गाँधी**– हम सभी धर्मो एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते है अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते है |

8.7.2 धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य–

1. **धर्म का अनावश्यक प्रभाव नहीं–** धर्मनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य मे नैतिकता तथा शिक्षा आदि के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक प्रभाव नहीं रहेगा | भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय नहीं दिया जाना|
2. **धर्म निरपेक्ष राज्य–** धर्मनिरपेक्षता का दूसरा उद्देश्य धर्म-निरपेक्ष राज्य को प्राप्त करना है | धर्म-निरपेक्ष राज्य वह है जहां प्रत्येक नागरिक को समानता के आधार पर समान अवसर प्राप्त है और जहा समाज धर्म के आधार पर नागरिकों के कार्य कलापों में व्यवधान नहीं डालता | धर्म-निरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म से अलग हो और किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता हो |

8.7.3 धर्मनिरपेक्षता के कारक –धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारक निम्न है –

1. राजनैतिक दल–राजनैतिक दल धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुए है | विभिन्न दलों ने समय समय पर लोगों के मन से धर्म के अतार्किक तत्वों को निकलने का प्रयास किया है|
2. पश्चिमीकरण– पश्चिमी संस्कृति ने भौतिकता एवं व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है और अतार्किक और अव्यवहारिक परम्पराओं का खंडन किया है जिससे धर्म तथा उससे सम्बंधित व्यवहार में स्वाभाविक रूप से कमी आने लगी है |
3. नवीन शिक्षा प्रणाली- आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने पिछड़े वर्ग के बच्चों और महिलाओं को समान अधिकार दिया है जिससे उनकी मनोवृत्ति तथा व्यवहार में बदलाव आने से उनका विश्वास धर्म निरपेक्षता की और बढ़ने लगा है |
4. नगरीकरण तथा औद्योगीकरण–नगरों तथा औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न धर्मावलंबी एक साथ काम करते है और उनमे विचारों का आदान प्रदान बराबर चलता है | इससे उनमें धार्मिक कट्टरता समाप्त हो रही है और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती जा रही है |
5. समाज सुधार आंदोलन–भारत में हुए अनेक सुधार आन्दोलनों (ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं थियोसोफिकल सोसायटी आदि) ने जाति-पाति, छुआ-छुत, उंच नीच के भेदभाव को एवं धार्मिक पाखंडो को गलत बताया | जिसके कारण धार्मिक कर्मकांड के प्रति धारणा में कमी आयी है |

8.7.4 धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय के कार्य –विद्यालय वह संस्था एवं स्थान है जहां पर देश और समाज से जुडी प्रत्येक नवीन पीढ़ी को उसकी क्षमता और बुद्धि के अनुसार एक निश्चित विधि से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा धर्म, कला, विज्ञान दर्शन एवं नैतिकता का ज्ञान कराया जाता है |

टी.पी.नन के अनुसार-"विद्यालय को प्राथमिक तथा सीखने का ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए, जहाँ कुछ निश्चित ज्ञान सिखाया जाता है, बल्कि उसे ऐसा स्थान समझना चाहिए जहाँ पर बालक को क्रियाओं के कुछ निश्चित रूपों में अनुशासित किया जाता है, जो की इस व्यापक विश्व में सबसे महान और स्थाई महत्त्व वाली हो |"

धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है |

(१) औपचारिक कार्य (2) अनौपचारिक कार्य |

विद्यालय द्वारा निम्न **औपचारिक कार्य** किये जाते है -

(1) बालक को लाभप्रद और उपयोगी ज्ञान कराया जाता है ताकि बच्चे के मस्तिषक का संतुलित विकास हो सके |

(2) विद्यालय ही सांस्कृतिक विरासतको सुरक्षित रखने एवं उसेनई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है |

(3) प्रजातांत्रिक देश में विद्यालय द्वारा ही नेतृत्व के गुणों का विकास सफलतापूर्वक किया जाता है |

(4) बालको में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास किया जाता है|

(5) बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण एवं जीवनोपयोगी प्रशिक्षण देने के साथ उसका नैतिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाता है |

विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए निम्न अनौपचारिक कार्य किये जाते है–

(1) विद्यालय में सामाजिक उत्सवों और समाज सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |

(2) खेलकूद, स्वास्थ्य शिक्षा, योग शिक्षा आदि के द्वारा विद्यार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षणप्रदान किया जाता है |

(3) चित्रकला, प्रदर्शनियों, संगीत, कवितापाठ, भाषण एवं वाद विवाद, नाटक आदि कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के द्वारा विद्यार्थियों को भावात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है |

(4) विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक कार्यों एवं रुचिकर क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में उत्तम चरित्र का निर्माण किया जाता है |

(5) विद्यालय द्वारा ही विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं सद्भावना के साथ विश्वबंधुत्व की भावना उत्पन्न की जाती है |

शिक्षा की व्यवस्था भारत में कभी भी साम्प्रदायिक नहीं रही है जैसी की अन्य देशों में है | भारत में पथ और सम्प्रदाय अनेक है किन्तु धर्म सभी एक है | भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में भी ड्रम निरपेक्षता अभिव्यक्त होती है | क्योंके भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, धर्म विरोधी नहीं | इसलिए धर्म-निरपेक्ष शब्द की अपेक्षा कुछ विद्वान सम्प्रदाय निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित समझते है |

अभ्यास प्रश्न –

संक्षिप्त में उत्तर दीजिए |

1. धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइये |
2. धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारक कौन-कौन से है |

8.9 बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ एवं शिक्षा की भूमिका

(Multiculturalism And Role Of Education)

8.9.1 बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ एवं आशय-बहुसंस्कृतिवाद से हमारा आशय व्यक्तियों में ऐसे दृष्टिकोण का विकास करने से है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी निजी संस्कृति और छोटी मानसिकता से ऊपर उठकर अपने देश और विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के सम्मान तत्त्वों और बातों की खोज करता है | ताकि एक देश की विभिन्न संस्कृतियों कों एक राष्ट्रीय संस्कृति में बांधा जा सकें| व्यक्ति में इस प्रकार के दृष्टिकोण का विकास हो जाने से वह अन्य समूहों, संप्रदायों के आदर्शो, उनके मूल्यों, रीति रिवाजों और परम्पराओं, वेश भूषा एवं उनकी भाषा कों समझने का प्रयास करता है | इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति किसी भी संस्कृति कों निम्न, तुच्छ नहीं समझता और नहीं उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है | वह सभी संस्कृतियों का आदर और सम्मान करने लगता है| अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है की बहुसंस्कृति का भाव विकसित हो जाने से व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के सांस्कृतिक भेद-भावो कों भूल जाता है और लड़ाई झगड़ो से ऊपर उठ जाता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता बनी रहती है |

8.9.2 बहुसंस्कृतिवाद की आवश्यकता -भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर विभिन्न संप्रदायों और समुहों के लोग निवास करते है | इन सभी समूहों तथा संप्रदायों की संस्कृतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है | प्रत्येक समूह और सम्प्रदाय की वेशभूषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज और खानपान अलग-अलग होने के कारण इन सभी में आपस में मनमुटाव और मतभेद बना रहता है जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ी बाधा है| इसका परिणाम यह होता है की देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति रुक जाती है | साथ ही यह मन मुटाव प्रजातंत्र की सफलता की राह में भी बाधा उत्पन्न करता है | इसलिए आवश्यक है की देश के निवासियों में भाई चारे और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए बहु संस्कृति के भावना को विकसित और प्रोत्साहित किया जाए |

8.9.3 बहु संस्कृतिवाद में शिक्षा की भूमिका–बहु संस्कृतिवाद की भावना विकसित करने के लिए शिक्षा कों एक महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन माना जाता है | शिक्षा के द्वारा ही बच्चों को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते है | शिक्षा के माध्यम से बालकों के सामने ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसके अंतर्गत रहते हुए बच्चे दूसरी संस्कृति कों समझ सकें तथा उनका आदर कर सकें | शिक्षा ही बालको में एसी प्रवृति विकसित करती है जिससे वे अन्य समूह के लोगों के साथ परस्पर सहयोग करता है और अपनी संस्कृति का भी विकास करता है | शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर ऐसी आदतों को विकसित किया जाता है की वे दूसरी संस्कृतियों कों समझे और उनकी सराहना कर सकें | यह कार्य केवल वही शिक्षक कर सकता है जिसका स्वयं का दृष्टिकोण व्यापक हो तथा अपने विषय के ज्ञान के साथ-साथ उसे अन्य समूहों की संस्कृतियों का भी ज्ञान हो | विद्यालय के पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक भाव जागृत करने वाले विभिन्न विषयों कों शामिल कर तथा सांस्कृतिक गोष्ठियो का आयोजन कर बच्चों के संकीर्ण विचारों और मानसिकताओं कों दूर किया जाता है और अन्य संस्कृति के प्रति उनके मन में आदर के भाव विकसित किये जाते है | परिणाम स्वरूप वह अपने आप कों एक ही राष्ट्र का अंग समझते हुए सभी बहु-संस्कृतियों के प्रति श्रद्धा भाव और प्रेम रखने लगता है |

अभ्यास प्रश्न –

संक्षिप्त में उत्तर दीजिए|

1. बहु संस्कृतिवाद से आप क्या समझते है ? लिखिए |
2. बहु संस्कृतिवाद में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए |

8.10 समाज के सामाजिक प्रतिमान (Social Pattern of Society)

8.10.1 सामाजिक प्रतिमान का आशय एवं परिभाषाएँ-सामाजिक मानदंड या प्रतिमान व्यवहार के वे नियम है जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य मानते है| समाज के लोग इन प्रतिमानों के आधार पर ही यह निश्चित करते है कि किस प्रकार का कार्य या व्यवहार उचित है या अनुचित है | सामाजिक मानदंड हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण रखते है | इनका पालन करने पर समाज द्वारा पुरस्कार दिया जाता है और इनका उल्लंघन करने पर सजा या दण्ड देने की व्यवस्था की जाती है | यदि मनुष्य का आचरण समाज की मान्यताओं के अनुकूल होता है तो वह समाज का गौरव बन जाता है | अत: सामाजिक मानदंड या आदर्श सामाजिक नियमों पर एक प्रकार का नियंत्रण है| समाज इन नियंत्रणों के आधार पर ही समाज के व्यक्तियों पर अंकुश लगाता है | भले ही व्यक्ति को इनसे किसी प्रकार की हानि क्यों न हो |

1 वुड्स के अनुसार – "सामाजिक मानदंड वे नियम है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते है, व्यवस्था में सहयोग देते है और किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते है |"

2 किम्बाल यंग के अनुसार – "सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षायें है |"

इस प्रकार से सामाजिक मूल्यों के द्वारा सभी प्रकार वस्तु, विचार, भावना, क्रिया, गुण, पदार्थ, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य, साधन आदि का मूल्यांकन किया जाता है | सामान्य तया प्रतिमान समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएँ और लक्ष्य है जिनका आन्तरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक और अभिलाषाएँ बन जाते है|

8.10.2 सामाजिक प्रतिमान के रूप -सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक प्रतिमान के निम्न रूप पाए जाते है जो निम्न प्रकार है –

1. सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान - इस प्रकार के प्रतिमान में सार्वभौमिक एवं अर्जित दोनों प्रतिमानों का समावेश किया जाता है | कुछ समाज ऐसे होते है जिनमें प्रदत्त प्रतिमान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है | ऐसे समाज में परम्परागत आदर्शो के और अधिक झुकाव पाये जाता है |
2. सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान– इस प्रकार के प्रतिमान में सार्वभौमिक एवं अर्जित दोनों प्रतिमानों का समावेश किया जाता है | इसके अंतर्गत व्यक्ति के प्रयत्नों एवं गुणों द्वारा प्राप्त पदों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है | वर्ग व्यवस्था इस प्रकार के समाज की विशेषता है |
3. विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान– इस प्रकार के प्रतिमान रक्त सम्बन्ध व स्थानीय समुदाय पर आधारित होते है | इस प्रकार की सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता

है और सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए नैतिकता एवं कार्य को आवश्यक माना जाता है | ऐसी सामाजिक संरचना वाले समाज का उदाहरण स्पेन है |

4. विशिष्ट अर्जित प्रतिमान– इस प्रकार के मूल्य सार्वभौमिक के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर देते है | उदाहरण के लिए – परिवार, गोत्र एवं वंश का महत्व भारत में अधिक पाया जाता है |

8.10.3 समाज की सामाजिक संरचना - समाज की सामाजिक संरचना एक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज की विभिन्न इकाईयाँ आपस में तथा समाज के साथ जुडी होती है | ये इकाईयां अपनी अपनी पूर्व स्थिति में रहते हुए समाज के द्वारा निर्धारित कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबद्ध रहती है | भारतीय समाज में चार पुरुषार्थ – धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निर्धारण किया गया है | जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य ने समाज में विभिन्न उप-व्यवस्थाओं की स्थापना भी की है | भारतीय समाज के पैटर्न को सही रूप से समझने के लिए उसे यहाँ दो भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है | (अ) भारतीय समाज का परम्परागत पैटर्न (ब) भारतीय समाज का आधुनिक पैटर्न

(अ)भारतीय समाज का परम्परागत पैटर्न - भारतीय समाज में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के जीवन कों संगठित किया गया है |

(1) आश्रम व्यवस्था– प्राचीन भारतीय धर्म सूत्रों और मनुस्मृति में चार आश्रमों की चर्चा की गयी है | जिसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने, गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए, वानप्रस्थ आश्रम कुल, गृह और ग्राम कों त्याग कर इन्द्रियों कों वश में रखने और संन्यास आश्रम संसार के कल्याण और मोक्ष प्राप्ति करने से सम्बंधित है |

(2) वर्ण व्यवस्था– इसमें व्यक्ति कों उस समाज का बोध कराया जाता है जिसमें व्यक्ति रहता है | इन दोनों व्यवस्थाओं में व्यक्ति, समुह और समाज के संगठन और व्यवस्था के नियम है | इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्थिति को उसके गुण, स्वभाव तथा प्रवृत्तियों के अनुसार समाज में निश्चित किया जाता है | उसी के आधार पर व्यक्ति के कार्यो का विभाजन गुणों और योग्यता के आधार पर किया जाता है | इसी के परिणाम से समाज में ऊँच-नीच, छुआछूत के भेदभाव को जन्म मिला है |

(3) जाति व्यवस्था – समय के साथ साथ समाज की व्यवस्था और संस्थाओं में परिवर्तन होता रहा है | वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा | वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण के स्थान पर जन्म मूलक जाति व्यवस्था में बदल गयी | धर्म शास्त्रों में जाति व्यवस्था को स्थाई रूप मिल गया इसके साथ ही समाज में नवीन जातियों का उद्भव हुआ कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धान्त ने जातिगत कार्यो को अधिक बल दिया | सामाजिक व्यवस्था में अनेक कठोरताएं आने से सम्पूर्ण समाज का स्वरूप ही जटिल हो गया |

(ब) **भारतीय समाज का आधुनिक पैटर्न** –ईसाई धर्म और पाश्चात्य सभ्यता, जाति विरोधी आंदोलनों, शिक्षा के प्रसार, यातायात और संचार के साधनों, औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं कानूनों के प्रभाव से नवीन सामाजिक व्यवस्था के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिसके फलस्वरूप समाज में निम्न परिवर्तन हुए है –

1. व्यक्तिवादी विचारों को प्रोत्साहन मिला है |

2. संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ है और एकाकी परिवारों को जन्म मिला है|
3. आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की आलोचना करके सामाजिक समानता के लिए कार्य किया |
4. प्रार्थना समाज ने जाति प्रथा का विरोध करके अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया और खानपान के बंधनों में परिवर्तन किये |
5. पर्दा प्रथा को हटाने के लिए प्रयास किया जिससे स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया है | सती प्रथा को समाप्त किया है |
6. स्त्री शिक्षा के उत्कर्ष के लिए किये गए कार्यो ने सह शिक्षा और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया|
7. अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में व्यक्तिवाद, प्रजातंत्र, समानता, बंधुत्व एवं स्वतंत्रता आदि मूल्यों का अनुभव कराया|
8. औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात के साधनों ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन किया और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाया |
9. उत्पादन और वितरण की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए और भौतिक लालसा को जन्म मिला|
10. नवीन औद्योगीक केन्द्रों की स्थापना हुयी जिसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण का जन्म हुआ एवं जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ |
11. वंशानुगत पेशे के स्थान पर नवीन पेशो का जन्म हुआ| समाज के स्तरीकरण में परिवर्तन आया | छुआछुत धीरे-धीर समाप्त हो गया |
12. धर्म निरपेक्ष विचारों को जन्म मिला | नैतिकता को धर्म पर आधारित न करके आर्थिक, सामाजिक समानता पर आधारित किया गया |

इस प्रकार से भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है | प्राचीन समय में भारतीय समाज का एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया था परन्तु समय के साथ जातीय बंधन ढीले होते गए और समाज का स्वरूप बदलता गया | आज भारतीय संविधान का उद्देश्य देश में लोकतान्त्रिक, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष समाज की स्थापना करना है और भारतीय समाज इसी दिशा में धीरे- धीरे बढ़ रहा है |

अभ्यास प्रश्न –

संक्षिप्त में उत्तर दीजिए|

1. सामाजिक प्रतिमान को परिभाषित कीजिये |
2. सामाजिक प्रतिमान के रूपों को समझाइये |

8.11 राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा की भूमिका

(Role of Education in National Integration and Emotional Integration.)

8.11.1 राष्ट्रीय एकता का अर्थ –जब किसी समाज के सारे व्यक्ति किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अपने पारस्परिक भेद-भावों को भुलाकर सामूहीकरण की भावना से प्रेरित होकर एकता के सूत्र में बंध जाते है तो उसे राष्ट्रीयता के नाम से पुकारा जाता है| राष्ट्र एक विशालकाय परिदृश्य है जो समग्रता, सहिष्णुता तथा सद्भाव का प्रतीक होता है | राष्ट्र की अस्मिता तथा व्यक्तित्व किसी भी

एक भाषा, एक धर्म या एक जाति तक सीमित नही हो सकती क्योंकि राष्ट्र इन सभी घटकों का पुंज होते हुए भी इनसे ऊपर है | इस प्रकार राष्ट्रीय एकता भाईचारे, सामूहिकता तथा राष्ट्रीयता की गहन भावना है जो लोगों को अपने विचार तथा कार्यों में वैयक्तिक, भाषायी या धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बाध्य करती है |

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार –" राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के दिलो में एकता, संगठन एवं सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है |

8.11.2 राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता –डॉ. राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का महत्व बताते हुए कहा है कि यदि हममें राष्ट्र के रूप में जीवित रहने की तनिक भी अभिलाषा है तो राष्ट्रीय एकता को अनिवार्य आवश्यकता स्वीकार करना पडेगा | डॉ. कानूनगो ने भारत में राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता को इन शब्दों में व्यक्त किया –"भारत की जनसंख्या में असाधारण विविधता है, उसके विभिन्न भागों को एक दूसरे से पृथक करने वाली दूरिया बहुत लंबी है, उसके निवासियों के दैनिक जीवन एवं व्यवसायों को प्रभावित करने वाली जलवायु एवं भौतिक दशाओं में अत्यधिक विभिन्नता है और सर्वोपरि वह अति तीव्र गति से होने वाले आर्थिक, सामजिक, प्राविधिक और राजनैतिक परिवर्तनों के युग से गुजर रहा है | ऐसे संक्रमण काल में भारतीयों को अत्यधिक सतर्कता से कार्य करना चाहिए | वे ऐसा तभी कर सकते है जब वे अपने आंतरिक भेदभावों को निश्चित सीमाओं में रखे, आवश्यकता पड़ने पर शान्तिपूर्ण विधि से उनका दहन करे और सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे एवं अपने देश के उत्थान के लिए कंधे से कंधे मिला कर कार्य करे | "

8.11.3 राष्ट्रीय एकता में बाधक शक्तियाँ–भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर जिन विभेदक शक्तियो का प्रभाव रहा है वे निम्न है - (१) जातिवाद (2) साम्प्रदायिकता (3) भाषा सम्बन्धी विरोध (4) क्षेत्रवाद (5) राजनैतिक हस्तक्षेप (६) प्रांतीयता (७) राजनैतिक दल आदि

8.11.4 राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका - राष्ट्रीय एकता को विकसित एवं स्थापित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है | माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा का उद्देश्य देश-प्रेम उत्पन्न करना हो अत: प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का कार्य तय किया गया है | राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने में शिक्षा की भूमिका इस प्रकार है -

1. शिक्षा बालकों में उचित अभिरूचियों, दृष्टिकोणों और संवेगो का विकास करती है ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं और परम्पराओं को समझ सकें |
2. विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता का पाठ सिखाने के लिए इतिहास के शिक्षण को अनिवार्य अध्ययन के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है|
3. क्षेत्रीय भाषा के साथ एक आधुनिक भाषाओं के शिक्षण को अनिवार्य किया जाता है |
4. समय-समय पर विद्यालयों तथा कॉलेज में राष्ट्रीय उपलब्धियों, राष्ट्रीय नेताओ, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन सम्बंधित सभाओं आदि का आयोजन किया जाता है|
5. सभी छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराने के साथ बच्चों को स्वतंत्रता से सम्बंधित बातों से विशेष रूप से परिचित कराया जाता है|

6. राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और राज्यों में अधिक मेल-मिलाप उत्पन्न करने वाली पढ़ाई- लिखाई को प्रोत्साहित किया जाता है|
7. सभी जातियों और धर्मों के विद्यार्थियों को लोकप्रिय मेलों और विभिन्न त्योहारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है|
8. विद्यालयो मे सांप्रदायिक एकता से सम्बंधित विभिन्न अध्ययन गोष्ठियों और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन एवं राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रवृतियों का विरोध करने के लिए संक्षिप्त और विशिष्ट फिल्में तैयार की जाती है |
9. सांप्रदायिक खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए जनसंपर्क किया जाता है साथ ही देश के विभिन्न भागों में समय समय पर युवा उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है|

8.11.5 भावनात्मक एकता का अर्थ-भावनात्मक एकता का अर्थ उस भावना के विकास से है जो राष्ट्र की विभिन्न जातियों, धर्मो, तथा समूहों के लोगों के आपसी भेदभाव मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है| ऐसी भावनात्मक चेतना विकसित हो जाने पर राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारस्परिक भेद भावों को भूलकर अपने निजी हितों की अपेक्षा राष्ट्र की आवश्यकताओं, आदर्शो एवं हितों को सर्वोपरी समझने लगता है|

8.11.6 भावनात्मक एकता की आवश्यकता- स्वतंत्रता के पश्चात देश के निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई और सब एकता के सूत्र में बंध गए| परन्तु आज देश में जातीयता, साम्प्रदायिकता और प्रांतीयता की अनेक प्रवृतियाँ आवश्यकता से अधिक प्रबल हो रही है| जिसके कारण चारों और झगड़े व मार-काट हो रही है| ऐसी दशा में देश के निवासियों में इस प्रकार की अभिवृत्ति जागृत करने की आवश्यकता है वे पुनः एकता के सूत्र में बंध जाये | उनमे ऐसे संवेग विकसित करने की आवश्यकता है जो पृथकता की अपेक्षा एकता को प्रोत्साहित करें|

8.11.7 भावनात्मक एकता में शिक्षा का योगदान –किसी भी राष्ट्र की जनता के मस्तिष्क के विचारों को बदलने के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण साधन है | यदि हमें सच्ची भावनात्मक एकता का विकास करना है तो शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह भारतवासियों में ऐसी भावनात्मक एकता का संचार करे जिससे वे अपनी जाति, धर्म, वर्ग तथा क्षेत्र के संकीर्ण आधारों पर उत्पन्न होने वाले भेद-भावों को भूलकर समस्त भारत को अपना देश और समस्त निवासियों को अपना भाई - बंधू समझे | शिक्षा ही बालको में जनतंत्रीय मूल्यों को विकास और समाज के रीति रिवाजो, परम्पराओं तथा विश्वासों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करती है, साथ ही उनमें उचित अभिरूचियों, दृष्टिकोणों तथा संवेगो का भी विकास करती है| उनमें समान रूप से चिंतन, मनन एवं कार्य करने की आदतों का विकास करते हुए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी विकसित करती है| भावनात्मक एकता का विकास करने में शिक्षकों का भी मुख्य योगदान है क्योंकि शिक्षक स्वयं जातियता, प्रांतीयता, साम्प्रदायिकता, तथा धर्म और भाषा के दूषित प्रवृतियों से ऊपर उठकर एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कर सकता है| इस प्रकार से शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही देश के निवासियों की संकीर्ण मानसिकता एवं भ्रष्टाचार का अंत होगा और राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा|

अभ्यास प्रश्न –

संक्षिप्त में उत्तर दीजिए|

1. राष्ट्रीय एकता के अर्थ को समझाइये |
2. राष्ट्रीय एकता में कौन-कौन सी शक्तियाँ बाधा उत्पन्न करती है ?

8.12 सारांश

शिक्षा का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है | इसी कारण शिक्षा के उद्देश्य वास्तविक जीवन पर आधारित होते है | प्रत्येक समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण विभिन्न पक्षों जैसे- जैविक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं नैतिक सिद्धांतों के साथ-साथ व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओ,और मूल्यों को आधार बनाकर किया जाता है| शिक्षा के इन महत्वपुर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य, समाज, शिक्षा संस्थानों आदि सभी को प्रयत्न करना चाहिए |

लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता,मातृत्व, न्याय आदि हैं| लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक बात शिक्षा और उच्च कोटि की राजनैतिक चेतना है | अत: लोकतंत्र में शिक्षा की उपेक्षा नही की जा सकती है |

धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक तथा नैतिक प्रणाली है | धर्मनिरपेक्षता राज्य में विद्यालय द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्य किये जाते हैं |

बहु संस्कृतिवाद से तात्पर्य व्यक्तियों में ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना है जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी निजी संस्कृति और मानसिकता से उपर उठकर अपने देश और विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के सम्मान तत्वों और बातों की खोज करता है |

सामाजिक मानदण्ड या प्रतिमान व्यवहार के वे नियम है जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य मानते है| समाज के लोग इन प्रतिमानों के आधार पर ही यह निश्चित करते हैं कि किस प्रकार का कार्य या व्यवहार उचित है या अनुचित है | सामाजिक प्रतिमान के अनेक रूप जैसे सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभोमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान हैं|

जब किसी समाज के सारे व्यक्ति किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अपने पारस्परिक भेद-भावो को भूलकर समूहीकरण की भावना से प्रेरित होकर एकता के सूत्र में बंध जाते है तो उसे राष्ट्रीय एकता के नाम से पुकारा जाता है |

8.13 शब्दावली

- **आत्म अभिव्यक्ति -**अपने अंदर की भावनाओ या विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना
- **पाशविक प्रवृत्ति-** पशु के समान आचरण या व्यवहार
- **सदभावना-** अच्छी भावना
- **मृतप्राय-** मरे हुए के समान

- **विमुख होना-** दूर होना
- **दक्षता-** योग्यता
- **सर्वधर्म समभाव-** सभी धर्मो के प्रति समानता की भावना
- **अभिलाषाएँ-** इच्छाएँ
- **उदभव-** जन्म
- **सर्वोपरी-** सबसे उपर, सबसे श्रेष्ठ

8.14 निबंधात्मक प्रश्न -

निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए |

1. शिक्षा को परिभाषित करते हुए शिक्षा के व्यक्तिगत,सामाजिक एवं राष्ट्रिय उद्देश्यों को समझाइये|
2. लोकतंत्र कि समझाते हुए लोकतंत्रमें शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये |
3. धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय के कार्यों की विवेचना कीजिये |
4. समावेशन को परिभाषित करते हुए वर्तमान भारतीय समाज में समावेशन कि आवश्यकता पर चर्चा कीजिये |
5. सामाजिक प्रतिमान क्या है? भव्य समाज के सामाजिक पैटर्न को समझाइये|
6. राष्ट्रिय एकता और भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा की भूमिका पर एक निबन्ध लिखिए |

8.14 संदर्भ ग्रन्थ

- सक्सेना, एन. आर. स्वरूप.एवं चतुर्वेदी,शिखा (2006),*उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक*; मेरठ: लाल बुक डिपो
- त्यागी, गुरसरनदास., *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार*; आगरा:विनोद पुस्तक मंदिर
- पाण्डेय, रामशकल., (2005).*उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक*;आगरा:विनोद पुस्तक मंदिर

इकाई - 9

भारत में लड़की/ महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में नीतियों का सिंहावलोकन

(विशिष्ट योजनाओं NPEGEL, KGBVYऔर दूसरों को, हाशिए पर समाज के खंड (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अलग ढंग से विकलांग छात्र) शैक्षिक प्रावधान, लडकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए)

Policies overview in regard to Girl/Women Education in India

(Specific schemes to promote Girl Education like NPEGEL, KGBVY and others, Educational provisions for marginalized section of the society (SC, ST, OBC, differently abled students)

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 स्त्री शिक्षा

9.4 भारत में स्त्री शिक्षा की विभिन्न नीतियां

- 9.4.1 वैदिक काल में स्त्री शिक्षा
- 9.4.2 बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा
- 9.4.3 मध्यकाल में स्त्री शिक्षा
- 9.4.4 ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा
- 9.4.5 आधुनिक काल में महिला शिक्षा

9.5 स्त्री शिक्षा बढ़ाने के लिये विशिष्ट योजनाऐं

- 9.5.1 नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एल एलीमेंट्री लेवल(NPEGEL)
- 9.5.2 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना(KGBVY)
- 9.5.3 बालिका समृद्धि योजना

9.5.4 साक्षर भारत मिशन

9.5.5 महिला छात्रावास योजना

9.5.6 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

9.6 हाशिए पर स्थित समाज के खंड की शिक्षा के लिए प्रयास

9.7 हाशिए पर स्थित समाज के खंड के लिये शिक्षा का प्रावधान

9.7.1 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

9.7.2 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

9.7.3 नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज

9.8 सारांश

9.9 शब्दावली

9.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

9.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

9.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आप भारत में लडकी/महिलाओं के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में एवं समाज के हाशिए पर स्थित खंड (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अलग ढंग से विकलांग छात्रों) के लिये चलाये गये विभिन्न शिक्षा प्रावधानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- भारत में बालिका एवं स्त्री शिक्षा के स्तर को जान सकेंगे।
- भारत में बालिका एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये चलाई गयी विभिन्न योजनाओं को बता सकेंगे।
- भारत में बालिका एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये चलाई गयी विभिन्न योजनाओं से लाभ व उनमें कमियों को बता सकेंगे।
- भारत में बालिका एवं स्त्री शिक्षा को बढाने के लिए चलाई गई विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की समीक्षा कर सकेंगे।
- समाज के हाशिए पर स्थित खंड (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अलग ढंग से विकलांग छात्रों) के लिये चलाये गयी विभिन्न योजनाओं के बारे में बता सकेंगे।

9.3 स्त्री शिक्षा (Women Education)

स्त्री मानव जाति की जननी एवं दो पीढ़ीयों तथा दो परिवारों को जोडने वाली कड़ी है। अतः एक शिक्षित स्त्री दो कुलों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। भारत की संस्कृति में महिला को बहुत महत्व दिया गया है। पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने एक बार कहा था कि, ''लोगों में जागृति लाने के लिए हमें पहले स्त्रियों को जागृत करना होगा। स्त्रियों के आगे बढ़ने से परिवार आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा।'' भारतवर्ष में हमेशा स्त्रियों की दशा अ़च्छी नहीं रही है, 17 वीं एवं 18 वीं शताब्दी के मध्य कई ऐतिहासिक कारणों से महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई थी एवं स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी थी। परन्तु अनेक प्रयासों के बाद स्त्री शिक्षा के स्तर में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है एवं आज शिक्षा के मामले स्त्री न केवल पुरुषों की बराबरी कर रही हैं बल्कि पुरुषों से भी कई गुना आगे बढ गई हैं।

9.4 भारत में स्त्री शिक्षा की विभिन्न नीतियां (Various Policies for Women Education in India)

महिला शिक्षा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के समय से प्रारम्भ होता है। अलग-अलग समय में स्त्री शिक्षा का स्तर अलग-अलग रहा है एवं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये भी कई प्रयास किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है -

9.4.1 वैदिक काल में स्त्री शिक्षा-

वैदिक काल में स्त्री शिक्षा ने अत्यन्त प्रगति की थी। वैदिक काल में स्त्रियां पुरुषों की भांति शिक्षा गृहण कर सकती थीं, परन्तु शिक्षा का पाठयक्रम अलग-अलग था। ब्राह्मण की कन्याओं को वैदिक ऋचाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी जबकि क्षत्रिय कन्याओं को तीर-कमान, भाला, तलवार आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था परन्तु इस युग में शूद्र जाति की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने से पूर्णतः वंचित थी। अथर्ववेद में तो यह तक लिखा है कि केवल उस कन्या का विवाह सफल होता था जिसने बाल्यकाल में उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वैदिक काल में अनेक विदुषी स्त्रियों जैसे गार्गी, मुद्रा, लोपा, मैत्र का नाम उल्लेखित है जो कि पुरुषों को भी शास्त्रार्थ में पराजित करने में सक्षम थीं।

9.4.2 बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा-

बौद्ध काल के प्रारम्भ में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी परन्तु महात्मा बुद्ध द्वारा महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति देने के उपरान्त बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा में नवीन आयाम प्राप्त हुये। महिला शिक्षा को उचित रूप से नियोजित किया गया। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से संघ बनवाये गये। कई महिलायें आजीवन छात्राऐं बनकर संघ में रहीं। बौद्ध काल में महिलाओं ने न केवल शिक्षा गृहण की वरन कई महिलाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महान अशोक की पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्री लंका गई थीं। अनुपमा, सुगीता एवं सुमेधा भी बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे आगे रहीं।

9.4.3 मध्यकाल में स्त्री शिक्षा-

मध्यकाल में मुस्लिम शासन के आने के समय हिन्दुओं एवं मुस्लमानों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होने के फलस्वरूप कन्याऐं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं थीं। महिला

शिक्षा की पूर्णतः अवहेलना होने लगी केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। मध्यकाल में कुछ महिलाओं जैसे गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, जेब-निस्सा, जहांआरा बेगम आदि को उच्च शिक्षा प्राप्त थी। शिक्षा का प्रचलन केवल उच्च स्तर पर होने के कारण 18 वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा का इतना पतन हुआ कि 19 वी सदी में केवल दो प्रतिशत स्त्रियां ही शिक्षित रह गई।

मजूमदार, राय चौधरी व दत्त ने लिखा है कि, "प्रायः प्रत्येक मस्जिद से संलग्न एक मकतब होता था, जिसमें आसपास के बालक और बालिकाऐं शिक्षा गृहण करते थे। शाही घरानों एवं धनी अमीरों की लड़कियां अपने घरों में ही शिक्षा गृहण करतीं थीं। हिन्दुओं में मध्यम वर्ग के व्यक्तिओं की लडकियां स्कूल में लड़कों के साथ प्राथमिक शिक्षा गृहण करती थीं।"

9.4.4 ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा-

मुस्लिम शासन के पतन के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हो गई एवं कम्पनी ने भी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की। परन्तु कैथोलिक मिशनरियों एवं प्रोटैस्टैंट मिशनरियों ने महिला शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रयास किये। ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा को चार भागों में विभाजित किया गया है।

- **सन्1854 से 1882 तक-** बुड के घोषणा पत्र के माध्यम से सरकार ने स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये सहायता प्रदान करने का वचन दिया एवं इस आर्थिक सहायता पर सीधे कार्यवाही करने का भी वचन दिया । जिसके परिणामस्वरूप सन् 1882 तक महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए 2600 प्राथमिक विद्यालय, 81 उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा एक महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। सन् 1881में पहली बार भारतीय महिलाओं को कालेज में प्रवेश मिला।
- **सन् 1882 से 1902 तक-** सन् 1882-83 में आये हण्टर आयोग ने यह सुझाव दिया कि पब्लिक फंड का अधिकांश भाग महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इसी दौरान ब्राह्मण समाज, पारसियों एवं भारतीय ईसाइयों में भी महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने की होड लग गई। अतः महिला शिक्षा में सुधार दृष्टिगत होने लगा एवं अभिभावकों ने भी अपनी पुत्रियों को शिक्षा प्रदान करने में रूचि दिखाई। फलतः1902 के अंत में 5650 प्राथमिक विद्यालय, 468 माध्यमिक विद्यालय, 12 महिला महाविद्यालय स्थापित किये जा चुके थे।
- **सन् 1902 से 1917 तक-** ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुये भी इस काल में महिला शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ। सन् 1916 में महिलाओं के लिये सर्वप्रथम मेडीकल कालेज दिल्ली की स्थापना हुई। 1916 में ही मुम्बई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो कि आज श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। महिला शिक्षा के प्रचार के लिये सन् 1917 में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना हुई।
- **सन् 1918 से 1947 तक-** इस काल में भी स्त्री शिक्षा के स्तर में बढोत्तरी हुई। महात्मा गांधी की शिक्षा भारतीय महिला जागृति एवं प्रांतीय स्वयात्रा के माध्यम से भी स्त्री शिक्षा

की उपयोगी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। 1932 में 'अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा फंड संघ' का निर्माण किया गया जिसकी कुशल समिति ने नई दिल्ली में गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए लेडी इरविन कालेज खोलने की सिफारिश की। इस कालेज की स्थापना होते ही स्कूल एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा कार्यक्रम में गृह विज्ञान की शिक्षा के महत्व के ऊपर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। सन 1947 तक भारत में महिलाओं के लिए 21479 प्राथमिक विद्यालय, 2370 माध्यमिक विद्यालय, 4288 व्यवसायिक, 59 आर्ट और विज्ञान महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे। इसी समय में सह शिक्षा का भी विकास हुआ।

9.4.5 आधुनिक काल में महिला शिक्षा

1947 में भारत के आजाद होने के बाद महिला शिक्षा में वृद्धि हुई। भारत के संविधान में भी 6 से 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है एवं यह भी कहा गया है कि जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। जिससे पहले से व्याप्त भेदभाव कुछ हद तक कम हुआ, परन्तु इसके बाद भी नारी शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर किसी भी दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं था। आजादी के उपरान्त भी स्त्रियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिये कई प्रयास किये गये।

1948 के विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्त्री शिक्षा के महत्व का उल्लेख उसके घर व सामान्य दोनों रूपों में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, ''स्त्री का सबसे बड़ा व्यवसाय 'घर का बनाना' है और सम्भवतः आगे भी यही चलता रहेगा परन्तु उसकी दुनिया इसी सम्बन्ध तक सीमित नहीं रह जानी चाहिए।'' स्त्री शिक्षा पर जोर देकर आयोग ने यह भी कहा है कि,''अगर शिक्षा को पुरुषों या स्त्रियों तक सीमित रखना है तो सर्वप्रथम स्त्रियों को सुलभ की जानी चाहिए क्योंकि इस उपाय से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा को आसानी से बढ़ाया जा सकता है।''

मुदालियर शिक्षा आयोग ने महिला शिक्षा के लिए कहा कि बालक व बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार, जहां आवश्यक हो बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोलने की व्यवस्था करे। सरकार सह शिक्षा वाले विद्यालयों में पढने वाली बालिकाओं की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में अध्यापिकाओं की नियुक्ति करे।

1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हुआ जिसने स्त्री शिक्षा पर विचार व्यक्त करते हुये कहा कि, ''स्त्री शिक्षा के प्रसार का भार केन्द्र सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए, केन्द्र सरकार को सभी राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए।''प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करनी चाहिए।

1969 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन हुआ जिसके अनुसार सरकार को विद्यालय स्तर पर बालिकाओं एवं प्रौढ स्त्रियों की शिक्षा के लिए समय समय पर विचार करना चाहिए। स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।

1962 में हंसा मेहता समिति ने स्त्री शिक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए कहा कि बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये पाठ्यक्रम समान होना चाहिए अर्थात लिंग के आधार पर

किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि एक जनतंत्रीय और समाजवादी समाज का निर्माण हो सके।

1966 में कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा के सभी स्तरों व सभी पक्षों को सुधारने के लिए अपनी सिफारिशें दीं कि सर्वप्रथम दुर्गाबाई देशमुख समिति द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करना चाहिए। लड़कियों को पुस्तकें, लेखन सामग्री, पहनने के वस्त्र फ्री दिये जायें। प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो बालिकाओं के लिये अलग से विद्यालय खोले जायें। जिन बालिकाओं की 14 वर्ष की आयु में शादी हो गई है एवं पढ़ाई छोड दी हो उनके लिये पूर्ण कालिक या अंशकालिक पाठ्यक्रम स्थापित किये जायें तथा बालिकाओं को कुटीर उद्योगों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाये। माध्यमिक स्तर की जो बालिकायें हाईस्कूल करना चाहतीं हैं उनके लिये विशेष प्रकार के प्रोग्राम चलाये जाने चाहिए। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की उदार नीति का पालन किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को महिलाओं के बुनियादी स्तर में सुधार लाने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए एवं पहले से चली आ रही विकृतियों को समाप्त करने के लिए महिलाओं को समर्थन दिया जाना चाहिए। महिला निरक्षरता को दूर करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। उन सभी रुकावटों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो कि महिलाओं की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में बाधक हो। इस काम के लिए विशेष सहायक सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी।

1992 की संशोधित राष्ट्रीय नीति ने स्त्री शिक्षा के स्तर में बढ़ावा लाने के लिए कहा कि ऐसे स्थानों पर विद्यालय खोले जायें जहां पर महिलाओं की साक्षरता की दर कम हो। बालिकाओं के लिये विद्यालय की ड्रेस, पाठ्य पुस्तक आदि सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। प्रतिभावान बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। जो बालिकायें काम करती हैं उनके लिये विद्यालय के समय को कम करके उनके अनुरूप करना। बालिकाओं एवं शिक्षिकाओं के लिये छात्रावास की व्यवस्था की जाये एवं बालिका छात्रावास में एक महिला वार्डन की व्यवस्था की जाये। समाज में व्याप्त लिंग-भेद को समाप्त करने के लिये उच्च शिक्षा में महिलाओं को प्रदान की गई सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्नः- 1

1. बौद्ध दर्शन का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये श्री लंका जाने वाली महिला थी?

   (क) अनुपमा (ख) सुगीता (ग) संघमित्रा (घ) सुमेधा

2. ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है।

   (क) 2 (ख) 3 (ग) 4 (घ) 5

3. 1958 की राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्ष .... थीं।

9.5 स्त्री शिक्षा बढ़ाने के लिये विशिष्ट योजनाऐं (Specific Schemes to Promote Women Education)

उपर्युक्त शिक्षा नीतियों के परिणाम स्वरूप महिला शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ परन्तु यह नारी को समाज में उच्च स्थान प्रदान करने के लिये काफी नहीं थे। सन् 2001 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पूरे भारत में लागू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने एवं उन्हें बराबरी के आधार पर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने तथा लैंगिक असमानता समाप्त करने पर पूर्णत केन्द्रित है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये सर्व शिक्षा अभियान के तहत दो विशेष कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है-

9.5.1 नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमण्ट्री लेवल (NPEGEL):

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धित बाधाओं को दूर करने के लिये इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के तहत जुलाई2003 में की गई। महिला शिक्षा एवं जागरुकता को बढ़ावा देने के लिये एवं समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेंट्री लेवल) सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वन ऐसे स्थानों पर किया गया जो विकास खण्ड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं एवं जहां पर लैंगिक असमानता अधिक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कक्षा 1 से 8 तक की उन सभी बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है जो कि प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गई हैं। एनपीईजीईएल के अन्तर्गत निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर कार्य किया जा रहा है-

- ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करना जिनका नामांकन विद्यालय में है परन्तु वे नियमित रूप से विद्यालय में नहीं आती हैं। एवं उनके माता-पिता व अभिभावकों को प्रेरित करना कि वे अपनी बच्चियों को विद्यालय में नियमित रूप से भेजें।
- ऐसी बालिकायें जिनका नामांकन किसी भी विद्यालय में नहीं है उन्हे उनके निवास स्थान के सबसे समीपस्थ विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
- ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करना एवं उन पर विशेष ध्यान देना जिन्होने विद्यालय में पढाई गई विषय वस्तु को नहीं समझ पाने के कारण अथवा किसी कारण अपनी उपेक्षा महसूस होने की वजह से विद्यालय आना त्याग दिया है।
- प्रारम्भिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना।
- शिक्षा से वंचित महिलाओं के लिये अलग से विशेष संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हे शिक्षा प्रदान करना।
- जहां पर कोई बालिका अपने घर के कार्य की वजह से या अपने छोटे भाई या बहन की देखभाल के कारण विद्यालय में नहीं आती है, ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करना एवं उनके माता पिता को प्रोत्साहित करना कि वे अपनी बालिकाओं को नियमित विद्यालय भेज सकें ताकि महिला शिक्षा के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आ सके।

- न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले विकास खण्ड में एक विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय के रूप में परिवर्तित करना।
- आदर्श विद्यालय में पूर्ण नामांकन एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु पूर्ण प्रयास करना।
- आदर्श विद्यालयों में उपकरण, खेल सामग्री, सहायक पाठ्य सामग्री, व्यवसायिक प्रशिक्षण, आत्मरक्षा, जीवन यापन से सम्बधित शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध होनी चाहिए।
- शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करना।
- बालिकाओं के लिये उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
- पाठ्यक्रम में जीवन कौशल, आत्म रक्षा जैसे अतिरिक्त विषय भी जोडे जायें।

9.5.2 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना(KGBVY):

ऐसे विकासखण्ड जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं वहां पर बालिकाओं को 8 वीं कक्षा तक की पढाई करने लिये कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय दूसरी सबसे बडी योजना है। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये 750 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खोले गये। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल, 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में पृथक कर दिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य शाला त्यागी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना है। ऐसे विकासखण्ड जहां पर 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय दर से कम है एवं लैंगिक असमानता राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जा रही है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना ऐसे स्थानों पर भी की जा रही है जहां पर बालिकाओं को पढने के लिये बहुत दूर जाना पडता है जिस कारण वे अपनी पढाई अधूरी छोडकर ही घर पर बैठ जाती हैं। वर्तमान में 27 राज्यों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, कामकाजी बालिकाऐं, अनाथ बालिकाऐं तथा 25 प्रतिशत उन बालिकाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान किये जाते हैं जिनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना पूर्णत आवासीय योजना है। विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा प्रदान की जाती है। जिन बालिकाओं ने प्राथमिक शिक्षा गृहण न की हो उनके लिये ब्रिज कोर्स की स्थापना भी की गई है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को पढाने के लिये अलग से स्टाफ की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक महिला वार्डन का चयन, पूर्णकालिक पद शिक्षक, विषय पर आधारित अंशकालिक शिक्षक एवं सुरक्षा हेतु गार्ड सम्मिलित हैं। वार्डन एवं अन्य शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक अथवा कोई शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में पदस्थ स्टाफ का विवरण निम्नवत् है -

वार्डन	1
फुल टाईम शिक्षक	3
पार्ट टाईम शिक्षक	3
लेखाकार	1
रसोइया	3
चपरासी- सहचौकीदार	3

9.5.3 बालिका समृद्धि योजना–

बालिका समृद्धि योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना है। जिसके अन्तर्गत उन सभी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनके परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि वे भी शिक्षा गृहण कर सकें। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक की छात्राओं को छात्रवत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति के योग्य बालिकाओं की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका विभाग की होती है।

9.5.4 साक्षर भारत मिशन–

साक्षर भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 8 सितम्बर 2009 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर करना है। इसके तहत उनको शिक्षा प्रदान की जाती है जिन्होने किसी कारणवश शिक्षा गृहण नहीं कर पाई है एवं शिक्षा प्राप्त करने की सामान्य उम्र पार कर चुके हैं। साक्षर भारत अभियान राजस्थान के 31 जिलों में संचालित हो रहा है।

9.5.5 महिला छात्रावास योजना–

यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना के अन्तर्गत आयोग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को महिला छात्रावास बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि करना एवं उनके अध्ययन में गुणवत्ता लाना है।

9.5.6 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान –

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत विद्यालय में गणवेश, छात्रवृत्ति एवं शैक्षिक सामग्री जैसे पुस्तकें आदि प्रदान की जाती हैं। इस अभियान के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों में यह प्रयास किया जाता है कि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके।

अभ्यास प्रश्नः- 2

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई।

   (क) 2008 में (ख) 2004 में (ग) 2009 में (घ) 1986 में।

2. बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत.............................की कक्षा की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी प्रदान की जाती है।

3. महिला छात्रावास योजना के लिये आर्थिक सहायता..........................देता है।

9.6 हाशिए पर स्थित समाज के खंड की शिक्षा के लिए प्रयास (Effort for Education of Marginalized Section of the Society)

वैदिक काल से ही समाज में शूद्र सदैव उपेक्षित वर्ग रहा है। जिस कारण उनकी स्थिति सदैव ही दयनीय रही है। वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी जिस कारण वे पिछडते ही जा रहे थे। प्राचीन काल में दलित वर्ग के लोगों को भग्न पुरुष कहा जाता था। परन्तु समाज की इस खाई को पाटने का कार्य बौद्ध काल से प्रारम्भ हुआ। महात्मा बौद्ध द्वारा संघ की स्थापना की गई एवं समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ जिस कारण उपेक्षित वर्ग को शिक्षित समाज में अपना स्थान बनाने में कुछ हद तक कामयाबी प्राप्त हुई। परन्तु उच्च वर्गों के शासन के फलस्वरूप एवं उपेक्षित होने के कारण समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने में शूद्र असफल रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हाशिए पर स्थित समाज के खंड की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किये गये। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सर्वप्रथम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अलग ढंग से विकलांग छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये कई सुझाव दिये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है-

अनुसूचित जातियों की शिक्षा-

- निर्धन परिवारों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजें।
- जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधायें क्रमिक रूप से बढ़ाई जायें।
- अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए नये-नये तरीके खोजने के निरन्तर प्रयास किये जायें।
- आंगनवाड़ी, स्कूल भवनों एवं प्रौढ़ शिक्षा भवनों के निर्माण का स्थान चयन करते समय अनुसूचित जाति के लोगों की पूर्ण भागीदारी की एवं सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- अनुसूचित जातियों के बच्चों के विद्यालय में प्रवेश लेने एवं पढाई पूरी करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट को रोकने के लिए सूक्ष्म आयोजना एवं निरंतर जांच पडताल होनी चाहिए।

- सफाई कार्य में लगे हुये, चर्म उतारने जैसे व्यवसायों मे लगे हुये परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये उन्हे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति पहली कक्षा से प्रदान की जाये। जबकि उनके परिवार की आय को ध्यान में न रखते हुये समस्त बच्चों को इस योजना में सम्मिलित कर लाभ प्रदान किया जाये।

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा-

- पढे लिखे एवं प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके ही क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं आश्रमशालाऐं खोली जायें।
- आंगनवाडियां, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ शिक्षा केन्द्रों को आदिवासी इलाकों में अधिक से अधिक खोला जाये।
- पाठ्यक्रम निर्माण में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनकी संस्कृति एवं सभ्यता उसमें निहित हो।
- प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम उनकी लोक भाषा होनी चाहिए एवं बाद में उसे राज्य की भाषा से जोड दिया जाये।
- आदिवासियों की जीवन शैली एवं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाये ताकि वे योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।
- विद्यालय भवनों के निर्माण, रोजगार सम्बन्धी योजनाओं एवं जनजातीय कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को लागू करने के लिये आदिवासी इलाकों को प्राथमिकता दी जाये।

अन्य पिछडा वर्ग की शिक्षा -

- वे सभी वर्ग जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र वालों को समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- पहाड़ी एवं दूरस्थ इलाकों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समुचित मात्रा में शिक्षण संस्थाएं खोली जायेंगी ताकि समाज का अन्तिम छोर भी शिक्षित हो सके।

विकलांगों की शिक्षा-

- यदि कोई बालक मामूली रूप से विकलांग है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था अन्य सामान्य बच्चों के साथ की जाये।
- यदि छात्र गम्भीर रूप से विकलांग है तो उसके लिये छात्रावास का प्रबन्ध किया जाये। जहां तक सम्भव हो इस प्रकार के विद्यालय जिला मुख्यालय में खोले जायें।
- विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा।
- विकलांग बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी सभी विद्यालयों में समुचित प्रबन्ध किया जायेगा।

- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा या उनके प्रशिक्षण में बदलाव किया जायेगा ताकि वे विकलांग बच्चों की समस्याओं को आसानी से समझ सकें एवं उनका आसानी से निराकरण कर सकें।

अभ्यास प्रश्नः- 3

1. प्राचीनकाल में दलित वर्ग के लोगों को .... कहा जाता था।
2. महात्मा गांधी दलित वर्ग के लोगों को .... कहते थे।

9.7 हाशिए पर स्थित समाज के खंड के लिये शिक्षा प्रावधान (Educational Provisions for Marginalized Section of the Society)

अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अलग ढंग से विकलांग छात्रों के ज्ञान की वृद्धि के लिए समुचित प्रयत्न किये गये एवं समुचित विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समाज के इस खण्ड को शिक्षा से जोडने के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनायें चलाई जा रहीं हैं। जिसमें विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिये अलग से छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये महाविद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। हाशिए पर स्थित समाज के खंड को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिये अनेक योजनाये चलाई जा रही हैं जिनमें से मुख्य योजनाओं का विवरण निम्नवत् है-

9.7.1 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना –

भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना से कक्षा 1 से 10 तक के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनके परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े हुये हैं।

9.7.2 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना –

भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो मैट्रिक पास कर चुके है एवं अध्ययन जारी रख कर आगे की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। अन्य तकनीकि ज्ञान जैसे औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि में अध्ययन कर रहे है छात्र इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के योग्य होते हैं।

9.7.3 नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज –

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत उन सभी विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनका विकलांगता का प्रतिशत 40 से अधिक है एवं मैट्रिक पास कर चुके हैं तथा उच्च शिक्षा

गृहण करना चाहते हैं। तकनीकि शिक्षा गृहण करने के इच्छुक विकलांग विद्यार्थी भी इस योजना में सम्मिलित किये जाते हैं।

अभ्यास प्रश्नः- 4

1. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में कितने महिनों के लिये दी जाती है -

   (क) 12 माह (ख) 11 माह (ग) 10 माह (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. विकलांग सम्बन्धित छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये विकलांगता का प्रतिशत कम से कम होना चाहिए।

   (क) 30 प्रतिशत (ख) 40 प्रतिशत (ग) 50 प्रतिशत (घ) 55 प्रतिशत

9.8 सारांश (Conclusion)

स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा में समानता प्राप्त होते हुये भी वर्तमान में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है जिसका मुख्य कारण प्राचीन काल से ही स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा एवं आज भी कुछ संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं। प्राचीन काल से महिला एवं पुरुष के मध्य की शैक्षिक खाई को पाटने में एवं महिलाओं केशैक्षिक स्तर में वृद्धि करने में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमण्ट्री लेवल जैसी योजनाओं ने काफी हद तक मदद की है, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। योजनाओं का इतना व्यापक प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी कई क्षेत्रों की बालिकायें इन योजनाओं से वंचित हैं जो कि सरकार की नीतियों पर एक प्रश्न चिन्ह है। अतः सरकार को चाहिए कि ऐसी कुछ अन्य योजनाओं को लागू करें एवं पहले से संचालित योजनाओं में अपेक्षित सुधार करें ताकि महिला शिक्षा के स्तर में एक गुणोत्तर वृद्धि सामने आये। इन योजनाओं की निगरानी के लिए अलग से समितियां गठित हों एवं उनके सुझावों पर योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करे।

स्त्री शिक्षा की भांति अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति भी समाज में उपेक्षित वर्ग थे परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आई शिक्षा नीतियों के परिणमस्वरूप आज समाज के इस हिस्से ने काफी उन्नति की है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा के स्तर में और सुधार लाने के लिये एवं विद्यालय में छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नई-नई छात्रवृत्ति व अन्य योजनाये लागू की जा रही है जिससे यह निश्चित है कि यह वर्ग शिक्षा के क्षेत्र के किसी से भी पीछे नहीं रहेगा।

9.9 शब्दावली (Vocabulary)

- **जेंडर:** पुरुष और स्त्रियों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक आधार पर किया गया अंतर
- **प्रारम्भिक शिक्षा:** छः वर्ष के बाद ग्यारह या बारह वर्ष तक की शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है।
- **छात्रवृत्ति:**बच्चों को शिक्षा पूरी करने के लिए प्रदान की गयी आर्थिक मदद छात्रवृत्ति कहलाती है।

- **साक्षरता:** पढने-लिखने की क्षमता।
- **छात्रावास:**वह स्थान जहाँ बहुत से छात्र/छात्रा निवास करते हैं।
- **सिंहावलोकन:** पुन: सोचने, तथ्यों को दोहराने तथा उनकी स्पष्ट समीक्षा करके उचित निष्कर्ष निकलना

9.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न - 1

1. संघमित्रा 2. 4 3.श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख

अभ्यास प्रश्न - 2

1. 2004 2. 1-10 तक 3.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अभ्यास प्रश्न - 3

1. भग्न पुरुष 2. हरिजन

अभ्यास प्रश्न - 4

1. 10 माह 2. 40 प्रतिशत

9.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. वैदिक काल एवं बौद्ध काल में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति की तुलना कीजिए।
2. ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा के प्रोत्साहन के प्रयास कहाँ तक सफल हुए, विवेचना कीजिए।
3. महिला शिक्षा प्रोत्साहन के लिये चलाई गई विभिन्न नीतियों का वर्णन करें।
4. हाशिए पर स्थित समाज के खंड के लोगों को सरकार की योजना से किस हद तक लाभ प्राप्त हुआ है? अपने शब्दों में वर्णन करें।
5. भारत सरकार द्वारा संचालित जेंडर आधारित योजनाओं (एनपीईजीईएल,केजीबीवीवाई) का वर्णन कीजिये |

9.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची(Reference Book List)

- भंडारे, उद्धव तुकाराम (2014), ''भारतीय महिलाऐं: बदलते परिप्रेक्ष्य'' नई दिल्ली : एक्सिस बुक प्राइवेट लिमटेड.
- मदन, जी. आर., ''भारत में समाज कार्य एवं सामाजिक पुनर्निमाण'' मसूरी:सरस्वती सदन.
- कुमार, हेमन्त,कुमार गौरव एवं कु. अनुराधा (2008)''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा'' लुधियाना : विनोद पब्लिकेशन्स.

- सोनी, राम गोपाल (2008)‘‘भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास’’ आगरा : राखी प्रकाशन.
- अग्रवाल, जे. सी. (2006), ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’’ नई दिल्ली:प्रभात प्रकाशन
- सारस्वत, स्वप्निल एवं सिंह, निशांत (2004), ‘‘समाज राजनीति और महिलाऐं : दशा और दिशा’’ नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशन.
- शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2004), ‘‘भारत में समाज’’ जयपुर : पंचशील प्रकाशन

इकाई - 10

मैकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, गोखले विधेयक, वर्धा योजना, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग/सैड्लर आयोग, हार्टोग समिति, एबाट- वुड रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट

Macaulay's Minutes, Wood's Despatch, Hunter Commission, Gokhle Bill,ardha Scheme, Calcutta University Commission/Sadler Commission, Hartog Committee, Abbot-Wood Report, Sergent Report

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 मैकाले मिनट्स (Macaulay's Minutes)

10.4 वुड डिस्पैच (Wood's Despatch)

10.4.1 वुड घोषणा-पत्र की प्रमुख बातें

10.4.2 वुड घोषणा-पत्र की प्रमुख सिफारिशें

10.5 हंटर आयोग (Hunter Commission)

10.5.1 आयोग की नियुक्ति के कारण

10.5.2 हंटर आयोग के उद्देश्य

10.5.3 हंटर आयोग की सिफारिशें तथा सुझाव

10.5.4 आयोग का मूल्यांकन

10.6 गोखले विधेयक (GokhleBill)

10.7 वर्धायोजना (Wardha Scheme)

10.7.1 वर्धा योजना के सिद्धांत

10.7.2 वर्धा शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम

10.7. 3 वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएँ

10.8 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग/सैड्लर आयोग (Calcutta University Commission/Sadler Commission)

10.9 हार्टोगसमिति(Hartog Committee)

10.10 एबाट- वुड रिपोर्ट (Abbot-Wood Report)

10.11 सार्जेंट रिपोर्ट (Sargeant Report)

10. 12 सारांश

10.13 शब्दावली

10.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.15 निबंधात्मक प्रश्न

10.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.1 प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा की विकास यात्रा का इतिहास अत्यंत विस्तृत है | इसमें प्राचीन कालीन वेदों की शिक्षा से लेकर ब्रिटिश काल की शिक्षा सम्मिलित है | प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू की गई मैकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच योजना, हंटर आयोग, गोखले विधेयक, वर्धायोजना, कलकत्ता विश्वविद्यालय, हार्टोग समिति, एबाट- वुड रिपोर्ट तथा सार्जेंट रिपोर्ट योजनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे |

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- औपनिवेशिक काल में भारत में हुई शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति का अध्ययन कर सकेंगे |
- मैकाले की शिक्षा योजना मैकाले मिनट्स का अध्ययन कर सकेंगे |
- वुड डिस्पैच योजना का अध्ययन कर सकेंगे |
- हंटर आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर सकेंगे |
- गोखले विधेयक की योजनाओं का अध्ययन कर सकेंगे |
- वर्धायोजना की संस्तुतियों का अध्ययन कर सकेंगे|
- कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग/सैड्लर आयोग का अध्ययन कर सकेंगे |
- हार्टोग समिति का अध्ययन कर सकेंगे |
- एबाट- वुड रिपोर्ट का अध्ययन कर सकेंगे |

- सार्जेंट रिपोर्ट का अध्ययन कर सकेंगे |

10.3 मैकाले मिनट्स (Macaulay's Minutes)1835

भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले के द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार – प्रसार हेतु एक मील का पत्थर है | मैकाले के प्रस्तुत घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा और स्वरुप प्रदान किया | जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने "गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1833" पास किया तो मैकाले को गवर्नर जनरल काउन्सिल (जिसे सुप्रीम काउन्सिल ऑफ़ इंडिया कहते थे) का विधि सदस्य (law member) नियुक्त किया | अत: मैकाले 1834 में भारत आया | यहाँ उसे "कमेटी ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन" का अध्यक्ष भी बनाया गया | वह अंग्रेजी का प्रकाण्ड ज्ञाता और अपने लेखों तथा व्याख्यानों से लोगों में जीवन का संचार कर देता था | इसी ज्ञान के भंडार के साथ मैकाले ने भारत में प्रवेश किया और उनके आते ही तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बैटिंक ने बंगाल की ' लोक शिक्षा समिति' का प्रधान नियुक्त कर दिया | इस कमेटी में दस सदस्य थे जिनमें से आधे सदस्य तो संस्कृत, फारसी, अरबी की शिक्षा जारी रखने के समर्थक थे, पर शेष आधे अंग्रेजी की और यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में थे | इस विवाद को समाप्त करने के लिए तथा कंपनी के कर्मचारीऔर कंपनी के डायरेक्टरों की इच्छा को लागू करने की दृष्टि से मैकाले ने अपने विवरण-पत्र में तीन नीतिगत बातें कहीं :

1. हमें अपना राज्य सुदृढ़ करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो रक्त और रंग में तो भारतीय हों, पर रुचियों में, दृष्टिकोण में, नैतिकता में और बुद्धि में अंग्रेज़ हों, ऐसे लोग तभी तैयार किए जा सकते हैं जब उन्हें यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाए | अत: हमें यह राशि "यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान" (इसी को अब हम लोग "आधुनिक ज्ञान-विज्ञान" कहने लगे हैं) के प्रसार पर खर्च करनी चाहिए |
2. इसके लिए अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना होगा क्योंकि भारतीय भाषाएँ इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि उन्हें यूरोपीय भाषाओं से संपन्न किए बिना उनमें यूरोपीय ज्ञान- विज्ञान का अनुवाद तक संभव नहीं|
3. यह शिक्षा सबको नहीं, समाज के केवल विशिष्ट वर्ग को देनी चाहिए | यह विशिष्ट वर्ग ही इस ज्ञान-विज्ञान का प्रसार देश के अन्य लोगों में देशी भाषाओं के माध्यम से (कृपया इन शब्दों पर ध्यान दें, "देशी भाषाओं के मध्यम से") कर लेगा | इसे ही शिक्षा-शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में "अधोमुखी निस्यन्दन सिद्धांत (downward filtration theory)" कहते हैं | मैकाले के निम्नलिखित शब्द ध्यान देने योग्य हैं "We must at resent do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern… a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country,to enrich those dialects with terms of science borrowed from western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population."

मैकोले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा-हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिन्दुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे| |

मैकोले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी वो, उसमे वो लिखता है कि "इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने परम्पराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएँ इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी "|

अंग्रेजी का शिक्षा के माध्यम के रूप में अधिकृत और व्यवस्थित प्रयोग लार्ड मैकाले के उस विवरण पत्र (1835) का परिणाम था जो उसने ब्रिटेन की संसद के नए आज्ञा-पत्र (चार्टर 1833) को व्यावहारिक रूप देने के लिए तैयार किया था | आज्ञा-पत्र को अंतिम रूप देने से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए 5 सितम्बर 1827 को गवर्नर जनरल को पत्र में लिखा कि शिक्षा के लिए निर्धारित धन उच्च और मध्य वर्ग के ऐसे भारतीयों की शिक्षा पर ही खर्च किया जाए जो हमारे शासन के लिए "एजेंट" का काम करें | उस समय स्कूल चलाने वाले प्राय: तीन तरह के लोग थे :

1. कंपनी के कर्मचारी/व्यापारी, जो अपने बच्चों के लिए इंग्लैंड के स्कूलों जैसी शिक्षा देना चाहते थे |
2. ईसाई मिशनरी जो मुख्य रूप से ईसाई धर्म की शिक्षा देते थे | मिशनरियां धर्म प्रचार का काम सामान्यतया समाज के निर्धन लोगों के बीच करती थी | अत: वे अपनी शिक्षा में किसी व्यवसाय की शिक्षा भी शामिल करते थे ताकि धर्मान्तरित लोगों का आर्थिक स्तर सुधर सके, और
3. भारतीय जिसमें हिंदु और मुसलमान दोनों थे जिनमें से क्रमश: पाठशाला/आश्रम, मकतब/मदरसे वाली शिक्षा देना चाहते थे। यों तो इन सभी की नज़र उक्त राशि पर लगी हुई थी, पर ईसाई मिशनरी इस पर अपना विशेषाधिकार समझते थे |

2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में दिया लार्ड मैकाले ने अपने भाषण में कहा की "मैंने भारत की ओर-छोर की यात्रा की है पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भीख मांगता हो या चोर हो | मैंने इस मुल्क में अपार संपदा देखी है। उच्च उदात्त मूल्यों को देखा है। इन योग्यता मूल्यों वाले रीढ़ ही ना तोड़ दें, और भारत की रीढ़ है, उसकी आध्यात्मिक और सांस्क्रतिक विरासत| इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हम बदल दें। उसकी संस्कृति को बदलें ताकि हर भारतीय यह सोचे कि जो भी विदेशी है, वह बेहतर है। वे यह सोचने लगें कि अंग्रेजी भाषा महान है अन्य देशी भाषाओं से | इससे वे अपना सम्मान खो बैठेंगे। अपनी देशज जातीय परंपराओं को भूलने लगेंगे और फिर वे वैसे ही हो जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, सचमुच एक आक्रांत एवं पराजित राष्ट्र | ”

काफी विचार विमर्श के पश्च्यात 7 मार्च 1835 को मैकाले का घोषणा पत्र लागू हुआ | जिसकी रूपरेखा इस प्रकार से थी –

1. ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारत वासियों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है| अत: केवल इसी कार्य के लिए शिक्षा सम्बन्धी राशी व्यय की जाएगी|
2. प्राच्य-शिक्षालयों का बहिष्कार तथा उन्मूलन नहीं किया जायेगा| उनके अध्यापकों तथा छात्रों को पूर्व के समान ही वेतन एवं छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी|
3. भविष्य में प्राच्य शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं होगा, अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने में व्यय किया जायेगा|
4. एन सुधारों से बचा हुआ धन भारतीयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने में व्यय किया जायेगा|

उपरोक्त वर्णित रूपरेखा से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अंग्रेजी शासन-काल में ही स्वयं मैकाले की दृष्टि में कोई "स्थायी व्यवस्था" नहीं, केवल "तात्कालिक अस्थायी व्यवस्था" थी क्योंकि मैकाले का अंतिम उद्देश्य सामान्य जनता में यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का प्रसार "देशी भाषाओं के माध्यम" से करना था| गवर्नर जनरल बेंटिंक ने इस विवरण पत्र को स्वीकार कर लिया| साथ ही, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीयों को आकर्षित करने, कंपनी के माल की बिक्री बढ़ाने तथा कंपनी का व्यय कम करने की दृष्टि से उसने कंपनी की सरकारी नौकरी में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को कम वेतन पर ऊँचे पद देने शुरू कर दिए| पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज़ इस देश के उद्योग-धंधों को जिस तरह नष्ट कर चुके थे और परिणामस्वरुप अर्थ व्यवस्था की जो दुर्दशा हो चुकी थी|

10.4 वुड डिस्पैच (Wood's Despatch) 1854

'बोर्ड ऑफ़ कन्ट्रोल' के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई, 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे 'वुड का डिस्पैच' कहा गया| 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था| इस घोषण पत्र को भारतीय शिक्षा का 'मैग्ना कार्टा' भी कहा जाता है| प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उददेश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेज़ी भाषाके माध्यम से दिये जाने पर बल दिया गया, परन्तु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया| ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालायें स्थापित हुईं और इनके साथ ही ज़िलों में हाईस्कूल स्तर के 'एंग्लो-वर्नाक्यूलर' कालेज खोले गये| घोषणा-पत्र में सहायता अनुदान दिये जाने पर बल भी दिया गया था|

10.4.1 वुड घोषणा-पत्र की प्रमुख बातें

वुड घोषणा-पत्र की प्रमुख बातें अग्रलिखित है –

1. शिक्षा सम्बन्धी एक स्थाई नीति निर्धारित कर उसकी समुचित व्यवस्था की आवश्यकता समझी गई|
2. शिक्षा के स्तर एवं उसके पाठ्यक्रम में सुधार या परिवर्तन लाने की आवश्यकता समझी गई|
3. अंग्रेजी शिक्षा के विकास के साथ नवीन ढंग की शिक्षण-संस्थाओं की वृद्धि की आवश्यकता हुई|
4. शिक्षण माध्यम अंग्रेजी के साथ ही भारतीय भाषाओ को भी शिक्षण माध्यम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई|

10.4.2 वुड घोषणा-पत्र की प्रमुख सिफारिशें

10.4.2.1 शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षा का उद्देश्य भारतियों की बौद्धिक और चारित्रिक उन्नति करने के साथ ही ऐसे व्यक्तिओं को उत्पन्न करना था जो मजबूत बना सके और विश्वास के साथ राजपदों पर नियुक्त किये जा सके|

10.4.2.2 पाठ्यक्रम

पाश्चात्य संस्कृति का साहित्य ही भारतीयों के लिए उपयुक्त समझा गया पर साथ ही अरबी, संस्कृत एवं फारसी भी स्वीकार ली गई|

10.4.2.3अध्यापकों का प्रशिक्षण

अध्यापकों का स्तर उठाने के लिए प्रत्येक प्रेसीडेंसी में एक-एक शिक्षक – प्रशिक्षण-महाविद्यालय की स्थापना की सिफारिश गई|

10.4.2.4 लोक शिक्षा विभाग

1855 ई. में 'लोक शिक्षा विभाग' की स्थापना हुई| जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन-शिक्षा संचालक था|

10.4.2.5 शिक्षा और रोजगार

घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सरकारी पद पर नियुक्त किया जाए| छोटे-छोटे पदों के लिए निरक्षर के स्थान पर साक्षर को मौका दिया जाए|

10.4.2.6 विश्वविद्यालय

प्रस्ताव के अनुसार 'लन्दन विश्वविद्यालय' के आदेश पर बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 ई. में अस्तित्व में आये| 1847 ई. से पूर्व भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे| इसमें एक कुलपति, उप-कुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई| इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने एवं उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार होता था| तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में भी इस घोषणा पत्र में प्रयास किया गया| 'वुड डिस्पैच' की सिफ़ारिश के प्रभाव में आने के बाद 'अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त समाप्त हो गया|

10.4.2.7 क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना

शिक्षा को सुचारू रूप से चलने लिए क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया| इसमें प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का क्रम रखा गया|

10.4.2.8 शिक्षा का माध्यम

यूरोपियन ज्ञान के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया जबकि सामान्य अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ रही|

10.4.2.9 जन-समूह की शिक्षा

जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण आधार माना गया जिसके तहत सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई | यह सिफारिश भी की गई की निर्धन किन्तु योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ दी जाएगी |

10.4.2.10 अनुदान व्यवस्था

सरकार की ओर से अनुदान शिक्षालय भवन, पुस्तकालय तथा छात्रवृत्तियों एवं अध्यापकों के वेतन आदि के लिए था | यह अनुदान केवल धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं को देने की घोषणा की गई|

10.4.2.11 व्यवसायिक शिक्षा

विभिन प्रकार के उद्योगों के शिक्षण के लिए औद्योगिक स्कूल और कॉलेज खोलने को कहा गया | व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार देने की सिफारिश की गई |

10.4.2.12 स्त्री शिक्षा

नारी शिक्षा के लिए विद्यालयों को अनुदान दिया जायेगा |

इनके अलावा निम्नलिखित सुझाव दिए गये –

1. भारतीय भाषाओँ में पुस्तक लेखन एवं प्रकाशन का भी सुझाव दिया गया|
2. शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होगी |

भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड का घोषणा पत्र बेजोड़ है क्योंकि घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कर दिया था और पाठ्यक्रम में भारतीय मूल्यों को व्यापक स्थान प्राप्त था|

अभ्यास प्रश्न:-1

सही और गलत का चयन कीजिये |

1. चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई, 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी |
2. 'वुड काडिस्पैच' में 100 अनुच्छेद है |
3. 'वुड काडिस्पैच' घोषण पत्र को भारतीय शिक्षा का 'मैग्ना कार्टा' भी कहा जाता है |
4. 7 मार्च 1838 को मैकाले का घोषणा पत्र लागू हुआ|
5. मैकाले 1835में भारत आया था |
6. मैकाले को "कमेटी ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन" का सचिव भी बनाया गया |

10.5 हंटर आयोग (Hunter Commission)1882-83

चार्ल्स वुड के घोषणा-पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ई. में सरकार ने डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की| इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय और 14 विदेशी थे | आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था|

10.5.1 आयोग की नियुक्ति के कारण

हंटर आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित कारण थे-

1. वुड के घोषणा-पत्र की असफलता |
2. जनशिक्षा की अवहेलना |
3. पूर्व के शिक्षा सिद्धांतों, आयोगों, समितियों और क्रियाओं के स्वरुप और क्रियान्वयन में अंतर|
4. शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए |
5. मिशनरियों के आन्दोलन |

10.5.2 हंटर आयोग के उद्देश्य

हंटर कमीशन की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे-

1. भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना तथा उसके विकास में सहयोग में सहयोग देना |
2. उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन से प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा |
3. माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए |
4. सहायता-अनुदान प्रणाली के सम्बन्ध की नीति क्या होनी चाहिए |
5. भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या हो |

10.5.3 हंटर आयोग की सिफारिशें तथा सुझाव

10.5.3.1 प्राथमिक शिक्षा

1. प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण में शिक्षा का प्रसार करना निर्धारित किया जाए |
2. इस शिक्षा का प्रसार पिछड़ी हुई जातियों और आदिवासियों में विशेष रूप से किया जाये |
3. इस शिक्षा का प्रसार तथा संचालन का भार जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को दे देना चाहिए है |
4. इस शिक्षा में जीवन उपयोगी विषयों जैसे गणित, कृषि आदि को स्थान दिया जाए|
5. इस शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रत्येक निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक सामान्य स्कूल की स्थापना की जाए|
6. प्राथमिक शिक्षा को देश की शिक्षा प्रणाली का अंग घोषित किया जाए |

10.5.3.2 माध्यमिक शिक्षा

1. इसके लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए |
2. हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण किया जाए और उसके संचालन का भार वहाँ के निवासियों को दे दिया जाए|
3. माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार के पाठयक्रमों की व्यवस्था की जाए|
4. माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रत्येक स्थान पर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए|

5. शिक्षा के माध्यम में मातृभाषा को प्रमुखता दी गई पर इसके साथ कुछ ज्ञान अंग्रेजी का भी दिया जाए|

10.5.3.3 उच्च शिक्षा

1. कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपियन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए|
2. कॉलेजों के शिक्षकों की संख्या, व्यय, फर्नीचर, पुस्तकालय और भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सहायता अनुदान दिया जाए|
3. कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को छात्रों की रूचि के अनुसार विस्तृत करके उन्हें चयन करने का अवसर दिया जाए|

10.5.3.4 सहायता अनुदान प्रणाली

1. प्राथमिक स्कूलों के लिए 'परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली' का प्रयोग किया जाये|
2. सहायता अनुदान देते समय विद्यालयों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए|
3. विद्यालयों को पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता अनुदान दिया जाए|

10.5.3.5 धार्मिक शिक्षा

1. सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी|
2. गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दे सकते है परन्तु सरकार द्वारा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा|

10.5.3.6 मुसलमानों की शिक्षा

1. प्राचीन ढंग से शिक्षा देने वाले मुस्लिम स्कूलों कोप्रोत्साहित किया जाए|
2. जिन प्राथमिक स्कूलों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, उनमे फारसी की शिक्षा दी जाए|
3. मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृतियाँ दी जाए|
4. मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में उचित अनुपात में रखा जाए|

10.5.3.7 स्त्री शिक्षा

1. बालिकाओं के स्कूलों को अधिक अनुदान दिया जाए|
2. बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृतियाँ दी जाए |
3. बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए |
4. परदे में रहने वाली बालिकाओं को घर जाकर पढाने वाली अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए|
5. बालिकाओं के स्कूल के निरीक्षण करने के लिए निरिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए|

10.5.4 आयोग का मूल्यांकन

भारतीय शिक्षा के विकास में हंटर कमीशन का अद्वितीय योगदान है| हंटर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन हुए| भारत में शिक्षा के प्रति जाग्रति आई| इस आयोग के बाद भारत में प्राथमिक स्कूलों का एक जाल बिछ गया| फिर भी इस आयोग की कुछ कमियां थी जो निम्नलिखित है–

1. आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का अभाव|
2. जनसाधारण की शिक्षा की मांग की पूर्ति नहीं हो सकी|
3. समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने दो भागों में विभक्त कर दिया|
4. पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया गया|

10.6 गोखले विधेयक (GokhleBill) 1911

प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता को देखकर गोखले ने 16 मार्च, 1911 को केन्द्रीय धारा में अपना विधेयक रखा| इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारना और उसे मजबूत करना तथा शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत की क्रमशः लागू करना था| गोखले विधेयक की प्रमुख अनुसंशायें निम्नलिखित थी-

1. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन्हीं स्थानों में लागू की जाए जहाँ पर एक निश्चित संख्या में बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों| गवर्नर जनरल को यह प्रतिशत तय करने का अधिकार होगा|
2. सरकार की आज्ञा से ही संस्थाएँ उक्त नियम को लागू कर सकती है|
3. स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि इस नियम को वह चाहे तो पुरे क्षेत्र में लागू करें अथवा किसी भाग में|
4. 6 से 10 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रहेंगी|
5. नियमों का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंड दिया जायेगा|
6. लड़कियों के लिए भी धीरे-धीरे अनिवार्य कर दी जाएगी|
7. स्थानीय संस्थाएँ यदि उचित समझे तो शिक्षा कर लगा सकती है|
8. यदि अभिभावक की मासिक आय 100 रुपए से कम हो तो उस बालक से फीस न ली जाये|
9. सरकार शिक्षा का 2/3 भार उठाएगी|

किन्तु इस विधेयक को जनमत ना मिल पाने के कारण लागू नहीं किया जा सका और सारी योजनायें व्यर्थ हो गई|

अभ्यास प्रश्नः-2

सही और गलत का चयन कीजिये|

1. 1882 ई. में सरकार ने डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति की|
2. हंटर आयोग में 14 सदस्य भारतीय और 14 विदेशी थे|

3. यदि अभिभावक की मासिक आय 500 रुपए से कम हो तो उस बालक से फीस न ली जाये|
4. सरकार शिक्षा का 2/3 भार उठाएगी |
5. गोखले ने 16 मार्च, 1911 को गोखले बिल प्रस्तुत किया था|

10.7 वर्धा योजना (Wardha Scheme)1937

1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' के अन्तर्गत प्रान्तों में द्वैध शासन पद्धति समाप्त हो गयी | 1937ई. में गांधी जी ने अपने हरिजन के अंकों में शिक्षा पर योजना प्रस्तुत की, जिसे ही 'वर्धायोजना' कहा गया| वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए ही गाँधी जी ने इस शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया | इस योजना को बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम, आधारभूत शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, मौलिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है | इस योजना के अन्तर्गत गांधी जी ने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं प्रशासन का सुझाव दिया। योजना में सर्वाधिक महत्व हस्त उत्पादन कार्यों को दिया गया, जिसके द्वारा अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था किये जाने की योजना थी |

10.7.1 वर्धा योजना के सिद्धांत

वर्धा शिक्षा योजना के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित थे –

1. बच्चे की सम्पूर्ण शिक्षा का कोई शिल्प हाथ का काम हो |
2. अन्य विषयों की शिक्षा हस्तोधयोग के माध्यम द्वारा की जाए |
3. इस योजना में यह उम्मीद की गई कि शिक्षा कि इस प्रणाली से धीरे धीरे शिक्षकों का वेतन निकल आएगा |
4. प्रथम साथ वर्ष तक देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए|
5. शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को रखा जाए |

10.7.2 वर्धा शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम

वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया |

1. मातृभाषा
2. सामाजिक अध्ययन
3. सामान्य विज्ञान
4. अंकगणित
5. संगीत
6. चित्रांकन
7. हिन्दुस्तानी
8. गृह विज्ञान

9. कातना, बुनना, गेट का काम, चमड़े का काम, सिलाई, काष्ठ कर्म, फल सब्जियाँ उगाना, खेतीबाड़ी करना तथा स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कोई भी अन्य हस्तउद्योग जिसमे शिक्षा देना संभव हो|

अध्यापन कार्य हेतु नाटकीयकरण, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि को अपनाया था |

10.7. 3 वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएँ

वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएँ निम्नलिखित है –

1. नागरिकता की शिक्षा देना |
2. श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करना |
3. गृह उद्योगों को प्रोत्साहित करना |
4. समावयी शिक्षा |
5. बालक की क्रियाशीलता को महत्त्व देना |
6. भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाना|
7. जीवन से सम्बन्ध |
8. मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित|
9. सामाजिक और राष्ट्रीय भावना का विकास |

1966 में कोठारी शिक्षा आयोग ने बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की सिफारिश कर दी | उसने बेसिक शिक्षा के कार्यानुभव को अपने प्रतिवेदन में स्थान दिया पर बुनियादी तालीम के नाम से परहेज किया | बेसिक शिक्षा के नाम पर विद्यालयों को खूब धनराशि प्राप्त हुई जिसका दुरूपयोग हुआ | रातों रात साइन बोर्ड बदलकर परंपरागत स्कूल बेसिक स्कूल बन गए परन्तु उनमें वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा की गई| वर्तमान में केवल वर्धा शिक्षा का नाम ही शिक्षा में मौजूद है |

10.8 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग/सैड्लर आयोग (Calcutta University Commission/Sadler Commission)

1917 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम.ई. सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया | इस आयोग में दो भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद तथा डॉ. ग्रीगरी, सर फिलिप हार्टोग, रैमसे म्योर सदस्य थे | इस आयोग ने कलकत्ता विश्विद्यालय के साथ-साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया। आयोगने 1904 ई. के 'विश्वविद्यालय अधिनियम' की कड़े शब्दों में निंदा की। आयोग के मुख्य सुझाव थे

1. इंटर व उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए |

2. स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए |
3. ऐसी शिक्षण संस्थायें स्थापित करने का सुझाव दिया गया, जो इण्टरमीडिएट महाविद्यालय कहलाये। ये महाविद्यालय चाहे तो स्वतन्त्र रहें या फिर हाई स्कूल से सम्बद्ध हो जायें |
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा पास करके ही विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करें |
5. ढाका में एक पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना तुरंत होना चाहिए|
6. कलकत्ता शहर की शिक्षा व्यवस्था एकत्र कर कलकत्ता में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए |
7. देहात में कॉलेजों का विकास इस प्रकार किया जाए कि कुछ स्थानों पर धीरे धीरे उच्च-शिक्षा के केंद्र स्थापित हो जाए, जो बाद में विश्वविद्यालयों में सुगमता से परिणत हो सकें|
8. विश्वविद्यालय के शासन प्रबन्ध के नियम कुछ कोमल बना दिए जाए |
9. विश्वविद्यालय में अधिक योग्य विद्यार्थियों के लिए साधारण अध्ययन-क्रम के अतिरिक्त 'आनर्स कोर्स' की भी व्यवस्था होनी चाहिए |
10. डिग्री कोर्स, इण्टरमीडिएट के बाद तीन वर्ष का कर दिया जाए |
11. विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और रीडरों की नियुक्ति विशिष्ट समितियों के हाथ हो, जिसमें योग्य विदेशी अधिकारि का भी हाथ हो |
12. मुसलमानों की पिछड़ी हुई दशा का ध्यान करके उन्हें प्रोत्साहित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए |
13. विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के उचित स्वास्थ्य के लिए एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए |
14. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक 'विद्यार्थी कल्याणरत –समिति' होनी चाहिए |
15. शिक्षित अध्यापकों की संख्या में तुरंत वृद्धि करनी चाहिए |
16. स्त्री शिक्षा को बढावा देना चाहिए |
17. प्रत्येक विश्वविद्यालय को क्रियात्मक विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए |
18. विश्वविद्यालयों में उपजीवी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए |

उपरोक्त की गई अनुशंषाओं के आधार पर भारत में 7 नये विश्वविद्यालयों मैसूर विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना की गई | शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया| शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया | माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत विकास हुआ | लोगों की बदती हुई मांग के अनुरूप माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई | माध्यमिक स्कूलों की संख्या 7530 हो गई और विद्यार्थियों की संख्या 6 लाख से बढकर 11,06,803 हो गई | परन्तु शिक्षकों के वेतन व काम करने की शर्तों की समस्या वैसी ही बनी रही | शैक्षणिक स्कूलों की स्थापना के कारण तकनीकी स्कूलों का आभाव हो गया |

10.9 हार्टोग समिति(Hartog Committee)1929

1929 ई. में 'भारतीय परिनीति आयोग' ने सर फ़िलिप हार्टोग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट हेतु एक सहायक समिति का गठन किया गया | समिति ने प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए | समिति की प्रमुख अनुसंशायें निम्नलिखित थी-

1. प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को उन्नति देनी चाहिए |
2. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए |
3. मैट्रिक स्तर की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाये |
4. वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 8 से शुरू कर देनी चाहिए |
5. संख्यात्मक विद्यालयों के स्थान पर गुणात्मक विद्यालयों पर जोर दिया जाये |
6. ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों को समिति ने वर्नाक्यूलर मिडिल स्तर के स्कूल पर ही रोक कर उन्हें व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया |
7. मिडिल स्कूल ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए |
8. अयोग्य विद्यार्थियों को व्यावसायिक व व्यापारिक शिक्षा देनी चाहिए |
9. शिक्षा में हो रहे अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए प्रयास करना|
10. बालिका शिक्षा पर ध्यान देना और प्रेरित करना |
11. पुस्तकालयों को प्रभावी और समर्थ बनाये |
12. विश्वविद्यालय ऐसे ही छात्र को प्रवेश दे एवं उसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे,जो उसके योग्य हो |
13. हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1935ई. में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' का पुनर्गठन किया गया|

10.10 एबट- वुड रिपोर्ट (Abbot-Wood Report)1937

भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए 1936-37 में मैसर्स एबट और वुड को आमंत्रित किया | भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण मूल्यांकन करने के पश्चात उन्होंने 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो एबट- वुड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है | इस रिपोर्ट में मैसर्स एबट और वुड के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे –

1. सामान्य शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर व्यवसायिक संस्थाओं की स्थापना की जाये |
2. उच्च विद्यालयों में प्राविधिक, व्यापारिक एवं कृषि जैसे विषयों का समावेश किया जाये |
3. बेरोजगारी को दूर करने के लिए देश में पोलिटेक्निक संस्थान खोले जाये|
4. नारी शिक्षा पर बल दिया जाये और उसमे उनकी रूचि और अभिवृति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाये |

इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पोलीटेक्निक संस्थान खोले गए| राज्यों में कृषि, औधोगिक एवं व्यापारिक विद्यालयों की स्थापना हुई|

10.11 सार्जेंट रिपोर्ट (Sergeant Report) 1944

1944 ई. में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल' (Central Advisory Board of Education) के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट जो भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे ने सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को 'भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना' तथा 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट' के नाम से भी जाना जाता है | सर जॉन सार्जेंट की यह रिपोर्ट 12 भागों में विभाजित है | इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के सभी स्तरों पर सुझाव व विचार व्यक्त किये गये | इस रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्ष के अन्दर ही शिक्षा के पुनर्निमाण कार्य को अन्तिम रूप देना था, किंतु इस समय सीमा को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया | इस योजना में इण्टरमीडियट श्रेणी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी | 'सार्जेण्ट योजना' के बाद15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल भी समाप्त हो गया । योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सुधार शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत किये गए-

1. प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना |
2. 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था वाले शिशुओं के लिए शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की जाये|
3. शिशु-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को सामाजिक अनुभव एवं शिष्टाचार सिखाना हो ना कि सामान्य शिक्षा प्रदान करना |
4. छ: से ग्यारह वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की गई |
5. ग्यारह से सत्रह वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाया जाये |
6. बेसिक शिक्षा का काल दो भागों में विभक्त किया गया – जूनियर बेसिक (6-11) और सीनियर बेसिक (11-14) |
7. दो प्रकार के उच्च विद्यालय होने चाहिए - एक विद्या विषयक और दूसरा तकनीकि एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए |
8. उच्च विद्यालय में प्रवेश चयन विधि द्वारा होना चाहिए |
9. उच्च विद्यालय में विद्यार्थिओं से शुल्क लिया जायेगा परन्तु 50% विद्यार्थिओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी |
10. उच्च विद्यालय में प्रवेश की सामान्य आयु 11 साल होनी चाहिए|
11. सरकार द्वारा विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए |
12. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए | नियमों में लचीलापन होना चाहिए|
13. पोलीटेक्निक कॉलेज राजधानी में खोला जाये |
14. जरुरत मंद और योग्य विद्यार्थियों को स्कॅालरशिप और सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए |
15. पाठ्यक्रम को सैधांतिक के स्थान पर व्यावहारिक बनाये जाये |
16. शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण मिलना चाहिए |
17. विश्वविद्यालयों से छात्रों के प्रवेश में कठोरता बरती जानी चाहिए |
18. उच्च विद्यालय से निकलने वाले 10-15% विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश देना चाहिए |

19. डिग्री कोर्स की अवधि 2 की जगह 3 वर्ष की जाये |
20. विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान कार्य और स्नातकोत्तर शिक्षा का स्तर बढाया जाये |
21. विश्वविद्यालयों के स्तर को बढाने के लिए योग्य शिक्षकों की भर्ती करना |
22. विभिन्न विश्वविद्यालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का संगठन किया जाये|

भारतीय शिक्षा के इतिहास में सार्जेंट रिपोर्ट का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान| अब तक देश में शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिए जितने सरकारी प्रयास किये गए है उनमें यह एक पूर्ण रिपोर्ट है| इस रिपोर्ट में दूसरे विश्वयुद्ध से उत्पन्न शैक्षणिक समस्याओं को हल करने तथा अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में भारत की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चेष्ठा की गई है|

अभ्यास प्रश्न:-3

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये |

1. ....के 'भारत सरकार अधिनियम' के अन्तर्गत प्रान्तों मेंद्वैध शासन पद्धतिसमाप्त हो गयी |
2. वर्धा योजना को ....भी कहते है |
3. 1966 में ....ने बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की सिफारिश कर दी |
4. 1917 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए ....के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया |
5. सैडलर आयोग ने 1904 ई. के ....की कड़े शब्दों में निंदा की |
6. 1929 ई. में 'भारतीय परिनीति आयोग' ने ....के नेतृत्व में शिक्षाके विकास पर रिपोर्ट हेतु एक सहायक समिति का गठन किया गया|
7. 1937 में ....अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो एबट- वुड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है |
8. ....ई. में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल' के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट जो भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद परनियुक्त थे ने सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की थी|
9. सार्जेंट रिपोर्ट को ....तथा.............................. के नाम से भी जाना जाता है |
10. सार्जेंट रिपोर्ट .... भागों में विभाजित है |

10. 12 सारांश

भारतीय शिक्षा की औपनिवेशिक काल की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करने के पक्ष में थे जिससे उन्हें सस्ते, इमानदार और विश्वासपात्र कर्मचारी मिल सके | मैकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच योजना, हंटर आयोग, गोखले विधेयक, वर्धायोजना, कलकत्ता विश्वविद्यालय, हार्टोग समिति, एबाट- वुड रिपोर्ट तथा सार्जेंट रिपोर्ट पड़ने के बाद से अंग्रेजो की नियत साफ हो जाती है | पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ की भारतीय अब अपने देश के प्रति सजग हो गए, उनमे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, उनमें शिक्षा के प्रति जागृति आई | जगह-जगह स्कूलों की स्थापना से शिक्षा के स्तर में

सुधार हुआ| गाँधी जी कि बुनियादी शिक्षा पूर्णरूप से श्रम, भारत के उत्थान और विकास पर आधारित थी|

10.13 शब्दावली

- **मील का पत्थर होना-** महत्वपूर्ण भूमिका निभाना
- **ध्वस्त करना-** नष्ट करना
- धर्मान्तरित लोग- किस धर्म विशेष के अंदर आने वाले लोग
- **मुल्क-** देश
- **बहिष्कार करना** – विरोध करना
- **क्रियान्वयन-** लागू करना
- **द्वैध शासन पद्धति** – दो प्रकार की शासन पद्धति

10.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य

5. असत्य 6. असत्य

अभ्यास प्रश्न -2

1. सत्य 2. असत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. सत्य

अभ्यास प्रश्न -3

1.1935 2. बेसिक शिक्षा 3. कोठारी शिक्षा आयोग 4.डॉक्टर एम.ई. सैडलर 5. 'विश्विद्यालय अधिनियम' 6.सर फ़िलिप हार्टोग 7. मैसर्स एबट और वुड 8. 1944 9. ‘भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना’ व ‘ केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट’ 10. 12

10.15 निबंधात्मक प्रश्न

- मैकाले की शिक्षा योजना पर प्रकाश डालिए|
- “वुड डिस्पैच योजना भारतीय शिक्षा इतिहास के अंतर्गत मील का पत्थर है| ” इस कथन की व्याख्या कीजिए|
- औपनिवेशिक काल की शैक्षणिक योजनाओं पर प्रकाश डालिए|
- सार्जेंट योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिये|
- हंटर समिति की शिक्षा योजना पर क्यों प्रसिद्ध थी? विस्तारपूर्वक समझाइए|

10.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- सक्सैना, एन०अर०,"शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत'
- पाठक, पी०डी० "भारतीय शिक्षा और उसकी सम्सयाएं"
- पाठक, पी०डी० एवं त्यागी, एस०डी०, "भारतीय शिक्षा के आयोग" आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर|
- रेड्डी, के०के०."भारत का इतिहास" नई दिल्ली: टाटा मैकग्रो हिल्स |
- विजयवर्गीय, एस०, (2005),"भारतीय शिक्षा का इतिहास", नई दिल्ली: राजपाल एंड सन्स |
- सिंह, एस०,(2006), 'शिक्षा के मूल सिद्धांत और प्रमुख शिक्षा नीति' नई दिल्ली: अर्जुन पब्लिशिंग हाउस|
- स्वामी, एस०, एवं देवी, एस०, "भारतीय शिक्षा और समाज" जयपुर: अरिहंत शिक्षा प्रकाशन |

इकाई – 11

भारत में ब्रिटिश शिक्षा

(ओरिएंटल – पाश्चात्य विवाद, ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा प्रणाली की समालोचना, राष्ट्रीय आन्दोलन और भारत की शिक्षा प्रणाली)

British Education in India

(Oriental – Occidental Controversy, A critique of educational system under British Rule, National movement and education system of India)

इकाई की रुपरेखा

11.1 प्रस्तावना
11.2 उद्देश्य
11.3 भारत में ब्रिटिश शिक्षा
11.4 ओरिएंटल– पाश्चात्य विवाद
11.5 ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा प्रणाली की समालोचना
11.6 राष्ट्रीय आन्दोलन और भारत की शिक्षा प्रणाली
11.7 सारांश
11.8 शब्दावली
11.9 निबंधात्मक प्रश्न
11.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

11.1 प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों, आश्रमों और मठों में दी जाती थी । मध्यकालीन भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदरसों की स्थापना की गई । भारत में आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल से हुई । भारत में अंग्रेजों का शासन लगभग एक शताब्दी तक रहा था । अंग्रेजों ने भारत में मुग़ल, मराठा और अफगानों की आपसी द्वंदता का फायदा उठाया और तीनों को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। "बांटों और जीतो" की नीति का अंग्रेजों ने भारत में प्रभावी ढंग से उपयोग किया था । उस काल में भारत कई भागों और विचारों में बंटा हुआ था । हिंदु- मुस्लिम, जात-पात, अमीर–गरीब की भावना लोगों में भरी हुई थी। इसी भावना ने भारत को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । भारत में ब्रिटिश शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को शिक्षा देना था जो उसके हित के कार्यों को करे और भारत में ब्रिटिश शासन की नीव को मजबूत करे। इसीलिए शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ जो अंग्रेजों के राज्य सम्बंधी शासन के हितों को ध्यान में रखकर ही

शिक्षा देती थीं। परन्तु अंग्रेजों द्वारा दी गई इसी शिक्षा ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और देश को आजाद करने में अहम योगदान दिया।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- ब्रिटिश काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था को समझ सकेंगे।
- ओरिएंटल और पाश्चात्य विवाद को समझ सकेंगे।
- ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा प्रणाली की समालोचना को बता सकेंगे।
- राष्ट्रीय आन्दोलन को समझ सकेंगे।
- भारत की शिक्षा प्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे।

11.3 भारत में ब्रिटिश शिक्षा

भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व देशी शिक्षा प्रचलित थी। मकतब, मदरसों, हिंदु पाठशालाओं, बंगाल में टोल और दक्षिणी भारत में अग्रहार में लोगों को शिक्षा दी जाती थी। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविक वास्कोडिगामा द्वारा जलमार्ग से भारत के पूर्वी तट कालीकट आने के बाद भिन्न-भिन्न ईसाई मिशनरी टोलियाँ भारत आने लगीं। इनमें प्रमुख रूप से डच, फ्रांस, डेन आदि मिशनरियां भारत आयीं और अपने-अपने धर्मों का प्रचार करने लगीं। यद्यपि अंग्रेजों का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था पर अन्य मिशनरियों के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने भी धार्मिक शिक्षा का सहारा लिया। टी. एन. सिक्वेरा ने लिखा है- **व्यापार के बाद इस देश में उनका झंडा लहराया और उसके साथ उनकी शिक्षा का आरंभ हुआ।**

"The flag followed trade. And with the trade came education."

-T.N.Siqueira: The Education of India, p.19.

अंग्रेजों द्वारा 1757 में प्लासी की विजय और उसके पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों का शासन भारत के अधिकांश भू-भाग पर हो गया। इस शासन को यथावत रखने के लिए शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा। यद्यपि इस शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों का स्वयं का हित था, न कि भारतीयों का, पर यहीं से भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ और अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा नीति का श्रीगणेश हुआ।

नूरुल्ला व नायक के अनुसार- **मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है।**

आधुनिक शिक्षा नीति के अंतर्गत सन 1833 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई जो निम्नलिखित हैं-

प्राथमिक विद्यालय- सन 1765 से पूर्व अंग्रेजों ने जनसाधारण की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार था। पर अपने कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ चैरिटी स्कूलों की स्थापना की गई थी। किन्तु नयी शिक्षा नीति आने के उपरांत अंग्रेजों ने चार उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जो निम्नलिखित हैं-

कलकत्ता मदरसा- इसकी स्थापना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1781 में की थी। इसमें शिक्षा की अवधि 7 वर्ष थी जिसमें अरबी भाषा के माध्यम से कुरान, कानून, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र,नक्षत्र-विद्या आदि विषय पढाये जाते थे।

किन्तु कलकत्ता मदरसा स्थापित करने का हेस्टिंग्स का प्रमुख उद्देश्य **हावेल** के निम्नलिखित वाक्य में होते हैं-**कलकत्ता के मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 'कलकत्ता मदरसा' स्थापित किया गया।**

बनारस संस्कृत कॉलेज- इसकी स्थापना का श्रेय बनारस के रेजिडेंट जानेथन डंकन को जाता है। इसकी स्थापना सन 1791 में हुई। जिस प्रकार मुसलमान नवयुवकों के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी उसी प्रकार हिंदु नवयुवकों को संतुष्ट करने के लिएबनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी।

नूरुल्ला और नायक के शब्दों में- बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कंपनी के नवविजित प्रदेशों की हिंदु जनता की सद्भावना प्राप्त करने के प्रयास के परिणामस्वरूप की गई थी।

फोर्ट विलियम कॉलेज- इसकी स्थापना भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता में की गई थी। इस कॉलेज में डॉ. केरे, कोलब्रुक और पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसे प्रसिद्ध मनीषी शिक्षा देने का कार्य करते थे।

पूना संस्कृत कॉलेज- सन 1821 में एल्फिन्स्टन ने इस संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दक्षिण के प्रभावशाली हिन्दुओं को संतुष्ट करना था।

अभ्यास प्रश्न :-1

1. 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक -------------------- जलमार्ग से भारत आया
2. दक्षिणी भारत में -------------------- में लोगों को शिक्षा दी जाती थी।
3. पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना -- ने की थी।
4. बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन ----------------------------- में हुई।
5. कलकत्ता मदरसा की स्थापना ------------------- ने की थी।

11.4 ओरिएंटल और पाश्चात्य विवाद

इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के सन 1813 के आज्ञा पत्र (चार्टर एक्ट) से हुआ था। इस आज्ञा पत्र में यह तो निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कम्पनी शासित क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का अधिकार होगा पर शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं किया। इसी के साथ इसके अनुच्छेद 43 में भारतीय शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई जो साहित्य के रखरखाव और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान करने के लिए निर्धारित की गई थी, परन्तु इसमें भारतीय विद्वान और साहित्य को स्पष्ट नहीं किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों में इन्हीं दोनों शब्दों को लेकर मतभेद हो गया, जिसके कारण दो दल बन गए थे जिन्हें प्राच्यवादी या ओरिएंटल और पाश्चात्यवादी दल के नाम से जाना जाता है। **नूरुल्ला व नायक** के अनुसार-**"1813 के आज्ञा-पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा।"**

"The Charter Act of 1813 forms a turning point in the history of Indian education."

-Nurullah and Naik : op. cit., p. 82.

विवाद का मुख्य कारण- विवाद का मुख्य कारण सन् 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किये गए दो शब्द थे- 'साहित्य' और 'भारतीय विद्वान'। प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या अलग-अलग प्रकार से की। प्राच्यवादियों का मानना था कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य आते हैं एवं भारतीय विद्वान में इन दोनों भाषाओ में से किसी भी एक भाषा का भारतीय विद्वान है जबकि पाश्चात्यवादियों के अनुसार इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है। इन दोनों शब्दों में अंग्रेजी का भी विशेष स्थान है।

11.4.1. ओरिएंटल या प्राच्यवादी वर्ग

इस वर्ग में प्रमुख रूप से कंपनी के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी थे। इस दल का नेत्रत्व लोक शिक्षा समिति के सचिव एच.टी. प्रिन्सेप ने किया, जबकि इनका समर्थन एच.एच. विल्सन, वारेन हेस्टिंग्स और लार्ड मिनटो आदि ने किया। ये सभी उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे। इनका मानना था कि भारतीयों को विभाजित रखकर ही उन पर शासन किया जा सकता है। अतः धर्म आधारित शिक्षा प्रदान करके ये लोगों को विभिन्न धर्मों और जातियों में विभाजित रखना चाहते थे। प्राच्यवादी आज्ञापत्र के "साहित्य" शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों से लेते थे। इसी के साथ कुछ प्राच्यवादियों ने हिन्दुओं और मुस्लिमों के पुराने साहित्य के पुनरुत्थान को भी महत्व दिया। ये चाहते थे कि-

- भारत में भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, हिंदी और अरबी आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाये।

- भारत में भारतीय साहित्य की शिक्षा दी जाये।

- इन्होंने विज्ञान के अध्ययन को महत्वपूर्ण बताया।

- कुछ उदारवादियों का ये भी मानना था कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। परन्तु इस सम्बन्ध में सबके अपने-अपने तर्क थे। कुछ भारत के हित की दृष्टि से ऐसा सोच रहे थे और कुछ ऐसा ब्रिटेन के हित की दृष्टि से। भारत के हित की दृष्टि से सोचने वाले मानते थे कि भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी भाषा और साहित्य की शिक्षा देना आवश्यक है, वहीँ ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क थे जैसे-

- **प्रिन्सेप** आदि का तर्क था कि भारतीय पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान- विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।

- **विल्सन** आदि का तर्क था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान – विज्ञान की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सकता है।

- कुछ का मानना था कि पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त कर भारतीय उनके समकक्ष हो जायेंगे।

- कुछ मानते थे कि पाश्चात्य ज्ञान होने से भारतीय जागरुक हो जायेंगे और भारत में अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकेंगे।

11.4.2. पाश्चात्यवादी वर्ग

इस वर्ग को कंपनी के युवा अधिकारियों तथा मिशनरियों का समर्थन प्राप्त था। इसके समर्थकों में प्रमुख रूप से मुनरो, एलफिन्श्टन और लार्ड मैकाले का नाम आता है। इन्होंने प्राच्यवादियों की नीति का जमकर विरोध किया। इनके अनुसार प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन्न अवस्था में थी और उसको जीवन प्रदान करना कठिन कार्य था। साहित्य के बारे में इनके विचार थे की यह निरर्थक हैं और इसमें कोई ज्ञान नहीं है। अतः भारतीयों के विकास के लिए उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना आवश्यक है। इसीलिए ये आज्ञापत्र के "साहित्य" शब्द का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से लेते थे और भारतीय विद्वान का अर्थ पाश्चात्य साहित्य के भारतीय विद्वानों से लेते थे। ये चाहते थे कि –

- भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो।
- भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाये।
- कुछ ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने के पक्ष में थे। कुछ भारत के हित की दृष्टि से ऐसा सोच रहे थे तो कुछ ब्रिटेन के हित की दृष्टि से। राजा राम मोहन राय आदि का मानना था कि इस शिक्षा से भारतीय आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित होंगे और उनकी उन्नति होगी, वही ब्रिटेन का हित सोचने वालों के निम्नलिखित तर्क थे-
- भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी।
- अंग्रेजी पढ़े-लिखे कर्मचारी तैयार किये जा सकेंगे जो कंपनी के कार्यों में मदद करेंगे।
- भारत में पश्चिमी संस्कृति का विकास किया जा सकेगा।

परिणाम-

इस प्रकार यह विवाद 20 वर्षों तक चलता रहा जिसके कारण अंग्रेज अपनी कोई शिक्षा नीति नहीं बना पाये। साथ ही ये विवाद बाद में ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच भी उत्पन्न हो गया। इसी समय 10 जून 1833 को लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत आये। मैकाले विधि और अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान था। विवादको हल करने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले से इस विवाद को ख़त्म करने और कानूनी मत प्रकट करने के लिए कहा गया। फलतः 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना एतिहासिक विवरण पत्र गवर्नर जनरल की कौंसिल के सामने प्रस्तुत किया।

मैकाले का विवरण पत्र -

मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी का समर्थन किया और भारतीय भाषाओं और साहित्य का मजाक उड़ाया। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 43वीं धारा की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की-

43 वीं धारा की व्याख्या-

१- एक लाख रुपए की धनराशि सरकार अपनी इच्छानुसार व्यय कर सकती है। सरकार यह राशि कहाँ खर्च करे, इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

२- साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए मैकाले ने कहा है कि साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, हिंदी, अबी साहित्यों से।

३- मैकाले ने भारतीय विद्वान की व्याख्या करते हुए बताया है कि वही भारतीय विद्वान है जो लॉक का दर्शन और मिल्टन के काव्य की जानकारी रखता हो। उसने कहा कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है।

इस विवरण पत्र की अन्य प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं-

- भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए उसने लिखा कि " एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर है।" (A single self of a good European library was worth the whole nation literature of India and Arabic) मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे 'अंधविश्वासों का भंडार' बताया है।
- अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि जो अंग्रेजी जानता है वह ज्ञान, दर्शन तथा विज्ञान के भंडार का लाभ उठा सकता है जिसकी रचना दुनिया की सबसे बुद्धिमान जातियों ने की है।
- लार्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम माना है।
- मैकाले ने विवरण पत्र में अपने मत का वास्तविक उद्देश्य लिखते हुए यह भी बताया है कि हम भारत में अंग्रेजपरस्त लोग तैयार करना चाहते हैं जो रंग एवं रक्त (जन्म से)से तो भारतीय हों पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज।मैकाले के इस विवरण पत्र को लार्ड विलियम बैंटिक ने 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव पारित कर कानूनी सहमती दे दी।

विवाद का अंत - लार्ड विलियम बैंटिक द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करने के तेरह दिन बाद ही उसका स्थानांतरण हो गया। उसके जाते ही प्राच्यवादी दल ने पुनः अपना आन्दोलन तेज कर दिया। लार्ड आकलैंड जब गवर्नर जनरल के रूप में भारत आये तब यह विवाद गंभीर रूप ले चुका था। उसने चार वर्षों तक इस विवाद का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यदि प्राच्य शिक्षा पर सरकार कुछ धन और दे, तो इस विवाद का अंत हो सकता है।

इसी निष्कर्ष के आधार पर उसने 24 नवम्बर 1839 को अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया जिस में प्राच्यवादियों को प्रति वर्ष 31 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस प्रकार लम्बे काल से चले आने वाला यह विवाद समाप्त हो गया।

अभ्यास प्रश्न :-2

सही विकल्प का चयन करें –

1. प्राच्य-पाश्चात्य विवाद आज्ञा पत्र 1813/ आज्ञा पत्र 1913 से उत्पन्न हुआ।
2. प्राच्यवादी दल के नेता गोखले /प्रिन्सेप थे।
3. लार्ड मैकाले को कौंसिल के कानूनी सलाहकार /वित्त सलाहकार के पद पर भारत भेजा गया था।

4. प्राच्य –पाश्चात्य विवाद 10 वर्ष / 20 वर्ष तक चलता रहा।
5. लार्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी / हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम माना है।

11.5 ब्रिटिश शासन के आधीन शिक्षा प्रणाली की समालोचना

भारत में जब ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की जड़ें जमने लगीं तो उसका प्रभाव भारतीय नवयुवकों में दिखने लगा। वे अपनी ही संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से नफरत करने लगे। अतः ऐसी स्थिति में कुछ विचारकों ने गहन अध्ययन किया और अपने विचार प्रस्तुत किये जो ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा प्रणाली के दोषों को प्रकट करते हैं। इस शिक्षा प्रणाली के निन्दकों में महात्मा गाँधी और श्रीमती एनी बेसेंट का नाम प्रमुख है।

महात्मा गाँधी ने "यंग इंडिया" में अपना एक लेख प्रकाशित किया जो भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरुप पर प्रचंड प्रहार करता था। उन्होंने इस शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित चार गंभीर दोष बताये-

1- यह शिक्षा अन्यायपूर्ण शासन से सम्बंधित है।
2- यह शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है जिसमें भारतीय संस्कृति का कोई स्थान नहीं है।
3- इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मस्तिष्क का विकास करना है। यह हृदय को प्रभावित नहीं करती है।
4- इस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। विदेशी भाषा होने के कारण यह वास्तविक ज्ञान प्रदान नहीं करती।

श्रीमती एनी बेसेंट, जोकि एक आयरिश महिला थीं, विदेशी होते हुए भी भारत में हिंदु शिक्षा के लिए प्रयास किया और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की निंदा की। उन्होंने कहा- **"राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय चरित्र को अधिक शीघ्रता और अधिक निश्चित रूप में निर्बल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता है कि बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभावों और विदेशी आदर्शों का प्रभुत्व हो।"**

Nothing can more swiftly emasculate national life, nothing can more surely weaken national character, than allowing the education of the young to be controlled by foreign influences, to be dominated by foreign ideals.

एनी बेसेंट ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी आदर्शों को प्रस्तुत करती है। ये अंग्रेजों के लिए तो हितकर है पर भारतीयों के लिए कदापि नहीं।

उन्होंने कहा- **ब्रिटिश आदर्श, ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं, किन्तु भारत के लिए भारत के ही आदर्श अच्छे हैं।**

"British ideals are good for Britain, but it is India's ideals that are good for India."

स्वामी दयानंद सरस्वती ने चरित्र निर्माण वाली शिक्षा को महत्त्व दिया। वे शिक्षा को राष्ट्रीय चरित्र से परिपूर्ण बनाना चाहते थे। दयानंद जी राष्ट्रीय एकता, स्त्री शिक्षा और धर्म की शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने हिंदी को अनुसंधान की भाषा बनाने पर बल दिया।

सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम शिक्षा के प्रचार- प्रसार पर बल दिया। उन्होंने रूढ़िग्रस्त मुस्लिम समाज को पाश्चात्य ज्ञान का प्रकाश देना चाहा।

अभ्यास प्रश्न :-3

1 महात्मा गाँधी ने भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप पर प्रहार करता लेख ---------------------- -में प्रकाशित किया।

2 महात्मा गाँधी के अनुसार यह शिक्षा ---------------------- पर आधारित है जिसमें भारतीय संस्कृति का कोई स्थान नहीं है।

3 एनी बेसेंट ने कहा कि ब्रिटिश आदर्श, ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं, किन्तु ------------------------ ----------------------।

4 ----------------------ने मुस्लिम शिक्षा के प्रचार- प्रसार पर बल दिया।

5 ---------------------- ने चरित्र निर्माण वाली शिक्षा को महत्त्व दिया।

11.6 राष्ट्रीय आन्दोलन और भारत की शिक्षा प्रणाली

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के दोष स्पष्ट हो चुके थे। 1882 में नियुक्त भारतीय शिक्षा आयोग ने भी इन दोषों की तरफ जनता का ध्यान आकृष्ट किया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में राष्ट्रीयता की भावना ने जोर पकड़ना प्रारंभ किया। तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति लोगों को नापसंद आने लगी। 1905 में बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय आन्दोलन की गति को तीव्र कर दिया परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा के भी विदेशीकरण के विरोध में कोने- कोने से आवाज गूंजने लगी। उसी वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आन्दोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। इस आन्दोलन के प्रमुख रूप से चार उद्देश्य थे-

1- स्वराज्य की प्राप्ति
2- स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग
3- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार
4- राष्ट्रीय शिक्षा की मांग

राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषतायें -

राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में आन्दोलनकारियों द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गए-

1- **भारतीय नियंत्रण-**विदेशी शासन अन्यायपूर्ण है और विदेशी शिक्षा उससे सम्बंधित है। राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का नियंत्रण होने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की संरचना, संगठन और संचालन का अधिकार भारतीयों के हाथ में ही होना चाहिए। **एनी बेसेंट** ने कहा- भारतीय शिक्षा, भारतवासियों द्वारा नियंत्रित, भारतवासियों द्वारा निर्मित और भारतवासियों द्वारा संचालित की जानी चाहिए।

   "Indian education must be controlled by Indians, shaped by Indians, carried on by Indians."

   Annie Besent, Quoted by**LalalajpatRai :**op. cit., p. 28.

2- शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श- राष्ट्रीय शिक्षा को आदर्शपूर्ण बनाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श भारत की संस्कृति पर आधारित

होने चाहिए। इस सम्बन्ध में एनी बेसेंट ने कहा कि - **"भारतीय शिक्षा को भक्ति, ज्ञान एवं नैतिकता के भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए और उसमे भारतीय धार्मिक भावना का समावेश होना चाहिए।"**

3- **भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा-** राष्ट्रीय नेताओं ने घोषित किया कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ होना चाहिए। इस सन्दर्भ में उनका कहना था कि जब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा रहेगी तब तक उसे जन-जन तक नहीं पहुँचाया जा सकता। अतः उन्होंने भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया।

4- **राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण-** सभी आन्दोलनकारी नेता इस बात पर एकमत थे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि वह बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव पैदा करे, उनमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करे। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें प्रारंभ से ही स्वदेशी भाषा, साहित्य और इतिहास की जानकारी दी जाये।

5- **अंग्रेजी के वर्चस्व का अंत-** अधिकतर राष्ट्रीय नेता अंग्रेजी के वर्चस्व को पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे कि न तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये और न ही उसकी शिक्षा को अनिवार्य किया जाये। **गाँधी जी** का तो कहना था कि " हमारे बालक यह सोचते हैं कि अंग्रेजी के अध्ययन के बिना सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की जा सकती और बलिकाओं को अंग्रेजी का अध्ययन विवाह के लिए अनिवार्य है। समाज में अंग्रेजी का घुन लगता जा रहा है जो हमारी दास्ता और पतन का प्रतीक है। "

6- **व्यावसायिक शिक्षा पर बल-** राष्ट्रीय नेताओं ने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जिससे देश की आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सके। इस सन्दर्भ में **लाला लाजपत राय** का कहना था कि "भारतीय निर्धनता जीवन का बहुत ही दुखद पहलू है।इसका कारण शिक्षा के साधनों का अभाव है। ऐसी स्थिति में लोक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भारत के नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए।

7- **पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा-** राष्ट्रीय शिक्षा के कुछ समर्थकों ने पाश्चात्य ज्ञान के अध्ययन को भी अनिवार्य बताया ताकि भारत भी अन्य देशों के समक्ष खड़ा हो सके। इनका मानना था की अन्य देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।**लाला लाजपत राय** का विचार था- मेरे विचार से भारत में यूरोपीय भाषाओं, साहित्यों और विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहित न करने का प्रयास मूर्खता और पागलपन होगा।

"In my judgement, it will be a folly and madness to try to discourage the study of European languages, literatures and sciences in India." - Lala Lajpat Rai

पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति-

भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सन 1835 में लार्ड मैकाले के सुझाव पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को कर दिया गया। यद्यपि अंग्रेज भारत में लोगों को सिर्फ इसलिए पाश्चात्य शिक्षा देना चाहते थे जिससे उनके शासन और व्यापारिक फर्मों के लिए लिपिक तैयार हो जायें और भारत की राष्ट्रीय चेतना को जड़मूल से नष्ट किया जा सके, परन्तु पाश्चात्य शिक्षा से भारतियों को हानि कम

और लाभ अधिक हुआ। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण भारतीयों को वाल्टेयर, रूसो, मैजिनी जैसे दार्शनिकों के विचारों को जानने को मिला, साथ ही मिल्टन, बर्क, हरबर्ट स्पेंसर, जान स्टुअर्ट आदि की कृतियों का अध्ययन करने से उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई।

मेकडोनल्ड के अनुसार – स्पेंसर का व्यक्तिवाद तथा मार्ले का उदारवाद वह शास्त्र है, जिसे भारत ने हमसे छीनकर हमारे ही विरुद्ध प्रयुक्त करना शुरू कर दिया।

डॉ. ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में "पश्चिम के राजनीतिशास्त्र विशेषज्ञ लॉक, स्पेंसर, बर्क के लेखों ने केवल भारतीयों के विचारों को ही प्रभावित नहीं किया, अपितु राष्ट्रीय आन्दोलन की रूपरेखा और संचालन पर गहरा प्रभाव डाला।"

रवीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है की " हमको इंग्लैंड का परिचय उसके गौरवमय इतिहास से मिला, जिसने हमारे नवयुवकों में स्फूर्ति तथा प्रेरण को उत्पन्न किया।"

भारतीयों पर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को वर्णन करते हुए **ए. आर. देसाई** लिखते हैं कि भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्रामों को पढ़ा एवं ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन किया जिन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांतों का प्रचार किया। यही लोग आगे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन के बौद्धिक नेता बन गये।

पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, दर्शन एवं इतिहास के अध्ययन से भारतीयों को भी कुप्रथाओं के बारे में जानकारी मिली और उनमें अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। सारांश यह है कि पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए वरदान साबित हुई जिसके प्रभाव से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई।

राष्ट्रीय आन्दोलन और शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना-

सन 1905 में बंग विच्छेद की घोषणा ने पूरे देश में असंतोष का साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसका विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं ने छात्रों को भी इसमें सम्मलित होने के लिए कहा। छात्रों ने इस आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और सभाएं तथा जुलूस निकाले। कठोर शासन में विश्वास रखने वाले कर्जन ने आदेश दिया कि छात्र इस आन्दोलन से दूर रहें। किन्तु छात्रों ने भारी संख्या में इस आन्दोलन में भाग लिया और राजकीय विद्यालयों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय नेताओं ने इन छात्रों की शिक्षा-दीक्षा के लिए राजकीय विद्यालयों के समानांतर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की। सर्वप्रथम बंगाल में गुरुदास बनर्जी के नेत्रत्व में 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति' का गठन किया गया। इस समिति द्वारा पूरे बंगाल में 51 हाईस्कूलों का निर्माण किया गया। इसी समय रवीन्द्र नाथ टैगोर, रासबिहारी बोस और अरविन्द घोष के प्रयासों से 'नेशनल कॉलेज' की स्थापना की गई। "आर्य प्रतिनिधि सभा" ने हरिद्वार और वृन्दावन में गुरुकुलों की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर स्वामी श्रद्धानंद ने सन 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। सन 1920 में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन शुरू किया और अहमदाबाद, काशी, पटना, अलीगढ आदि स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की। गाँधी जी के ही सहयोग से अलीगढ में मौलाना मुहम्मद अली, डॉ. अजमल खां आदि ने 'जामिया मिलिया इस्लामिया' नामक संस्था की स्थापना की जिसे सन 1925 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1863 में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर 'शान्ति निकेतन' की स्थापना की। 6 मई 1922 को इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करके इसका नाम ' विश्व भारती' रख दिया गया। सन

1929 में कांग्रेसी कार्यकर्ता हीरालाल शास्त्री ने 'जीवन कुटीर' नामक संस्था की स्थापना जयपुर में की। सन 1935 में पुत्री की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से 'राजस्थान बालिका विद्यालय' की स्थापना की और 1942 से यह विद्यालय 'वनस्थली विद्यापीठ' के नाम से जाना जाता है।इसी प्रकार अन्य कई संस्थाएं भी खोली गयीं। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात सन1948 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसने राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया।

अभ्यास प्रश्न :-4

1. ---------------------- शताब्दी के आरम्भ में राष्ट्रीयता की भावना ने जोर पकड़ना प्रारंभ किया।
2. राष्ट्रीय नेताओं ने ----------------------पर बल दिया जिससे देश की आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सके।
3. राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति ने बंगाल में---------------- हाईस्कूलों की स्थापना की थी।
4. --------------------- ने हरिद्वार और वृन्दावन में गुरुकुलों की स्थापना की।
5. राष्ट्रीय नेताओं ने छात्रों की शिक्षा-दीक्षा के लिए राजकीय विद्यालयों के समानांतर---------------------की स्थापना की।

11.7 सारांश

अंग्रेजो द्वारा भारत पर शासन को यथावत बनाये रखने के लिए भारतीय शिक्षा पर प्रहार किया गया| लोक शिक्षा समिति के प्रधान लोर्ड मैकोले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया जिसमे भारतीय साहित्य और भाषा का मजाक उड़ाया गया और अंग्रेजी साहित्य तथा भाषा की प्रशंसा की गयी| भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया| जब भारत में ब्रिटिश शिक्षा जड़े ज़माने लगी तो उसका प्रभाव भारतीय नवयुवको पर पड़ा| वे अपनी ही संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से विमुख करने लगे| 19वी शताब्दी के अन्त तक ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के दोष स्पष्ट हो चुके थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत के कोने-कोने से विरोध होने लगा जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले लिया|

11.8 शब्दावली

- **प्राच्यवादी वर्ग-** पश्चिम के लेखकों का वह वर्ग जो पूर्वी संस्कृति और साहित्य को महत्व देता हो|
- **पाश्चात्यावादी वर्ग-** पश्चिम के लेखकों का वह वर्ग जो पश्चमी संस्कृति और साहित्य को महत्व देता हो|
- **मकतब-** मकतब शब्द 'कुतुब' से बना है जिसका अर्थ है- 'उसने लिखा'|
- **मदरसा-**मदरसा उर्दू के फारसी शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'भाषण देना'|
- **टोल-** बंगाल में संचालित प्राथमिक विद्यालय

11.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1.वास्कोडिगामा
2. अग्रहार
3. एल्फिन्स्टन
4. सन 1791 में
5. वारेन हेस्टिंग्स

अभ्यास प्रश्न -2

1. 1813
2. प्रिन्सेप
3. कानूनी सलाहकार
4. 20 वर्ष
5. अंग्रेजी

अभ्यास प्रश्न -3

1. यंग इंडिया
2. विदेशी संस्कृति
3. भारत के लिए भारत के ही आदर्श अच्छे हैं
4. सर सैयद अहमद खां
5. स्वामी दयानंद सरस्वती

अभ्यास प्रश्न -4

1. बीसवीं
2. व्यावसायिक
3. 51
4.आर्य प्रतिनिधि सभा
5. राष्ट्रीय विद्यालयों

11.10 निबंधात्मक प्रश्न

1- ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति की विवेचना कीजिये।

2- प्राच्य- पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण क्या था ? इसका अंत किस प्रकार हुआ ?

7- सन 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा। समीक्षा कीजिये।

8- मैकाले के विवरण पत्र के बारे में आप क्या जानते हैं ? स्पष्ट कीजिये।

9- भारतीय शिक्षा को मैकाले की देन का वर्णन कीजिये।

10-ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा प्रणाली की समालोचना कीजिये।

11-राष्ट्रीय शिक्षा की मांग क्यों उठी ?

12-पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

11.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- त्यागी, जी.डी. (2010), *भारत में शिक्षा का विकास,* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- पाण्डेय, आर. (2010). *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास,*आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।

- अग्रवाल, बी.बी. (1996). *आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएँ,*आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
- कुमार, के. (1998). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व,* नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
- अग्रवाल, के.के.(2008). *भारत में शिक्षा का विकास,*आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- त्रिपिट साहित्य में प्रतिबिम्बत समाज'' लखनऊ : सुलभ प्रकाशन.

इकाई -12

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53),शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की रिपोर्ट(1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति और (1986) और प्रोग्राम ओफ एक्शन (1986/1992)

(महत्वपूर्ण सुझाव और उनके निहितार्थ)

University Education Commission(1948-49), (Secondary Education Commission) (1952-53),Report of Education & National Development(1964-1966), National Education Policy(1968), National Policy on Education & its Programme of Action(1986/1992)

(Major Suggestions and Their Implications)

इकाई की रूपरेखा

12.1 प्रस्तावना

12.2 इकाई के उद्देश्य

12.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)

12.3-1विश्वविधालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य

12.3-2 शिक्षण स्तर

12.3-3 शिक्षण वर्ग

12.3-4 व्यावसायिक शिक्षा

12.3-5 स्नातकोत्तर –प्रशिक्षण व अनुसन्धान कार्य

12.3-6 परीक्षा प्रणाली

12.3-7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

12.3-8 शिक्षक-प्रशिक्षण

12.3-9 स्त्री शिक्षा

12.3-10 धार्मिक और नैतिक शिक्षा

12.3-11 अन्य सिफारिशें

12.4- सारांश

12.5- अभ्यास प्रश्न -1

12.6- माध्यमिक शिक्षाआयोग - (1952-53)

12.7- शैक्षिक सरंचना

12.8- पाठ्यक्रम का विविधिकरण एवं बहुउद्देयशीय स्कूल

12.9- प्रोद्योगिक शिक्षा

12.10- भाषा निति

12.11- पाठ्यक्रम

12.12- शिक्षण विधियाँ

12.13- चरित्र निर्माण

12.14- नवीन परीक्षा एवं मूल्याकन विधि

12.15- अन्य

12.16- आयोग का मूल्यांकन

12.17- अभ्यास प्रश्न:2-

12.18- भारतीय शिक्षा आयोग शिक्षा और राष्ट्र विकास की रिपोर्ट (1964-66)

12.19- आयोग के मुख्य उद्देश्य

12.20- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव

12.21- शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव

12.22- शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव

12.23- शिक्षा के वित्त सम्बन्धी सुझाव

12.24- शिक्षा के नियोजन सम्बन्धी सुझाव

12.25- शिक्षा की सरंचना सम्बन्धी सुझाव

12.26- शिक्षा के उद्देश्य,लक्ष्य अथवा कार्य सम्बन्धी सुझाव

12.27- पंचमुखी कार्यक्रम

12.27-1शिक्षा तथा उत्पादिता

12.27-2 सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण

12.27-3 भाषा नीति

12.27-4 राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करना

12.27-5 शिक्षा का आधुनिकीकरण

12.27-6 सामाजिक,नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य

12.28- उपसंहार

12.29- अभ्यास प्रश्न 3

12.30- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)

12.31- उद्देश्य

12.32- निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

12.33- शिक्षकों के स्तर,वेतन तथा शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार

12.34- भाषाओं का विकास

12.35- शैक्षिक अवसरों की समानता

12.36- प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान

12.37- कार्यानुभव और राष्ट्रीय सेवा

12.38- विज्ञान शिक्षा एवं अनुसन्धान

12.39- कृषि एवं उद्योग हेतु शिक्षा

12.40- पारिश्रमिक और प्रोत्साहन

12.41- परीक्षाएं

12.42- माध्यमिक शिक्षा

12.43- विश्वविद्यालय शिक्षा

12.44- अंशकालीन शिक्षा एवं पत्राचार कार्यक्रम

12.45- साक्षरता एवं प्रोढ़ शिक्षा का विस्तार

12.46- खेलकूद

12.47- अल्पसंख्यकों की शिक्षा

12.48- शिक्षा सरंचना

12.49- उपसंहार

12.50- अभ्यास प्रश्न 4

12.51- राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रोग्राम आफ एक्शन (1986/1992): महत्वपूर्ण सुझाव और उनके निहितार्थ (1986/1992)

12.52- राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 के मूल तत्व

12.52-1 शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जायेगा

12.52-2 शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशी

12.52-3 सम्पूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा सरंचना

12.52-4 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन

12.52-5 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था

12.52-6 अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जायेगा

12.52-7 माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

12.52-8 उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्यन्न

12.52-9 तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा में सुधार

12.52-10 परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार

12.52-11 शिक्षकों के स्तर और शिक्षण-प्रशिक्षण में सुधार

12.52-12 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार

12.52-13 सतत शिक्षा की व्यवस्था

12.53- संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986(1992)का सामान्य परिचय

12.54 -उपसंहार

12.55- अभ्यास प्रश्न -5

12.56- सारांश

12.57- शब्दावली

12.58- अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

12.59- निबन्धात्मक प्रश्न

12.60- संदर्भ ग्रन्थ

12.1 प्रस्तावना

सन 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत देश के विश्वविद्यालयों के आकार तथा क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि होने लगी | राजनितिक,सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के कारण भारत के युवक तथा युवतियों में जीवन पथ पर आगे बढ़कर उन्नति करने की भावना से विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी | भारत के नवीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ये विश्वविद्यालय देश की आवश्यकतायों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ थे|

भारत सरकार के प्रस्ताव संख्या F-9-5/52-B-9 dated 23 sep,1952 द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालिअर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्तिमाध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु की गई | इस आयोग को अध्यक्ष के नाम पर मुदालिअर आयोग भी कहते हैं | अत: भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने–समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई,1964 को डॉ० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया | आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से सम्बंधित एक लम्बी प्रश्नावली तैयार की और उसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा,इनमें से 2400 व्यक्तियों ने इसे भरकर वापिस भेजा | आयोग ने इस प्रश्नावली का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया | इसके बाद आयोग ने इन दोनों विधियों से प्राप्त सुझाव पर विचार विमर्श किया और अंत में 29 जून,1966 को अपना प्रतिवेदन “शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति”(Education and National development) शीर्षक से भारतीय सरकार को प्रेषित किया | इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं,जबकि दीर्घकाल से चली आ रही प्रक्रिया को नई दिशा की आवश्यकता होती है | भारतीय शिक्षा का वही क्षण,सन 1986 में आया | इससे पूर्व भी यह पग राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 के द्वारा उठाया गया था| उसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करना था | उसमें शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निर्माण तथा हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था |

12.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढने के बाद विद्यार्थी निम्लिखित बातों को समझने में सक्षम होंगे:

- विश्वविद्यालयों के विधान तथा नियंत्रण,कार्य तथा क्षेत्र और उनका शासन से सम्बन्ध |
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission) (1952-53) के बारे में जान सकेंगे |
- शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की रिपोर्ट को समझने में सक्षम होंगे |
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति और (1986) और प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1986/92) की व्याख्या करने में सक्षम होंगे |
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण सुझाव और उनके निहितार्थ को समझने में सक्षम होंगे |

12.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)

भारत सरकार ने 4, नवम्वर 1948 को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की | 25 अगस्त,1949 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया|

12.3-1 विश्वविदयालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य

भारतीय संविधान की भूमिका का वर्णन करते हुए आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में नवीन भारत के निर्माण के लिए प्रजातंत्र,न्याय,स्वतंत्रता,समानता,राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भातृत्व एवं भारतीय संस्कृति के महत्व पर बल दिया है | स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में हुए आर्थिक, सामाजिक और

राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन की चर्चा करते हुए आयोग ने लिखा है कि इन परिवर्तनों ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है | अत: अब उन्हें राजनीतिक,प्रशासनिक,व्यावसायिक,ओद्योगिक एवं वाणीजिक्य क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना है |

12.3-2 शिक्षणस्तर: विश्वविद्यालयों का शिक्षण स्तर उठाने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश की न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट पास होनी चाहिए | शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में 3000 तथा सम्बन्ध कालेजों में 1500 से अधिक छात्रों का नामांकन नहीं होना चाहिए | परीक्षा दिवसों को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण–कार्य होना चाहिए | पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को आधुनिकतम साधनों से प्रचुर मात्रा में सज्जित कर देनाचाहिए |

12.3-3 शिक्षण वर्ग – शिक्षकों की सेवा –निवृति आयु 55 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष होनी चाहिए| जो कि विशेष स्थिति में 64 वर्ष भी हो सकती है जिससे योग्यतम शिक्षकों का लाभ संस्था को मिलता रहे | उनके लिए भविष्य निधि की अधिक उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए | विश्वविद्यालय के समीप आवास की व्यवस्था हो तथा एक सप्ताह में 18 पीरियड से अधिक शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना चाहिए | आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा के शिक्षक के कर्तव्य और दायित्व सर्वोच्च महत्व के हैं |

12.3-4 व्यावसायिक शिक्षा – कृषि शिक्षा को प्राथमिक,माध्यमिक और उच्च शिक्षाक्रम में प्रमुख स्थान देना चाहिए | कृषि का प्रत्यक्ष और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए | एक दीर्घ संख्या में प्रयोगात्मक फार्म तथा उच्च शिक्षा में अनुसन्धान और प्रयोगशालाओं की स्थापना होनी चाहिए | शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में आयोग ने सिफारिश की कि ट्रेनिग कालेजों के अधिकांश शिक्षक ऐसे वर्ग में से हों जिन्हें स्कूली शिक्षण का पर्याप्त अनुभव हो | शिक्षा में मास्टर डिग्री के लिए केवल ऐसे विद्यार्थियों को आज्ञा दी जाए जिन्हें कुछ वर्षों के शिक्षण कार्य का अनुभव हो|

वाणिज्य की शिक्षा के अंतर्गत बी० काम की शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को तीन या चार फर्मों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए | इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी के स्कूल तथा कालेजों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने चाहिए | पुस्तकालीय ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों को कारखानों में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएँ भी देनी चाहिए |

12.3-5 स्नातकोत्तर –प्रशिक्षण व अनुसन्धान कार्य: स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश अखिल –भारतीय स्तर पर दिया जाना चाहिए और छात्रों एवं शिक्षकों में घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहिए | पी० एच० डी० के छात्रों को शिक्षा –मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृतियां दी जानी चाहिए | डी० लिट् और डी० एस –सी० उपाधियाँ केवल उच्च कोटि के मोलिक एवं प्रकाशित कार्यों पर दी जानी चाहिए |

शिक्षा का माध्यम –उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की बजाय प्रादेशिक भाषाएँ होनी चाहिए,परन्तु यदि विद्यार्थी चाहें तो राष्ट्रभाषा हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं | माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए | 1.मातृभाषा 2.राष्ट्रभाषा 3.अंग्रेजी

12.3-6 परीक्षा प्रणाली –प्रचलित परीक्षा प्रणाली क आयोग ने भर्त्सना की परन्तु उन्होंने इसके सुधार की ही सिफारिश की,न की उनके पूर्णता उन्नमूलन की | आयोग ने सुझाव दिया कि वस्तुनिष्ठ

प्रश्नों के साथ-साथ निबंधात्मक प्रश्न मिला देने चाहिए| पूरे वर्ष की अवधि में किये गए कार्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और इसके लिए एक तिहाई अंक सुरक्षित रखने चाहिए| त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा पूरे तीन वर्ष पश्चात न ली जाये वरन प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जाये | यह परीक्षा स्वत: पूर्ण इकाइयों द्वारा ली जानी चाहिए और छात्रों के लिए प्रत्येक इकाई अर्थात प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो | परीक्षाओं के स्तर का उन्नयन करने के लिए प्रथम,द्वितीय या तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक क्रमश: 70,55, एवं 40 प्रतिशत होने चाहिए | विद्यार्थी के ज्ञान के लिए मौखिक परीक्षा भी होनी चाहिए –विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में|

12.3-7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :आयोग ने सिफारिश की कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना इस उद्देश्य से करनी चाहिए कि यह विश्वविद्यालयों का अनुदान निश्चित करे तथा उन्हें अनुदान प्रदान करे एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाये | जब यह सिफारिश की गई तब एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति कार्य कर रही थी, परन्तु इस समिति के पास अनुदान हेतु कोई निधि नहीं थी | यह केवल शिक्षा मंत्रालय को अनुदान हेतु सिफारिश करती थी| शिक्षा मंत्रालय इन सिफारिशों को वित्त मंत्रालय को भेज देता था|

12.3-8 शिक्षक-प्रशिक्षण:शिक्षक-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने कई सुझाव दिए हैं| माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाने चाहियें | और साथ ही सम्बन्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाये | शिक्षक प्रशिक्षण विभागों अथवा महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाये जिन्हें माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो | शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अप्रशिक्षित अनुभव प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दि जाये| शिक्षक प्रशिक्षण के प्रशिक्षणर्थियों के वार्षिक मूल्यांकन में शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाये |

12.3-9 स्त्री शिक्षा:आयोग की समिति में शिक्षित महिलाओं के अभाव में पुरुषों को भी शिक्षित नहीं किया जा सकता| अत: उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए | आयोग की दृष्टि में –

1. स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता और सुगृहणी बनाना होना चाहिए |

2. स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन,गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा को स्थान देना चाहिए |

3. उच्च शिक्षा स्तर पर सहशिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए |

12.3-10 धार्मिक और नैतिक शिक्षा: आयोग ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती| उसने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है| इस सम्बन्ध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए :

1. धार्मिक शिक्षा प्राथमिक,माध्यमिक,स्नातक स्तर पर अनिवार्य होनी चाहिए |

2. प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रारम्भ प्रतिदिन मौन उपासना से होना चाहिए|

3. प्राथमिक,माध्यमिक और स्नातक स्तरों के लिए भिन्न-भिन्न धार्मिक पाठ्यक्रम होने चाहिए |

12.3-11 अन्य सिफारिशें- आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संगठन और नियन्त्रण हेतु सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा को केंद्र की समवर्ती सूची में रखा जाए| भारत में ग्राम्य विश्वविद्यालय भी खुलने चाहिए| छात्र –क्रियाएँ व कल्याण के अंतर्गत आयोग ने सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों की नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षा तथा चिकित्सा,मध्यान्ह पौष्टिक आहार,प्रत्येक सम्बन्ध कालेज में एक स्वास्थ्य शिक्षा –निर्देशक की नियुक्ति,व्यायाम शालाओं की व्यवस्था,उत्तम छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिए|

12.4-सारांश

स्वतंत्र भारत का यह पहला आयोग है जिसने उच्च शिक्षा के सभी पक्षों का पूर्ण अध्ययन और चिन्तन के उपरांत अपने विचार प्रकट किये| आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय केवल उच्च शिक्षा के केंद्र ही नहीं हैं बल्कि राजनीति और प्रशासन,व्यवसायों,उद्योग और व्यापार में नेतृत्व प्रदान करना भी उनका काम है | अत: प्रकार की उच्च शिक्षा की बढती हुई मांग – साहित्यिक,वैज्ञानिक,तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को विश्वविद्यालय पूरा करें और देश को अभाव,रोग और अज्ञानता से वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के प्रयोग और विकास द्वारा मुक्ति प्रदान करने के योग्य बनाएं | आयोग ने गिरते हुए शिक्षण स्तर,अनुपयोगी पाठ्यक्रम,दयनीय शिक्षक,पथभ्रमित विद्यार्थी,परीक्षा विधि,ग्रामीण शिक्षा आदि पर व्यावहारिक सिफारिशें की हैं| इन सिफारिशों में से कुछ को कार्यान्वित भी किया गया है|

12.5-अभ्यास प्रश्न

1.विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी?

2. ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था?

12.6 माध्यमिक शिक्षा आयोग(Secondary Education Commission) (1952-53)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की| इस आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के कई सुझाव दिए जिनमें एक सुझाव यह भी था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक है कि उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाये| उसी समय सन 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊँचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु ताराचन्द समिति का गठन किया था| इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सन 1949 में प्रस्तुत की और कुछ मुख्य सुझाव दिए| केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सुझावों का अध्ययन किया| उसकी समिति में ये सुझाव अधूरे और अस्पष्ट थे| अत: उसने 1951 में केन्द्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा| भारत सरकार के प्रस्ताव संख्या F-9-5/52-B-9 dated 23 sep,1952 द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालिअर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्तिमाध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु की गई| इस आयोग को अध्यक्ष के नाम पर मुदालिअर आयोग भी कहते हैं|

12.7 शैक्षिक सरंचना

आयोग ने शिक्षा के लिए एक नवीन सरंचना की सिफारिश की:

1. 4 या 5 वर्ष की प्रारम्भिक या बेसिक शिक्षा |
2. 3 वर्ष की मिडिल या जूनियर सेकेंडरी या सीनियर बेसिक शिक्षा |
3. 4 वर्ष की हायर सेकेंडरी शिक्षा |
4. 3. वर्ष की प्रथम डिग्री शिक्षा |

वर्तमान इंटरमीडिएट को समाप्त कर उसका एक वर्ष हायर सेकेंडरी के चार वर्ष में सम्मिलित होगा तथा इंटर का दूसरा वर्ष तीन वर्षीय प्रथम डिग्री कोर्स में सम्मिलित होगा |

12.8-पाठ्यक्रम का विविधिकरण एवं बहुउद्देयशीय स्कूल

विद्यार्थियों की विविध अभिरुचियों और क्षमताओं की दृष्टि से बहुउद्देयशीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए | इन स्कूलों में विभिन्न रूचि,उद्देश्यों तथा प्रवृतियों वाले विद्यार्थियों को मनोनुकूल विषय पढने को मिल सकें | साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उधानशास्त्र,पशुपालन तथा कुटीर उधोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जाये |

12.9- प्रोद्योगिकी शिक्षा

आयोग ने खेद प्रकट किया कि सन 1882 में हंटर आयोग ने भी सरकार से पाठ्यक्रम में विविधकरण की सिफारिश की थी| इस सम्बन्ध में सन 1953 की स्थिति सन 1882 की स्थिति से भिन्न नहीं है| आयोग ने चार प्रकार केविद्यार्थियों के लिए प्रोधोगिक स्कूलों की सिफारिश की |

1. हायर सेकेंडरी की चार उच्च कक्षाओं हेतु |
2. जो विद्यार्थी सेकेंडरी शिक्षा का पूरा कोर्स नहीं कर पाते |
3. जो सेकेंडरी शिक्षा उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय न जाकर पोली –टेकनिक आदि में प्रोद्योगिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं |
4. जो नोकरी कर रहे हैं फिर भी अंशकालीन शिक्षा प्राप्त कर अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं |

   ये संस्थाएं यथासंभव उधोगोंसे जुडी होनी चाहिए| आयोग ने सिफारिश की कि ऐसा कानून पारित किया जाये जिसके अनुसार उधोगों के लिए अनिवार्य कर दिया जाये कि वे इन स्कूलों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करें |

12.10-भाषा निति

माध्यमिक स्तर पर केन्द्रीय भाषा ही शिक्षण का माध्यम रहेगी | मिडिल पर प्रत्येक बालक को दो भाषाएँ पढाई जानी चाहिए | माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी कम से कम दो भाषाएँ पढाई जानी चाहिए जिनमें एक मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा हो |

12.11-पाठ्यक्रम

मिडिल स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में भाषाएँ,सामाजिक अध्ययन,सामान्य विज्ञानं,गणित,कला और संगीत,शिल्प,तथा शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाये| माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए बहुमुखी पाठ्यक्रम होना चाहिए,परन्तु कुछ विषय जैसे भाषाएँ,सामान्य विज्ञानं,समजिक अध्ययन तथा शिल्प हर प्रकार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने चाहिए|

12.12-शिक्षण विधियाँ

शिक्षण का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है,अपितु उनमें उचित मान्यताओं तथा वान्छनीय प्रवृतियों और कार्य की उचित आदतों का समावेश करना है | रटने के स्थान पर सोद्देश्य, ठोस व वास्तविक स्थिति में ज्ञान प्राप्त करने को प्रोत्साहन देना चाहिए | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रिया विधि (Activity method) तथा प्रोजेक्ट विधि (Project Method) को भी प्रयोग में लाना चाहिए |

12.13-चरित्र निर्माण

विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों से उनका निकट सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए | विद्यालयों में बालकों को बाल –सरकार, विद्यार्थी परिषद तथा अन्य इसी प्रकार की संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए| जिनका संचालन व प्रबंध स्वयं विद्यार्थी ही करें | कार्य के समय के बाद स्वेच्छा के आधार पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है | स्काउट आन्दोलन,नेशनल कैडेट कोर तथा प्राथमिक चिकित्सा के प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए |

12.14- नवीन परीक्षा एवं मूल्यांकन विधि

बाह्या परीक्षाओं की संख्या घटाना चाहिए | निबंधात्मक परीक्षाओं के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा परीक्षाएं लेनी चाहिए| फ़ाइनल परीक्षाओं में विद्यार्थी के वर्ष भर के रिकॉर्ड पर भी विचार करना चाहिए |

12.15-अन्य

राज्य सरकार द्वारा जहाँ कहीं भी मांग हो बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय खोलने चाहिए| बालिकाओं को पढ़ाने के लिए गृह विज्ञान जैसे विषयों का विशेष प्रबंध करना चाहिए | आयोग ने अध्यापकों की स्थिति सुधारने हेतु उनके वेतनक्रम में सुधार,त्रिलाभ योजना पेंशन,निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था आदि सिफारिशें की |

12.16-आयोग का मूल्यांकन

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण हेतु ठोस सुझाव दिए हैं | स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्यों को पहचानना,विद्यार्थियों की अभिरुचियों एवं अभिवृतियों के आधार पर पाठ्यक्रम का विविधिकरण तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना,निर्देशन एवं परामर्श की उपलब्धि,कृषि शिक्षा का समर्थन,प्राविधिक संस्थानों की व्यवस्था,परीक्षा पद्दति एवं शिक्षकों की स्थिति में सुधार सम्बन्धी

सिफारिशें उस समय की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक थीं| फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया | बहुभाषीय भारत देश के लिए भाषाओं के अध्ययन की सर्वमान्य योजना,बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार हेतु आवश्यक कदम,अनुसूचित जाती /जनजाति की शिक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन पर ठोस सिफारिशों का अभाव है| फिर भी ऊपर दिए गए सुझाव प्रशंसनीय हैं कुल मिला कर मानना पड़ेगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षाके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया था, उसकी कमियों को उजागर किया था और उसमें सुधार के लिए अनेक उत्तम सुझाव दिए थे|

12.17-अभ्यास प्रश्न:2

1 मुदालिअर कमिशन का कार्य क्षेत्र क्या था ?

2 मुदालिअर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया ?

3 मुदालिअर कमिशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे ?

12.18-भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्र विकास की रिपोर्ट (1964-66)

स्वतन्त्र होते ही हमने अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास शुरू कर दिए | इन सन्दर्भ में भारत सरकार का पहला बड़ा कदम था विश्वविधालय शिक्षा आयोग | इस आयोग ने विश्वविधालय शिक्षा के प्रशासन,संगठन और उसके स्तर को ऊँचा उठाने सम्बन्धी ठोस सुझाव दिए, उसके कुछ सुझावों का क्रियानव्यन भी किया गया,उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ परन्तु वह हाथ नहीं लगा, जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे| शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का दूसरा बड़ा कदम था माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति | इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और उसके पुनर्गठन हेतु अनेक सुझाव दिए| कुछ प्रान्तीय सरकारों ने उसके सुझावों के अनुसार शिक्षा के परिवर्तन करना भी शुरू कर दिया, परन्तु वह हाथ नहीं लगा, जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे | अत: भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने –समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्यसे 14 जुलाई,1964 को डॉ० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया| आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से सम्बंधित एक लम्बी प्रश्नावली तैयार की और उसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा,इनमें से 2400 व्यक्तियों ने इसे भरकर वापिस भेजा| आयोग ने इस प्रश्नावली का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया| इसके बाद आयोग ने इन दोनों विधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया और अंत में 29 जून,1966 को अपना प्रतिवेदन “शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति”(Education and National development) शीर्षक से भारतीय सरकार को प्रेषित किया |

12.19 आयोग के मुख्य उद्देश्य

भारत सरकार आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य के सन्दर्भ में यह घोषणा की, कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरुप और उसके सभी स्तरों और पक्षों के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सुझाव देगा | इसी उद्देश्य को आयोग ने इस प्रकार व्यक्त किया है | यह आयोग

सरकार को शिक्षा सम्बन्धी नीतियों,शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के हर एक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने और अपनी सलाह सरकार को देने के लिए गठित किया गया है |

12.20 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समग्र रूप से अध्ययन किया और उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए| आयोग की मूल धारणा है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है | उसने अपने प्रतिवेदन का शुभारम्भ ही इसी वाक्य से किया है –'देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है | आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि इसमें शिक्षा की कुछ समस्याओं का विवेचन तो समग्र रूप से किया गया है,जैसे-शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य,शिक्षा की सरंचना,शिक्षकों की स्थिति,शैक्षिक अवसरों की समानता,कृषि शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,स्त्री शिक्षा,और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के सन्दर्भ में किया गया है| जैसे कि विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य,पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ आदि |

12.21 शिक्षा के प्रशासन,वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव

हमारे देश में शिक्षा के तत्कालीन प्रशासनिक ढांचे की नीवं अंग्रेजों ने रखी थी| स्वतंत्र भारत में उसमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक था | अंग्रेज सरकार हमारी शिक्षा पर कम व्यय करती थी,इसे भी बढ़ाना आवश्यक था | नियोजन के अभाव में तो कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य प्राप्त किया ही नहीं जा सकता | आयोग ने इन तीनो के सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव दिए |

12.22 शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव

1. शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाना चाहिए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाये| इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार 'नेशनल एजुकेशन एक्ट' बनाये और प्रांतीय सरकारें 'स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाये'|
2. केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी और गैर सरकारी,भारतीय शिक्षा सेवा और विद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाये 3. केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सांख्यकीय विभाग को सुदृढ़ किया जाये|
3. भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाये जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो|
4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को और अधिक अधिकार दिए जाएँ |
5. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सोंपा जाये |
6. शिक्षा प्रशासको और शिक्षकों के बीच स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाये|

12.23- शिक्षा के वित्त सम्बन्धी सुझाव

आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम दो गुनी हो जाएगी और प्रति छात्र व्यय 12 पए के स्थान पर 54 रुपए हो जायेगा, इसलिए शिक्षा बजट में प्रति वर्ष वृद्धि करनी आवश्यक है| इस सम्बन्ध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए|

1. केन्द्र सरकार अपने बजट में कम से कम शिक्षा के लिए 6%का प्रावधान करे |
2. राज्य सरकारें भी अपने बजटों में शिक्षा के लिए और अधिक धनराशी आवंटित करें |
3. राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार सौंपा जाये |
4. व्यक्तिगत स्त्रोतों से अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाये |
5. शिक्षा हेतु आये के स्त्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज किया जाये |

12.24- शिक्षा के नियोजन सम्बन्धी सुझाव

1. शैक्षिक नियोजन केन्द्रीय और प्रांतीय स्तर पर अलग –अलग किया जाये |
2. विद्यालयी शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें मिलकर करें और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारें मिलकर करें|
3. शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की मांगों के आधार पर किया जाये |
4. शैक्षिक नियोजन इस प्रकार किया जाये कि सात से चौदह वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये | माध्यमिक शिक्षा 70%बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो सके और शेष 30%मेधावी छात्र –छात्राएं उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें|
5. शैक्षिक नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि कुल शिक्षा बजट राशी का 2/3 सामान्य शिक्षा पर व्यय हो और 1/3 उच्च शिक्षा पर व्यय हो |
6. शेक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया जाये|
7. शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ –साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए व्यवस्था की जाये |

12.25- शिक्षा की सरंचना सम्बन्धी सुझाव

आयोग ने पूरे देश के लिए निम्नाकित शिक्षा संरचना का प्रस्ताव रखा |

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा -1 से 3 वर्ष की अवधि
2. निम्न प्राथमिक शिक्षा -4 से 5 वर्ष की अवधि 1 कक्षा एक में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष
3. उच्च प्राथमिक शिक्षा –न० -2 के कर्म में 4 या 3 वर्ष की अवधि
4. (अ) माध्यमिक शिक्षा (सामान्य वर्ग)-2 वर्ष की अवधि

   (ब) माध्यमिक शिक्षा (व्यावसायिक वर्ग)- 2 या 3 वर्ष की अवधि

5. (अ) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (सामान्य वर्ग)-2 वर्ष की अवधि

(ब) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (व्यावसायिक वर्ग)-2 या 3 वर्ष की अवधि

6. (अ) स्नातक शिक्षा (कला,विज्ञान,वाणिज्य)-3 वर्ष

(ब)स्नातक शिक्षा(इन्जिनीरिंग एवं मेडिकल)3 या 4 वर्ष की अवधि

7. परास्नातक शिक्षा(सभी विभाग) 2 या 3 वर्ष की अवधि

8. अनुसन्धान कार्य -2 या 3 वर्ष की अवधि

12.26 शिक्षा के उद्देश्य,लक्ष्य अथवा कार्य सम्बन्धी सुझाव

आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना है| उसने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य,लक्ष्य अथवा कार्य निश्चित किये और इन्हें पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी| आयोग ने इनमें से प्रत्येक की प्राप्ति के लिए अनेक अन्य कार्य भी निश्चित किये | यहाँ इस पंचमुखी कार्यक्रम का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है|

12.27 पंचमुखी कार्यक्रम

12.27-1 शिक्षा तथा उत्पादिता: शिक्षा का सम्बन्ध उत्पादिता से जोड़ने के लिए विज्ञान की शिक्षा,स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए | कार्यानुभव को सभी प्रकार की शिक्षाओं में स्थान देना चाहिए | माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक व्यवसाईकरण होना चाहिए |

12.27-2 सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण: राष्ट्रीय चेतना और एकता को सबल बनाने के लिए लोक शिक्षा प्रणाली के रूप में समान स्कूल प्रणाली को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाना चाहिए | सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा सभी स्तरों पर सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बन देनी चाहिए

12.27-3 भाषा नीति:स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनने के लिए मातृभाषा सर्वप्रथम अधिकार है अत: प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए | प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें और साहित्य,विशेष रूप से वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी तैयार करने के लिए उत्साहपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए | शैक्षिक कार्य और बौद्धिक आदान –प्रदान के लिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी संपर्क भाषा है, इसलिए हिंदी क्षेत्रों में इसके प्रसार के लिए उचित कदम उठाने चाहिए|

12.27-4 राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करना:यह कार्य हमारी सांस्कृतिक विरासत के ज्ञान को सुदृढ़ कर के किया जा सकता है तथा जिस भविष्य की हम कामना करते हैं उसमें एक पहल आस्था निर्मित कर किया जा सकता है | पहला कार्य भारत की भाषाओं और साहित्यों,दर्शन और इतिहास,धर्मों के अध्ययन को सुनियोजित ढंग से प्रोत्साहित कर तथा भारतीय मूर्तिकला,चित्रकला,संगीत,नृत्य और नाट्य का परिचय करा कर किया जा सकता है|

12.27-5 शिक्षा का आधुनिकीकरण: आधुनिक बनाने के लिये किसी भी समाज को अपने आप को शिक्षित बनाना होगा | औसत नागरिक का शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने के अतिरिक्त शिक्षा द्वारा

ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग उत्पन्न करना होगा जो समाज के सभी स्तरों में से हो तथा जिसकी निष्ठा तथा आंकाक्षाओं की जड़ें भारतीय भूमि में हों|

12.27-6 सामाजिक,नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य: आधुनिकीकरण का यह मतलब नहीं है कि आवश्यक नैतिक और माध्यमिक मूल्यों तथा आत्मानुशासन की भावना उत्पन्न न हो | आधुनिकीकरण को एक जीवन शक्ति होना है,तो उसे आत्मा की शक्ति प्राप्त करना चाहिए| विज्ञान और शिल्प विज्ञान के ज्ञान और कौशल का संतुलन श्रेष्ट नीति शास्त्र तथा धर्म से सम्बंधित मूल्यों तथा अंतर्दृष्टि से वैठाना चाहिए| अत: सभी संस्थाओं में नैतिक,सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए|

12.28 उपसंहार

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आयोग का प्रतिवेदन शिक्षा का विश्वकोष है,उसमें भारतीय शिक्षा के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है | परन्तु आयोग के अपने शब्दों में उसके सुझाव सर्वश्रेष्ठऔर अंतिम नहीं हैं,विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, और यह बात अपने में बिल्कुल सही है| आयोग के कुछ सुझाव तो ऐसे हैं जो भारत के तब,1965-66 में भी उपयोगी थे और आज 21बीं शताव्दी में भी उपयोगी हैं| परन्तु कुछ सुझाव अपने में अपूर्ण और अनुपयोगी भी हैं| पर कुछ भी हो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारम्भ किया,उसके आधार पर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय माना गया है,शिक्षा की राष्ट्रीय नीति घोषित की गई है| और किसी भी स्तर के शिक्षा के प्रसार में कुछ तेजी आई और उसके उन्नयन ओर कदम बढे हैं|

12.29- अभ्यास प्रश्न 3

सही उत्तर का चयन कीजिये-

1. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था ?

   (अ) प्राथमिक शिक्षा (ब) माध्यमिक शिक्षा (स) उच्च शिक्षा (द) सम्पूर्ण शिक्षा

2. राष्ट्रीय शिक्षा आयोगने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया ?

   (अ) 3 प्रतिशत (ब) 6 प्रतिशत (स) 9 प्रतिशत (द)14 प्रतिशत

3. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया है ?

   (अ) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग(1902)(ब)कलकता विश्वविद्यालय आयोग 1917(स) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग(1948-49) (द) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग(1964-66)

12.30 राष्ट्रीय शिक्षा नीति(National Policy on Education) (1968)

भारतीय समाज ने शिक्षा को सदेव एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है | स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं ने शिक्षा की आधारभूत भूमिका को भली-भांति पहचाना था और सदैव उसके महत्व पर बल दिया था| गाँधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना बनाई जिसका उद्देश्य शिक्षा को जीवन से सम्बन्ध करना था| इसी प्रकार अनेक नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया| स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और राज्य सरकारों का सरोकार शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति और सुरक्षा का प्रभावी साधन बनाना था| शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने हेतु कई आयोग नियुक्त किये गए

जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग(1948-49),माध्यमिक शिक्षा आयोग(1952-53),कोठारी आयोग (1964-66) उल्लेखनीय हैं| कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा हुई| इन चर्चाओं के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मतैक्य हो गया तथा भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1968 की घोषणा की| इस नीति में निम्नलिखित 17 कार्यक्रमों को शामिल किया गया|

12.31 उद्देश्य

विद्यार्थी संविधान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को समझने में सक्षम होंगे|

शिक्षकों के स्तर,वेतनमान तथा शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार के बारे में जान सकेंगे|

भाषाओं के विकास तथा शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में जान सकेंगे|

इस कमीशन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या दृष्टिकोण है,इसके बारे में जान सकेंगे|

सत्रह कार्यक्रमों का उल्लेख निम्नलिखित है :

12.32 निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दिए गए निर्देश की पूर्ती हेतु विशेष प्रयास किये जाएँ और चौदह वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाये| वर्तमान अपव्यय और अवरोधन को कम करके समुचित कार्यक्रम बनाये जाएँ तथा विद्यालय का प्रत्येक व्यक्ति विहित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करे|

12.33 शिक्षकों के स्तर,वेतन तथा शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार

शिक्षणके स्तर उन्नत करने मेंतथा इसके राष्ट्रीय विकास में योगदान हेतु शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है| शिक्षक के वेतन,उसकी शैक्षिक योग्यता,उसकी व्यावसायिक योग्यता तथा उसके व्यक्तिगत गुणों और चरित्र पर शैक्षिक प्रयासों की सफलता निर्भर है|

12.34 भाषाओं का विकास

प्रादेशिक भाषाएँ, त्रिभाषा सूत्र,हिंदी, संस्कृत,और अंतर-राष्ट्रीय भाषाओं के ज्ञान पर बल दिया गया है|

12.35 शैक्षिक अवसरों की समानता

शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की दृष्टि से प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन मिटाना चाहिए| ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की श्रेष्ठ सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहियें| शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य स्कूल पद्धति को अपनाना चाहिए| जिससे सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले| बालिकाओं,पिछड़ी जाती,जनजाति के बच्चों और विकलांग बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था हो|

12.36 प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान

प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान अल्पायु में ही हो जानी चाहिये| तथा उनकी प्रतिभा के विकास हेतु उचित अवसर प्रदान किये जाने चाहिए|

12.37 कार्यानुभव और राष्ट्रीय सेवा

विद्यालय और समाज को निकट लेन हेतु कार्यनुभव और राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए| इन कार्यक्रमों में स्वाबलंबन,चरित्र निर्माण और सामाजिक प्रतिबद्धता के विकास पर बल देना चाहिए|

12.38 विज्ञान शिक्षा एवं अनुसन्धान

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गति तीव्र करने हेतु विज्ञान शिक्षा एवं अनुसन्धान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए| विज्ञान और गणित स्कूल स्तर तक सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग हिना चाहिए|

12.39 कृषि एवं उद्योग हेतु शिक्षा

प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए| प्राविधिक शिक्षा में उद्योगों से सम्बंधित व्यवहारिक और अन्य प्राविधिक जन शक्ति की आवश्यकताओं की निरन्तर समीक्षा करते रहना चाहिये जिससे शिक्षा संस्थाओं और रोजगार के अवसरों के मध्य संतुलन बना रहना चाहिए|

12.40 पारिश्रमिक और प्रोत्साहन

पारिश्रमिक और प्रोत्साहन की उदार नीति के द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को आकर्षित करके विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में उच्चतम सुधार होना चाहिए| पाठ्यपुस्तकों को बार –बार न बदला जाये| इनका मूल्य भी ऐसा हो कि सामान्य व्यक्ति सरलता से खरीद सके|

12.41 परीक्षाएं

परीक्षाओं की विश्वसनीयता और वैधता में सुधार होना चाहिए| निरन्तर मूल्यांकन प्रक्रिया का उद्देश्य उपलब्धि स्तर में सुधार करना होना चाहिए न कि किसी समय विशेष पर उसकी गुणवत्ता का प्रमाण पत्र देना|

12.42 माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च स्तर पर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य साधन है| अतएव माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ उन क्षेत्रों और वर्गों को भी दी जानी चाहिए जिनको आज तक यह प्राप्त नहीं हो सकी|

12.43 विश्वविद्यालय शिक्षा

विश्वविद्यालय या कालेज में छात्र प्रवेश संख्या प्रयोगशाला,पुस्तकों तथा अन्य सुविधाओं और कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप होनी चाहिए|

12.44 अंशकालीन शिक्षा एवं पत्राचार कार्यक्रम

इन कोर्सों की सुविधा विश्वविद्यालय स्तर पर की जाये | इस प्रकार की शिक्षा माध्यमिक स्तर के छात्रों, अध्यापकों तथा कृषि,उद्योग और अन्य व्यवसाय में लगे कर्मचारियों को दी जाये |

12.45 साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार

राष्ट्रीय विकास में गति लाने हेतु निरक्षरता का उन्मूलयन आवश्यक है| इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु सक्रीय रूप से साक्षरता अभियानों का आयोजन होना चाहिए |

12.46- खेलकूद

खेलकूद का उद्देश्य छात्रों की शारीरिक क्षमता में वृद्धि करना तथा कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है | जहाँ खेल के मैदान तथा शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विकास के लिए सुविधाएँ नहीं हैं वहां यह सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर देनी चाहिए|

12.47 अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु तथा उनके शैक्षिक हितों को उन्नत करने हेतु हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए |

12.48 शिक्षा सरंचना

यह आवश्यक है कि देश के सभी भागों में शैक्षिक सरंचना एकरूप हो| अन्ततः पूरे देश में 10 जमा दो जमा तीन की शैक्षिक सरंचना अपनानी चाहिए|

12.49 उपसंहार

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में वायदे तो बहुत अच्छे किये गए थे,परन्तु उनको पूरा करने के लिए न तो पूरी योजना तैयार की गई थी और न उसके लिए पर्याप्त धनराशी की व्यवस्था की गई थी | संसाधनों के अभाव में इस नीति का ईमानदारी से पालन नहीं किया जा सका |

12.50 अभ्यास प्रश्न 4:सही उत्तर का चयन कीजिये –

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस सरंचना को स्वीकार किया गया था ?

(अ) 5+3+2+2+3 (ब) 8+4+3 (स) 8+5+3 (द)10+2+3

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मेंकिस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था ?

(अ) प्राथमिक (ब)उच्च प्राथमिक (स) माध्यमिक (द) उच्च माध्यमिक

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी ?

(अ)1978 (ब)1988 (स)1998 (द)2000

12.51 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रोग्राम आफ एक्शन (1986/1992): महत्वपूर्ण सुझाव और उनके निहितार्थ (National Policy on Education and its Programme of Action (1986/1992): Major suggestions and their implications)

इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं,जबकि दीर्घकाल से चली आ रही प्रक्रिया को नयी दिशा की आवश्यकता होती है| भारतीय शिक्षा का वही क्षण,सन 1986 में आया| इससे पूर्व भी यह पग राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1968 के द्वारा उठाया गया था 1 उसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करना था| उसमें शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निर्माण तथा हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था| साथ ही उस शिक्षा नीति में शिक्षा को जनजीवन के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया गया था| नयी चुनौतिओं से निपटने और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु एक नयी शिक्षा नीति 8मई को लोकसभा तथा 13 मई 1986को राज्य सभा द्वारा पारित की गई,जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 कहते हैं| सन 1992 में इसको संशोधित किया गया|

12.52 राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 के मूल तत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 और उसकी कार्य योजना,1986 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं रीति सम्बन्धी जो तत्व उजागर होते हैं,उन्हें निम्नलिखित रूप में उजागर किया जा सकता है|

12.52-1 शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जायेगा: इस शिक्षा नीति के दसवें भाग में शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रिकर्ण पर बल दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय शिक्षा सेवा' प्रांतीय स्तर पर 'प्रांतीय शिक्षा सेवा' जिला स्तर पर 'जिला शिक्षा परिषद'के गठन की घोषणा की गई है|

12.52-2 शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशी:राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं अध्यात्मिक विकास करती है| और यह हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास,लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है|

12.52-3 सम्पूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा सरंचना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में सम्पूर्ण देश में 10 +2 +3 शिक्षा सरंचना स्वीकार की गई है| प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी,इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यक्रम होगा|

12.52-4 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन: इस शिक्षा नीति के पाँचवेंभाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया है| और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक,माध्यमिक और उच्च्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करने और उनके स्तर को उठाने पर बल दिया है|

12.52-5 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था: इस स्तर पर शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान दिया जायेगा| उनके भोजन,वस्त्र,सफाई और पर्यावरण पर ध्यान दिया जायेगा| उनके खेल –कूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था की जाएगी|

12.52-6 अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जायेगा:

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जायेगा | अभी 10% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं,शेष 10%को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे |

12.52-7 माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन : इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांचवें भाग में यह घोषणा की गई है कि माध्यमिक शिक्षा सभी इच्छुक लकड़े –लड़कियों को उपलब्ध कराई जाएगी | इस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागु किया जायेगा | गणित,विज्ञान,मानविकी,इतिहास,राष्ट्रीयता,संवेधानिक दायित्व,नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य,सांस्कृतिक संस्कार और कार्यानुभव को अनिवार्य किया जायेगा |

12.52-8 उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्यन्न:इस शिक्षा नीति के पांचवें भाग में यह स्पष्ट किया गया है क्जी उच्च शिक्षा द्वारा छात्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता का विकास किया जायेगा,जिससे राष्ट्र का विकास होगा |

12.52-9 तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा में सुधार:इस शिक्षा नीति के छठे भाग में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए उसकी उचित व्यवस्था करने पर बल दिया गया है| यह घोषणा की गई है कि तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा को भविष्य की आवश्यकता अनुसार नियोजित किया जायेगा| तथा महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को तकनीकी शिक्षा की पूरी – पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी|

12.52-10 परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आठवें भाग के अंत में तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की चर्चा की गई है |

12.52-11 शिक्षकों के स्तर और शिक्षण-प्रशिक्षण में सुधार: शिक्षकों के चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जायेगा | उनके स्तर को उठाने के लिए उनके वेतनमान बढाये जायेंगे और सेवाशर्तों को आकर्षक बनाया जायेगा |

12.52-12 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार: प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जायेगा और 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के प्रोढ़ को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गेरसरकारी संगठनों का प्रयोग किया जायेगा |

12.52-13 सतत शिक्षा की व्यवस्था: युवा वर्ग,गृहिणियां,किसानो,व्यापारियों और विभिन्न उधोगों में कार्यरत व्यक्तियों को उनके क्षेत्र की अधतन जानकारी देने हेतु सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी |

महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा | अनुसूचित जाती,अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी

पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी |

अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा|

विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी |

12.53 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986(1992)का सामान्य परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 साल बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी | परन्तु केंद्र सरकार ने तीन वर्ष बाद,1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु राममूर्ति समीक्षा समिति,1990 का गठन कर दिया | अभी इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी शुरू नहीं हुआ था कि सरकार ने 1992 में इस नीति के कार्यान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समीति का गठन कर दिया| इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, में कुछ संशोधन कर दिए| और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 (National policy on Education 1986,with modifications undertaken in 1992) के नाम से प्रकाशित किया | सरकार ने उसी वर्ष इसकी कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन कर दिए | इस परिवर्तन कार्य योजना को कार्य योजना,1992 (Plan of action) कहा जाता है |

यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 में किये गए संशोधनों और उनकी कार्य योजना,1992 को समग्र रूप से देखा जाये तो स्पष्ट होगा कि उसके मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है| उनका केवल विस्तार हुआ है,और वह भी कुछ मूल तत्वों का|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 और उसके संशोधित रूप (1992)में जो कुछ प्रस्तावित है वह सब कुछ बहुत अच्छा है और नीति को शैक्षिक विकास के रूप में निहितार्थ किया गया है| जैसे कि :

12.53-1 शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु: राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया है | इस शिक्षा नीति को उत्तम निवेश के रूप में स्वीकार किया गया है और उस पर बजट में 6% का प्रावधान करना सुनिश्चित किया गया है और वर्तमान में लगभग 4% व्यय भी किया जा रहा है |

12.53-2कार्य योजना एवं वित्त व्यवस्था: राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 और संशोधित (1992) भारत की पहली शिक्षा नीति है जिसके क्रियान्वयन के लिए पूरी कार्य योजना विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई है और उसके लिए उचित वित्त व्यवस्था भी की गई है |

12.53-3 निश्चित शिक्षा सरंचना :इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 द्वारा घोषित 10+2+3 शिक्षा सरंचना को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने पर बल दिया गया है सुर प्रथम दस वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या और +2 पर स्थान विशेष की आवश्यकता अनुसार पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल दिया गया है | उच्च स्तर के शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण का अधिकार विश्वविद्यालयों को दिया गया है| परन्तु इस निर्देश के साथ कि ये पाठ्यक्रम अधतन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए| इस प्रकार इस नीति में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को बराबर का महत्व दिया गया है,यह भारतीय गणराज्य के अनुकूल है|

12.54 उपसंहार

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 एवं संशोधित (1992)के दस्तावेजों में तत्कालीन शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव अधिक हैं और नीति सम्बन्धी घोषणाएँ कम हैं| फिर भी जो नीति सम्बन्धी घोषणाएँ की गई हैं उनमें कुछ मानने योग्य हैं| जैसे – पूरे देश में 10+2

+3 शिक्षा सरंचना लागू करना,प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के आधारभूत पाठ्यचर्या होना,+2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाना,+3 की शिक्षा को राष्ट्र की मांग के अनुसार नियोजित करना और तकनीकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना आदि | साथ ही कुछ घोषणाएँ मानने योग्य नहीं हैं,जैसे –माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करना,कार्यानुभव पर आवश्यकता से अधिक बल देना आदि |

12.55- अभ्यास प्रश्न :

सही उत्तर का चयन कीजिये:

1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1968 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी |

(अ) 1990 (ब) 1995 (स) 2000 (द) 2002

2. प्रारम्भ में ब्लैक-बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु बनाई गई थी ?

(अ) प्राथमिक (ब) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

(स) उच्च प्राथमिक (द) माध्यमिक

3. राष्ट्रीय शिक्षा योजना,1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र /छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी ?

(अ) 20 (ब)25 (स)50 (द)75

12.56 सारांश

स्वतंत्र भारत का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पहला आयोग है जिसने उच्च शिक्षा के सभी पक्षों का पूर्ण अध्ययन और चिन्तन के उपरांत अपने विचार प्रकट किये | आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय केवल उच्च शिक्षा के केंद्र ही नहीं हैं बल्कि राजनीति और प्रशासन,व्यवसायों,उधोग और व्यापार में नेतृत्व प्रदान करना भी उनका काम है | स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्यों को पहचानना,विद्यार्थियों की अभिरुचियों एवं अभिवृतियों के आधार पर पाठ्यक्रम का विविधिकरण तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना,निर्देशन एवं परामर्श की उपलब्धि,कृषि शिक्षा का समर्थन,प्राविधिक संस्थानों की व्यवस्था,परीक्षा पद्दति एवं शिक्षकों की स्थिति में सुधार सम्बन्धी सिफारिशें उस समय की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक थीं| फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया| विज्ञान और शिल्प विज्ञान के ज्ञान और कौशल का संतुलन श्रेष्ट नीति शास्त्र तथा धर्म से सम्बंधित मूल्यों तथा अंतर्दृष्टि सेदेखना चाहिए | अत: सभी संस्थाओं में नैतिक,सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए | यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 में किये गए संशोधनों और उनकी कार्य योजना,1992 को समग्र रूप से देखा जाये तो स्पष्ट होगा कि उसके मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है| उनका केवल विस्तार हुआ है और वह भी कुछ मूल तत्वों का | अन्त में यही कहा जा सकता है कि मूल्य शिक्षा को एक ऐसी सतत प्रक्रिया के रूप में मन जाये जिसे व्यक्ति की बाल्यवस्था से किशोरावस्था और फिर वहां से प्रौढ़ता तक विकास की प्रक्रिया के रूप में धारण किया जाये |

12.57- शब्दावली

- (DIETs)-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
- (NCTE)-राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
- (ACTE)-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
- (NLM)- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- (NPE)- राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- (CTE)-शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
- (AICTE)-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

12.58- अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न:1- (1). 1948 (2.) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

अभ्यास प्रश्न :2- (1) माध्यमिक शिक्षा (2) (7) सात (3) आठ (8)

अभ्यास प्रश्न3: (1.) द- सम्पूर्ण शिक्षा (2).ब- 6 प्रतिशत
(3.) द- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग(1964-66)

अभ्यास प्रश्न4: (1.) द-10+2+3 (2.)स-माध्यमिक **(3.)**अ-1978

अभ्यास प्रश्न5: (1.) अ-1990 (2.)अ-प्राथमिक **(3.)**ब- 25

12.59- निबन्धात्मक प्रश्न

1. राधाकृष्णन आयोग के अनुसार भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं ?
2. मुदालिअर आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए थे ?
3. कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए|
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल्यांकन कीजिए|
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 एवं संशोधित (1992)का मूल्यांकन कीजिए|

12.60-संदर्भ ग्रन्थ

- भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्याएं –रमन बिहारी लाल,कृष्ण कान्त शर्मा
- आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं - डॉ० बी० बी० अग्रवाल
- शिक्षा के सिद्धांत - पाठक एवं त्यागी
- नवीन शिक्षा दर्शन - डॉ० कामता प्रसाद पाण्डेय
- शिक्षा सिद्धांत - डॉ० जायसवाल तथा कुमारी सक्सेना
- उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा – एन० आर० स्वरुप सक्सेना

इकाई – 13

लर्निंग द ट्रेजर विदइन

(यूनेस्को को अंतर्राष्ट्रीय आयोग शिक्षा द्वारा 21वीं सदी में शिक्षा पर रिपोर्ट : जेक्स डेलर्स रिपोर्ट), सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) शिक्षा के सम्बन्ध में, बोझ के बिना सीखना (यशपाल समिति की रिपोर्ट, 1992-93), सर्व शिक्षा अभियान : उत्त्पति, लक्ष्य और कार्यवाही की योजना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चे का अधिकार, RTI अधिनियम 2009 : उत्त्पति, मुख्य विशेषताएं और आलोचना और मध्याह्न भोजन (दोपहर का भोजन)

Learning the Treasure Within

(Report to UNESCO of the International Commission on Education for the 21st Century- Jacques Delor's Report), Millennium Development Goals (MDGs) in relation to education, Learning without Burden (Yashpal Committee Report (1992-93) ; SarvaShikshaAbhyan : Genesis, targets and plan of action, Right of Children for Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009 : Origin, salient features and critique, and MDM (Midday Meal)

इकाई की रुपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 लर्निंग द ट्रेजर विदइन (यूनेस्को को अंतर्राष्ट्रीय आयोग शिक्षा द्वारा 21वीं सदी में शिक्षा पर रिपोर्ट जेक्स डेलर्स रिपोर्ट)

13.4 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य एमडीजी) शिक्षा के सम्बन्ध में)

13.5 बोझ के बिना सीखना (यशपाल समिति की रिपोर्ट 1992-93)

13.6 सर्व शिक्षा अभियान : उत्पत्ति, लक्ष्य और कार्यवाही की योजना

13.7 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चे का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) : उत्पत्ति, मुख्य विशेषताएं और आलोचना

13.8 मध्याह्न भोजन (दोपहर का भोजन)

13.9 सारांश

13.10 शब्दावली
13.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
13.12 निबंधात्मक प्रश्न
13.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

13.1 प्रस्तावना

शिक्षा धन है मनुज हित, अक्षय और यथेष्ट।

अन्य सभी संपत्तियाँ, होती हैं नहीं श्रेष्ट ।।

तमिल के कवि तिरुवल्लुवर की यह पंक्तियां जिसमें शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है, मनुष्य जीवन में शिक्षा की महत्ता को प्रदर्शित करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने देश में शिक्षा की स्थिति को सुद्रढ़ करने के लिए अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये। इन कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना था जिससे बच्चों को उपयोगी और स्तरीय शिक्षा मिल सके तथा वे अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। इस अध्याय में हम इन कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- यूनेस्को को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा 21वीं सदी में शिक्षा पर सौंपी गई रिपोर्ट (जेक्स डेलर्स रिपोर्ट) को समझ सकेंगे।
- शिक्षा के सम्बन्ध में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी)को जान सकेंगे।
- बोझ के बिना सीखना (यशपाल समिति की रिपोर्ट 1992-93) का उल्लेख कर सकेंगे।
- सर्व शिक्षा अभियान की उत्पत्ति, लक्ष्य और कार्रवाई की योजना को समझ सकेंगे।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चे का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) की उत्पत्ति, मुख्य विशेषताएं और आलोचना को लिख सकेंगे।
- मध्यान्ह भोजन (दोपहर का भोजन) की व्याख्या कर सकेंगे।

13.3 लर्निंग द ट्रेजर विदइन

सन 1972 में यूनेस्को के महानिदेशक एडगर फौर (Edgar Faure) ने अपनी रिपोर्ट ‘Learning to be’ में शिक्षा के पारंपरिक आयामों को चुनौती देते हुए नए आयामों को लागू करने की अनुशंसा की। इसी को देखते हुए सन 1991 में यूनेस्को के महानिदेशक को एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित करने को कहा गया जो शिक्षा और 21वीं सदी के अधिगम पर प्रकाश डाल सके। सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई जिसके द्वारा शिक्षा से सम्बंधित समस्याओं और नवाचारों का विश्लेषण किया गया। यूनेस्को द्वारा इस आयोग को धन आवंटित किया गया। इस आयोग का महानिदेशक जेक्स डेलर को बनाया गया जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देशित करने में सक्षम थे। डेलर ने विभिन्न देशों के शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियों, एनजीओ एवं छात्रों के प्रतिनिधियों से विचारों का आदान -प्रदान किया और सुझाव

प्राप्त किये। इन सुझावों का अध्ययन करने के पश्चात सन 1996 में डेलर ने अपनी रिपोर्ट यूनेस्को के महानिदेशक को ‘Learning : The treasure within’के नाम से सौंपी जिसे ‘डेलर रिपोर्ट’ भी कहते हैं।

डेलर ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य मानव विकास को बताया है। उन्होंने कहा है कि मानव का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब गरीबी, अज्ञानता और अशिक्षा को समाप्त किया जाये। डेलर के अनुसार- **“शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिनके आधार पर ज्ञान और कार्यक्षमता बढ़ती है। शिक्षा एक ऐसा अद्भुत माध्यम है जिससे व्यक्तिगत विकास के साथ ही, समाज एवं राष्ट्र के पारस्परिक सम्बंधों में सुधार होगा।’**

डेलर ने कुछ समस्याओं को भी चिन्हित किया जो निम्नलिखित हैं-

1. डेलर के अनुसार वर्तमान में हर एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो गया है जो हर प्रकार के अवसरों का लाभ उठाना चाहता है।
2. वर्तमान में ज्ञान और उसको प्राप्त करने के माध्यम तो बढ़ गए हैं पर उसके अनुरूप व्यक्तियों में ग्रहण करने की क्षमता नहीं बढ़ रही, इस वजह से शिक्षा में तनाव का माहौल है।
3. लोगों को अपनी सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए।
4. अपनी सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना चाहिए।
5. आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए।

डेलर आयोग आध्यात्मिक और भौतिक तनावों को दूर करने को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार – **सबसे अधिक बल नैतिक और सांस्कृतिक आयाम पर हो, जिससे हर एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्तिगत पहचान को जान और समझ सके और सम्पूर्ण विश्व जो कि एकता की ओर अग्रसर है उसको जान व समझ सके**। डेलर आयोग ने जीवनपर्यन्त सीखने की अवधारणा को प्राथमिकता दी है और 21वीं सदी के लिए इसे एक महत्त्वपूर्ण चाबी बताया है। आयोग जीवनपर्यंत सीखने की अवधारणा को पारंपरिक शिक्षा से अधिक उपयोगी मानता है। डेलर आयोग के अनुसार लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने समाज, राष्ट्र और विश्व को जाने, आपस में समझ पैदा करें और आपस में मिलजुल कर रहें। 21वीं सदी के लिए डेलर आयोग ने शिक्षा के चार स्तंभों को महत्वपूर्ण बताया है-

1. ज्ञान के लिए सीखना (Learning to know)
2. कार्य करने के लिए सीखना(Learning to do)
3. लर्निंग टू बी (Learning to be)
4. मिलजुल कर रहना सीखना (Learning to live together)

ज्ञान के लिए सीखना- इस स्तम्भ के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने के यंत्रों को महत्व दिया गया है जिससे ज्ञान प्राप्त करने में आसानी हो। साथ ही प्रत्येक इन्सान के लिए अपने वातावरण और समाज को जानने को भी यह महत्वपूर्ण बताता है जिससे वह सम्मान के साथ जी सके। इसी आधार पर हर बच्चे के लिए विज्ञान की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार आज के समय में हर विषय का विस्तृत सामान्य ज्ञान एवं समझ होनी चाहिए। यदि किसी विशेषज्ञ को सिर्फ अपने विषय का ही ज्ञान होगा तो वह अन्य लोगों के साथ सम्प्रेषण नहीं कर पायेगा। इसलिए सामान्य शिक्षा अन्य समाजों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में एक कड़ी का

काम भी करती है। बच्चों में एकाग्रता, स्मृति कौशल और चिंतन कौशल की शक्ति को बढ़ाना चाहिए जिससे उसके संपूर्ण ज्ञान का विकास हो सके। इस तरह की क्षमता आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि के विषयों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इस स्तम्भ में शिक्षा में तीन विषयों पर जोर दिया गया है-

1. जिन कौशलों की व्यवसाय में जरूरत है उनका ज्ञान अर्जित करना।
2. विद्यालय छोड़ने की अवधि को बढ़ाना।
3. बुजुर्ग व्यक्तियों को स्वाध्याय के लिए समय देना।

कार्य करने के लिए सीखना- किसी कार्य को करने के लिए ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता होती है। यह स्तम्भ स्पष्ट करता है कि किस प्रकार अपनी शिक्षा और ज्ञान के द्वारा किसी कार्य को किया जाये। औद्योगिक और विकसित अर्थव्यवस्था में शिक्षा और ज्ञान को एक कौशल के रूप में देखा जाता है। परन्तु 21वीं सदी में इस कौशल में नवाचार कार्यक्रमों को भी समाहित किया गया जिससे औद्योगिक और विकसित अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी हो सके।डेलर आयोग मानता है कि वर्तमान समय में आवश्यक है कि व्यक्ति में कौशलों का समूह (Set of skills) हो, जिसे व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत योग्यता कहा जाता है।

लर्निंग टू बी - यूनेस्को के महानिदेशक एडगर फौर अपनी रिपोर्ट 'Learning to be' में इन्सान की उन प्रतिभाओं को चिन्हित किया जो उसमें दबी रहती हैं जैसे- स्मृति, तर्कशक्ति, कल्पना शक्ति, शारीरिक योग्यता एवं सौंदर्यबोध। यह स्तम्भ इन दबी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने पर बल देता है जिससे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। वर्तमान समय में शिक्षा एक वैयक्तिक सोच नहीं है, इसका उद्देश्य सामाजिक उन्नति है जिसका मूल व्यक्तित्व का विकास है। अतः जब व्यक्तित्व का विकास होगा तभी सामाजिक उन्नति हो सकेगी, जोकि शिक्षा का उद्देश्य है।

मिलजुल कर रहना सीखना –यह स्तम्भ बताता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके अनुसार विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में मिल-जुलकर रहने की भावना पैदा करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को बाल्यावस्था से ही ऐसी शिक्षा दी जाये कि वे विभिन्न समुदायों को जान सकें और अपने और उनके बीच की समानता और असमानता को समझ सकें। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आपस में इतनी विभिन्नता होते हुए भी जब विभिन्न समुदाय आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं तभी कोई कठिन कार्य किया जा सकता है। विभिन्न समुदायों को पढ़ाते हुए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मताग्रही विचारों को बच्चों के सामने न रखे। उसे बच्चों के विचारों और मतों को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें सहयोग पूर्ण परियोजना सम्बन्धी कार्य देने चाहिए जिससे उनमें सहयोग की भावना का विकास हो सके। उन्हें विभिन्न विषयों द्वारा दूसरे की स्थितियों को मूल्यांकित करने की क्षमता पैदा करनी चाहिए जिससे उनमें सहानुभूति की भावना पैदा होगी।

अभ्यास प्रश्न :-1

सही विकल्प का चयन करें-

1. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे-

   फेदरिको मेयर

जेक्स डेलर
चार्ल्स
इनमें से कोई नहीं

2. डेलर कमीशन के अनुसार चार पिलर हैं -
   ज्ञान के लिए सीखना
   कार्य करने के लिए सीखना
   लर्निंग टू बी
   उपरोक्त सभी
3. डेलर रिपोर्ट का कार्य है-
   शिक्षा के नए उद्देश्यों का निर्धारण
   व्यक्तित्य का विकास
   सामाजिकता का विकास
   उपरोक्त में से कोई नहीं
4. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई-
   1990
   1995
   1993
   1997
5. यूनेस्को के महानिदेशक को रिपोर्ट सौंपी गई-
   Learning : The treasure within
   Learning : The within treasure
   Learning : The treasure
   उपरोक्त में से कोई नहीं

13.4 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य-शिक्षा के (सम्बन्ध में (एमडीजी

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने एक गहन विश्लेषण के द्वारा यह पाया कि आज भी कई देश ऐसे हैं जो विकास की दौड़ में विकासशील देशों से काफी पीछे हैं। अनेक देश बीमारी, गरीबी, कुपोषण जैसी अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। कई देश तो ऐसे हैं जहाँ आज भी लोगों को भरपेट भोजन और स्वच्छ पानी नसीब नहीं है वहीं कई देश ऐसे भी हैं जहाँ लोग सिर्फ मिनरल वाटर ही पीते हैं। इस असमानता को दूर करने और सभी लोगों के जीवन स्तर में समानता लाने के उद्देश्य से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) की अवधारणा सामने आई। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में इस बात का निश्चय किया गया कि हर एक दशक के बाद इसका आंकलन किया जायेगा जिससे यह पता चले कि इसमें प्रगति कहाँ तक हुई है।इस सम्बन्ध में सभी देशों के द्वारा 8 उद्देश्य और 21 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। इसमें शिक्षा के संबन्ध में महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है- सबके लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। इस परिदृश्य से देखा जाये तो भारत ने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने में अच्छा कार्य किया है परन्तु यदि गुणवत्ता की बात की जाये तो इसमें प्रश्नचिन्ह लग सकता है। इसी के साथ

प्राथमिक स्तर में तो नामांकन में सुधार हुआ है पर माध्यमिक स्तर पर नामांकन में एक तिहाई गिरावट आई है, जोकि चिंता का एक विषय है। इसी के साथ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक लक्ष्य शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता को दूर करना भी है।

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जैसी कई संस्थायें विभिन्न देशों को मार्गदर्शन, सहायता और सहयोग प्रदान कर रही हैं।

अभ्यास प्रश्न :-2

1. जीवन स्तर में -------------------- लाने के उद्देश्य से सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) की अवधारणा सामने आई।
2. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में प्रगति का आंकलन हर एक -------------------में किया जाता है।
3. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में सभी देशों के द्वारा------------- उद्देश्य और ------------- लक्ष्यों का निर्धारण किया गया।
4. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य शिक्षा के सभी स्तरों पर -------------------- को दूर करता है।

13.5 बोझ के बिना सीखना (यशपाल समिति की रिपोर्ट 1992-93)

शिक्षा के नाम पर छात्रों पर बढ़ते बोझ को कम करने और अधिगम के स्तर को सुधारने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रो.यशपाल की अध्यक्षता में मार्च 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे '**शिक्षा बिना बोझ के'(Education Without Burden)** के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट पांच भागों में विभाजित है- प्रस्तावना, शिक्षाक्रम के भार की समस्या, समस्या की जड़ें, सिफारिशें तथा परिशिष्ट। पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

1. पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों को निर्माण करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे स्थानीय परिवेश की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम सामग्री बना सकें। पाठ्य-पुस्तकें बनाने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को परामर्शकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
2. व्यक्तिगत उपलब्धि वाली प्रतियोगिताओं की जगह सामूहिक गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. ग्राम, ब्लाक तथा जिलास्तर पर शिक्षा समितियों का गठन होना चाहिए जो विद्यालयों में नियोजन और परीक्षण का कार्य करें।
4. नर्सरी स्कूल खोलने और उनके संचालन को विनियमित करने के लिए कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय अपनाये जाने चाहिए। इन संस्थाओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये शिक्षा के रूप में छात्रों पर अधिक बोझ डालकर अत्याचार न करें।
5. नर्सरी में प्रवेश के लिए टेस्ट और इंटरव्यू नहीं लिया जाना चाहिए।
6. पाठ्य-पुस्तकों को स्कूली संपत्ति बनाया जाना चाहिए।
7. प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देने के नियम और अधिक कठोर बनाये जाने चाहिए।
8. प्राथमिक कक्षाओं में गृहकार्य नहीं दिया जाना चाहिए। अन्य कक्षाओं में गृहकार्य पाठ्य-पुस्तकों से हटकर देना चाहिए तथा पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

9. प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक – छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए।
10. विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रयोगों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य तथा सफाई जैसे विषयों में वास्तविक जीवन से सम्बंधित घटनाओं के चिंतन पर जोर देना चाहिए।
11. 6 से 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अर्थव्यवस्था की जानकारी दी जानी चाहिए।
12. भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में स्थानीय तथा बोलचाल के मुहावरों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
13. कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक प्रचार संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।
14. शिक्षकों में व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने के लिए सेवाकालीन शिक्षक दक्षता कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए।
15. 10वीं तथा 12वीं के अंत में होने वाली सार्वजानिक परीक्षाओं में Quiz और Concept based प्रश्नों का समावेश भी होना चाहिए।

प्रो. यशपाल समिति की सिफारिशों को लागू करने की संभाव्यता की जांच के लिए वाई. एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में दस सदस्यीय दल का गठन अगस्त 1993 को किया गया जिसने समिति की अधिकांश सिफरिशों को मंजूर कर लिया।

अभ्यास प्रश्न :-3

1. प्रो.यशपाल समिति (1993) की रिपोर्ट को ---------------------- के नाम से भी जाना जाता है।
2. यशपाल समिति की रिपोर्ट ----------- भागों में विभाजित है।
3. यशपाल समिति की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ---------------------------में सुधार करना है।
4. प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक – छात्र अनुपात ----------------------होना चाहिए।
5. प्रो. यशपाल समिति की सिफारिशों की जांच ----------------------की अध्यक्षता में की गई।

13.6 सर्व शिक्षा अभियान : उत्पत्ति, लक्ष्य और कार्यवाही की योजना

उत्पत्ति और लक्ष्य–सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी बाजपेई द्वारा सन 2001 में की गई थी। यह अभियान देश के सभी जिलों में लागू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी और स्तरीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य-

1. 6 से 14आयु वर्ग वाले सभी बच्चों का वर्ष 2003 तक विद्यालयों में नामांकन।
2. सभी बच्चों द्वारा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना।
3. उपयोगी और स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों को सुलभ करना।
4. सभी लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना।

सर्व शिक्षा अभियान की विशेषतायें –

सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर विशेष ध्यान।

2. विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस विद्यालय लाने का प्रयास।
3. बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें।
4. बालिकाओं के लिए सौहार्द्रपूर्ण वातावरण का निर्माण।
5. बालिकाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था।
6. बालिकाओं के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाओं की व्यवस्था।
7. दुष्कर परिस्थितियों में रह रहे छात्रों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
8. विद्यालयों में 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति।
9. शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन।

कार्यवाही की योजना- सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिन स्थानों पर अभी तक विद्यालय नहीं हैं, वहां नए स्कूल खोलना और वर्तमान स्कूलों का बुनियादी ढांचा विकसित करना शामिल है।इसी के साथ कक्षाओं के लिए नए कमरे, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था स्कूल सुधार निधि आदि प्रदान करना इस अभियान के अंतर्गत आता है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां शिक्षकों की कमी पूरा करना साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान बालिका शिक्षा और सुविधाविहीन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देता है। वर्तमान स्कूलों का बुनियादी ढांचा विकसित करना भी इस योजना के अंतर्गत आता है। डिजिटल दूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से इस अभियान में कंप्यूटर शिक्षा पर भी जोर दिया गया वर्तमान स्कूलों का बुनियादी ढांचा विकसित कक्षा भी इस योजना के अंतर्गत आता है। बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मध्यान्ह भोजन की शुरुआत की गई थी।

अभ्यास प्रश्न :-4

1 सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत ----------------------द्वारा सन 2001 में की गई थी|

2 सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 2010 तक---------------------- के सभी बच्चों को उपयोगी और स्तरीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था।

3 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में 50 प्रतिशत ----------------शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है।

4 सर्व शिक्षा अभियान ---------------- शिक्षा और सुविधाविहीन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देता है।

5 डिजिटल दूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से ----------------------पर भी जोर दिया गया।

13.7 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चे का अधिकार अधिनियम -2009 (आरटीई): उत्पत्ति, मुख्य विशेषताएं और आलोचना

शिक्षा किसी भी व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना शिक्षा के सभ्य व्यक्ति या सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यूनेस्को की शिक्षा के लिए वैश्विक मोनिटरिंग रिपोर्ट 2010 के अनुसार, विश्व के लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में निःशुल्क एवं भेदभाव रहित शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। भारत ने भी 1950 में संविधान के अनुच्छेद 45 में

14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया है। इसे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। 12 दिसम्बर 2002 को संविधान में जब 86वां संशोधन किया गया तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया जिसके अंतर्गत बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके तहत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराना संवैधानिक दायित्व है।

आरटीई एक्ट की मुख्य विशेषतायें –

1. इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के हर एक बच्चे को नजदीकी विद्यालय में मुफ्त और आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है।
2. निजी स्कूलों में आसपास के बच्चों को प्रवेश में 25 प्रतिशत का आरक्षण है।
3. इस अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के समय बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क अथवा डोनेशन नहीं लिया जायेगा और न ही शिक्षा लेने से रोका जायेगा।
4. अधिनियम के अनुसार बच्चों को शारीरिक दंड देना अपराध है।
5. यदि 6 से अधिक उम्र का कोई बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं गया है तो उसे उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।
6. इस अधिनियम के अंतर्गत जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं हैं वहां तीन वर्ष के अन्दर विद्यालय का निर्माण करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है।
7. गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाना इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
8. इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार दोनों की है।

आलोचना- आरटीई एक्ट की आलोचना करने वालों का कहना है कि इस एक्ट में 6 साल से कम और 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही वर्तमान स्कूलों में जो शिक्षा के आधारभूत ढांचे की कमी है उसे सबसे पहले सरकार द्वारा दूर करना चाहिए। इस एक्ट को राज्यों के वित्तीय अंशदान के मुद्दे को लेकर भी विरोध का सामना करना पड़ा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस पर हर साल 55 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था जिसे राज्य सरकारों द्वारा खर्च करने में असमर्थता जतायी गई।

अभ्यास प्रश्न :-5

सही विकल्प का चयन करें-

1. विश्व के लगभग ----------------- देशों ने अपने संविधान में निःशुल्क एवं भेदभाव रहित शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है-

   135

   136

   137

   इनमें से कोई नहीं

2. निजी स्कूलों में आसपास के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण है -

15 प्रतिशत

50 प्रतिशत

25 प्रतिशत

इनमें से कोई नहीं

3. आरटीई एक्ट को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है -

केंद्र सरकार की

राज्य सरकार की

केंद्र व राज्य सरकार दोनों की

उपरोक्त में से किसी की नहीं

4. यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ

1अप्रैल 2019 से

1 अप्रैल 2010 से

1अप्रैल 2011से

इनमें से कोई नहीं

13.8 मध्याह्न भोजन (दोपहर का भोजन)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई जिससे आकर्षित होकर बच्चे विद्यालय से जुड़ें और कम से कम पांच वर्षीय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें। यह योजना सरकारी, परिषदीय और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई थी। बाद में कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुए 1997-98 तक इसे देश के समस्त ब्लाकों में लागू कर दिया गया। तत्पश्चात 1 अक्टूबर 2007 से इसे उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के बच्चों पर भी लागू कर दिया गया।

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य-

1- प्रदेश के सरकारी, परिषदीय और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
2- विद्यालयों में बच्चों की नामांकन संख्या को बढ़ाना।
3- विद्यालयों में ड्रॉप आउट की दर को कम करना।
4- बच्चों में लैंगिक समानता की भावना को विकसित करना।
5- ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना जो अत्यंत गरीब हैं।

मध्याह्न भोजन योजना की विशेषतायें -

मध्याह्न भोजन योजना सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा बच्चों को स्कूली कार्य दिवसों में मुफ्त भोजन दिया जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि माँ- बाप गरीबी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और उन्हें विभिन्न तरह की मजदूरी में लगा देते हैं। यह योजना

ऐसे बच्चों के लिए एक स्वर्णिम योजना है जिससे बच्चे अपना सुनहरा भविष्य बना सकें ।यह योजना जहाँ बच्चों में कुपोषण की कमी को दूर कर रही है वहीँ दूसरी ओर सामाजिक संतुलन भी स्थापित करने का कार्य कर रही है।

भोजन की व्यवस्था –

इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर 3 किग्रा. गेंहू अथवा चावल दिया जाता था। परन्तु दिए जाने वाले खाद्यान्न का लाभ बच्चों को न होकर उनके परिवारों को होता था। इससे बच्चों को पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पता था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवम्बर 2001 को दिए गए निर्देशानुसार 1 सितम्बर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पके-पकाये भोजन को देने की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ और 2 दिन गेंहू से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था है ।इस योजना के द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है वहीँ उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है ।भोजन के लिए आवश्यक खाद्यान्न फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। वहीं भोजन भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जा रहा है। बच्चों को भोजन के सभी पोषक तत्त्व मिल सकें इसलिए भिन्न –भिन्न प्रकार का भोजन बच्चों को दिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न :-6

सही विकल्प का चयन करें-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई-

   15 अगस्त 1995

   15 अगस्त 1996

   15 अगस्त 1997

   15 अगस्त 1998

2. मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है -

   नामांकन संख्या को बढ़ाना

   बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना

   ड्रॉप आउट की दर को कम करना

   उपरोक्त सभी

3. इस योजना के द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है-

   450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन

   350 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन

   250 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन

   उपरोक्त में से किसी की नहीं

4. उच्च प्राथमिक स्तर पर पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है -

   500 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन

   600 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन

   700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन

   उपरोक्त में से किसी की नहीं

5. भोजन पकाने का कार्य किया जाता है

   ग्राम पंचायतों कीदेखरेख में

   अभिभावकों कीदेखरेख में

   बच्चों कीदेखरेख में

   इनमें से कोई नहीं

13.9 सारांश

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए अनेक प्रयास किये गए| अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रयास स्वरूप 21वीं सदी के लिए शिक्षा के नए 4 स्तम्भ स्थापित किये गए- ज्ञान के लिए सीखना, कार्य करने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी और मिलजुल कर रहना सीखना | अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहस्राणि विकास लक्ष्य की अवधारणा स्वीकार की गयी जिसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य सबके लिए प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना और शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता को दूर करना माना गया | भारत सरकार द्वारा भी देश में अनेक कार्यक्रम चलाये गए | 86 वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया | विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित करने हेतु मध्याहन भोजन की व्यवस्था की गयी| सर्वशिक्षा अभियान द्वारा 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया |

13.10 शब्दावली

- **सौंदर्यबोध-**प्रकृति पर स्थित वस्तुओं में व्याप्त सुंदरता का बोध करना |
- **कन्सेप्ट आधारित प्रश्न-** जिन प्रश्नों के उत्तर पंक्तियों में अपने शब्दों में दिया जाये|
- **क्यूज़ प्रश्न-** ऐसे वस्तुनिक प्रश्न जिसके उत्तर में एकरूपता बनी रहे|
- **आध्यात्मिक तनाव-** आध्यात्मिक या अंतर्मन में शांति न मिलना |
- **भौतिक तनाव-** भौतिकतावादी जगह से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाला तनाव |
- **नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा-** ऐसे शिक्षा जिसमे सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से बिना किसी प्रकार की फीस के शिक्षा प्रदान की जाये |

13.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1. जेक्स डेलर
2. उपरोक्त सभी
3. सामाजिकता का विकास
4. 1993
5. Learning : The treasure within

अभ्यास प्रश्न -2

1. समानता
2. दशक
3. 8 और 21
4. लैंगिक असमानता

अभ्यास प्रश्न -3

1. शिक्षा बिना बोझ के
2. पांच
3. पाठ्यक्रम
4. 1:30
5. वाई. एन. चतुर्वेदी

अभ्यास प्रश्न -4

1. अटल बिहारी बाजपेई
2. 6 से 14 वर्ष
3. महिला
4. बालिका
5. कंप्यूटर शिक्षा

अभ्यास प्रश्न -5

1 135

2 25 प्रतिशत

3 केंद्र व राज्य सरकार दोनों की

4 1 अप्रैल 2010 से

अभ्यास प्रश्न -6

1. 15 अगस्त 1995
2. उपरोक्त सभी
3. 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन
4. 700 कैलोरी और 20ग्राम प्रोटीन
5. ग्राम पंचायतों की देखरेख में

13.11 निबंधात्मक प्रश्न

1- डेलर कमीशन के चार स्तंभों पर प्रकाश डालिये।

2- सहस्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है?

3. प्रो. यशपाल समिति (1993) की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों की विवेचना कीजिये।

4. सर्व शिक्षा अभियान की उत्त्पति, लक्ष्य और कार्रवाई की विवेचना कीजिये।

5. भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में आरटीई एक्ट की समीक्षा कीजिये।

6. मध्याह्न भोजनयोजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिये।

13.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- त्यागी, जी.डी. (2010), *भारत में शिक्षा का विकास,* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- पाण्डेय, आर. (2010). *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास,*आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- अग्रवाल, के.के. (2008). *भारत में शिक्षा का विकास,*आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- कुमार, के. (1998). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व,*नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड|
- अग्रवाल, बी.बी. (1996). *आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएँ,*आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
- पाण्डेय, आर. (1990). *भारतीय शिक्षा के विभिन्न आयाम,*आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
- रावत, पी. (1972). *भारतीय शिक्षा का इतिहास,*आगरा: रामप्रसाद एंड संस।

इकाई-14

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC, 2005)

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और NCFSE, 2005 के उद्देश्य के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रमुख सिफारिशें-2005, और NCFTE, 2009, RMSA (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) और RUSA (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान)

National Knowledge Commission (NKC 2005)

Major recommendations in regard to various aspects of Primary & Secondary Education, Need & Objectives of NCFSE-2009, & NCFTE-2009, RMSA(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), RUSA(Rashtriya Ucchtar Shiksha Abhiyan

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC, 2005)

14.3 स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFSE, 2005)

14.4 अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFTE, 2009)

14.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

14.6 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

14.7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

14.8 सारांश

14.9 शब्दावली

14.10 निबंधात्मक प्रश्न

14.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

14.0 उद्देश्य

इस इकाई का निर्माण आपको सन् 2005 एवं इसके पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय अभियान, इस दौरान निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं ज्ञान आयोग के स्कूली शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों की जानकारी देने हेतु किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के योगदान को स्पष्ट कर सकेगें।
- वर्तमान स्कूली पाठ्यचर्या की आवश्कयता एवं उद्देश्य को समझ सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या को समझ सकेंगे।
- माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों को बता सकेंगे।
- उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु किये जा रहे प्रयासों को स्पष्ट कर सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

समकालीन भारत और शिक्षा से सम्बन्धित दूसरे खण्ड की यह चौदहवीं इकाई है। अभी तक आपने समकालीन भारत में सन 2005 से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में गठित प्रमुख आयोगों की सिफारिशों को जाना, समझा साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रमुख नवाचारों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। पिछले 10 वर्षों के दौरान शिक्षा के उन्नयन हेतु अनेक प्रयास किये गये। जिनमें से 5 प्रमुख प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन इस इकाई में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने यह अनुभव किया होगा कि हमारे समाज में तेज गति से विकास एवं बदलाव की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा का क्षेत्र इस तेज गति से हो रहे बदलाव से प्रभावित हुआ है। परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी तेज गति से विकास हुआ है जिसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम हमारे सामने आये है। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। बदलते हुए परिवेश में हम विकास के पथ पर अग्रसर हुए इस हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते रहे है। जो वर्तमान में भी जारी है। ये प्रयास किस सीमा तक सफल रहे है। इसी को जानने समझने हेतु यहां पर 5 प्रयासों का वर्णन संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

14.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (N.K.C. 2005)

20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। अब प्रश्न था - देशवासियों को यह ज्ञान किस रूप में और कैसे कराया जाए और भारतीय समाज को ज्ञानवान समाज कैसे बनाया जाये। इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा (Sri Sem Pitroda) की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। इस आयोग में अध्यक्ष पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया।

14.2.1 आयोग के विचारणीय विषय एवं कार्य क्षेत्र :

(1) 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।

(3) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रबन्ध में सुधार लाना।

(4) कृषि और उद्योगों में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना।

(5) नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोगों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।

14.2.2 आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 किश्तों में प्रस्तुत की - 2006, 2007, 2008 और फिर 2009 में। इस आयोग का सम्पूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन (Report to the Nation) के नाम से प्रकाशित हुआ।

इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है -

1. ज्ञान की सुलभता (Access to Knowledge)
2. ज्ञान के सिद्धान्त (Knowledge Concepts)
3. सृजन (Creation)
4. अनुप्रयोग (Applications)
5. सेवाएँ (Services)

14.2.3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के स्कूली शिक्षा सम्बन्धी मुख्य सुझाव

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के स्कूली शिक्षा सम्बन्धी मुख्य सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है-

(I) शिक्षा प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव

(1) विद्यालय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।

(2) स्कूलों की गुणवत्ता मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाना चाहिए।

(3) स्कूली शिक्षा हेतु राज्यों को केन्द्रीय सरकार के द्वारा दी जाने वाली धन राशियों के नियम अधिक लचीले बनाए जाने चाहिए।

(4) निजी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता के नियम अधिक लचीले बनाए जाने चाहिए तथा प्रबन्ध तंत्र को धनराशि के प्रयोग की स्वायत्तता होनी चाहिए।

(5) गुणवत्ता बनाए रखते हुए स्कूल समय, छुट्टियों तथा अध्यापक भर्ती के सम्बन्ध में नमनशीलता होनी चाहिए।

(6) शिक्षा में सरकारी खर्च बढ़ाना चाहिए तथा वित्तीय स्त्रोतों में विविधता लानी चाहिए।

(II) शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव

(1) आयोग स्कूली शिक्षा को दो वर्गों में देखता है - प्रारम्भिक और माध्यमिक।

(2) स्कूली शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कौशल सिखाने का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(3) आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञों एवं सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार विमर्श हेतु राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जानी चाहिए।

(III) स्कूली शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

(1) सभी को कक्षा 1 से एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए।

(2) तीसरी कक्षा से कोई एक विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए।

(3) स्कूलों के सामाजिक ऑडिटों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(4) स्कूली शिक्षकों से चुनाव एवं आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने चाहिए।

(5) स्कूल अध्यापकों को कम से कम 5 वर्षों की न्यूनतम नियत अवधि के लिए एक विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

(6) अध्यापकों के स्व-मूल्यांकन और हमजोली मूल्यांकन की प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(IV) अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

(1) सरकारी और निजी, दोनों संस्थानों में सेवा पूर्व प्रशिक्षण में सुधार लाना चाहिए और उसे अलग ढंग से विनियमित करना चाहिए।

(2) सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार के साथ-साथ उनका विस्तार करना चाहिए तथा उनमें नमनशीलता लानी चाहिए।

(3) अध्यापकों को विचारों, जानकारी और अनुभवों का आदान-प्रदान करने हेतु वेब आधारित पोर्टल जैसे मंच विकसित किये जाने चाहिए।

(4) सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन, दोनों तरह के अध्यापक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में सुधार लाना चाहिए।

(5) प्राइवेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का समुचित मानीटरन किया जाना चाहिए।

14.2.4 आयोग का स्कूली शिक्षा पर प्रभाव :

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पास किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू किया गया और 25 राज्यों में कक्षा-1 से अंग्रेजी अनिवार्य की गई। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक मे 1 मॉडल माध्यमिक स्कूल खोलने की योजना शुरू की

गई। अध्यापक शिक्षा के सेवापूर्व प्रशिक्षण में सुधार लाने हेतु बी.एड. तथा एम.एड. पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ा कर सत्र 2015-16 से दो वर्ष कर दी गई है।

प्रगति का स्वमूल्यांकन

अब तक आपने क्या सीखा, इसका मूल्यांकनआप स्वयं निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए -

(I) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. स्कूल अध्यापकों को कम से कम...................वर्षों की न्यूनतम नियत अवधि के लिए एक विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
2. कक्षा................से एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए।
3. ....कक्षा से कोई एक विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहिए।
4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सम्पूर्ण प्रतिवेदन 2009 में........................ ....के नाम से प्रकाशित हुआ है।

(II) निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए -

1. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्कूली शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों का उल्लेख कीजिए।
2. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों का उल्लेख कीजिए।

(III) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्कूली शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों का मूल्यांकनकीजिए।

14.3 स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (NCFSE, 2005)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में पूरे देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 1975 में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) तैयार कर यथा दस्तावेज प्रकाशित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में 10+2+3 शिक्षा संरचना को संपूर्ण देश में अनिवार्य रुप से लागू करने की घोषणा की गई। इस बीच 1975 में तैयार की गई प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या को कुछ प्रदेशों में लागू कर उसके गुण दोष भी उजागर हो चुके थे। परिषद ने इन अनुभवों एवं नई राष्ट्रीय नीति, 1986 की घोषणाओं के अनुरुप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की नई रुपरेखा तैयार कर उसे 1988 में प्रकाशित किया। इस पाठ्यक्रम का अनुपालन प्रान्तीय सरकारों ने अपने अपने तरीकों से किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद किसी स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन किए जायेंगे। दूसरी तरफ 1992 में केन्द्रीय सरकार ने संसोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की घोषणा की। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की घोषणा के अनुपालन और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की अपेक्षाओं के अनुरुप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित

आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार करने का प्रश्न था ।उसने इस बार प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या को कुछ नया रुप दिया और उसे नवम्बर, 2000 में प्रकाशित किया।

2004 में केन्द्र में एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार सत्तारुढ़ हुई। उसने कहा कि पूर्व, 2000 में पाठ्यचर्या का भगवाकरण किया गया है जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अनुकूल नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई जो 14 जुलाई से 19 जुलाई, 2004 तक चली। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। वैसे भी प्रत्येक 5 वर्ष बाद पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण और आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कही गई थी और 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 में पूरे होने वाले थे। इसी बीच वर्ष 2000 से सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का समाज पर प्रभाव बहुत तेजी के साथ पड़ा और कम्प्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसके कारण भी पाठ्यचर्या में संशोधन अपेक्षित था। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा, 2005 तैयार की गई और इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2005 (National Curriculum Framework 2005) के शीर्षक से दिसम्बर, 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना- सिखाना है, इसकी पूरी रुपरेखा प्रस्तुत की गई है।

14.3.1 उद्देश्य

स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निम्नलिखित उद्देश्य थे-

1. शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना।
2. 'शिक्षा बिना बोझ के' की सूझ के आधार पर करना।
3. पाठ्यचर्या सुधार से सुसंगतव्यवस्थागत परिवर्तन करना।
4. संविधान में उल्लेखित मूल्यों: जैसे सामाजिक न्याय, समता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास प्रदान करना।
5. सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।
6. ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जो लोकतांत्रिक व्यवहारों, मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हो, लैंगिक न्याय के प्रति अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो।
7. कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना।
8. ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना।
9. प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देना।
10. पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं में बच्चों की सोच, जिज्ञासा और प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान देना।

14.3.2 स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या :

कक्षा 1 से 5 -

(क) मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा)

(ख) अंग्रेजी

(ग) गणित

(घ) एकीकृत पर्यावरण अध्ययन

(ङ) कला व शिल्प

(च) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

(छ) कार्य अनुभव

कक्षा 6 से 8-

(क) मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा)

(ख) आधुनिक भारतीय भाषा

(ग) अंग्रेजी

(घ) विज्ञान

(ङ) गणित

(च) सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र)

(छ) कला शिक्षा

(ज) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

(झ) कार्य अनुभव

कक्षा 9 एवं 10-

(क) मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा)

(ख) अंग्रेजी

(ग) संस्कृत/उर्दू/अन्य

(घ) गणित

(ङ) विज्ञान

(च) सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र)

(छ) कम्प्यूटर

(ज) कार्य शिक्षा

(झ) शांति शिक्षा

(ण) कला शिक्षा

कक्षा 11 एवं 12-

(क)	मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा)		
(ख)	अंग्रेजी		
(ग)	गणित		
(घ)	कम्प्यूटर		
(ड़)	भौतिक विज्ञान		विज्ञान वर्ग ऐच्छिक
(च)	रसायन विज्ञान		
(छ)	जीव विज्ञान		
(ज)	राजनीतिक विज्ञान		कला वर्ग ऐच्छिक
(झ)	भूगोल		
(ण)	इतिहास		
(ट)	अर्थशास्त्र		
(ठ)	समाजशास्त्र		
(ड)	मनोविज्ञान		
(त)	व्यापार अध्ययन		वाणिज्य वर्ग ऐच्छिक
(थ)	एकाउन्टेन्सी		
(द)	कला शिक्षा		
(ध)	अन्य ऐच्छिक विषय		

अभ्यास प्रश्न 2 :

अब तक आपने क्या सीखा, इसका मूल्यांकनआप स्वयं निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(I) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2005 में अंग्रेजी भाषा को कक्षा ………….. से अनिवार्य किया गया है।

2. माध्यमिक स्तर पर .... भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है।

3. कम्प्यूटर शिक्षा......................स्तर पर अनिवार्य की गई है।

4. शांति शिक्षा.................... स्तर पर अनिवार्य की गई है।

(II) निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए-

1. अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाने के संबंधमें आपके क्या विचार हैं ?

2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा, 2005 में माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है ? आपकी दृष्टि से यह कहाँ तक उचित है।

(III) राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा, 2005 को प्रस्तुत कीजिए। आपकी समझ में इसमें प्रस्तुत माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 व 10) की पाठ्यचर्चा कहां तक उपयुक्त है ?

14.4 अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFTE, 2009)

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एन.सी.ई.आर.टी. ने सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया और उसे 1975 में 'सैकण्ड्री टीचर एजूकेशन करीक्यूलम'शीर्षक से प्रकाशित किया। इसमें उस समय चल रहे दो प्रश्नपत्रों -शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धान्त और विद्यालय संगठन को मिलाकर एक प्रश्न पत्र बना दिया- 'शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार और विद्यालय संगठन'। दो प्रश्न पत्रों के नाम बदल दिये और उनकी विषय सामग्री में कुछ घटा-बढा दिया और चौथा एवं पाँचवां प्रश्न पत्र स्कूली विषयों के शिक्षण के कर दिये और छठा प्रश्नपत्र ऐच्छिक प्रश्नपत्रों की सूची में से एक लेना अनिवार्य कर दिया। सैद्धान्तिक ज्ञान को 600 अंक और प्रायोगिक कार्य को 400 अंको का कर दिया। इसके बाद उसने पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक तीनों स्तरों की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये और उनके पाठ्यक्रमों की रुपरेखा तैयार की और उसे 1978 में 'टीचर एजूकेशन करीक्यूलम: ए फ्रेमवर्क' के नाम से प्रकाशित किया। इस बार भी प्रश्नपत्रों के नाम बदले गये तथा विषय सामग्री भी इधर से उधर की गई। उदाहराणार्थ बी. एड. के प्रथम प्रश्नपत्र का शीर्षक 'उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा'कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु विशेष बल दिया गया। परिणाम स्वरुप एन.सी. ई. आर. टी. ने विभिन्न स्तरों की शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का एक नया प्रारुप तैयार किया और उसे 1988 में 'टीचर एजूकेशन करीक्यूलमः ए फ्रेमवर्क' के नाम से प्रकाशित किया। इसमें पहला परिवर्तन तो प्रश्नपत्रों के शीर्षकों में किया और दूसरा परिवर्तन ऐच्छिक प्रश्नपत्रों की सूची में किया। उदाहरण के लिए बी. एड. प्रथम प्रश्नपत्र का शीर्षक'उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा'कर दिया गया। 1993 में एक एक्ट द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार इसका पुनर्गठन किया गया। अब देश के सभी स्तर की शिक्षक शिक्षा का उत्तरदायित्व इसके ऊपर आ गया। इसने 1996 में सभी स्तरों की सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का प्रारुप तैयार किया जिसे उसने सन् 1998 में 'करीक्यूलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजूकेशन'के नाम से प्रकाशित किया। इसमें भी प्रश्नपत्रों के नाम तथा विषय सामग्री में कुछ परिवर्तन किए गए। तत्पश्चात 2006 में एन.सी.टी.ई तथा एन.सी.ई.आर.टी.द्वारा

संयुक्त रुप से डिस्क्शन पेपर आन करीक्यूलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसके बाद 2009 में 'नेशनल करीक्यूलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजूकेशन : टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एण्ड ह्यूमन टीचर'के नाम से एक नया दस्तावेज तैयार किया।

14.4.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. ऐसे शिक्षक तैयार करना जो विद्यार्थियों को ज्ञान देने के स्थान पर ज्ञान की संरचना (Construction of Knowledge) में सहायता प्रदान कर सकें।
2. शिक्षको को बाल केन्द्रित, क्रिया आधारित तथा सहयोगी अध्ययन जैसी गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रशिक्षित करना।
3. ऐसे शिक्षक तैयार करना जो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करें न कि उपर से दिए गए पाठ्यक्रम को स्वीकार कर मात्र उन्हे पढ़ाने में लगे रहें।
4. शिक्षको को स्वअध्याय हेतु प्रेरित करना तथा उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना।
5. वैश्वीकरण एवं बदलते हुए सामाजिक परिवेश के अनुरूप शिक्षकों में शिक्षण दक्षता का विकास करना।

14.4.2 अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या :

अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, 2009 में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए एक ही पाठ्यक्रम दिया गया है जबकि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि उस समय से लेकर 2014-15 तक क्रमशः दो एवं एक वर्ष रही है। यहां पर पाठ्यचर्चा की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत है-

(I) क्षेत्र – अ : शिक्षा के आधार

1. अधिगमकर्ता अध्ययन (Learner Studies)

   बचपन, बच्चा तथा किशोर विकास और अधिगम
2. समकालीन अध्ययन: समकालीन अध्ययन में निम्नलिखित दो प्रश्न पत्र लिये गये हैं -

   1. समाज में अध्यापक तथा अधिगमकर्ता

   2. लिंग (Gender), विद्यालय तथा समाज
3. शैक्षिक अध्ययन: शैक्षिक अध्ययन में भी दो प्रश्न पत्र लिए गए हैं -

   1. शिक्षा के उद्धेश्य, ज्ञान तथा मूल्य

   2. अध्यापक के स्व (Self) तथा आकांक्षाओं (Aspiration) का विकास

(II) क्षेत्र - ब : पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कला (Pedagogy)

1. पाठ्यक्रम का अध्ययन

   1. ज्ञान तथा पाठ्यक्रम

2. भाषा दक्षता तथा सम्प्रेषण

2. शिक्षण कला अध्ययन (Pedagogic Studies)

विद्यालय ज्ञान, अधिगमकर्ता तथा शिक्षण कला

3. निर्धारण (Assessment) तथा मूल्यांकन(Evaluation) अध्ययन

(III) क्षेत्र – स : विद्यालय इंटर्नशिप

विभिन्न प्रश्नपत्रों द्वारा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक रूप से जो ज्ञान प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण महाविद्यालय में दिया गया है वह विद्यालय वातावरण हेतु उन्हें तैयार तो करता है किन्तु विद्यालयी वातावरण नहीं प्रदान करता। अतः शिक्षण दक्षता के विकास हेतु इंटर्नशिप अत्यन्त आवश्यक है। इस दौरान प्रशिक्षणार्थी विद्यालय में जाकर वहा की गतिविधियों में एक पूर्ण कालीन शिक्षक के रूप में हिस्सा लेते है। अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या, 2009 में एक सप्ताह में 4 दिन के ईटर्नशिप का प्रावधान रखा गया है। तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम (प्राथमिक शिक्षक शिक्षा) हेतु 6 से 10 सप्ताह एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम (माध्यमिक शिक्षक शिक्षा) हेतु 15 से 20 सप्ताह की अवधि इंटर्नशिप के लिए निर्धारित की गयी है।

अभ्यास प्रश्न 3:

अब तक आपने क्या सीखा, इसका मूल्यांकनआप स्वयं निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(I) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1.एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सन 2009 में नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन : टुवर्ड्स................................प्रकाशित किया गया।

2.राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या 2009 में पाठ्यचर्या के ....क्षेत्र निर्धारित किये गये है।

3.उक्त पाठ्यचर्या में इंटर्नशिप हेतु सप्ताह में ....दिन का प्रावधान दिया गया है।

4.उक्त पाठ्यचर्या में इंटर्नशिप के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु ....सप्ताह का समय सुझाया गया है।

(II) निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए-

1.राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या 2009 के प्रथम क्षेत्र-अ में किन प्रश्नपत्रों को रखने का सुझाव दिया गया है।

2.राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या 2009 के द्वितीय क्षेत्र-ब में किन प्रश्नपत्रों को रखने का सुझाव दिया गया है।

(III) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या 2009 को प्रस्तुत कीजिए। आपकी समझ में यह पाठ्यचर्या कहां तक उपयुक्त है।

14.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने की घोषणा की गई थी। कुछ राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया था परन्तु इस दिशा में सही कदम नहीं उठाए गए। राष्ट्रीय नीति के 20 वर्ष बाद भी सरकार इस शिक्षा संरचना के दर्शन को ही नहीं समझ सकी, और यदि समझ सकी थी तो उसको अनदेखा करती रही। इस शिक्षा संरचना के पीछे प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को समान, अनिवार्य एवं नि:शुल्क करने का दर्शन सरकार को 2007 में समझ में आया।

15 अगस्त 2007 को देश के प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले पर दिए गए भाषण में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (Universalization) की घोषणा की। इसके तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 2009 में प्राथमिक स्तर के सर्व शिक्षा अभियान की तरह माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) शुरू किया। इसके लिए प्रत्येक प्रान्त में राज्य स्तर पर राज्य माध्यमिक अभियान समिति का गठन किया गया है और जिला स्तर पर जिला माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति का गठन किया गया है। जिला माध्यमिक शिक्षा अभियान समितियाँ जिले स्तर पर योजना तैयार कर राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति के पास भेजती हैं और राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान समितियाँ उन्हें वरीयता क्रम में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति के पास भेजती हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति उन्हें वरीयता क्रम में अनुदान देती हैं। यह योजना कई राज्यों में लागू कर दी गई है।

14.5.1 वित्त व्यवस्था :

यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली साझा योजना है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में प्रारम्भ की गई थी तथा वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में जारी है। इस योजना के दौरान केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकार 75:25 के अनुपात में व्यय वहन कर रही हैं। विशेष श्रेणी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। केन्द्र शाषित प्रदेशों, और जम्मू कश्मीर प्रान्त में सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है।

14.5.2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य :

इस अभियान के मुख्य लक्ष्य हैं -

(1) 2017 तक 15-16 वर्ष आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 एवं कक्षा 10) सुलभ करना। और

(2) 2020 तक शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने हेतु रोके रखना।

14.5.3 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अभियोजनाएँ :

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अभियोजनाएँ बनाई गई है -

(1) ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों, जिनके अपने भवन हैं और जिनमें विस्तार के लिए खाली भूमि है, उनमें चार अतिरिक्त पढ़ाई कक्ष एवं आवश्यक प्रयोगशालाओं का निर्माण कराकर और उनमें आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करके, उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में समुन्नत किया जाएगा।

(2) ऐसे माध्यमिक विद्यालयों, जिनके अपने भवन हैं और जिनमें विस्तार के लिए खाली भूमि है, उनमें अतिरिक्त पढ़ाई कक्ष व प्रयोगशालाओं का निर्माण कराकर और आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करके, उनकी प्रवेश क्षमता बढ़ाई जाएगी।

(3) जहाँ 5 किमी. की पहुंच के अन्दर कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहाँ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे और जहाँ 7 किमी. की पहुंच के अन्दर कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक आदर्श माध्यमिक विद्यालय (Model School) खोला जाएगा।

(4) यह भी निर्णय लिया गया है कि इस अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) एवं अल्पसंख्यकों (Minorities) के बच्चों एंव लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे।

(5) यह भी निर्णय लिया गया है कि इस अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसमें गुणात्मक उन्नयन किया जाएगा।

14.5.4 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे कार्य :

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ है - 16 से 18 आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना, उनका विद्यालयों में नामांकन कराना, उन्हें विद्यालयों में रोके रखना और उन्हें कक्षा 10 उत्तीर्ण कराना। इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन कर रहा है -

1. **शत प्रतिशत सुविधा (Cent Percent Opportunity or Universal Access) :** इस हेतु जहां 5 किमी. की दूरी के अन्दर कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है और जहाँ 7 किमी. की दूरी के अन्दर कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधन : जैसे - अतिरिक्त कक्षाकक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, टेलीफोन, इंटरनेट उपलब्ध कराए जा रह है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) एवं अल्पसंख्यकों (Minorities) वाले क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है।

2. **शत प्रतिशत नामांकन (Cent Percent Enrollment or Universal Enrollment) :** नामांकन बढ़ाने के लिए अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है और साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

3. **शत प्रतिशत धारण (Cent Percent Retention or Universal Retention) :** बच्चों को विद्यालय में रोके रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, उन्हें बीच में विद्यालय छोड़कर न जाने देने के भी प्रयास किए जा रहे है। इसके लिए

(1) नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 हो सके।

(2) विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(3) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

(4) विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।

(5) सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

(6) पाठ्यक्रम सुधार किया जा रहा है। तथा

(7) शिक्षण-अधिगम में सुधार किया जा रहा है। और साथ ही शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जा रही है।

4. शत प्रतिशत सफलता : इस हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में दर्जा 10वीं की बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक कर दी गई है। इसके अन्तर्गत जो बच्चे आन्तरिक परीक्षा देना चाहें वे आन्तरिक परीक्षा दे सकते हैं और जो बोर्ड परीक्षा देना चाहें वे बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। अब सबके उत्तीर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

14.5.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ :

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 31.03.2013 तक 22 राज्यों में 2,266 आदर्श विद्यालय स्वीकृत कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 2010-2011 में इस योजना के अन्तर्गत 2368 स्कूलों का उन्नयन किया गया या नए स्कूल खोले गए। साथ ही 12206 स्कूलों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण कराया गया : जैसे कहीं अतिरिक्त कक्षाकक्ष का और कहीं विज्ञान प्रयोगशाला का अथवा किसी अन्य सुविधा का।

अभ्यास प्रश्न पत्र- 4

(I) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन हेतु प्रत्येक जिले में ....समिति का गठन किया गया है।
2. इस अभियान का मुख्य लक्ष्य सन्.........................तक शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा पूरी कराने हेतु रोके रखना है।
3. इस अभियान के अन्तर्गत जहाँ..........................किमी की पहुँच के अन्दर कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहां माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे है।
4. इस अभियान के अन्तर्गत नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जिससे शिक्षक छात्र अनुपात...............................हो सके।

(II) निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए –

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं ?
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मुख्य अभियोजनाएं क्या हैं ?

(III) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का सामान्य परिचय दीजिए और यह बताइए कि इस अभियान के अन्तर्गत क्या कार्य किए जा रहे हैं ?

14.6 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

भारत में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में मिल रही सफलता को देखने के पश्चात् उच्च शिक्षा की सुलभता के विस्तार तथा इसमें गुणात्मकता लाने की आवश्यकता महसूस की गयी। यूँ तो इसकी आवश्यकता एक लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन आयोग (1964-68) तथा कोठारी आयोग (1964-66) की दृष्टि को कार्यरुप में परिवर्तित करते हुए उच्च शिक्षा के पाँच प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गये थे- सुलभता (Access), समानता (Equity), गुणात्मकता तथा सर्वोत्कृष्टता (Quality and Exellence), प्रांसगिकता (Relevance) तथा मूल्य आधारित शिक्षा (Value Based Education)

कार्य योजना 1992 में महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गयी। साथ ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर, एस. सी., एस. टी., अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं, विकलांगों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने हेतु विशेष योजनाएँ बनायी गई जिन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में निरन्तर स्थान भी दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान इस दिशा में और अधिक सार्थक कदम उठाते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी (CCEA) ने दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 की बैठक में केन्द्रिय प्रवर्तित योजना (Centrally Sponsored Scheme, CSS) के अन्तर्गत राज्यों की उच्च शिक्षा व्यवस्था पुनर्गठित करने हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) की मंजूरी दी तथा घोषित किया कि यह अभियान 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान संचालित होगा। इस अभियान के अन्तर्गत राज्यों में उच्च शिक्षा की सुलभता (Access), समानता (Equity) तथा गुणात्मकता (Quality) के उन्नयन पर बल दिया जाएगा।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मिशन अभिकरण (RUSA Mission Authority), परियोजना अनुमोदन बोर्ड, तकनीकी सहायता समूह तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में परियोजना निदेशालय स्थापित किया गया है। साथ ही राज्य स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (State Higher Education Council, SHEC) की स्थापना करने के लिए राज्यों को कहा गया है। यह परिषद (SHEC) राज्य में अभियान (RUSA) के संचालन हेतु संपूर्णरुप से उत्तरदायी होगी। साथ ही राज्य में परियोजना निदेशालय तथा तकनीकी सहायता समूह भी अभियान के संचालन हेतु स्थापित किया जाएगा। संस्थान स्तर पर संचालक मण्डल तथा परियोजना अनुश्रवण इकाई, अभियान (RUSA) का संचालन कार्य देखेगी। यह योजना कई राज्यों में लागू की जा चुकी है।

14.6.1 वित्त व्यवस्था :

यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली साझा योजना है। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के दौरान केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकार 65 : 35 के अनुपात में व्यय वहन कर रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। अन्य विशेष श्रेणी (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड) राज्यों के लिए यह अनुपात 75:25 हैं। साथ ही कुछ निश्चित मानकों का पालन करने वाली सहायता प्राप्त प्राइवेट

संस्थाओं को भी 50:50 के अनुपात में सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान इस अभियान में रखा गया है।

14.6.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लक्ष्य :

इस अभियान के मुख्य लक्ष्य हैं -

1. सन् 2020 तक उच्च शिक्षा में सकल प्रवेश अनुपात (GER) 30% करना।
2. राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की गुणात्मकता बढ़ाना तथा उनकी वर्तमान क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना।

14.6.3 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की अभियोजनाएँ :

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अभियोजनाएँ (Strategies) बनाई गई हैं-

1. नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जायेंगे।
2. वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
3. विभिन्न महाविद्यालयों के समूह को मिलाकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
4. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को और अधिक इनफ्रास्ट्रक्चर ग्रान्ट प्रदान किया जाएगा।
5. नए आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। साथ ही कुछ वर्तमान महाविद्यालयों को भी आदर्श महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
6. नए व्यवसायिक महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
7. अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालयों (Research Universities) की अलग से स्थापना की जाएगी।
8. शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा नए शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया जाएगा।
9. शैक्षिक प्रशासकों (Educational Administrators) की नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाएगा।
10. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा जिससे याजनाओं के निर्माण में सहायता मिल सके।

14.6.4 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा किये जा रहे कार्य :

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा सन् 2020 तक उच्च शिक्षा में सकल प्रवेश अनुपात (GER) 30% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राज्यों में उच्च शिक्षा की सुलभता, उच्च शिक्षा प्रदान करने में निष्पक्षता तथा गुणात्मक उच्च शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन कर रहा है-

1. **सुलभता (Access) :** इस हेतु नए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा हेतु नए व्यावसायिक महाविद्यालयों की अलग से स्थापना की जा रही है। साथ ही महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
2. **समानता (Equity) :** इस हेतु शैक्षिक रुप से पिछड़े 374 जिलों में एक आदर्श महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसमें 64 आदर्श महाविद्यालयों अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे। साथ ही विशेष श्रेणी (पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) राज्यों में आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने हेतु राज्य का व्यय भी 65% से घटाकर 50% कर दिया गया है तथा शेष 50% व्यय केन्द्र सरकार करेगी।
3. **गुणात्मकता (Quality) :** उच्च शिक्षा में गुणात्मकता लाने हेतु अनुसंधान विश्वविद्यालयों (Research Universities) स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है जिससे योजना क्रियान्वन के संबंध में सही निर्णय लिया जा सके। साथ ही महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

14.6.5 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ :

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित 374 आदर्श महाविद्यालयों में से 2013-14 में 74 आदर्श महाविद्यालय स्वीकृत किए गए तथा 71 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं। साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों हेतु प्रस्तावित 64 आदर्श महाविद्यालयों में से 16 के स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। मार्च, 2014 तक इस अभियान में भाग लेने हेतु 23 राज्यों तथा 4 केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दे दी है।

अभ्यास प्रश्न पत्र- 5

(I) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान………………………पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ हुआ।
2. इस अभियान के अन्तर्गत केन्द्र में……………………….अभिकरण स्थापित किया गया है।
3. राज्यों में इस अभियान के संचालन हेतु …………………परिषद का गठन किया जा रहा है।
4. इस अभियान का लक्ष्य सन् 2020 तक उच्च शिक्षा में सकल प्रवेश अनुपात -------------------करना है।

(II) निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए-

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं ?
2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की मुख्य अभियोजनाएँ क्या हैं ?

(III) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का सामान्य परिचय दीजिए और बताइये कि इस अभियान के अन्तर्गत क्या कार्य किए जा रहे हैं?

14.7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न पत्र- 1

(1) 5 (2) 1 (3) 3 (4) राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन

अभ्यास प्रश्न पत्र- 2

(1) 1 (2) 3 (3) माध्यमिक (4) माध्यमिक

अभ्यास प्रश्न पत्र- 3

(1) प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एण्ड ह्यूमन टीचर (2) 3

(3) 4 (4) 6-10

अभ्यास प्रश्न पत्र- 4

(1) जिला माध्यमिक शिक्षा अभियान (2) 2020

(3) 5 (4) 1: 30

अभ्यास प्रश्न पत्र- 5

(1) 12वीं (2) उच्चतर शिक्षा अभियान मिशन

(3) उच्चतर शिक्षा (4) 30%

14.8 सारांश

20वीं शताब्दी में विश्व में ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों में भारत को आधुनिक बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 और उसके बाद अनेक राष्ट्रीय अभियान चलाए गए। इस हेतु 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 7 विशेषज्ञ सदस्यों का एक आयोग गठित किया गया जिसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग के द्वारा शिक्षा के संगठन, प्रशासन, स्कूली शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए गए। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किये गए।

वर्ष 2000 से सुचना संचार प्रोद्योगिकी (ICT) का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के परिणाम स्वरुप स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित अनेक अभियान चलाए गए। विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया।

14.9 शब्दावली

- **अनुप्रयोग-** प्राप्त किये गए ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करना।
- **पाठ्यचर्चा का भगवाकरण-** शिक्षा की पाठ्यचर्चा में हिंदू धर्म की मान्यतों की बहुलता का होना।

- **अध्यापक शिक्षा-** विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना |

- **करिक्युलम-** पाठ्यक्रम अर्थात किसी कक्षा के अध्यापन के लिए विषय वस्तु एवं कार्य विधि की सम्पूर्ण रूपरेखा तैयार करना |

- **अधिगमकर्ता अध्ययन-** सिखने वाले/ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अध्ययन करना जैसे विद्यार्थी का अध्ययन |

- **इंटर्नशिप- प्रशिक्षण |** प्रशिक्षणार्थी द्वारा विद्यालय में जाकर निश्चित समयावधि तक वाहनों की गयी गतिविधियों में एक पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में हिस्सा लेना |

14.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार बदलाव लाए गए | विस्तार से एक टिप्पणी लिखिए |
2. स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के उद्देश्य बताइए|
3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अभियोजनाओ पर लेख लिखिए |
4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा में सुधार लाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन किये गए|

14.11 सन्दर्भ सूची

- एनसीईआरटी (2006) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद |

- एनसीटीई (2009) नेशनल करीक्यूलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजूकेशन टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एण्ड हयूमेन टीचर, नई दिल्ली : नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एजूकेशन एनकेसी (2009) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग - राष्ट्र के नाम सन्देश 2006-2009, नई दिल्ली: भारत सरकार |

- जर्नल- यूनिवर्सिटी न्यूज, वाल्यूम 51 नं. 28 जुलाई 15-21,2013 स्पेशल इश्यू ऑन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान: नेशनल हायर एजूकेशन मिशन. वाल्यूम-I |

- जर्नल- यूनिवर्सिटी न्यूज, वाल्यूम 51 नं. 39, सितम्बर 30-अक्टूबर 06, 2013 स्पेशल इश्यू ऑन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान: नेशनल हायर एजूकेशन मिशन. वाल्यूम - II |

वेबसाइट –

www.mhrd.gov.in/rmsa

www.rmsaindia.org

www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/filed/RUSA_final090913.pdf

इकाई – 15

भारत में स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना

(शिक्षा के क्षेत्र में विकल्प के साथ प्रयोगों का एक सिंहावलोकन)

Criticism of Colonial education v/s Indigenous education

(Overview of experiments with Alternatives in Education)

इकाई की रूपरेखा

15.0 प्रस्तावना

15.1 उद्देश्य

15.2 प्राक् ब्रिटिश काल में देशज शिक्षा/ स्वदेशी शिक्षा

15.3 भारत में औपनिवेशिक शिक्षा

15.4 भारत में स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना

15.5 शिक्षा में नये विकल्प हेतु प्रयास

15.6 सारांश

15.7 शब्दावली

15.8 निबंधात्मक प्रश्न

15.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

15.0 प्रस्तावना

भारत में आज भी ''शिक्षा का पाश्चात्य स्वरुप'' ही प्रभावी है। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन के पूर्व तत्कालीन "स्वदेशी शिक्षा पद्धति" के बारे में व्यापक सर्वेक्षण किया था। यह सर्वविदित है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भी भारतीय समाज अनेक समूहों के आक्रमण का शिकार रहा है, जिससे आहत समाज-व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शिक्षा -व्यवस्था अस्त-व्यस्त, बिखरी और अस्वस्थ होती रही है। **भारतीय शिक्षा का इतिहास** भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरंतर विकासशील पाते हैं। सूत्रकाल तथा लोकायत के बीच शिक्षा की सार्वजनिक प्रणाली के पश्चात हम बौद्धकालीन शिक्षा को निरंतर भौतिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण होते देखते हैं। बौद्धकाल में स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया।

प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी लेकिन कालान्तर में भारतीय शिक्षा का व्यवस्था ह्रास हुआ।

विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया, जिस अनुपात में होना चाहिये था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही भारतीय शिक्षा को लेकर अनेक जद्दोजहद चलती रही। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार केलिए अनेक प्रयास किए। इस पाठ को विस्तार से पढ़ने से पहले हम भारत में शिक्षा का इतिहास का क्रमवार अध्ययन कर ले |
प्राचीन काल-भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिमकता पर आधारित थी ।
शिक्षा, मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिये नहीं बल्कि धर्म के लिये थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परम्परा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। डॉ० अल्टेकर के अनुसार,प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया था। भारत 'विश्वगुरु' कहलाता था। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाशस्रोत, अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्योति, ज्ञानचक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपमाओं से विभूषित किया है। उस युग की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार अन्धकार को दूर करने का साधन प्रकाश है, उसी प्रकार व्यक्ति के सब संशयों और भ्रमों को दूर करने का साधन शिक्षा है। प्राचीन काल में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन का यथार्थ दर्शन कराती है। तथा इस योग्य बनाती है कि वह भवसागर की बाधाओं को पार करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त कर सके जो कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है।

प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था तत्वसाक्षात्कार। ब्रह्मचर्य, तप और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करनेवाले ऋषि, विप्र, वैघस, कवि, मुनि, मनीषी के नामों से प्रसिद्ध थे। साक्षात्कृत तत्वों का मंत्रों के आकार में संग्रह होता गया वैदिक संहिताओं में, जिनका स्वाध्याय, सांगोपांग अध्ययन् श्रवण, मनन औरनिदिध्यासन वैदिक शिक्षा रही।

विद्यालय 'गुरुकुल', 'आचार्यकुल', 'गुरुगृह' इत्यादि नामों से विदित थे। आचार्य के कुल में निवास करता हुआ, गुरुसेवा और ब्रह्मचर्य व्रतधारी विद्यार्थी षडंगवेद का अध्ययन करता था। शिक्षक को 'आचार्य' और 'गुरु' कहा जाता था और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्यकुलवासी। मंत्रों के द्रष्टा अर्थात् साक्षात्कार करनेवाले ऋषि अपनी अनुभूति और उसकी व्याख्या और प्रयोग को ब्रह्मचारी, अंतेवासी को देते थे। गुरु के उपदेश पर चलते हुए वेदग्रहण करनेवाले व्रतचारी श्रुतर्षि होते थे। वेदमंत्र कंठस्थ किए जाते थे। आचार्य स्वर से मंत्रों का परायण करते और ब्रह्मचारी उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। इसके पश्चात् अर्थबोध कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था। स्त्रियों के लिए भी आवश्यक समझा जाता था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले विद्यार्थी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे। ऐसी विद्यार्थिनी ब्रह्मवादिनी कही जाती थी।

यज्ञों का अनुष्ठान विधि से हो, इसलिए होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। वेद, शिक्षा, कल्प, व्यकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त उनके पाठ्य होते थे। पाँच वर्ष के बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। 8 वें वर्ष में ब्राह्मण बालक के, 11 वें वर्ष में क्षत्रिय के और 12 वें वर्ष में वैश्य के उपनयन की विधि थी। अधिक से अधिक यह 16, 22 और 24 वर्षों की अवस्था में होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में 12 वर्ष वेदाध्ययन करते थे। तब वे स्नातक कहलाते थे। समावर्तन के अवसर पर गुरुदक्षिणा देन की प्रथा थी। समावर्तन के

पश्चात् भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते थे। समावर्तन के सम ब्रह्मचारी दंड, कमंडलु, मेखला, आदि को त्याग देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत में जिन जिन वस्तुओं का निषेध था अब से उनका उपयोग हो सकता था। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और न कोई उपाधि ही दी जाती थी। नित्य पाठ पढ़ाने के पूर्व ब्रह्मचारी ने पढ़ाए हुए षष्ठ को समझा है और उसका अभ्यास नियम से किया है या नहीं, इसका पता आचार्य लगा लेते थे। ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान में सदा लगे रहते थे तथा बाद विवाद और शास्त्रार्थ में संम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे।

भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव का था। उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था। आचार्य पारंगत विद्वान्, सदाचारी, क्रियावान्, नि:स्पृह, निरभिमान होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सदा कटिबद्ध रहते थे। अध्यापक, छात्रों का चरित्रनिर्माण, उनके लिए भोजनवस्त्र का प्रबंध, रुग्ण छात्रों की चिकित्सा, शुश्रूषा करते थे। कुल में सम्मिलित ब्रह्मचारी मात्र को आचार्य अपने परिवार का अंग मानते थे और उनसे वैसा ही व्यवहार रखते थे। आचार्य धर्मबुद्धि से नि:शुल्क शिक्षा देते थे।

विद्यार्थी गुरु का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आचार्य का चरणस्पर्श कर दिनचर्या के लिए प्रात:काल ही प्रस्तुत हो जाते थे। गुरु के आसन के नीचे आसन ग्रहण करा, सुसंयत वेश में रहना, गुरु के लिए दातौन इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिए जल ला देना, समय पर वस्त्र और भोजन के पात्र को साफ करना, ईधंन संग्रह करना, पशुओं को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते थे। विद्यार्थी ब्राह्ममुहूर्त में उठते थे और प्रात: कृत्यों से निवृत्त होकर, स्नान, संध्या, होम आदि कर लेते थे। फिर अध्ययन में लग जाते थे। इसके उपरांत भोजन करते थे और विश्राम के पश्चात् आचार्य के पाठ ग्रहण करते थे। सांयकाल समिधा एकत्र कर ब्रह्मचारी संध्या ओर होम का अनुष्ठान करते थे। विद्यार्थी के लिए भिक्षाटन अनिवार्य कृत्य था। भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर विद्यार्थी मनन औरनिदिध्यासन में लग जाते थे।

वेदों का अध्ययन श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा को उपसर्जन से समाप्त होता था। शेष महीनों में अधीत पाठों की आवृत्ति, पुनरावृत्ति होती रहती थी। विद्यार्थी पृथक् पृथक् पाठ ग्रहण करते थे, एक साथ नहीं। प्रतिपदा और अष्टमी को अनध्याय होता था। गाँव, नगर अथवा पड़ोस मे आकस्मिक विपत्ति से और शिष्टजनों के आगमन से विशेष अनध्याय होते थे। अनध्याय में अधीत वेदमंत्रों की पुनरावृत्ति और विषयांतर का अध्ययन निषिद्ध न थे। विनय के नियमों का उल्लंघन करनेवाले विद्यार्थी को दंड देने की परिपाटी थी। पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ वेदों ओर वेदांगों के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण और चिकित्साशास्त्र इत्यादि विषयों का अध्यापन होने लगा। टोल पाठशाला, मठ ओर विहारों में पढ़ाई होती थी काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वलभी, ओदंतपुरी, जगद्दल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र थे। दक्षिण भारत के एन्नारियम, सलौत्गि, तिरुमुक्कुदल, मलकपुरम् तिरुवोरियूर में प्रसिद्ध विद्यालय थे। अग्रहारों के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार शताब्दियों होता रहा। कादिपुर और सर्वज्ञपुर के अग्रहार विशिष्ट शिक्षाकेंद्र थे। प्राचीन शिक्षा प्राय: वैयक्तिक ही थी। कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे। अध्यापन विद्यार्थी के योग्यतानुसार होता था अर्थात् विषयों को स्मरण रखने के लिए सूत्र, कारिका और सारनों से काम लिया जाता था पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष पद्धति किसी भी विषय की गहराई तक पहुँचने के लिए बड़ी उपयोगी थी। भिन्न भिन्न

अवस्था के छात्रों को कोई एक विषय पढ़ाने के लिए समकेंद्रिय विधि का विशेष रूप से उपयोग होता था सूत्र, वृत्ति, भाष्य, वार्तिक इस विधि के अनुकूल थे। कोई एक ग्रंथ के बृहत् और लघु संस्करण इस परिपाटी के लिए उपयोगी समझे जाते थे।बौद्धों और जैनों की शिक्षापद्धति भी इसी प्रकार की थी।

मध्यकाल-भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे । हिंदू अरबी और फारसी पढ़ने लगे । बादशाहों और अन्य शासकों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिए मस्जिदें बनती गईं, साथ ही मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी । मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी । विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों का कंठस्थ करते थे। वे पढ़ना, लिखना, गणित, अर्जीनवीसी और चिट्ठीपत्री भी सीखते थे । इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे।

मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में प्रविष्ट होते थे । यहाँ प्रधानता धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून इत्यादि की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी। कहीं कहीं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती थी । अध्यापन फारसी के माध्यम से होता था। अरबी मुसलमानों के लिए अनिवार्य पाठ्य विषय था । छात्रावास का प्रबंध किसी किसी मदरसे में होता था। दरिद्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी । अनाथालयों का संचालन होता था। शिक्षा नि:शुल्क थी। हस्तलिखित पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती थीं।

राजकुमारों के लिए महलों के भीतर शिक्षा का प्रबंध था । राज्यव्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्धसंचालन, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून आदि का ज्ञान गृहशिक्षक से प्राप्त होता था। राजकुमारियाँ भी शिक्षा पाती थीं। शिक्षकों का बड़ा सम्मान था । वे विद्वान् और सच्चरित्र होते थे। छात्र और शिक्षकों को आपसी संबंध प्रेम और सम्मान का था। सादगी, सदाचार, विद्याप्रेम और धर्माचरण पर जोर दिया जाता था। कंठस्थ करने की परंपरा थी । प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे । कोई परीक्षा नहीं थी। अध्ययन अध्यापन में प्राप्त अवसरों में शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्वत्ता के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रयोग किया जाता था । जीविका उपार्जन के लिए भी शिक्षा दी जाती थी । दिल्ली, आगरा, बीदर, जौनपुर, मालवा मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन ग्रंथों की रचना और उनका पठन पाठन बराबर होता रहा ।

भारत में आधुनिक काल / औपनिवेशिक काल में शिक्षा का क्या इतिहास रहा, इसकी चर्चा इस पाठ में बाद में कि जाएगी |

15.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप समझ सकेगें.

- प्राक बिट्रिश काल में देशज शिक्षा का स्वरुप |
- भारत में औपनिवेशिक शिक्षा का स्वरुप |
- भारत में स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण |

- शिक्षा में विभिन्न विकल्पो का प्रयास |

15. 2 प्राक् ब्रिटिश काल में देशज शिक्षा/ स्वदेशी शिक्षा

बंगाल में शिक्षा व्यवस्था - बंगाल के लगभग सभी जिलों में मदरसा नामक फारसी और अरबी तथा टोल नामक संस्कृत स्कूल थे| उच्चतर शिक्षा के इन स्कूलों की देखभाल जमीदारों एवं धनी हिंदुओं तथा मुसलमानो के दान से की जाती थी। आमतौर पर छात्रों को कोई खर्चा नही उठाना पडता था हालांकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए करीब बारह वर्षों की लम्बी अवधि तक स्कूल में रहना पडता था। ऐसे छात्रों के लिए जिन्हें रहने की जगह की जरूरत थी अर्थात जो आना जाना नहीं कर सकते थे| उन्हें मुफ्त रहने-खाने की व्यवस्था के साथ शिक्षा भी मुफ्त दी जाती थी।

स्कूली पाठ्यक्रम का वास्तविक जीवन से संबंध

संस्कृत स्कूलों के पाठयक्रम में हिंदू कानून तर्कशास्त्र और साहित्य अर्थात स्मृति न्याय काव्य और अंलकार शामिल थे। फारसी और अरबी स्कूलों में मुख्यतः मुस्लिम कानून और धर्मशास्त्र अर्थात कुरान तफसीर हदीस पढाए जाते थे। फारसी स्कूलों में कुछ साहित्यिक एवं ऐतिहासिक रचनाएं भी शामिल थी जैसे मन्दनामेह, अमेदनामेह,गुलिस्तान, यूसुफ और जुलेखा, सिंकदसामेह और अबुल फज़ल इत्यादि।

उच्चतर शिक्षा के इन हिंदू और मुस्लिम स्कुलों के पाठयक्रमों से पता चलता है कि उनका मेहनतकशों के वस्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नही था। इन्हे पूरा करने के लिए वे इतना अधिक वक्त स्कूलों में बिताने की स्थिति में नहीं थे। सिर्फ वही वर्ग ऐसा कर सकता था जिस के पास इतना वक्त था। परम्परागत संस्कृत का अध्ययन और विकास ब्राहाणों के लिए जरूरी था क्योकिं उन्हें हिंदू समुदाय के सामाजिक जीवन में अपनी विशेषाधिकार वाली स्थिति बनाए रखनी थी। उधर फारसी शिक्षा की जरूरत उन्हें थी जो सरकारी नौकरी के इच्छुक थे या उच्च समाज मे विशेष स्थान की इच्छा रखते थे।

देशी शिक्षा की अन्य व्यवस्था

उपरोक्त व्यवस्थाओं से साथ साथ देशी शिक्षा की अन्य व्यवस्था प्रचलित थी। इसे मुख्यतः व्यापारी और खेतीहर वर्ग चलाते थे। **1835** में डबल्यू एडम ने स्थानीय भाषा भाषी और संस्कृत स्कूलों में कोई भी सम्बन्ध और या पारस्परिक निर्भरता नहीं पाई उन स्कूलों के बीच जो आम लोगों के लिए थे और वे अन्य स्कूल जो पढे लिखे वर्गो के लिए थे। वे दो अलग अलग किस्म की संस्थाएं है जो अलग अलग वर्गो या समाज के लिए है एक व्यापारी और खेतिहर वर्ग के लिए तो दूसरा धार्मिक तथा पढे लिखे वर्गो के लिए है। पाठशालाएं और मकतब प्रथम किस्म के वर्गों के लिए थे जबकि टोल और मदरसा दूसरे किस्म के वर्गो के लिए।

देशज शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं

आमतौर पर पाठशालाएं किसी उपयुक्त केन्द्रीय स्थान में स्थित बरवारीघर, चण्डीमण्डप या बरगद या बबुल पेड के नीचे लगती थी और मकतब आमतौर पर गांव की मस्जिदों से जुड़े होते। देशी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार थी|

1- बाहर से नियंत्रण करने वाली कोई केन्द्रीय अफसरशाही नहीं थी।

2- न ही कोई समान परीक्षा व्यवस्था।

3- देशी भाषा-भाषी स्कूल आमतौर पर एक शिक्षक वाली संस्थाएं थी। अध्यापक आमतौर पर छात्रों से थोडी सी फीस या ग्रामीणों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सहायता के सहारे जीवनयापन करते थे।

4- शिक्षक पढाई की खास परम्पराओ और तरीको का पालन करते थे जिनमें एक स्थान से दूसरे में बहुत कम अन्तर हुआ करता। लेकिन शायद शिक्षकों की क्षमता पर आधारित स्तर में फर्क पड जाता था।

5- लिखने के चार मुख्य तरीके थे:

-जमीन पर लिखना|

-ताड के पन्नों पर लिखना|

-केले के पत्तों पर लिखना| और

-कागज पर लिखना।

6- इन स्कूलों में आमतौर पर तीन आर पढाए जाते थे जिनका जोर लिखने और गणित पर हुआ करता।

15.3 भारत में औपनिवेशिक शिक्षा

19 वी शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से ही भारत में व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगालों, डचों और अंग्रेज़ो का आगमन हुआ| जिनमें से अंग्रेज़ व्यापार के बहाने अपनी कूटनितियों द्वारा सत्ता पर शासित होने लगे| यही से शिक्षा व्यवस्था का आधुनिक दौर शुरू हुआ| अंग्रेज़ो ने अपनी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, देशी शिक्षा को कतई संरक्षण नही दिया गया| इसी कारण देशी शिक्षा व्यवस्था का पतन निश्चित था| देशी शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का स्थान गृहण करने की क्षमता थी, लेकिन ऐडम, मुनरो, एल्फिस्टन, टॉमसन और लेटनर के देशी शिक्षा के पुनरूत्थान के प्रस्ताव पर ध्यान नही दिया गया| भारत में आधुनिक/पाश्चात्य/ औपनिवेशिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल से हुई। 1813 ई. के चार्टर में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई अठारहवीं शताब्दी में भारत में हिंदु और मुस्लिम शिक्षा केन्द्र लुप्तप्राय हो गए थे। देश में अनेक राजनैतिक उथल-पुथल के कारण ऐसी अवस्था हो गई थी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही विद्या उपार्जन में न लग सके। मुसलमानो के काल में विद्यालयों को दान का प्राय: अभाव रहा। 21 फरवरी 1784 को लिखे एक पत्र में वारेन हेस्टींग्ज ने कोर्ट ऑफ डार्रेक्टर्ज का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि उतर और दक्षिण के सभी प्रमुख नगरों में विद्यालयों, धन, जन और भवन सभी प्रकार के अभाव से क्षीण अवस्था में थे।

यद्यपि कम्पनी **1765** से राज्य करने लगी थी परन्तु उसने समकालीन इंग्लैण्ड की परम्परा के अनुसार विद्या का भार निजी हाथों में ही रहने दिया। फिर भी समय-समय पर कम्पनी के अधिकारी कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे। कम्पनी की सरकार ने पूर्वी विद्या के प्रसार के लिए कुछ निरूत्साह से प्रयत्न किये। **1781** में वारेन हेस्टींग्ज ने कलकता मदरसा स्थापित किया जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन किया जाता था। **1791** में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेन्ट श्री डंकन के प्रत्यनों के फलस्वरूप् बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया जिसका उद्देश्य "हिन्दुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन और प्रसार करना था।" इन प्राच्य विद्याओं के प्रसार के लिए किए गए आरम्भिक प्रयत्न अधिक सफल नही हुए। प्राय: शिक्षक अधिक और

विद्यार्थी कम होते थे। ईसाई धर्म प्रचारको ने इस प्राचीन विद्या प्रणाली को पुनजीर्वित करने की निन्दा की और इस बात पर बल दिया कि पाश्चात्य साहित्य और ईसाई मत अंग्रेजी माध्यम द्वारा ही प्रसारित किया जाना चाहिए। सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे। **1800** में लार्ड वैल्जली ने कम्पनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कालेज के स्थापना की। इस कालेज ने अंग्रेजी-हिन्दुस्तानी कोष और हिन्दुस्तानी व्याकरण तथा कुछ अन्य पुस्तके प्रकाशित की। परन्तु यह कालेज **1802** में डाइरेक्टरों की आज्ञा पर बन्द कर दिया गया।

1813 के चार्टर एक्ट में एक लाख रूपया, भारत में विद्या-प्रसार के लिए रखा गया और इस प्रकार इस क्षेत्र में एक तुच्छ सा प्रयत्न किया गया। यह धन, ''साहित्य के पुनरूद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए और अंग्रेजी प्रदेशो के वासियों में विज्ञान के आरम्भ और उन्नति के लिए'' निर्धारित किया गया था। कम्पनी को अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओ के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हो। न्याय विभाग में संस्कृत फारसी और अरबी भाषा के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग अंग्रेज न्यायाधीशो के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सके और हिंदु तथा मुस्लिम कानून की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियासतों के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए राजनैतिक विभाग को फारसी पढ़े-लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता थी। भूमि कर विभाग में देशी भाषाओं के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी। परन्तु कम्पनी के ऊंचे पदो के कार्यकर्ताओं के लिए अंग्रेजी और देशी भाषाओं का जानना अति आवश्यक था।

पश्चिमी विद्या की लोकप्रियता का बढ़ना और राम मोहन राय, जिन कारणों से फैसला पाश्चात्य और अंग्रेजी भाषा के पक्ष में हुआ वे थे मुख्यत: आर्थिक थे | भारतीय लोग ऐसी शिक्षा चाहते थे जो उन्हें अपनी जीविका उपार्जन करने में सहायता करे। उन्नतशील भारतीय तत्व भी अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विद्या का प्रसार चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने कलकता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज खोजने के सरकार के प्रयत्नों की कड़ी आलोचना की। उसने **1823** में लार्ड एमहर्स्ट को लिखा था, ''संस्कृत विद्या से विद्यार्थियों को व्याकरण की सुन्दरताओं अथवा अध्यात्मावाद का ज्ञान हो तो जाएगा जो कि जानने वाले के जीवन में व्यावहारिक रूप में अधिक उपयोगी नही होगा। यह विद्यार्थी वही ज्ञान प्राप्त करेगें जो वर्षो पहले उपलब्ध हो गया था। युवजन वेदान्त के सिद्धान्तों जोकि इस संसार को भ्रमरूप मानते है, का ज्ञान प्राप्त करने पर इस समाज के अधिक उपयोगी सदस्य नहीं बन सकेगें।'' वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व के पक्ष का समर्थन करते हुए उसने कहा, ''यदि सरकार की यही नीति है कि देश को अंधकार में रखा जाए तो संस्कृत विद्या पद्धति से अति उत्तम लाभ होगा। परन्तु स्थानीय जनता को उन्नत करना उनका उद्देश्य है तो इसलिए उत्तम यही है कि उदारवादी और ज्ञानयुक्त विद्या की पद्धति अपनाई जाए, जिसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, और शरीर रचना इत्यादि सम्मिलित हो।'' इन विरोधो का प्रभाव हुआ। सरकार ने अंग्रेजी और प्राच्य भाषाओं दोनों के ज्ञान के प्रसार पर बल दिया| अतएवं **1817** में कलकता हिंदु कॉलेज के बचाने के लिए अनुदान दिया गया जिसमें अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी पढ़ाई जाती थीं। सरकार ने तीन संस्कृत कालेज, कलकता, बनारस और आगरा में स्थापित किए। इसके अतिरिक्त यूरोपीय पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद के लिए भी धन दिया गया।

आंग्ल प्राच्य विवाद - भारत में औपनिवेशिक शिक्षा कि शुरुआत आग्ल प्राच्य विवाद से शुरू हुई लोक शिक्षा की सामान्य समिति में **10** सदस्य थे। इनमें दो दल थे, एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था जिसके नेता एच.टी. प्रिन्सेस थे । ये लोग विद्या को प्रोत्साहन देने की नीति का समर्थन करते थे । दूसरी ओर था आंग्ल दल जो अंग्रेजी को शिक्षा के रूप में समर्थन देता था। दोनों दलों के बराबर होने के कारण यह समिति ठीक ढ़ंग से कार्य नही कर सकती थी । प्राय: गतिरोध हो जाता था। अन्त में दोनों दलों ने अपना विवाद निर्णय के लिए गवर्नर जनरल के सम्मुख रखा । कार्यकारिणी परिषद का सदस्य होने के अधिकार से **2** फरवरी, **1835** को लार्ड मैकॉले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरणपत्र लिखा और उसे परिषद के सामने रखा । मैकॉले ने आग्ल दल का समर्थन किया । उसने भारतीय रीति-रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, ‘‘यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष, भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्याकन है।’’ अंग्रेजी भाषा के उपयोग महत्व और दावे के विषय में उसने कहा, ‘‘जो कोई यह भाषा जानता है उसको बौद्धिक ज्ञान जिसे संसार के सबसे बुद्धिमान राष्ट्रो ने उत्पन्न किया है और गत **90** पीढ़ियों से हस्तान्तरिक किया है, उसको सुगमता से उपलब्ध करने की शक्ति पहले ही प्राप्त है। भारत में यह भाषा शासन वर्ग की भाषा है । स्थानीय लोग भी सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग करते है और यह पूर्वी समुद्रो में व्यापार की भाषा भी बनने वाली है। ‘‘मैकॉले ने यूरोपीय पुनर्जागरण का उल्लेख भी किया और सम्भवत: वह पुरूषो की ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो ‘‘रक्त और रंग से भारतीय हो परन्तु अपनी प्रवत्ति अपनी, विचार, नैतिक मापदण्ड और प्रज्ञा’’ से अंग्रेज हो अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेज बनाना चाहता था जो कम्पनी के निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाल सकें ।

लार्ड विलियम बैटिंक की सरकार ने **7** मार्च **1835** के प्रस्ताव द्वारा मैकॉले का दृष्टिकोण अपना लिया कि भविष्य में कम्पनी की सरकार यूरोपीय साहित्य का अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न करें और धन-राशियां इसी निमित दी जानी चाहिए ऐसा आदेश दिया ।

यह मैकॉले की पद्धति एक क्रमबद्ध प्रयत्न था जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार ने भारत के उच्चवर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करने का प्रयत्न किया । मैकॉले का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना नहीं था । वह स्पष्ट जानता था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असम्भव है । वह ‘विप्रवेशन सिद्धान्त’ में विश्वास करता था कि अंग्रेजी पढे-लिखे लोग एक ‘दुभाषिया श्रेणी’ के रूप में कार्य करेगें और भारतीय भाषाओं ओर साहित्य को समृद्धिशाली बनाएंगे और इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा । इस प्रकार मैकॉले के इस सिद्धान्त का प्राकृतिक परिणाम भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी भाषा के सहायक के रूप में बढ़ावा देना था ।

इसके पश्चात सरकार ने देशी भाषाओं के विकास के लिए कुछ अनमने से प्रयत्न किये और इन भाषाओं के साहित्य का विकास जनता की आवश्यकताओं तथा उनकी कल्पनाशक्ति पर छोड़ दिया। उतर पश्चिमी प्रान्त (आधुनिक उतर प्रदेश) के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर टॉमेसन ने देशी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। छोटे-छोटे अंग्रेजी स्कूल बन्द कर दिए गए । अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेज तक ही सीमित रह गई । और ग्रामों में क्षेत्रमिति और कृषि विज्ञान जेसे विषय स्थानीय भाषा में पढ़ाऐ जाने का प्रबन्ध किया । इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया । टॉमेसन की इच्छा यह थी कि भूमि कर और लोकनिर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराए जाए ।

1854 का शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच - सर चार्ल्स वुड जो अर्ल आफ एबरडीन **(1852-55)** की मिली-जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल के अध्यक्ष थे**,** अंग्रेजी इतिहास के पामर्स्टन युग की सच्ची उपज थे । वह अंग्रेज जाति और उसकी संस्थाओं की प्रवरता में पूर्ण विश्वास करते थे । वास्तव में उन्होने भारतीय में बहुत से समर्थको से अधिक उतम दृष्टि का प्रदर्शन किया। उसने **1854** में भारत की भावी शिक्षा के लिए बृहत योजना बनाई जिसमें अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इसे प्राय**:** भारतीय शिक्षा का मैग्ना-कार्टा कहा जाता है । इसकी सिफारिशे निम्नलिखित थी **:-**

1. सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है अर्थात् सरकार कला**,** विज्ञान**,** दर्शन और साहित्य का प्रसार करें।

2. शिक्षा के माध्यम के विषय में यह निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए सबसे उतम माध्यम अंग्रेजी है। परन्तु इसमें देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था क्योकि ऐसा समझा गया कि यूरोपीय ज्ञान देशी भाषाओं द्वारा ही जन साधारण तक पहुंचपाएगा।

3. यह प्रस्ताव किया गया कि ग्रामों में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं की जाएं और उनसे ऊपर जिला स्तर पर ऐंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और सम्बधित कालिज खोले जाए।

4. इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई गई। यह सहायता अनुदान इस बात पर निर्भर था कि वे संस्थाएं योग्यता प्राप्त अध्यापक ही नियुक्त करे और शिक्षा के उचित स्तर बनाए रखें।

5. कम्पनी के पांचो प्रान्तों में एक-एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया तो कार्य की उन्नति पर दृष्टि रखे और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजे।

6. लन्दन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकता**,** बम्बई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालय स्थापति किए गए। इन विश्वविद्यालयों के संविधान में एक कुलपति में एक कुलपति**,** उप कुलपति एक सेनेट और उसके अधिक सदस्य जो सब सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे का प्रावधान था। विश्वविद्यालय को परीक्षाएं लेनी होती थी और उपाधियां देनी होती थी। विश्वविद्यालय को यह भी अनुमति थी कि वह विद्या के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्राध्यापकों की नियुक्तिकर सके।

7. इस पत्र में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व ओर तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था।

8. इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी।

9. इस पत्र में महिला शिक्षा को भी समर्थन दिया गया था।

यह नई शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी नमूनों की दासतापूर्ण अनुकृति थी । चार्ल्स वुड के पत्र की सभी सिफारिशे लागू कर दी गई। पुरानी शिक्षा परिषद् और लोक शिक्षा समिति के स्थान पर **1855** में लोक शिक्षा विभाग कर दिया गया । तीनों विश्वविद्यालय बम्बई**,** कलकता और मद्रास **1857** में अस्तित्व में आ गए। मुख्यत**:** बेटन के प्रयत्नों द्वारा कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई और सरकार की अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाई गई।

वुड द्वारा अनुमोदित विधियों और आदर्शों का लगभग **50** वर्ष बोलबाला रहा । इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यीकरण हुआ और बहुत सी संस्थाएं स्थापित की गई । इन दिनों संस्थाआं के मुख्य अध्यापक और आचार्य प्राय: यूरोपीय ही होते थे । परन्तु ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी अपना योगदान किया । शनै: शनै: निजी भारतीय प्रयत्न इस क्षेत्र में दिखाई देने लगे ।

इन्टर शिक्षा आयोग, **1882-83 1882** में सरकार में डब्ल्यू. डब्ल्यू. हन्टर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में **1854** के पश्चात् हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिये नियुक्त किया । एक कारण यह भी था कि इंग्लैंड में पादरी लोग यह प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा, वुड के पत्र के प्रस्तावों के अनुसार नहीं हो रही है । प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि आयोग ऐसे सुझाव दे कि जिससे भारत में लोक-शिक्षण की भिन्न शाखाएं एकत्रित हो आगे बढ़ सके अर्थात् समस्त भारत के प्राथमिक शिक्षण अध्ययन की समीक्षा की जाए और देखा जाए कि कैसे इसका सुधार और विस्तार किया जा सकता है । इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्य की समीक्षा करना यहीं था, इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समीक्षण तक ही सीमित रहना था । इसने सभी प्रान्तो का भ्रमण किया और लगभग **200** प्रस्ताव पारित किए । इसके सुझाव निम्नलिखित थे **:-**

1- सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की और विशेष ध्यान देना चाहिए । यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में हो । निजी प्रत्यन्न का स्वागत हो परन्तु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना भी दी जानी चाहिए । इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोड़ो को दे दिया जाए । शिक्षा के लिये वे उपकर भी लगा सकते थे ।

2- माध्यमिक शिक्षा के दो खण्ड हो, एक में साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय के लिये प्रवेश परीक्षा के लिये विद्यार्थी तैयार करे और दूसरी व्यावहारिक ढंग की जो विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करें ।

3- आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णरूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए । इसके लिये सहायता अनुदान में उदारता तथा सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी पाठशालो के बराबर मान्यता प्राप्त करने इत्यादि के लिए अक्सर होने चाहिए । जितना शीघ्र हो सके सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए ।

4- आयोग ने प्रजिडेंसी नगरों (बम्बई, कलकता और मद्रास) के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा ।

इस आयोग के सुझावों के पश्चात् आने वाले **20** वर्षो में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ । इस क्षेत्र में दानी लोगो का विशेष सहयोग था। भारत के सभी भागों में साम्प्रदायिक संस्थाएं भी बनने लगी । पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय तथा प्राच्य भाषाओं के पठनपाठन में भी विशेष रूचि देखने को मिली । इसके अतिरिक्त अध्यापन तथा परीक्षा विश्वविद्यालय भी बनने लगे। **1882** में पंजाब और **1887** में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किये गये।

बीसंवी शताब्दी के आरम्भिक वर्ष भारत में बढ़ती हुई राजनैतिक व्यग्रता और शिक्षा क्षेत्रों में वादविवाद के वर्ष थे । शिक्षा संस्थाओं में राजनैतिक बेचैनी की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया हुई और

सरकार का यह विचार था कि निजी प्रबंध के अधीन संस्थाओं में स्तर गिरे है और यहां बहुत अधिक अनुशासनहीनता है ये संस्थाएं राजनैतिक क्रान्तिकारियों को उत्पन्न करने के लिये कारखाने मात्र बन बई है। राष्ट्रवादियों ने यह तो स्वीकार किया कि स्तर गिर गए है परन्तु इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि सरकार निरक्षरता को दूर करने का भरसक प्रयत्न नही कर रही है।

कर्जन ने अपने प्रशासन को सुधारने के स्वाभाविक जोश में भारतीय शिक्षा को भी सुधारने का प्रयत्न किया। उसने मैकाले की नीति की आलोचना की और कहा कि उसमें देशी भाषाओं के विरूद्ध पक्षपात था। उसने हीन स्तर के अध्यापक वर्ग और परीक्षाओं पर बल देने वाली शिक्षा पद्धति की भी कटु आलोचना की। परन्तु उसके मुख्य उद्देश्य राजनैतिक थे और केवल आंशिक रूप से शैक्षिक। उसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया और उसे गुण और दक्षता के नाम पर उचित ठहराया। राष्ट्रवादियों ने इसे साम्राज्यवाद को दृढ़ करने और राष्ट्रीयता की भावना के विकास को समाप्त करने का प्रयत्न कहा।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सितम्बर **1901** में कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन का आरम्भ कर्जन के भाषण से हुआ जिसमें भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और कहा, ‘‘हम लोग यहां शिक्षा की एक पूर्णतया नई योजना बनाने और जनसाधारण पर इच्छा से अथवा अनिच्छा से उन पर लादने के लिए एकत्रित नहीं हुए है।’’ परन्तु कालान्तर में यह सिद्ध हुआ कि जो उसने चाहा वह किया। सम्मेलन ने **150** प्रस्ताव पारित किये जो शिक्षा के सभी पक्षो से सम्बन्धित थे। तदनन्तर एक आयोग सर टॉमस रैले की अध्यक्षता मे नियुक्त किया गया जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना था और उनके संविधान तथा कार्यक्षमता के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इसकी परिधि से दूर थी। फलस्वरूप **1904** में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे **:-**

1- विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अध्ययन तथा शोध के लिए प्राध्यापको तथा व्याख्याताओं की नियुक्ति का प्रबंध करे, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय स्थापित करे और विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने का भार अपने ऊपर ले।

2- विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या **50** से न्यून अथवा **100** से अधिक नही होनी चाहिए और ये उपसदस्य आजीवन न रहकर केवल **6** वर्ष तक के लिए होने चाहिए।

3- उपसदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। चुने हुए सदस्यों की संख्या, कलकता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक **20** और शेष में **15** होनी चाहिए।

4- विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। सरकार सेनेट द्वारा बनाए नियमों में परिवर्धन अथवा संशोधन कर सकती थी और यदि चाहे तो नए नियम भी बना सकती थी।

5- इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेज पर सरकार का नियंत्रण अधिक कड़ा बना दिया गया अर्थात् सम्बन्धित बनाने की शर्ते अधिक कड़ी हो गई और सिंडीकेट को कॉलेज का समय-समय पर निरीक्षण करने का भार सौपा गया। इन कालेजों को अपनी

कार्यक्षमता उचित स्तर पर रखनी होगी और सम्बन्ध के लिए सरकारी स्वीकृति आवश्यक कर दी गई।

6- गवर्नर जनरल को इन विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया।

विधान परिषद के अन्दर और बाहर राष्ट्रवादी तत्वों ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की। यहां तक कि **1917** में सैडलर आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि **1904** के अधिनियम से ''भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सब से अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे।'' कर्जन के जीवनी लेखक रॉनल्डशे ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इस कार्य से जिस पर वाइसराय ने इतना अधिक समय और विचार लगाया और जिसका इतना विरोध हुआ, शिक्षा प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नही आया और यह पहले की भांति ही रही। परन्तु कर्जन की इस नीति का यह परिणाम अवश्य हुआ कि **1902** से **5** लाख रूपया वार्षिक पांच वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए निश्चित किया गया और इसके पश्चात् सरकारी अनुदान सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई।

21 फरवरी **1913** का शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव **- 1906** में बडौदा जैसी प्रगतिशील रियासत ने अपने यहां अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ कर दी थी। राष्ट्रवादी तत्वों ने पूछा कि सरकार समस्त ब्रिटिश भारत में ऐसा क्यों नही कर सकती थी। **1910** से **1913** तक विधान परिषद में गोखले ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से प्रयत्न किए।

21 फरवरी, **1913** के प्रस्ताव से सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को तो स्वीकार नहीं किया अपितु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार किया। उसने प्रान्तीय सरकारों को प्रेरणा दी कि वह समाज के निर्धन तथा अधिक पिछड़े हुए वर्ग को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबन्ध करे। इस क्षेत्र में अशासकीय प्रयत्नों को भी समर्थन दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठशालाओ को भी अधिक उत्तम बनाने का सुझाव दिया गया। विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह सुझाव स्वीकार किया गया कि प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए और विश्वविद्यालयों को शिक्षण कार्य अधिकाधिक करना चाहिए।

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, **1917-19** में सरकार ने कलकता विश्वविद्यालयों की सम्भावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डाक्टर एम.ई. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य दो भारतीय, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउदीन अहमद थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। उन्होंने **1904** के अधिनियम की कड़ी निन्दा की और यह भी बताया कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक-ठीक समन्वय नहीं हो सका है और यद्यपि यह रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थी परन्तु यह अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में भी सत्य थी।

इसकी सिफारिशे इस प्रकार थी **:-**

1- स्कूल के शिक्षा **12** वर्ष की होनी चाहिए और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात् नही अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात विश्वविद्यालय में भरती होना चाहिए। इसके लिए सरकार को उत्तर माध्यमिक प्रकार के महाविद्यालय बनाने थे। ये महाविद्यालय चाहे तो स्वतंत्र संस्था के रूप में रहे अथवा हाई स्कूल से सम्बन्धित रहे। इनके प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए माध्यमिक तथा उतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया।

2- उत्तर माध्यमिक शिक्षा चरण के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा तीन वर्ष की होनी चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रावीण्य पाठ्यक्रम साधारण पाठ्यक्रम से पृथक होना चाहिए।

3- विश्वविद्यालयों के नियमों के बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए।

4- पुराने सम्बन्धी विश्वविद्यालयों जिनमें कॉलेज दूर-दूर बिखरे होते थे**,** के स्थान पर केन्द्रित एकाकी आवासिक अध्यापन और स्वायत्तता पूर्ण संस्थाएं बननी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार कम करने के लिए ढाका में एकांकी तथा अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और इसी प्रकार प्रयत्न यह होना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालय के केन्द्र बन सकें।

5- महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनना चाहिए।

6- अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए प्रचुर सुविधाएं होनी चाहिए और इसके लिए ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए।

7- विश्वविद्यालय को यह भी कहा गया कि वह व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी का प्रबंध करे और उनके लिए अध्ययन तथा प्राप्त करने का प्रबंध करके डिप्लोमा तथा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार विश्वविद्यालय को व्यावसायिक कॉलेज भी खोलने चाहिए।

1916 और **1921** के बीच नए विश्वविद्यालय मैसूर**,** पटना**,** बनारस**,** अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उसमानिया अस्तित्व में आए। **1920** में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट की सभी प्रान्तीय सरकारों को सिफारिश की।

दोहरी शासन के अन्तर्गत शिक्षा -1919 के मोटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारों के अधीन प्रान्तों में शिक्षा विभाग लोक निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार ने अब शिक्षा में रूचि रखनी बन्द कर दी और इस विभाग को अन्य विभागों में मिला दिया। शिक्षा के लिए केन्द्रीय अनुदान बन्द कर दिया गया। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रान्तीय सरकारों ने यथेच्छ शिक्षा योजनाओं को हाथ में नही लिया इतना होते हुए भी परोपकारी पुरूषों की सहायता से शिक्षा में बहुत विकास हुआ।

हार्टोग समिति, **1929-** शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ने से अनिवार्य रूप से ही शिक्षा स्तर में कमी आई। शैक्षणिक पद्धति के प्रति अंसतोष बढ़ा। **1929** में भारतीय परिनियत आयोग ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। इस समिति की सिफारिशें निम्नलिखित थी**-**

1- इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्त्व पर बल दिया परन्तु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की निन्दा की। सुधार और एकीकरण की नीति की सिफारिश की।

2- माध्यमिक शिक्षा के विषय में कहा गया कि इसमें मेट्रिक परीक्षा पर ही बल है। बहुत से अनुचित विद्यार्थी इसको विश्वविद्यालय शिक्षा का मार्ग समझते है। इसने सिफारिश की कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को वर्नेकुलर मिडिल स्कूल स्तर पर ही रोका जाए और कॉलेज प्रवेशों पर रोक लगाई जाए। उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए।

3- विश्वविद्यालय शिक्षा की दुर्बलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और विवेकहित प्रवेशों की आलोचना की गई जिससे स्तर गिरते है। यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए और विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य तक ही अपने आप को सीमित रखें और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है, उन्हे अच्छी और उच्च शिक्षा दी जाए।

मूल शिक्षा की वर्षा योजना - भारत सरकार अधिनियम **1935** के अनुसार प्रान्तो को प्रान्तीय स्वायत्तता दे दी गई और लोकप्रिय मंत्रिमण्डल **1937** से कार्य करने लगे। **1937** में महात्मा गांधी ने अपने पत्र में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्षा योजना की संज्ञा दी गई है। जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पो के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। इसने अध्यापको के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा प्रशासन के सुझाव भी दिए। योजना का मूलभूत सिद्धान्त ‘हस्त उत्पादक कार्य’ था, जिससे शिक्षकों के वेतन का भी प्रबन्ध हो जाता। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा द्वारा सात वर्ष तक विद्याध्ययन करना था। द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होने और मंत्रिमण्डलों के त्यागपत्र देने से वह योजना खटाई में पड़ गई। इस कार्य को **1947** के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने हाथ में लिया।

शिक्षा की सार्जेण्ट योजना - **1944** में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा मण्डल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जिसे प्राय: सार्जेण्ट योजना कहा जाता है। सर जॉन सार्जेण्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रणा दाता थे। इस योजना के अनुसार देश में प्रारम्भिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कनिष्ठ और उच्च आधार विद्यालय स्थापित करने थे और **6** से **11** वर्ष के बच्चो के लिए व्यापक, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की योजना थी। इसके अतिरिक्त **11** से **17** वर्ष तक के लिए छ: वर्ष की और शिक्षा की व्यवस्था थी। ये उच्च विद्यालय दो प्रकार के होते थे: (क)विद्याविषयक और (ख) प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए। इस योजना के अन्तर्गत उतर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर देती थी। इस योजना में **40** वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था। तदनन्तर खेर समिति ने इस अवधि को घटा कर **16** वर्ष कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद

आजादी के बाद **राधाकृष्ण आयोग** (1948-49), **माध्यमिक शिक्षा आयोग** (मुदालियर आयोग) 1953, **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** (1953), **कोठारी शिक्षा आयोग** (1964), **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (1986) एवं **नवीन शिक्षा नीति** (1986) आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय-समय पर सही दिशा देनें की गंभीर कोशिश की गयी।**1948-49** में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता के साथ कार्यान्वित किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई

। पंजाब, गौहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, कर्णाटक, गुजरात, महिला विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बिहार, श्रीवेंकटेश्वर, यादवपुर, वल्लभभाई, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, विक्रम, संस्कृत वि.वि. आदि अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्वभारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिल्लिया इसलामिया, विद्याभवन, महिला विश्वक्षेत्र में प्रशंसनीय वनस्थली विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय और प्रयोग हैं।

1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन से शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

भारतीय शिक्षा के इतिहास की प्रमुख घटनाएँ

- **1780** : ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा 'कोलकाता मदरसा' स्थापित |
- **1791**: ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा बनारस में 'संस्कृत कालेज' की स्थापना |
- **1813** : एक आज्ञापत्र के द्वारा शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया।
- **1834** : मैकाले का घोषणापत्र |
- **1854** : वुड का घोषणापत्र |
- **1857** : कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।
- **1870** : बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कालेज की स्थापना |
- **1882** : हण्टर आयोग |
- **1886** : आर्यसमाज द्वारा लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज की स्थापना |
- **1893** : काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना।
- **1898** : काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 'सेंट्रल हिंदू कालेज' स्थापित |
- **1901** : लार्ड कर्ज़न ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया जिसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे।
- **1902** : भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति (लॉर्ड कर्जन द्वारा) स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- **1904** : भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना।
- **1905** : स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और नैशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेकनिकल इन्स्टिट्यूट की स्थापना भी हुई।
- **1911** : गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया।
- **1916** : मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदु विश्वविद्यालय की स्थापना |
- **1937-38** : गांधीवादी विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा योजना लागू।
- **1945** : सार्जेण्ट योजना लागू।

- **1948-49** : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन |
- **1951** : खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना |
- **1952-53** : माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन |
- **1956** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना |
- **1958** : दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई में स्थापित |
- **1959** : कानपुर एवं चेन्नई में क्रमश: तीसरा एवं चौथा आईआईटी स्थापित।
- **1961** : एनसीईआरटी की स्थापना |

प्रथम दो भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद एवं कोलकाता में स्थापित किए गए।

- **1963** : पाँचवां अईआईटी दिल्ली में स्थापित किया गया।
- तीसरा I.I.M. बंगलौर में स्थापित।
- **1964-66** : कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना, रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **1968** : कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई।
- **1975** : छह वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारम्भ।
- **1976 :** शिक्षा को 'राज्य' विषय से "समवर्ती" विषय में परिवर्तन करने हेतु संविधान संशोधन।
- **1984** : लखनऊ में चौथा IIM स्थापित।
- **1985** : संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना।
- **1986** : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया |
- **1987-88** : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप मेंअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) स्थापित।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ।

- **1992** : आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन|
- **1993** : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्थापित।
- **1994** : उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषदकी स्थापना। (बंगलौर में मुख्यालय)

गुवाहाटी में छठे IIT की स्थापना।

- **1995** : प्राथमिक स्कूलों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की गई।
- **1996** : पाँचवाँ IIM कोझीकोड में स्थापित |
- **1998** : छठा IIM इंदौर में स्थापित |
- **2001** : जनगणना में साक्षरता दर 65.4 % (समग्र), 53.7 % (महिला) |
- पूरे देश में गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ।
- रूड़की विश्वविद्यालय सातवें IIT में परिवर्तित।
- **2002** : मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन।
- **2003** : 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिवर्तित।
- **2004** : शिक्षा को समर्पित उपग्रह "एडूसैट" (EduSat) छोड़ा गया।
- **2005** : संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग गठित।
- एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्वीकृत।
- **2006** : कोलकाता और पुणे में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित।
- **2007** : सातवां IIM शिलांग में स्थापित किया गया।

भारत में स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा

उपनिवेशवाद का मतलब है नियंत्रण। यह विश्व को उपर नीचे की श्रेणियों मं बांट देता है। यह उपनिवेशक को विशेषाधिकार प्रदान करता है, उसे इतनी शक्ति देता है कि वह अपने अधीन लोगों का दमन कर सक। और यह हिंसा केवल शारीरीक नहीं होती, उपनिवेशवाद को नैतिक /सांस्कृतिक /सांकेतिक हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ लोग आमतौर पर हताशा में जीते है। उनके लिए खुद में आस्था रख पाना मुश्किल हो जाता है। वे खुद को कमतर मानने लगते है तथा ताकत, हिम्मत शिक्षा सभ्यता वस्तुत: सभी सकारासत्मक गुणों को अपने औपनिवेशिक स्वामियों के साथ जोडकर देखते है। यह बताने की जरूरत नही कि औपनिवेशिक शिक्षा इस वैचारिक शिक्षा के इतिहास को देखते है तो हमें एहसास हो है कि किस तरह शिक्षा ने औपनिवेशिक स्वामियों की गतिविधियों को वैधता देने की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है | अंग्रेजी/आधुनिक शिक्षा प्रदान करना मुख्यत: सांस्कृतिक आक्रमण की कार्यवाही थी | इसने हमारी सभ्यता के सभी आदर्शो कि निंदा की और सिर्फ पश्चिमी विचारो को ही ज्ञान का दर्जा दिया | यह शिक्षा हमारी अपनी शैक्षिक विरासत के इतिहास कि प्रति संवेदनशील नहीं थी। इसके अलावा इस शिक्षा ने बडे कुशल ढंग से उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान की।

उपनिवेशवाद के साथ दंभ का जुडा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। अपने सभ्य बनाने के मिशन के दावे को मजबुती प्रदान करने के लिए इस शिक्षा ने भारत में चल रहे अंधकार युग के बाने मे बात की। हम अंधकार युग की बात में निहित झूठ को आसानी से समझ सकते है। क्योंकि जैसा कि हम बता चुके है भारत के पास पढाई और शिक्षा की समृद्ध परंपरा थी। इतना ही नहीं ब्रिटिश

अधिकारीयों द्वारा किए गए अध्ययनों तक ने यह दिखया है कि औपनिवेशक आक्रमण के समय भारत मे पढने की संस्कृति का व्यापक प्रसार थे। उदाहरण के लिए, **1835-38** के काल के बंगाल प्रेसीडेसी पर आधारित विलियम ऐडम रिपोर्ट **1941** को ले। यह रिपोर्ट शिक्षा के महत्व के बारे में समाज में, विशेषकर उपरी तबके लेागों में, व्याप्त सामान्य जागरूकता का उल्लेख करती है। ऐडम के इस कथन से शिक्षा को दिए वाले महत्व और उससे जुडी गरिमा के बारे में पता चलता है|

जंनतात्रिक और धर्मनिरपेक्ष पाठशाला

पाठशालाओं और मकतबों के बीच फिर भी कुछ अन्तर थे। यह दिलचस्प बात है कि शुरूआती यूरोपीय दर्शकों ने पाठशाला के जनतात्रिक एवं धर्म निरपेक्ष चरित्र पर गौर किया। जहां प्राचीन हिंदू शिक्षा व्यवस्था बौद्व विचारधारा के प्रभाव से जनतांत्रिक बनी, वहीं पाठशाला का तंत्र शायद मुस्लिम काल के प्रभाव से धर्मनिरपेक्ष बना। बंगाल में ग्रामीण पाठशालाओं में **13** मुस्लिम शिक्षक और **1001** मुस्लिम छात्र थे।

सतीश चन्द्र मित्र अपनी पुस्तक ''जेसोट खुलना इतिहास'' में कहा है कि पठान युग का अन्त आते आते पाठशालाओं में मुस्लिम शिक्षक निपुण हो चुके थे। वे आगे कहते है कि बुरान परगना का एक मुस्लिम बरनीर खान पाठशाला के शिक्षक के रूप् में प्रसिद्व हो गया था।

मकतब अपना धार्मिक स्वरूप् बरकरार रखे हुए थे, जबकि पाठशाला निरंतर धर्मनिरपेक्ष बनती जा रही थी। उत्तर भारत में मकतबों और विन्ध के मुल्ला स्कुलों ने हमेशा ही आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया है। यह गैर-धर्मनिरपेक्ष चरित्र मुख्यत: मुल्लाओं और मुस्लिम धार्मिक उपदेशकों के कारण था, क्योकि मकतब आमतौर पर गांव की मस्जिदों से जुडे हुए थे, और इसलिए यह माना जा सकता है कि इन धार्मिक उपायों से उस वक्त का शासक वर्ग मुस्लिम समुदाय की एकता बनाए रखना चाहता था। साथ ही यह जनता का निष्क्रिय रखने का भी एक प्रभावशाली तरीका था। जे. एम. सेन अपनी रचना हिस्टरी ऑफ इलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया भारत में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास में कहते है मुस्लिम और सिक्ख स्कूलों मे आध्यात्मिक शिक्षा पर इस जोर को छोडकर हिंदु, मूसलमान और सिख स्कुलों के बीच लगभग कोई अन्तर नहीं रह जाता।"

यह स्पष्ट है कि देशी भाषा-भाषी शिक्षा व्यवस्था देश की केन्द्रीय सत्ता द्वारा तैयार की गई किसी सोची समझी व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, और न ही किसी ऐसी बाहरी सत्ता से नियंत्रित थी। यह एक विकेन्द्रित व्यवस्था थी। ब्रिटिश व्यवस्था स्थानीय व्यवस्था में स्वत: स्फूर्तता का यह पहलू समझने में असमर्थ रही। फलस्वरूप् वह जनता से अलग थलग पड गई| ब्रिटिश शासकों द्वारा लागू की गई प्राथमिक शिक्षा उपर से लादी गई थी। इसे राज्य सरकार सीधे तौर पर, नियंत्रित और प्रशासित करती थी एक ऐसी सत्ता के सहारे जो देश की जनता के लिए विदेशी थी। फलस्वरूप स्थानीय पहल लुप्त हो गई।

ग्रामीण स्कूली व्यवस्था -

हम ऐडम की रिपोर्ट से यह भी जान जाते है कि देशी प्राथमिक स्कुल दो प्रकार के थे। पहले प्रकार के स्कूलो को उनका प्रमुख आर्थिक सहयोग किसी एक अकेले सम्पन्न परिवार के संरक्षण से प्राप्त होता था, और दूसरे प्रकार के स्कुल उस कस्बे अथवा गांव के समुदाय के आम सहयोग पर निर्भर करते थे जहां वे स्थापित होते थे। उसने अनुमान लगाया था कि उन्नीसवीं सदी की शुरूआत मं बंगाल प्रसीडेसी में **100000** देशी प्राथमिक स्कूल थे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचाकि औसतन, स्कूल जाने

वाली उम्र के हर **73** बच्चो पर एक तथा हर **30** या **32** लडकों पर एक ग्रामीण स्कूल था। रिपोर्ट में लिखा है **-**

ऐसा लगेगा कि ग्रामीण स्कुलों की व्यवस्था का व्यापक रूप् से प्रचलन है, और यह है कि अपने लडकों को शिक्षित करने की लालसा दीनतम वर्गों तक के माता-पिता के मन में बहुत गहरें से बसी होंगी, ओर ये वे संस्थाएं है जो लोगों की आदतो ओर देश की परम्परा के साथ नजदिकी तौर पर जुडी हुई है।

शिक्षा के अन्य केन्द्र

इन प्राथमिक स्कूलों- पाठशालाओं और मदरसों के अलावा संस्कृत, अरबी और फारसी में ऊँचे दर्जे की पढ़ाई के लिए कई केन्द्र उपलब्ध थे जो अठारवी शताब्दी दौरान फले-फूले। संस्कृत सीखने के प्रमुख केन्द्र थे बनारस, उज्जैन, तिरहुत, नदिया, राजशाही, तंजीर, और त्रिवेन्दम। इस्लामी पढ़ाई के लिये तीन मत्त्वपूर्ण केन्द्र थे जयपुर, लखनऊ, और पटना। ऐडम के अनुसार कलकत्ता में संस्कृत सीखने के लिए **28** शिक्षाणालय थे और सन् **1818** में वहाँ **173** विद्यार्थी अध्ययनरत थे, नदिया में सन् **1801** में **31** शिक्षाणालय थे, जिनमें **747** विद्यार्थी पढ़ते थे।राजशाही में **1834-35** में ऐडम ने पाया कि संस्कृत अध्ययन के **38** कॉलेज, हिंदु कानून के **19**, सामान्य साहित्य के **113**, तर्कशास्त्र के **2**, तथा वेदान्त, तांत्रिक, पौराणिक और चिकित्सा अध्ययन के **4** कॉलेज थे।

औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षा ब्रिटिश शिक्षा से किस प्रकार भिन्न थी -

18 वीं सदी की भारतीय शिक्षा पर धर्मपाल का अध्ययन

इस सन्दर्भ में अठारवीं सदी के देशी भारतीय, शिक्षा पर धर्मपाल के द्वारा किया गया अध्ययन काफी प्रासंगिक हो जाता है। वे उन रिपोर्टो/ सर्वेक्षणों पर ध्यान केन्द्रित करते है जो ब्रिटिश अधिकारीयों और कर्मचारियों द्वारा किए गए थे- मुख्यतः बंगाल और बिहार पर ऐडम की रिपोर्ट, मद्रास प्रेसीडेंसी में किया गया मुनरो का सर्वेक्षण और पंजाब में शिक्षा की दशा पर लाइटनर के द्वारा हासिल जानकारियाँ। वे तीन बातें कहते हैं **-**

1. शिक्षा की दशा - वे इस भ्रम का खण्डन करने का प्रयत्न करते हैं कि जब ब्रिटिश लोग भारत को उपनिवेष बनानें के लिए आए तो यंहा शिक्षा की दशा अत्यन्त दयनीय थी। बल्कि वे दर्शाते है कि भारतीय स्कूली शिक्षा कई तरह से इंग्लैण्ड की तात्कालिक स्कूली शिक्षा से बेहतर थी। यह सच है कि इंग्लैण्ड में **16**वीं, **17** वीं सदी या फिर **18**वीं सदी के "शुरू आती दौर में शिक्षा की समृद्व परम्परा थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ऐडिबर्ग विश्वविद्यालय शिक्षा के केन्द्र थे | इसके अलावा उस समय वहॉ पर फ्रांसिस बेकन, "शेक्सपियर, मिल्टन, और न्यूटन जेसे चिन्तक/दार्शनिक भी हुए और **18**वीं सदी के अन्त आते -आते इंग्लैण्ड में लगभग **500** व्याकरण स्कूल थे। फिर भी जैसा कि धर्मपाल का मानना है कि यह सारी महत्त्वपूर्ण पढ़ाई और विद्वता कुछ बेहद चुनिन्दा सम्भ्रान्त लोगों के तबके तक सीमित थी। और उस समय भारत में क्या हालात थे **?**

शिक्षा की विषय वस्तु उस समय इंग्लैण्ड में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से बहुत अलग प्रतीत नहीं होती। पढ़ाई की अवधि ज्यादा लम्बी होती थी | स्कूलों में पढ़ने वालों की संख्या **1800** में इंग्लैण्ड के सभी प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों की संख्या से आनुपातिक तौर पर कहीं ज्यादा थी।

एडम के अनुसार **1830** के दशक में बंगाल और बिहार में **1,00,000** ग्रामीण स्कूल थे। और मुनरों के अनुसार, मद्रास, प्रेसींडेसीं के हर गाँव में स्कूल था। इसके अलावा जैसा कि ये रिपोर्ट भी सुझाती

है, अध्ययन कर अवधि न्यूनतम पॉच साल से लेकर अधिकतम **15** साल तक होती थी। इसकी भी पुष्टि की गई कि अपने **13**वाँ साल पूरा करने पहले ही, इसके अलावा, स्कूल काफी की विभिन्न "शाखाओं में उनके द्वारा हासिल की गयी उपलब्धियाँ असाधारण रूप से महान होती है। इसके अलावा, स्कूल काफी घंटो तक चला करता था, आमतौर पर प्रात: **6** बजे के बाद "शुरू हो जाता था। इसके बाद भोजन इत्यादि के लिए एक या दो छोटे अन्तराल होते थे, और सूर्यास्त या उसके बाद तक की पढ़ाई चलती रहती थी।

शिक्षा की पहुंच:- धर्मपाल इस मत के खिलाफ प्रमाण देते हे कि भारत में शिक्षा हिंदुओं के बीच मुख्यत: ब्राह्मणों तक, एवं मुसलमानों में "शासक वर्ग तक सीमित थी। पर वास्तविक स्थिति काफी अलग थी। कम से कम हिंदुओं में तो स्थिति अलग थी ही। मद्रास प्रेसीडेंसी के जिलों (और वह भी तमिल बोले जाने वाले इलाकों के) तथा बिहार के दो जिलों में स्थिति यह थी कि जिन्हें "शूद्र" कहा जाता था, जो जातियाँ उनमें भी नीची मानी जाती थी, उनका ऊपर बताए गए क्षेत्रों में उस समय चल रहे हजारों स्कूलों में बोलबाला था।

01- शिक्षा की प्रवृति:- धर्मपाल चाहते है कि हम इस प्रचलित धारणा पर पुनर्विचार करें कि भारत में शिक्षा की प्रकृति अधिकाशत: धार्मिक थी, अर्थात् उसमें व्यवहारिक / तकनीकी शिक्षा की कमी थी। जिन दस्तावेजों पर धर्मपाल का "शोध आधारित है। उनमें ऊँचे दर्जे की शिक्षा के मुद्दे पर काफी कुछ दिया गया है, खास तौर पर धर्मशास्त्रों, कानून, चिकित्सा, अन्तरिक्ष, विज्ञान और ज्योतिष सहस के बारे में परन्तु भारत में मौजूद तकनीकी और कलाओं के प्रशिक्षण के बारे में सरकारी बिरले ही चर्चा की गई है। इसका सम्भावित कारण यह हो सकता है कि जिन लोगों ने शिक्षा पर लिखा चाहे वह सरकारी प्रशासक हो, यात्री हो या ईसाई मिशनरी हो- उन्हें इस बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी कि किस तरह ऐसी कलायें सिखाई जाती थी, या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुपर्द कि जाती थी | इसके अलावा जैसा कि धर्मपाल का मानना है कि –अधिकाश कलाएँ घर में ही सीखी जाती थी और जिसे ब्रिटेन में एप्रेन्टिसशिप कहा जाता था, वह भारत में सीखने का एक अनौपचारिक तरीका था जंहा आमतौर पर माता-पिता ही शिक्षक होते थे, एवं बच्चे विद्यार्थी। तकनीकी व विद्यार्थी तकनीकी व कलाओं के शिक्षण के बारे में जानकारी में कमी का यह एक और कारण हो सकता है।

धर्मपाल इस बात पर खेद व्यक्त करते है कि अधिकांश शिक्षित भारतीय इस बात से अनभिज्ञ है कि दो "शताब्दी पहले भी भारत के पास शिक्षा के क्षेत्र में देने को क्या कुछ नहीं था। इसने (अज्ञान) भारत के लोगों के आम जीवन में ना सिर्फ आत्मविश्वास की कमी की प्रवृति पैदा की है, बल्कि उन्हें दिशा हीन भी बनाया है। यह निश्चित ही दु:ख की बात है कि उपनिवेशवाद, थॉमस गैगिंगटन मैकाले जैसे अपने विचारों के साथ, हमारी विरासत की जडें को खोद सका, हमें हतोत्साहित कर सका और साम्राज्यवादियों की नैतिक/संज्ञात्मक श्रेष्ठता स्थापित कर सका।

ईस्ट इंडिया कम्पनी और देशी स्कूली व्यवस्था

यह सच है कि "शुरूआत में ईस्ट इंडिया कम्पनी आधुनिक / यूरोपीय शिक्षा पर प्रसार के प्रति उत्सुक नहीं थी। बल्कि उसने देशी स्कूली व्यवस्था का समर्थन करने और बढ़ावा देने की उत्सुकता दिखाई थी। उदाहरण के लिए **1781** में, वॉरेन हैस्टिंग्ज ने कलकता मदरसा स्थापित किया और भारतीय- ईरानी संस्कृति के प्रति अपने आकर्षण को उजागर किया। मदरसे में पढ़ाऐं जोन वाले

पाठयक्रमों में प्राकृतिक दर्शनशास्त्र, कुरानी धर्मशास्त्र, कानून, रेखागणित, अंकगणित, तर्कषास्त्र, और व्याकरण शामिल थे, और ये सभी इस्लामिक आधार पर पढ़ाए जाते थे। शिक्षा का माध्यम अरबी, भाषा थी। इसी तरह **1784** में सर विलियम जोन्स ने कलकता में एशियाटिक सेासायटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जैसा कि जोन्स का कहना था इसके अलावा एशिया को जानने की उत्सुकता थी, (जो) विज्ञान की पालक, आनन्ददायी और उपयोगी कलाओं की आविश्कारक,भव्य, कार्यो की भूमि, मानवीय, मेधा की उपजाऊ उत्पादक, प्राकृतिक आश्चर्यो से भरपूर और धर्म तथा सरकार के प्रकारों में, कानूनों में रहन- सहन में, रीति- रिवाजों में और व्यक्ति के आकार-प्रकार में असीमित रूप से विविध थी, (घेाश **1993:177** में उद्वत) युरोप के लिए भारत को खेालने की वही कहानी आगे बढ़ी, जब **1792** में जानाथन डंकन ने हिन्दुओं के कानूनों व साहित्य को सुरक्षित रखने व संवारने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ऐलफिन्सटोन ने ठीक यही किया जब उन्होंने **1820** में पूना में एक हिंदु कॉलंज की स्थापना की।

इस पडाव पर हमें महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाने की जरूरत है इस पूर्वानुमुखी मार्ग का गहरा अर्थ क्या था ? क्या यह प्रेम व सहिष्णुता की भावना से किया गया कार्य था या फिर देशी ज्ञान या व्यवस्था को समझने और उसका आदर करने की स्वाभाविक प्रेरणा थी। कुछ लोगों के लिए यह बात स्वीकार्य हो सकती है फिर भी असली बात तो यह है कि इस पूर्वानुमुखी रास्ते को अपनानें के पीछे कई राजनैतिक उद्देश्य थे। ईस्ट इडिंया कम्पनी अभी तक अपने बारे में निश्चित नहीं थी।अत: स्थानीय सम्प्रभात लोगों की सद्भावना हासिल करना महत्वपूर्ण था। उन्हें यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि ब्रिटिश लोग सांस्कृतिक आक्रमणकारी नहीं थे। इसके अलावा जैसा कि अपर्णा बोस ने दर्शाया है कि ईस्ट इडियां कम्पनी के लिए यह जरूरी था कि वे देश पर शासन करने में उन्हें मदद कर सकने वाले ऐसे भारतीय अफसर दूंढ सकें जो कि संस्कृत,फारसी, व अरबी, का अच्छा खासा ज्ञान रखते हो । दूसरें शब्दों में देशी शिक्षा व्यवस्था में यह संलग्नता राजनैतिक तौर पर भारतीय उपमहाद्विप को नियंत्रित करने के मसूबों का ही एक हिस्सा थी।

भारतीय शिक्षा पर चार्ल्स ग्रांट के विचार

पूर्वानुमुखी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति से हर व्यक्ति खुश नहीं था | इसके बजाय यह महसूस किया गया कि इस पतनोन्मुख सभ्यता को सुधारने के लिये अंग्रेजी / आधुनिक शिक्षा को लागू करने की जरूरत थी। चार्ल्स ग्रान्ट एक निश्चित ही निर्णायक मोड था- आंग्ल नीति को बढावा देने के लिये मौजूद शक्तिशाली बल। ग्रान्ट,जो कि लगभग चालीस सालों से कलकता व लन्दन में ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रशासन से जुडा हुआ था,ने **1972** में अपना प्रसिद्व शोध प्रबन्ध **(Observation on the state of society among the Asiatic Subjects of Great Britain, particularly is respect to morals, and the means to improve it.)** ग्रेट ब्रिटेन के आश्रित एशियाई देशों की सामाजिक दशाओं पर किए गए अवलोकन, खासतौर पर नैतिकचर्या के सम्बन्ध में, तथा उसका सुधारने के तरीके) लिखा। ग्रान्ट के दस्तावेज का एजेण्डा केवल शैक्षिक ही नहीं था, वह मुख्यत: भारतीय संस्कृति, और सभ्यता पर दिया गया फैसला था। इसने औपचारिक स्वामियों के दम्भ, तथा सांस्कृतिक विजय की उनकी दबाई ना जा सकने वाली तीव्र इच्छा को उजागर किया। ग्रान्ट ने हिन्दुओं पर बेईमान, भ्रष्टाचारी, धोखेबाजी, आपसी वैमनस्य रखने वाली तथा अविश्वासी होने का आक्षेप लगाया। ग्रान्ट ने लिखा है, “हिंदू गलती करते है क्योकिं वे अज्ञानी है।”

आश्चर्य नहीं है कि पुराभिमुखी शिक्षा को लेकर अपनी समीक्षा में ग्रान्ट का रूख बहुत ही स्पष्ट था। उसका मानना था कि ईस्ट ण्डिया कम्पनी की कोई मजबूरी नहीं थी कि वह हिंदुओं के पंथ की रक्षा करें जो कि न केवल भयानक था बल्कि तर्क नैतिकता और धर्म के पहले सिद्वान्तों का विनाशक भी था | ग्रान्ट के लिये जवाब साफ था उसका मानना था कि भारत को ईसाईयत, आधुनिक विज्ञान और यूरोपीय साहित्य की आवश्यकता थी | वह चाहता था कि अग्रेंजों अधिकारिक भाषा हो, इसके अलावा उसने अच्छे नैतिक चरित्र वाले शिक्षकों के अधीन अँग्रेजी स्कूलों की स्थापना किये जाने की वकालत की । यह मुख्यत: ग्रान्ट की अपील का ही परिणाम था कि ब्रिटिश संसद में एक बिल लाया गया ताकि भारतीयों के निर्णायक बदलाव के लिये धर्म प्रचारकों और स्कूल शिक्षकों को भारत भेजा जा सके । पर फिर कम्पनी के अधिकारीयों को लगा कि इस तरह के कदम उठाने से देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो जायेगी । उन्होंने इस बिल की निन्दा की । और संसद के दोनों सदनों में अपने कुछ सम्बन्धों के चलते हुये वे इस बिल को पराजित करने में कामयाब हो गए ।

फिर भी, ग्रान्ट के विचार महत्त्वपूर्ण थे क्योकिं वह बदलते समय की भाषा बोल रहा था। यह ब्रिटेन में उभरते हुये पूँजीवादी वर्ग, व भारत में छिपें उसके आर्थिक हितों से पूरी तरह से वाकिफ था । ग्रान्ट का मानना था कि अग्रेजी शिक्षा स्थानीय लागों में ब्रिटिश सामानों के प्रति रूचि पैदा कर देगी । दूसरें शब्दों में वह वाणिज्य तथा शिक्षा में नजदीक सम्बन्ध देख रहा था । यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ग्रान्ट तर्क के युग का व्यक्ति था । जब आधुनिक यूरोप का अपने प्रति, अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ और अपनी तर्कशक्ति के प्रति भरोसा बढता जा रहा था । इसी भरोसे के चलते हुये औपचारिक शक्ति का अपने (दूसरों को) सभ्य बनानें क मिशन के प्रति विश्वास बढ़ा: अपने ज्ञान, तार्किकता और विज्ञान के चलते हुये पश्चिम को यह अधिकार था कि वह बाकि दुनिया को शिक्षित बनाएं ।

चार्ल्स ग्रान्ट के विचारों का शिक्षा पर प्रभाव

बिल के खारीज हो जाने के बावजूद ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिए चार्ल्स ग्रान्ट के द्वारा उठाई गई माँगों- अर्थात् शैक्षिक रूपान्तरण और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय सभ्यता में होने वाला सुधार को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था ।

उदाहरण के लिये **1813** में कम्पनी के चार्टर में एक खण्ड डाला गया कि जिसके द्वारा गवर्नर जनरल के लिए यह बाध्यकारी तो नहीं, लेकिन विधि संगत, हो गया था कि वह शिक्षा के लिए एक लाख रूपए तक की राशि निर्धारित कर सकता था । हालाँकि, यह उल्लेख किया गया कि यह राशि साहित्य के पुनरूद्वार व सुधार पर तथा शिक्षित भारतीयों को प्रात्साहित करने पर खर्च की जायेगी । पर साथ ही यह भी तय किया गया कि राशि का एक भाग स्थानीय लोगों के बीच विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत करने और उसक बढावा देने में खर्च की जायेगी ।

मैकाले और आधुनिक/ यूरोपीय शिक्षा

यह समय उपयोगितावादियों का भी था । **1817** में कम्पनी के साथ नजदीकी तौर से जुडे मशहूर उपयोगितावादी जेम्स मिल ने अपनी कृति ब्रिटिश भारत का इतिहास प्रकशित किया गया जिसमें एक पक्के औपनिवेशक स्वामी की तरह उसने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, और ज्ञान व्यवस्था की निन्दा की। ईस्ट इडियां कम्पनी के मामलों में उसके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल - एक और उपयोगितावादी की उपस्थिति ने भारत में आधुनिक/ यूरोपीय शिक्षा के विचार को और बढ़ावा दिया और थॉमस बैबिगटन मैकाले के उद्भव से चीजे और अमूल चूक रूप में बदल गई । मैकाले

उपयोगितावादी था, वह उपयोगितावादी गवर्नर जनरल विलियम बैटिक के साथ नजदीकी तौर पर जुडा हुआ था। बल्कि वह बैटिक की परिषद का कानूनी सदस्य था| आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की श्रेष्ठता में मैकाले का भरोसा अडिग था। मैकाले जानता था कि उपनिवेशवाद को कैसे वैधता प्रदान की जाए तथा उसके 'सभ्य बनाने' के मिशन को कैसे उचित ठहराया जाए। वह यह साबित करने के लिए आतुर था कि आधुनिक/अंग्रेज शिक्षा ब्रिटिश सम्भ्यता की तरफ से एक उपहार होगी, मानवतावाद तथा राजनैतिक परहितवाद की प्रतीक।

10 जुलाई, **1833** को उसने ब्रिटिश संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उसने कहा - ऐसी शक्ति का क्या अर्थ जो अवगुणों, अज्ञानता और दुर्दशा पर आधारित हो? उसका क्या अर्थ, यदि हम केवल उन सर्वाधिक पवित्र कर्तव्यों का उल्लघंन करके ही बनाए रख सकें, जिनके लिए हम शासकों की हैसियत से शासितों के प्रति उत्तरदायी हैं, और जिनके लिए सामान्य से कहीं ज्यादा राजनैतिक स्वतंत्रता व बौद्धिक ज्ञान से सम्पन्न लोगों की हैसियत से हम उस जाति के प्रति उत्तरदायी है जिसे तीन हजार सालों से तानाशाही व पुरोहिती प्रपंचों ने नष्ट किया हुआ है। हमारा स्वतंत्र होना, हमारा सभ्य होना किसी अर्थ का नहीं, यदि हम मानव जाति के किसी भी हिस्से द्वारा इसी स्तर की स्वतंत्रता और सभ्यता हासिल करने के प्रति अनिच्छा रखते हैं।

शिक्षा /अंग्रेजी शिक्षा पर विभिन्न विद्वानों के विचार

यह सच है कि हर व्यक्ति ने मैकॉले द्वारा प्राच्य ज्ञान की निन्दा किए जाने को ठीक नहीं माना। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि वुड्स डिसपैच **(1854)** की क्या राय थी, कि पूर्वाभिमुखी संस्थाएं "ऐतिहासिक ओर पुरातनिक उद्देश्यों" के लिए जरूरी थी। वुड्स डिस्पैच ने हिंदू और मुस्लिम कानूनों को पढ़ने के लिए प्राच्य भाषाओ की महत्ता पर जोर दिया। हंटर आयोग **(1884)** भी स्थानीय ज्ञान व्यवस्था के पक्ष में प्रतीत हुआ। फिर भी इन ''रियायतों'' के बावजूद तथ्य यही था कि आधुनिक /अंग्रेजी शिक्षा की संज्ञानात्मक श्रेष्ठता के विचार को कोई चुनौती नहीं थी। वुड्स डिस्पैच ने भी स्पष्ट ढंग से यह कहा कि शिक्षा की प्रकृति यूरोप की उन्नत कलाऐं, विज्ञान और साहित्य होना चाहिए और यह भी कहा कि पूर्वी प्रणालियों गंभीर त्रुटियों से भरी पड़ी है।

वस्तुत: अंग्रेजी शिक्षा के प्रलोभन से बच पाना मुश्किल था, शिक्षित भारतीय भी इसे चाहते थे। 'नवजागरण' पुरूष, राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा में अन्तनिर्हित संभावनाओं इन्कार नहीं कर सके। यह नहीं भूलना चाहिए कि **1823** में रॉय ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए जाने की मुखाल्फत की थी। असल में रॉय उस युग की मनोदशा को प्रकट कर रहे थे। उभरते हुए मध्यम वर्ग के लिए अंग्रेजी शिक्षा गतिशीलता का स्रोत, व आधुनिकता को अनुभव करने का मौका थी।

परमेश आचार्य ने शानदार ढंग से दर्शाया है कि कैसे बंगाली भ्रदलोक उन्नीसवीं सदी के बंगाल में आधुनिक/अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए औपनिवेशिक स्वामियों के साथ गठजोड़ में शामिल थे। भद्रलोक - नए युग के वायदों से प्रलोभित महत्वकांक्षी वर्ग के लिए समाज के व्यापक वर्गों के हितों का कोई मतलब नहीं था। और जैसा कि आचार्य हमें याद दिलाते हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों ने गर्वनर जनरल मेयो एवं लेटिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैम्पबेल द्वारा जनसाधारण के बीच देशी शिक्षा का प्रसार करने के प्रयासो का भी विरोध किया था। चाहे विद्यासागर हो या राजेन्द्रलाल मित्रा, केशव चन्द्र सेन हो वर्ग हितों की पूर्ति होते देखी। अपने हितों को सुरक्षित रखने के चक्कर में उन्होंन सम्भ्रांतवादी शिक्षा के नकारात्मक प्रभावों, उसके औपनिवेशिक चरित्र उसके दम्भ तथा व्यापक

समुदाय के अनुभवों के प्रति उसकी उदासीनता को अनदेखी कर दिया। अधिकांश भारतीय युवाओं खासतौर पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में -ने तो इस शिक्षा में विभिन्न ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में रोजगार पाने का मौका देखा।

तीन बिन्दु ध्यान में रखने लायक हैं -

1- **किताबी चरित्र की अंग्रेजी शिक्षा** - अंग्रेजी शिक्षा की चकाचौंध के बावजूद इसके भारतीयों की तथाकथित तकनीकी/वैज्ञानिक ज्ञान हासिल करने में कोई मदद नहीं की जो औद्योगिक विकास परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक था ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का चरित्र मुख्यत: किताबी था। उदाहरण के लिए **1832** में हिंदू कलकत्ता की प्रथम वर्ष की कक्षा के पाठ्यक्रम में के विषय थे, इतिहास मुख्यत: यूनान, रोम, इंग्लैण्ड व आधुनिक यूरोप का गणित तथा भूगोल। इसलिए बार बार यह कहा गया कि पाठ्यक्रम को हमारी व्यावहारिक जरूरतों के हिसाब से ढालने की जरूरत है। वुड्स डिस्पैच ने भी शिक्षण के पूर्णत: किताबी चरित्र की कमजोरियों की बात की और कानून, चिकित्सा तथा इंजिनियरिंग के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरत पर जोर दिया। हटंर आयोग ने भी व्यावसायिक शिक्षा को बहुत महत्ता दी। इसी तरह, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग **(1917)** ने अपने पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी को शामिल करने का आग्रह किया। लेकिन इन अनुशंसाओं के बावजूद उत्पादक गतिविधियों में सार्थक कार्य करने हेतु जरूरी तकनीकी व्यावसायिक कौशल शिक्षित भारतीयों को उपलब्ध नहीं थे। बल्कि, मार्टिन कार्नाय गलत नहीं था जब उसने कहा -

   ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय लागों में अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिक, विज्ञान और राजनीति के बुनियादी सिद्धान्तों की गहरी समझ विकसित करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय वे अपने शिष्यों को अंग्रेजी साहित्य, दर्शन शस्त्र व तत्व मीमांसा (मैटाफिजिक्स) की अत्यन्त दासोचित व नकलची ढंग से नकल करने व उन्हें उद्धत करने के लिए मजबूर करके संतुष्टहो जाते थे।

2- **भारतीयों का सरकारी नौकरियों पर निर्भरता** - किताबी शिक्षा को दिए जाने वाले अत्यधिक महत्त्व के कारण शिक्षित भारतीय सरकारी नौकरियों पर बहुत अधिक निर्भर करते थे, और उनके लिए ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं रह गए थे। इसके अलावा **1857** में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही उम्मीदवारों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। इसके चलते नौकरियों की कमी हो गई और शिक्षित युवाओं में कुण्ठा पनपने लगी। आश्चर्य नहीं कि देश के कई हिस्सों में एक आन्दोलन शुरू हो गया जिसका उद्देश्य था भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के पात्र होने की अधिकतम आयु को **21** वर्ष से घटाकर **19** वर्ष कर देने के निर्णय का विरोध करना। कहने की जरूरत हीं कि ब्रिटिश सरकार यह राजनैतिक उठापठक और शिक्षित भारतीयों के बीच बढ़ रहा असंतोष ठीक नहीं लगा। इसी समय हंटर आयोन ने सुझाया कि सरकार को ऊँचे दर्जे की शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हट जाना चाहिए। आखिर, हंटर खुद यह मानता था कि वही शिक्षा जो ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को दी थी, अब विपरीत परिणाम देने लगती थी। हंटर को इस बात पर रोष था क्योंकि उसका सोचना था कि भारतीय उन्हीं लोगों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे जिन्होंने उन्हें संसार देखना सिखाया। उसकी दृष्टि में वे लोग अनुशासन के धर्म

के, और संतोष के सिद्धान्त का विद्रोह कर रहे थे। हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि औपनिवेशित स्वामियों के लिए विरोधाभासी स्थिति थी। ग्रांट और मैकॉले ने सोचा था कि उनके लिए भारतीयों को शिक्षित करना जरूरी है। पर शिक्षित करने के इसी कार्य ने भारतीयों को अवज्ञाकारी बना दिया। यह बोध होने पर उन्होंने शिक्षा पर अपना नियंत्रण और बढ़ा दिया। शिक्षा पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लार्ड कर्जन के प्रयास को इसी संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। कर्जन ने महसूस किया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारतीय विश्वविद्यालयों, असंतुष्टचरित्रों व कुण्ठित दिमागों की पौध खड़ी करने की जगह बन जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हकीकत यह थी कि औपनिवेशिक शिक्षा को सत्ता के तर्काधार से कभी अलग नहीं किया जा सकता था। इस शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता का बोध विकसित करना नहीं था। इसका उद्देश्य था भारतीयों के मन को गुलाम बनाना। नतीजन वह ऐसे सूक्ष्मतम विद्रोह को भी बर्दाशत नहीं कर सकी।

3- **लोक शिक्षण की असफलता** - कोई आश्चर्य नहीं कि जहां तक लोक शिक्षण का सवाल था यह व्यवस्था बुरी तरह से असफल हो गई। पर इस परिस्थिति को संभालने के लिए अनुशासकों की कोई कमी नहीं छोडी गई। मैकॉले की रिसाव नीति की समीक्षा करते हुए वुड्स डिस्पैच ने जोर दिया कि लोक शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। डिस्पैच ने यह भी सुझाया कि जनता को अच्छी धर्मनिपेक्ष शिक्षा व सरकारी निर्देश देने के लिए सभी स्कूलों को मदद दी जानी चाहिए। पर साथ ही सरकार ने छात्रों से शुल्क वसूलने का निर्णय लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादा धनी लोग ही अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा का शुल्क दे सके। लोक शिक्षण की इस नीति की असफलता को किसी भी तरह से छुपाया नहीं जा सकता था। उदाहरण के लिए हर्टोंग समिति **1929** ने बताया कि **1922-23** में कक्षा **1** में दाखिला लेने वाले हर सौ लड़कों में से केवल **19** ही **1925 - 26** में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए पाए गए। असफलता की इसी कहानी के चलते **1944** की सार्गनेट योजना को एक बार फिर हवाई बाते करनी पड़ी: **6** से **14** साल के बच्चों के लिये निशुल्क/अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। लोक शिक्षण की इस असफलता ने एक बार फिर उजागर कर दिया कि औपनिवेशिक स्वामी क्या चाहते थे। उनके द्वारा शुरू की गई शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामूहिक सशक्तिकरण नही था। बार बार उन्होंने अपने सभ्य बनाने के मिशन की तथा भारतीयों को शिक्षित करने के अपने कर्तव्य की बात की। पर बिरले ही वे अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के परे जा सके, वे सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के लिए खुद को पूरे मन से समर्पित नहीं कर सके। गोखले को इस कटु सत्य का एहसास तब हुआ जब **1912** मे उनका बिल जो देश भर में प्राथमिक शिक्षा का निशुल्क और अनिवार्य बनाने हेतु उन्होंने विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था - नकारा दिया गया।

15.4 भारत में स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना

आईये अब विस्तार से हम स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा कि समालोचना करते हैं |

15.4 भारत में स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना

अब तक आप स्वदेशी शिक्षा और औपनिवेशिक शिक्षा का अर्थ समझ चुके होंगे | किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में स्वदेशी शिक्षा का अंत हुआ| इस खंड में हम स्वदेशी शिक्षा बनाम औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना करते हैं | जिन दोनों विरासतों का सार-संक्षेप और पुनर्मूल्यांकन हम करेंगे , वे दोनों ही दोधारी हैं : अत: हम मान सकते हैं कि उनमें परस्पर विरोधी विचार और शक्तियां सक्रिय हैं| सर्व प्रथम औपनिवेशिक विरासत में मौजूद दोधारेपन पर नज़र डाले | 'औपनिवेशिक शिक्षा' और 'अंग्रेजी शिक्षा', दोनों ही पद का भिन्न-भिन्न निहितार्थ लिए हुए हैं और उनके बीच किया जाने वाला चयन भारत में अंग्रेजो द्वारा शुरू कि गई शिक्षा प्रणाली के प्रति इन्हें उपयोग करने वाले के नजरिए को दर्शाता है | बहरहाल, इन दोनों पदों के अर्थों में एक चीज साझा है, और वह यह कि औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली एक आमूल रूप से नई शुरुआत थी| यह विचार अपने सर्वाधिक ठोस रूप में उन अध्ययनों में पाया जाता है, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह अपने हितों के अनुरूप एक प्रणाली स्थापित करने के लिए देशज शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया | अब इस बात से पड़ने वाला फर्क मामूली ही पड़ता है कि इस किस्म का कोई अध्ययन देशज शिक्षा की समाप्ति का बखान करता है, या औपनिवेशिक शासन से जुड़ी प्रणाली के आगमन में पलक-पांवड़े बिछाता है | मुद्दा यह है कि देशज और औपनिवेशिक प्रणालियों के बीच मौजूद विखंडन को भारतीय शैक्षिक इतिहास के ज्यादातर छात्रों द्वारा काफी तीखा माना गया है | इस बोध का इससे बेहतर साक्ष्य और कोई नहीं मिल सकता कि ब्रिटिश लोगों द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली के लिय पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 'आधुनिक' रहा है | 'पुराने' अथवा 'पारंपरिक' और 'आधुनिक' प्रणालियों के बीच का द्वैत इतने व्यापक आधार पर स्वीकृत रहा है कि इसकी और ज्यादा छानबीन को निरर्थक माना जाता रहा है |

कुछ ऐसे अहम पहलू जरुर हैं, जिनमें औपनिवेशिक प्रणाली उससे पूर्व मौजूद शिक्षा प्रणाली से सर्वथा भिन्न रही | ये पहलू मुख्यत: प्रशासन और वित्त से जुड़े थे | औपनिवेशिक सरकार ने शैक्षिक प्रशासन कि एक ऐसी नौकरशाही प्रणाली विकसित की, जो इससे पहले मौजूद नहीं थी | नई प्रणाली में रोजगार से जुड़े मामलों (मसलन शिक्षकों की भरती के नियम) और अकादमिक मामलों, जैसे पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों के चयन और परीक्षाओं आदि, दोनों की ही द्रष्टि से निर्णय लेने में उच्चस्तरीय केंद्रीकरण मौजूद था | इससे पहले की शिक्षा प्रणाली (बच्चों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध व्यक्ति और उसके जीवनयापन के लिए दिए जाने वाले धन और अन्य सामग्री दोनों के ही लिहाज से) जहां स्थानीय संसाधनों पर निर्भर थी, वहीं नई, औपनिवेशिक प्रणाली सरकार द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं पर निर्भर थी | अकादमिक मामलों में पुरानी प्रणाली शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता और स्वायत्ता देती थी, जो नई प्रणाली की तुलना में सर्वथा भिन्न स्थिति थी जंहा शिक्षक को शिक्षा विभाग के आला अफसरों का महज एक कर्मचारी बना कर रख देती थी |

औपनिवेशिक नीति स्कूली शिक्षक के जीवन का भौतिक आधार बदलने में कामयाब रही लेकिन इसने उसकी आर्थिक अथवा सामाजिक हैसियत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की | स्कूली शिक्षण ने अपना पारंपरिक चरित्र खो दिया परन्तु फिर भी आधुनिक अर्थ में एक व्यवसाय बन सकने में कामयाब ना

हों सकी | यही हम हम शिक्षा की पुरानी और नई प्रणालियों के बीच एक निर्णायक निरंतरता पाते हैं | यह निरंतरता शिक्षकों के व्यवहार में अपेक्षित उन तौर-तरीकों में जाहिर होती है, जिन्हें बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्हें अपनाना था | औपनिवेशिक राज्य द्वारा स्कूली शिक्षकों को शिक्षण की नई विधियों और नए पाठों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थीं, वे स्थापित शिक्षा पद्धतीय तरीके को बदलने में कामयाब न हो सकीं | यह तरीका छात्र से संपूर्ण समर्पण की मांग और शिक्षक को निर्विवाद रूप से संपूर्ण प्राधिकार सौंपता था| इस शिक्षा पद्धतीय संबंध के मूल में जी सिद्धांत था, वह शिक्षक के नैतिक प्राधिकार का ब्राह्मणीय आदर्श था | शिक्षक से अपेक्षा यह की जाती थी कि उसके पास पवित्र ज्ञान मौजूद हो और इसे छात्र को कैसे हस्तांतरित किया जाए, इसे भी वही सबसे बेहतर जानता था |

स्वेदेशी शिक्षा का यह पहलू नई व्यवस्था में अब वैध नहीं रह गया था क्योंकि नई पाठ्यचर्या स्कूली ज्ञान के एक पंथनिरपेक्ष आधार पर जोर देती थी | लेकिन यह समस्या शिक्षक को एक नया स्थान देने में सक्षम नहीं हों पा रही थी | शिक्षक की स्थापित अर्द्ध-चमत्कारी भूमिका थी, जंहा से से उतार पाने की द्रष्टि से पर्याप्त शक्तिशाली चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सकी | शिक्षक प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता उसकी पारंपरिक भूमिका बनाए रखने में मददगार बनी| औपनिवेशिक राज्य द्वारा स्कूली शिक्षक के लिए जो तय किया गया था, वह अत्यंत मामूली वेतन था, जिसने सबसे प्रभावी ढंग से इसमें मदद पहुंचाई| यह वेतन और इसके साथ इंस्पेक्टरों और अफसरों की कम हैसियत, यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहे कि उस किस्म के नौजवान स्कूली नौकरियों कि ओर आकृष्ट ही नही हुए, जो बच्चों को पढ़ाने को एक व्यावसायिक गतिविधि मानते और जो संचेतन रूप से बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुरूप एक शिक्षा पद्धतीय पंथ विकसित करने में सचेत ढंग से कोई रूचि लेते |

सामाजिक-आर्थिक परिवेश में आने वाले मुख्य बदलाव का संबंध औपनिवेशिक सरकार कि कार्यसूची में आई उपयोगितावाद के मूल बिन्दुओं को व्यवहार में उतारने वाली बात से संबंध रखता था | प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों को, सामाजिक अव्यवस्था की समस्या को हल करने के लिए उपयोगितावादी सोच में उपलब्ध अंतर्द्रष्टियों के आधार पर ढाला गया था | व्यक्तिगत अधिकारों और स्वंतत्रताओं को मिली मान्यता एक उपयोगितावादी राज्य की रचना में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई थी | ऐसी मान्यता का उद्देश्य सिर्फ आनंद और उपयोगिताओं की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था | ऐसी मान्यता के तहत जिस व्यक्ति की प्रसन्नता सुनिश्चित की गई थी, उसके पास उपयोगिताओं और साथ ही उत्पादन साधनों का स्वामित्व हासिल करने की सुरक्षा की असीम आकांक्षा होनी जरुरी थी| उत्पादकता और आनंद में जिस वृद्धि के बारे में बात की गई थी , वही उपयोगितावाद ने किया था, जो कि व्यक्ति नागरिक की अवधारणा की स्वीकृति पर टिकी हुई थी | इसमें निहित थी पूंजीवाद संवृद्धि की एक रणनीति, और इंगलैंड में प्रभावी परिस्थितियों के तहत वस्तुत: यह एक पूंजीवादी राजनितिक अर्थतंत्र की रचना का कारक भी बनी थी |

उन्नीसवीं सदी में उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली का विस्तार और वृद्धि उस मॉडल के लिये कई किस्म के तनाव भी लेकर आई थी, जिसका निर्माण उपयोगितावादी सोच ने किया था | नागरिक की परिभाषा महज एक हितधारी के बजाए एक व्यापक अर्थ की ओर जाने लगी थी | राज्य के बाजार मॉडल और कल्याणकारी मॉडल के बीच का अंतर्विरोध अनसुलझी स्थिति में ही बना हुआ था,

लेकिन व्यक्ति के अधिकारों का वह बुनियादी विचार, जिसे उपयोगितावाद ने निराश ढंग से उछाल दिया था, इस दौरान शक्ति और वैधता अर्जित कर ले गया था | बीसवीं सदी के शुरूआती दशक के दौरान शिक्षा पद्धति और बच्चे की देखरेख के क्षेत्र में की गई अग्रगतियां इसी विचार पर टिकी हुई थीं | समग्रत: शिक्षा प्रणाली ने इन अग्रगतियों को बड़ी धीमी रफ़्तार से आत्मसात किया था, जिसकी वजह मुख्यतः यह थी कि इस प्रणाली में गहरा विभाजन मौजूद था | कामगार वर्ग के बच्चों कि शिक्षा काफी समय तक आज्ञापालन कि नैतिकता सिखाने का जरिया बनी हुई थी, जबकि संपत्तिशाली वर्गों के बच्चों कि शिक्षा नेतृत्वकारी भूमिकाओं कि दृष्टि से सुसंगत एक प्रतीकात्मक का रूप धारण करने का जरिया बनी हुई थी | आधुनिक शिक्षण पद्धतियां इग्लैंड की शिक्षा प्रणाली के इस विभाजनकारी चरित्र के लिए एक धीमा लेकिन ताकतवर भूमिका निभा रही थीं, और उसे उस स्थिति की और ले जा रही थीं जो एक खास हद तक आज भी मौजूद है, अर्थात जिसमें कुलीन वर्ग के बच्चे के विद्यालय की शिक्षा पद्धति की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े होते हैं |

नई शिक्षा पद्धतियों का केन्द्रीय विचार यह था कि हर बच्चा अलग एवं अद्वितीय है | उदारवाद ने, अपनी उत्तर-उपयोगितावादी शक्ल में, इस विचार के लिए दार्शनिक आधार उपलब्ध कराया था | यदि हम हर बच्चे के अनोखेपन को उन्नीसवी सदी के उदारवाद के राजनीतिक अर्थतंत्र के संदर्भ में देखें तो हमें यह पता चलता है कि यह विचार मूलतः कितना भावुकतापूर्ण था| यह अटकल लगाना दिलचस्प होगा कि यह सपना कौन सी सामाजिक भूमिका निभा रहा था | यथार्थ में, बच्चे पर केंद्रित शिक्षा एक विरोधाभासी तरीके से काम करती थी | | दूसरी तरफ इस बात पर जोर, कि हर बच्चा सुप्रशिक्षित शिक्षक के जरिए एक मानवीय बर्ताव पाने लायक है, धीरे-धीरे कक्षा के भीतर कि पुरातनपंथी को बदलने में सफल रहा |

औपनिवेशिक परिस्थितियों में भारत में इस उपयोगितावादी सपने की नियति कुछ और थी | भारतीय समाज में व्यक्तिवाद का निर्माण कर पाना उपनिवेशवादियों के लिए ऐसा कोई आसान कार्य नही था | एशियाई व्यक्तित्व की रूढियां और पादरियों का दबाव इसमें गंभीर भावनात्मक बाधा के रूप में सामने आए, और इनके साथ ऐसे रीति-रिवाजों और संपति विषयक विश्वासों से जुड़ी जटिलताएं भी थी जो भारत में ब्रिटिश हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे कुलीन वर्ग और व्यापरियों की संतानों को काफी अजीब और औचक लगते थे | कब्जावर व्यक्तिवाद और मुक्त बाजार के उदार मतवादो को व्यवहार में तो उतारा गया लेकिन इसे साथ भी जाति और पारिवारिक संबंधो से जुड़ी ब्राह्मणवादी अवधारणाओं को नई वैधता प्रदान की गई | इस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों की परिभाषा यहाँ परस्पर अंतर्विरोधी तरीको से की गई | उससे अपेक्षा यह की जाती थी कि उसमे व्यक्तिगत लाभ और ऐशो-आराम कि आकांशाऐ तो हों लेकिन इसके साथ ही उसे जीवन के पुराने तौर तरीको से घिर कर भी रहना था | उपयोगितावादी सपने से यह अपेक्षा भी नही कि जाती थी कि वह साम्राज्य निर्माण के पवित्र कामो में किसी किस्म की बाधा डालेगा, जिसके लिए भारतीय जनता की मूक अधीनता जरुरी थी |

उपयोगितावाद की लफ्फाजी ने अपनी अभिव्यक्ति पाई भारतीय जनता की शिक्षा के बारे में की गई जोरदार घोषणाओं में, परन्तु प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से भारत के ज्यादातर हिस्सों में हालत अब भी काफी पिछड़ी हुई थी | हाँ, यह कहा जा सकता है कि उच्चतर शिक्षा के विकास के मामले में औपनिवेशिक प्रशासन जरुर कुछ गर्व करने की स्थिति में था | दरअसल, उच्चतर शिक्षा में हुई प्रगति औपनिवेशिक शिक्षा की राजनीतिक कार्यसूची को रहस्यपूर्ण बनाने वाला मुख्य कारक

बन गई | यह एक ऐसा शिक्षित नागरिक वर्ग बनाने के लिए ही थी, जो उपनिवेशको के साथ प्रतीकात्मक संपति के कई महत्वपूर्ण तत्वों में साझीदारी निभा सके | इन तत्वों में सर्वाधिक प्रकट तत्व थी भाषा ;जो तत्व कम प्रकट थे, वे थे 'ज्ञान', 'संस्कृति', और 'प्रगति' से जुड़े अर्थ | उच्चतर शिक्षा ने, जिस पर मुख्यत: ऊँची जातियों और सम्पतिशाली लोगो की ही हिस्सेदारी थी, देसी सोच को उपनिवेशक द्वारा निर्मित श्रेणियों और मूल्यों के पदों में सोचने के लिए तैयार किया हुआ था| राजनीतिक रूप से इससे ज्यादा जरुरी और कुछ भी नही था कि शिक्षित भारतीय को भारतीय जनता के बारे में उसी बोध से लैस कर दिया जाए, जो किसी अंग्रेज का हों सकता था| इस बोध के वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण थे | वर्णनात्मक पहलू जनता को ऐसे चेहराविहीन लाखों-लाख लोगों के रूप में प्रदर्शित करता था, जो अपनी बनाई भुखमरी में डूबे, अंधविश्वासी हुआ करते है| जबकि विश्लेषणात्मक पहलू यह चिन्हित करता था कि सिर्फ शिक्षा और नैतिक उत्थान ही जनता का कुछ भला कर सकता हैं | ये दोनों पहलू मिलकर शिक्षित देसी व्यक्ति को अनपढ़ जनता पर बौद्धिक और नैतिक श्रेष्ठता के एक गहरे संतुष्टि-बोध से भर देते थे, जो उसी श्रेष्ठता बोध के समतुल्य था, जिसे उपनिवेशक समूचे भारतीय समाज के बरक्स महसूस करता था |

इसके समानांतर एक और बदलाव चल रहा था| उपनिवेशीकरण ने भारत के कुछ खास हिस्सों में ब्राह्मण प्रभुत्व से मुक्ति की इच्छा पैदा कर दी थी | इस इच्छा का एक पहलू थी शिक्षा की मांग, और इस मांग ने अंग्रेज प्रशासन को जन शिक्षा की उसकी लफ्फाजी में कुछ गंभीरता लाने को मजबूर कर दिया था | लेकिन जहां इस समतावादी दबाव ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बुनियादी शिक्षा का कुछ विस्तार किया, वहीं यह, इस व्यवस्था की शिक्षापद्धतीय संहिताओं में बदलाव करते-करते रह गया | जैसा कि हम पहले बाट कर चुके हैं, बच्चों के शिक्षक की भूमिका ब्राह्मणीय आदर्श का ही अनुसरण करती रही| शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान और नई ज्ञान-मीमांसा के द्वारा लाई गई पाठ्यचर्या शिक्षा पद्धति की नई संस्कृति निर्मित करने में विफल रही | यहाँ बड़े पैमाने के उद्योगीकरण करण की शक्ल में ऐसी कोई समर्थक शक्ति मौजूद नही थी, और हर हाल में शिक्षा में सुधार साम्राज्य की प्राथमिकताओं की लफ्फाजी में एक काफी छोटा मुद्दा था|

बतौर शिक्षक, उपनिवेशीकरण के हमले से खुद को बचा ले गया | बच्चों के ऊपर उसके नैतिक प्राधिकार को कोई चुनौती नहीं मिली और बच्चे के साथ एक व्यक्ति के रूप में बरताव एक विदेशी विचार ही बना रहा | कम वेतन और शिक्षा प्रणाली में कमतर किस्म की हैसियत के साथ अपनी अर्द्ध-व्यावसायिक भूमिका में स्कूली शिक्षक एक प्राचीन सामाजिक भूमिका निभाता रहा, जो उत्सुकता और प्रश्न पूछने की भावना को निचले स्तर पर बनाए रखने की थी | यह भूमिका सैद्धांतिक तौर पर नई पाठ्यचर्या में निहित ज्ञान- मीमांसा के लिए और उदारवाद की राजनीतिक विचारधारा के लिए शत्रुतापूर्ण थी | लेकिन इसकी सांस्कृतिक जड़ें काफी गहरी थी और यह उस पाठ्यचर्या को गौण बना देने के लिहाज से काफी ताकतवर साबित हुई, जिसे हम 'पाठ्य' पुस्तकीय संस्कृति' का नाम दे चुके हैं | इस 'संस्कृति' ने सामान्य शिक्षक को छात्रों की प्रश्न पूछने की भावना में कोई हस्तक्षेप किए बगैर वैध सत्यों को उन तक पहुँचाने का अपना प्राचीन कर्तव्य निभाते रहने दिया | ब्रिटिश शासन के अंतिम दशको के दौरान शिक्षा प्रणाली अपनी धीमी गति से विस्तारित होती रही और इस क्रम में उस 'पाठ्य' पुस्तकीय संस्कृति' ने शिक्षक को राज्य के सस्ते लेकिन भरोसेमंद नौकर के रूप में काम करते रहने में समर्थ बनाया, जो अपने अर्थो और प्रतीकों को बगैर

शिक्षापद्धतीय आधुनिकतावाद की किस्म की मिलावट के छात्रों तक पहुंचाते रहने की मांग करती थी|

इस प्रकार कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक नीति शिक्षक की शिक्षापद्धतीय भूमिका की पुरानी छवि को प्रभावित करने में विफल रही| जिस जगह यह सफल रही, वह थी पाठ्यचर्या में लाया गया बदलाव,लेकिन यह सफलता भी प्रतीकात्मक से ज्यादा कुछ नहीं रही| निर्धारित पाठ्य पुस्तकों ने जो आच्छदक भूमिका ग्रहण कर ली थी, उसने और साथ ही केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली ने नई पाठ्यचर्या की ज्ञान-मीमांसा को गौण बनाकर रख दिया था| नई पाठ्यचर्या विदेशी शासक से जुड़ी हुई थी और इसे देसी स्कूलों की पुरानी पाठ्यचर्या के स्थानापन्न के रूप में लागू किया गया था| ये तत्व शिक्षक की हैसियत और शिक्षक प्रशिक्षण के कमजोर विकास के साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करने में सफल रहे कि स्कूली ज्ञान रोजमर्रा के ज्ञान से अलग-थलग बना रहे| औपनिवेशिक शिक्षा नीति की सबसे नकारात्मक परिणति यही रही, और औपनिवेशिक शासन की औपचारिक समाप्ति के बावजूद इस स्थिति में बदलाव लाने में मामूली सफलता ही हासिल की जा सकी हैं| जो ज्ञान स्कूलों और कॉलेजो में लाखों-लाख छात्रों को दिया जाता हैं, उसे अब भी मुख्यतः उनके द्वारा परीक्षाओं में सफलता की दृष्टि से ही देखा जाता है, न कि बौद्धिक संतुष्टि की दृष्टि से| दूसरी तरफ, जिस ज्ञान को वे अपनी रोजमर्रे कि जिन्दगी से हासिल करते है, और जो उन्हें पारिवारिक और सामुदायिक जीवन से हासिल होता है, उसकी गढ़न इस किस्म की होती है कि विद्यालय में उसकी कोई प्रसंगिकता नहीं बनती, और लिहाजा उस पर वे स्कूली अधिगम के साथ जुड़ी जानकारी और अभिव्यक्ति का प्रयोग भी नहीं करते|

अब बात को स्वाधीनता संघर्ष कि विरासत में निहित दुविधा को ओर दृष्टि करके देखा जाए तो पाएगे कि हमने उन्नीसवीं सदी के मध्य से शैक्षिक परियोजनाओं ओर बहसों में निहित मूल्य संबंधी तीन रुझानों अथवा खोजों की ओर इशारा किया हैं| इनमे से एक थी शैक्षिक अवसरों में समानता कि खोज, जों ऐतिहासिक रूप से दलित जातियों में मौजूद न्याय कि आंकाक्षा के साथ जुड़ी थी, जो इससे पहले भी कई बार जाहिर हो चुकी थी| औपनिवेशिक शासन के तहत इस आंकाक्षा कि अभिव्यक्ति उपयोगितावादी उदारवाद के प्रभावी तरीके से हुई| सामाजिक रूपांतरण का जों सपना था, वह व्यक्तियों की ऊधर्व गति की संभावनाओं की मांग में बदल गया| पश्चिमी ओर दक्षिणी भारत में ब्राह्मण – विरोधी आंदोलन की रुपांतरकारी शक्ति परोक्ष रूप से उपयोगितावादी के जरिए निष्क्रिय बना दी गई ओर इसे एक बाजार समाज की रचना के कार्यभार की ओर रुख कर दिया गया | यह उदारवादी सपना कि बाजार खुद ब खुद सामूहिक भलाई को अधिकतम बनाता जाएगा, जिसमे स्वयं इंग्लैंड भी नाकाम ही रहा था| भारत में बाजार के विचार ने औपनिवेशिक शोषण को जायज बनाने का ही काम किया और बाद में इसने देसी कुलीनों की सुविधा संपन्न स्थिति को सही ठहराया|

निचले तबकों में शैक्षिक अवसरों का बंटवारा विद्यालयी शिक्षा कि कुलीन उप-प्रणाली कि संवृद्धि के साथ–साथ आगे की ओर बढ़ा| शिक्षा के व्यापकत बंटवारे की मांग जहां समानता के संघर्ष के साथ जुड़ीं थी, वहीं कुलीन उप-प्रणाली अपनी वैधता प्रगति के आदर्श के आधार पर हासिल करती थी| अंग्रेजी 'पब्लिक' स्कूलों के शब्दों का इस्तेमाल ऐसी ही संस्थाओ को राजनीति, प्रशासन, सेना, व्यापार और उधोग में नेतृत्वकारी स्थिति वाले लोगों की आवश्यकता के आधार पर जायज ठहराने में किया गया| इस प्रकार प्रगति के लिए जारी अभियान ने कुलीनों के बच्चों के अलग-

थलग समाजीकरण का रूप ले लिया। इस किस्म के समाजीकरण का ब्योरेवार पद्धतिशास्त्र और इसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने की शब्दावली पहले से ही इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध 'पब्लिक' स्कूलों में उपलब्ध थी। यह पद्धतिशास्त्र पुरुषत्व और व्यक्तित्व की सुगढ़ता के अंग्रेजी आदर्शों पर आधारित हुआ करता थी। छात्रावास में रहना, अपनी ऊर्जा का विस्तार गतिविधियों के व्यापक दायरे में करना और सभी मामलो में अपने स्कूल के प्रति सम्पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित करना इस पद्धतिशास्त्र का क्रियात्मक पहलू था। 'पब्लिक' स्कूलों को जिस पदावली के आधार पर बनाए रखा गया, वह चरित्र निर्माण के लोकप्रिय मनोविज्ञान से निकली थी। यह पदावली भारत में किसी किस्म के देसीकरण की अपेक्षा नहीं रखती थी क्योकि यहां एक ऐसा पुराना विमर्श पहले ही से मौजूद था,जों नैतिक सुधार कों शिक्षा का सर्वोच्च ध्येय मानता था। औपनिवेशिक शासको ने इस विमर्श को अंशतः प्रशासनिक और विधिक मामलो में नैतिक सहीपन के उदाहरण सामने रखते हुए पुनर्जीवित किया था राष्ट्रवादी संघर्ष को अपना शैक्षिक मुहावरे गढ़ने की जरूरत ही नही पड़ी थी इसने बगैर किसी लाग - लपेट के उसी मुहावरे कों अपना लिया था, जिसका इस्तेमाल औपनिवेशिक शासक कर रहे थे। जब तक देसी कुलीन तबका अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक उप-प्रणाली निर्मित करने की ओर बढ़ा, तब तक 'चरित्र निर्माण' एक ऐसा उच्च स्तरीय शब्द बन चुका था, जिसे अंग्रेज और शिक्षित भारतीय, दोनों ही प्रयोग कर सकते थे।

इस उच्च स्तरीय शब्द ने अपनी स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राजनीति की पुनरुथानवादी धारा की सेवा करते हुए अंतिम योग्यता एक ऐसे सामाजिक माइक्रोचिप के रूप में अपनी योग्यता प्रदर्शित की, जो विभिन्न विमर्शों को एक साथ बांधे रखने के साथ ही इन्हें सफाई से अलग भी रख सकता था। सांस्कृतिक पुनरूत्थानवाद की धारा, जिसने सामान्य स्कूलों के पाठ्यक्रम में मौजूद पाठ्यचर्या में जड़ जमाए उचित ज्ञान की अवधारणा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जिस चीज को इसने बदला, वह थी इस क्षेत्र की सरकारी भाषा। ऊँची जाति के बौद्धिक वर्ग ने हिंदी को शिक्षित लोगो की वर्गीय बोली में बदल दिया। एक स्कूली भाषा के रूप में हिंदी ने प्राथमिक शिक्षा के मामले में अन्य क्षेत्रो से पिछड़े इस क्षेत्र में साक्षरता के विस्तार को ओर भी बाधित किया। अस्मिता की राजनीति, जिसने पुनरूत्थानवाद को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया था, ने इस क्रम में शिक्षा की पुनरुत्पादक भूमिका को और मजबूती प्रदान की । इससे भी महत्वपूर्ण था कि हिंदी ने पुनरूत्थानवादी शक्तियों को एक ऐसा स्थान दिलाया, जिसके पीछे से वे अपने उद्देश्यों को पंथ निरपेक्ष प्रतीत होने वाले राज्य के सामने और उसकी वित्तीय सहायता से पूरा कर सकती थी।

यह नजरिया हमें स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरफ सामाजिक समानता और दूसरी तरफ अस्मिता कि खोजो के बीच के टकराव को समझने में प्रकाश डालता है। परन्तु यंहा हम पाते हैं कि यह टकराव स्वतंत्रता के आगमन के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसने और भी जटिल रूप ले लिया , क्योकि अस्मिता आंशिक रूप से राज्य के द्वारा समाहित कर ली गई थी।

राज्य ने जिस पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पहचान को प्रक्षेपित करने का प्रयास किया था, उसे तात्विक दृष्टि से शिक्षा के द्वारा बहुत कम समर्थन मिल सका। यह उन कई कारणों में से एक था, जिनकी वजह से उसकी कोशिश ज्यादा आगे नहीं जा सकी और जिसके चलते स्वाधीनता मिलने कि आधी सदी से कम समय में ही संस्कृतिक पुनरूत्थानवाद राजनितिक जीवन में एक बड़ी ताकत

बन कर फिर से उभर आया | यह समझ जा सकता है कि भौतिक प्रगति के औद्योगिक आधुनिकतावाद से जुड़े प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों का कोई जवाब पुनरूत्थानवाद के पास भी नहीं है | जो समस्या पुनरूत्थानवाद के नए कारणों से पैदा हुई है, वह ठीक-ठीक उस एकता पर है, जो पारंपरिक रूप से परस्पर विरोधी मानी जाने वाली 'परंपरा ' और 'आधुनिकता' के बीच बनी हुई थी | चुनौती अब भी अपनी जगह पर बनी हुई है और रोज-ब-रोज यह अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है | अत: यह अब भी बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या औनिवेशिकता या औनिवेशिक मानसिकता स्वदेशी शिक्षा को कमतर करने का कारण है या या कोई अन्य भी |

छात्रों, इसमें हम सभी को दृष्टिपात की आवश्यकता है |

15.5 शिक्षा में नये विकल्प हेतु प्रयास

देश की स्वतन्त्रता के **62** वर्षो के बाद आज भी देश में चर्चा जारी है कि देश की शिक्षा कैसी हो **?** स्वतंत्र भारत में सरकार के द्वारा कई आयोग, समितियाँ गठित की गई, उन्होंने अच्छे सझाव भी दिये। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इन सुझावों को क्रियान्वयन नहीं किया गया। आज सकारात्मक परिवर्तन की बात तो दूर लेकिन विभिन्न स्तर के शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भयानक विकृतियाँ एवं विसंगतियाँ भरी पड़ी है। पाठ्यक्रम में व्याप्त विकृतियाँ एवं विसंगतियों के विरूद्ध शिक्षा बचाओ आन्दोलन ने विगत **6** वर्षों में विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों के द्वारा उसमें सुधार कराने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है।इसलिए शिक्षा में समग्र परिवर्तन हेतु शिक्षा बचाओ आन्दोलन एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे है।

- शिक्षा में विकृतियाँ, विसंगतियाँ को सुधार करने का प्रयास।
- शिक्षा में नये विकल्प की तैयारी।

देश की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में विकृतियाँ, विसंगतियाँ यह कोई नया विषय नहीं है। जब से अंग्रेजो के राज में मैकाले द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था में बदल करके देश की शिक्षा को अभारतीय अर्थात यहां की धर्म, संस्कृति, महापुरूषों एवं देवी-देवताओं को अपमानित करके भारत की छवि को धुमिल करके विश्व में स्थापित किया है उसी दिशा में आज भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षडयंत्र के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। हम सब जानते है और वह बात पुनः प्रस्थापित भी हो रही है कि भारत एक महान राष्ट्र था, यहां की परम्परा, व्यवस्था, संस्कृति आदि श्रेष्ठ थे।अत:स्वदेशी व अंग्रेजी शिक्षा को साथ में लेकर शिक्षा में नए विकल्प कि आवश्यकता है |

शिक्षा में नये विकल्प हेतु प्रयासः-

यूनेस्को की डेलर्स समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी देश की शिक्षा उस देश की संस्कृति एवं प्राति के अनुरूप होनी चाहिए। क्या आज देश की शिक्षा अपनी संस्कृति, प्रगति के अनुरूप है**?** उत्तर स्वाभाविक नकारात्मक आता है। शिक्षा से तात्पर्य है कि जिससे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास तथा चरित्र निर्माण हो एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं चुनौतियों का समाधान हो। शिक्षा की हमारी मूलभूत संकल्पना यह शाश्वत सत्य है। इस को आधार बनाकर आधुनिकता की आवश्यकताएं एवं भविष्य की दृष्टि को ध्यान मे रखकर भौतिकता

एवं आध्यात्मिकता तथा व्यवहार एवं सिद्धांत का समन्वय करते हए शिक्षा मूल्य आधारित हो, मातृभाषा में हो तथा शिक्षा स्वायत्त हो। इस दिशा में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का यह कार्य देशव्यापी करने की आवश्यकता है। इस दिशा में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे है। वह इस प्रकार हैः-

2007 में देश में यौन शिक्षा लागु करने का प्रयास केद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इसके विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन चला, इस प्रयास में देश की अनेक संस्थाए जुड़ी। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने अपना निर्णय स्थगित किया। उस पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु कुछ राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के द्वारा समितियाँ गठित की गई। जब आन्दोलन चल रहा था उसी समय अपने माध्यम से राज्यसभा की याचिका (पेटिशन) समिति को एक याचिका दी गई थी। समिति ने याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर देश के सात बड़े महानगरों में सुनवाई की जिसमें उनको **40** हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों की जब समीक्षा की गई तब अधिकतर आवेदन यौन शिक्षा के विरूद्ध में थे। याचिका समिति ने लगभग डेढ़ वर्ष कार्य करते हुए अपना रिपार्ट तैयार किया। जिस रिपोर्ट पर देश के उपराष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर किए। बाद में उस रिपोर्ट को राज्यसभा में भी रखा गया। याचिका समिति में सम्मिलत कई पक्षों के सांसदों ने सर्वसम्मति से पारित रिपोर्ट में कहा की यौन शिक्षा के बदले ‘‘चरित्र निमार्ण एवं व्यक्तित्व विकास की शिक्षा’’ देनी चाहिए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने भी यौन शिक्षा का विकल्प देने हेतु सोचा और दिनांक **21, 22** फरवरी **2009** को पूणे में राष्ट्रीय स्तर का परिसंवाद आयोजित किया। इस परिसंवाद में देशभर से आए विद्वानों ने सर्वसम्मति से एक प्रारूप तैयार किया तथा पाठ्यक्रम समिति का गठन भी किया। पाठ्यक्रम समिति ने चार मास कार्य करके ‘‘चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास’’ का पाठ्यक्रम तैयार किया। उस पाठ्यक्रम पर चर्चा हेतु देश में सात परिसंवादों का आयोजन किया गया। इन परिसंवादों में छात्र, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाविद् विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के **1200** से अधिक प्रतिनिधि सहभागी हुए। परिसंवाद में आने वाले प्रतिभागीयों को पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़कर, सुझाव लेकर आना अपेक्षित था। सातों परिसंवादों के सुझाव पर विचार हेतु पुनः पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई। उसके बाद नये स्वरूप में पाठ्यक्रम तैयार किया गया। जिसका शीषर्क दिया है ‘‘विद्यालय गतिविधियों का आलय’’ यह पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिये होगा। छात्रों हेतु इस पाठ्यक्रम के आधार पर एक कार्यक्रम तैयार किया है। वर्तमान विद्यालय की व्यवस्था में ही इस कार्यक्रम को सम्मिलित करना है। इस हेतु कोई अलग से पुस्तक या कालांश नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम को प्रायोगिक तौर पर **50** विद्यालयों में लागू करने के लिये दिनांक **16** सें **18** अप्रैल उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यो की एक कार्यशाला सम्पन्न की गई। आगामी दिनों में अन्य विद्यालयों तक इस कार्यक्रम को ले जाने की योजना है। दूसरी ओर पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने यौन शिक्षा के बदले योग शिक्षा लागु करने का निर्णय किया है। उतर प्रदेश सरकार ने यौन शिक्षा के बदले स्वास्थ्य की शिक्षा की घोषणा की है। योग, स्वास्थ्य यह विषय भी अपने नये पाठ्यक्रम का हिस्सा है।

आगामी दिनों में उपरोक्त प्रयास की दिशा में अन्य पांच विषयों पर कार्य की योजना भी बनी है।

1. मूल्य परक शिक्षा
2. वैदिक गणित
3. पर्यावरण की शिक्षा
4. मातृभाषा में शिक्षा

5. शिक्षा स्वायत्त हो।

इन विषयों पर किये जा रहे कार्य की जानकारी निम्नलिखित हैः-

मूल्यपरक शिक्षा:-

स्वतंत्र भारत में शिक्षा सम्बन्धित सरकार के द्वारा जितने भी आयोग, समितियाँ बनी उन सबने मूल्य शिक्षा की वकालत की है। लेकिन आज तक देश की शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं हुआ। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि इस विषय पर समाज में लगभग आम सहमती हैं कुछ निजी संस्थाए अपने-अपने विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन विद्या, मानव मूल्य एवं जीवन मूल्य आदि नामों से इस विषय को पढ़ाया जा रहा है। शीर्षक अलग-अलग है लेकिन साधारण विषय वस्तु में बहुत अन्तर नहीं है। इन सारी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास आवश्यक है। इस हेतु अपने द्वारा हरिद्वार, अमदाबाद, ग्वालियर में परिसंवादों का आयोजन किया गया। इस विषय पर समग्रता से पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। विद्यालयीन शिक्षा के लिए अपने द्वारा चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास का पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। उच्च शिक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जा रहा है। आगामी दिनों में इस हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उच्च शिक्षा के विभिन्न संकायों में मूल्यों का समावेश पर चर्चा-चिन्तन होगा। इसके बाद आगे की योजना पर कार्य होगा।

पर्यावरण शिक्षा –

आज 'ग्लोबल वार्मिंग'' जिस को कहा जा रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान भारतीय चिन्तन में है। हमारे सारे प्राचीन, धर्म ग्रन्थों में पर्यावरण का उल्लेख है। देश में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार विद्यालयों में पर्यावरण का पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, लेकिन उसकी ठीक प्रकार से योजना, व्यवस्था, पाठ्यक्रम नहीं है। इस हेतु भारतीय चिन्तन के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार हो यह आवश्यक है। इसके चिन्तन के लिए दिनांक **28, 29** अगस्त **2010** को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक का आयोजन किया है।

वैदिक गणित:-

वैदिक गणित विषय पर विगत अगस्त माह से कार्य की शुरूआत की गई है। इस हेतु एक विद्वानों की टोली का गठन किया है जिसकी चार बैठकें सम्पन्न हुई है। इन चारों बैठकों के निष्कर्ष के रूप में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के साथ जुड़कर देश में राष्ट्रीय स्तर के पांच परिसंवाद (सेमीनार) आयोजित करने का निर्णय किया था।

आगामी योजना के अन्तर्गत भोपाल में एक ''वैदिक गणित शोध संस्थान'' स्थापित करने की योजना हैं। उस संस्थान के द्वारा चार प्रकार के कार्य करने की योजना है।

- कक्षा **1** से **12** तक का समग्रता से पाठ्यक्रम तैयार करना।
- उच्च शिक्षा में वैदिक गणित का समावेश।
- संगणक एवं वैदिक गणित।
- प्रतियोगी परिक्षा में वैदिक गणित का उपयोग।

आगामी वर्ष में इन चारों विषयों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के परिसंवाद की योजना है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी कार्यशाला, परिसंवादों का आयोजन किया जा रहा है।

मातृभाषा में शिक्षा:-

विश्व का शायद ही कोई देश होगा जहां प्राथमिक शिक्षा विदेशी भाषा में पढ़ाई जा रही हो। विज्ञान एवं तर्क के आधार पर तो यह बात सर्वमान्य है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। देश से अंग्रेज गए अंग्रेजीयत नहीं गई इस बात का यह प्रमाण है कि सामान्य व्यक्ति से लेकर अधिकतर विद्वान लोगों में यह भ्रम इतना दृढ़ है कि बिना अंग्रेजी, देश का एवं व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है, इस परिस्थिति में भाषा की लड़ाई बहुत व्यापक स्तर पर लडनी होगी। देश की समग्र शिक्षा को बदलने के लिए जितना प्रयास करना पड़ेगा उससे भी अधिक प्रयास अपनी भाषाओं की पुनः स्थापना हेतु करना पड़ेगा। इस विषय सम्बन्ध में सम्पर्क कार्य जारी है। व्यक्तिगत जीवन में अपनी भाषा के प्रयोग हो इस हेतु प्रयास शुरू किए है जैसे:-

1. हस्ताक्षर अपनी भाषा में करना।
2. अंग्रेजी मे भी बोलना पड़े या लिखना पड़े तो भी इन्डिया नहीं भारत का ही प्रयोग करे।
3. अपने सारे कार्यक्रम अपनी ही भाषाओं में संचालित किये जाए।
4. मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा'' नामक **5,50,000** पुस्तकों का वितरण किया गया है। आगे देश की विभिन्न भाषाओं में इस पुस्तक को प्रकाशित करने की योजना है।
5. राष्ट्रीय स्तर पर एक टोली बनाने की प्रक्रिया जारी है। आगामी दिनों में इसकी बैठक भी होगी।

शिक्षा में स्वायत्तता:-

इस कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्वायत्त शिक्षा संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। यह संस्थान पूर्ण रुप से स्वयत्त हो। जैसे न्यायालय या चुनाव आयोग की सारी व्यवस्था सरकार करती है। लेकिन वही न्यायालयों ने अनेक निर्णय सरकार के विरूद्ध दिये है। हमारा मानना है कि चुनाव आयोग एवं न्यायालय से भी अधिक स्वायत्तता शिक्षा को देनी चाहिए। स्वायत्त शिक्षा संस्थान का गठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक होना चाहिए। इसका एक प्रारूप बनाकर देशव्यापी चर्चा का प्रयास शुरू किया है।

इसी प्रकार आगामी दिनों में शिक्षा के प्रत्येक विषय में अपने शाश्वत सिद्वांतो को आधार बनाकर आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार एक नई व्यवस्था देने के प्रयास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है।

जनजागरण के प्रयास:-

परिचर्चा, परिसंवाद, गोष्ठियों का आयोजन:-

शिक्षा के विभिन्न विषयों पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सातत्य से किए जा रहे है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश के नागरिकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास जारी है। इससे समाज में यह प्रस्थापित होना है कि शिक्षा मात्र सरकार या कुछ संस्थाओं का विषय नहीं है। यह विषय सम्पूर्ण समाज का है। साथ ही शिक्षा से सीधे जुड़े सभी प्रकार के लोगों का शिक्षा में नये विकल्प की चर्चा-चिन्तन में सहभागी होने से वास्तविक रूप में देश की जनता क्या चाहती है यह भी समाज, सरकार के समक्ष उभकर इसी प्रकार आगामी दिनों में शिक्षा के प्रत्येक विषय में अपने शाश्वत सिद्वांतों को आधार बनाकर आधुनिक आवश्यकता के अनुसार एक नई व्यवस्था देने का प्रयास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। अन्यथा पिछले **1500-2000** वर्षो से अपने देश में चिन्तन प्रक्रिया रूक गई है। इस चिन्तन प्रकिया को पुनः शुरू करने का

भी प्रयास है। अन्यथा जैसे यौन शिक्षा का पाठ्यक्रम युनीसेफ के द्वारा आया वह यथावत लागु कर दिया गया। विभिन्न प्रकार के प्रबन्धन के पाठ्यक्रम विदेशों से आ रहे है वह भी यथावत लागु किये जा रहे है। वास्तव में चिंतन की आवश्यकता है कि अपने देश में किस प्रकार का प्रबन्धन का पाठ्यक्रम आवश्यक है। विदेश की कुछ अच्छी बाते है उसको अवश्य जोड़ सकते है लेकिन अन्धानुकरण बन्द होना चाहिए।

साहित्य प्रकाशन:

शिक्षा सम्बन्धित विषयों पर लाखों की संख्या में विभिन्न भाषाओं में पत्रक छपवाकर समाज तक पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही अभी तक अपने द्वारा **50** पुस्तकें प्रकाशित की गई है, जो **6000** विद्वानों को नियमित भेजी जा रही है आगामी दिनों में इसको आगे बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त भी शिक्षा सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है।

उपरोक्त सारे प्रयासों को योग्य दिशा में आगे बढ़ाने और शिक्षा पर समाजव्यापी जागरण हो इस हेतु निम्नलिखित बाते भी अति आवश्यक है।

शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविदों का व्यापक सम्पर्क अभियान चलाते हुए विषय के अनुसार उनकी सूची तैयार करना।

विभिन्न विषयों के शोध केन्द्र स्थापित हो जिसमें उन विषय के अपने शाश्वत सिद्धान्त के आधार पर आधुनिक आवश्यकता के अनुसार नये पाठ्यक्रम पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना।

कुछ शोध केन्द्र हम स्थापित कर सकते है लेकिन अन्य सामाजिक शैक्षिक संस्थाए इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करे इसका भी प्रयास करना। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विषय पर शोध कार्य शुरू हो जिसमें कार्य अखिल भारतीय स्तर का हो।

अपने द्वारा विषयों के अनुसार एक विद्वानों की टोली का गठन करना।

शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना। अपने द्वारा हो रहे कार्यक्रमों का आयोजन ऐसी विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में किए जा रहे है। इस प्रकार की संस्थाओं का एक अखिल भारतीय या प्रांतीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करना चाहिए इस प्रकार की अपेक्षा की जा रही है।

देश के प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में शिक्षा के चिन्तन की प्रकिया शुरू हो। अन्यथा आज बहुत कम संस्थाओं में यह प्रयास किये जा रहे है।

शिक्षा के विभिन्न विषयों पर कार्यरत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की अनेक ऐसोसिएशन तथा संस्थाएं है उसके साथ सम्पर्क, सम्बन्ध बढ़ाना। इन संस्थाओं में भी भारतीय चिन्तन के आधार पर शिक्षा के उन विषयों का चिन्तन और कार्य शुरू हो यह आवश्यक है।

राज्यों एवं केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्री, सचिव तथा अन्य अधिकारियों से हमारे नियमित सम्पर्क बने। वहां चल रहे विषयों की आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके, वहां की निर्णय प्रक्रिया पर भी हम प्रभाव डाल सकें। इसका भी प्रयास आवश्यक है। इसी प्रकार शिक्षा के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के केन्द्रों में भी सम्पर्क स्थापित करना।

विभिन्न राजनैतिक पक्षों के पदाधिकारी एवं सांसदो, विधायको से भी सम्पर्क आवश्यक है। धीरे-धीरे इस परप्रेक्ष्य में शिक्षा के हित में सर्वसम्मति बने इस दिशा में प्रयास करना।

हम शिक्षा में नया विकल्प दे सके इस हेतु शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सभी संगठनों संस्थाओं ने मिलकर एक योजना तैयार करना। इस दिशा में सामूहिक एवं संगठन सह प्रयास की भी योजना बने। जिससे आगे के पाचं वर्षो में कुछ ठोस परिवर्तन दिखाने की स्थिति में हम आ सके।

15.6 सारांश

अन्त में यह कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त बाबुओं (जो मुख्यत: ऊँची जातियों के थे) का एक छोटा सा वर्ग तैयार किया तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह बुरी तरह असफल रही। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में सब कुछ बुरा ही नहीं था। आखिरकार पश्चिम उसकी ज्ञात व्यवस्थाओं के साथ इस परिचय ने निश्चित ही एक महत्वपूर्ण जागरूकता पैदा की। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय नेताओं राममोहन से लेकर नेहरू तक ने अपने अतीत को देखा उसकी विकृतियों से लड़े, तर्क के नए युग का स्वागत किया, और अन्त में अंग्रेजों से लड़े। पर यह ध्यान में रखना होगा कि दासता से मुक्ति का यह कार्य कभी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादिता का विरोध करते हुए भी इनमें से सारे लोग ऐसे नहीं थे जो अपने मानस को औपनिवेशक अवधारणाओं व मान्यताओं से मुक्त कर सके हो। दूसरे शब्दों में एक शिक्षित भारतीय के जीवन में पश्चिम की उपस्थिति स्थायी थी (और है)| तो मार्टिन कार्नाय का यह कथन निश्चित की कोई अभिरंजना नहीं है: **आज भी भारतीयों के लिए इस ढांचे को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। वे खुद को ब्रिटिश प्रध्यापकों के ज्यादा नजदीक पाते है बनिस्बत हिंदू किसानों के,जिनके साथ तो वे बात तक नहीं कर पाते।** हकीकत यह हे कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे सामूहिक मानस को गंभीर क्षति पहुंचाई।हमारा अपने आप से विश्वास उठ गया, हममें से कई लोग हमारे अपने सांस्कृतिक संसाधनों को काम में नहीं ला पाए। जैसा कि कृष्णकुमार ने कहा है औपनिवेशिक नागरिक हमारा शैक्षिक आदर्श बन गया। हम भी उसी की भाषा बोलने लगे। बल्कि, कृष्णकुमार के अनुसार, शिक्षा ने एक नए प्रकार की धर्म निरपेक्ष नस्ल का प्रतीक बन गई। इसका मतलब था उद्धार और मुक्ति। इसका मतलब था अज्ञानी जनसाधारण के विशाल समूह से अलग सम्भ्रान्त लोगों के विशिष्ट क्लब में प्रवेश। व्योमेशचन्द्र बनर्जी ने **1856** ने लिखा था, मैने जाति से जुड़ी सभी बातों को त्याग दिया है। मैं अपने देशवासियो के सभी हतोत्साहित करने वाले सिद्धान्तों से नफरत करने लगा हूँ। मैं पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति बन गया हूँ। दम्भ, आधुनिक /पश्चिमी शिक्षा का एक सह उत्पाद बन गया है। औपनिवेशिक स्वामी की तरह, शिक्षित भारतीय भी यह सोचने लगा कि उसके देशवासी अज्ञानी और अन्धविश्वासी थे, तथा यह जरूरी था कि वह पश्चिमी ज्ञान के साथ उन्हें सभ्य बनाए तथा समाज में व्यवस्था को पुन: कायम करे। मैकॉले केवल ऐतिहासिक याद नहीं बना रहा। वह हमारी आत्माओं में प्रवेश कर गया। हमने खुद पर आक्रमण होने दिया। हमने अपने आदर्शों को भुला दिया। यह विडम्बना थी कि इस पूरी प्रक्रिया को शिक्षा का नाम दिया गया।

15.7 शब्दावली

- **शूद्र -** प्राचीन भारतीय वर्ग व्यवस्था के अनुसार समाज का चतुर्थ वर्ग जो प्राय: निम्नतर एवं अछूत माना जाता था|
- **गुरुगृह-** गुरु के घर में रहकर अध्ययन करना|

- **श्रुतिषर-** गुरु के उपदेश को मानते हुए वेद को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी|
- **नैष्ठिक ब्रह्मचार्य-** विद्यार्थी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे | किसी प्रकार के व्यसन में न पड़े |
- **उत्तर माध्यमिक परीक्षा-** माध्यमिक अर्थात **10**वीं की परीक्षा के बाद दी जाने वाली परीक्षा यथा **11**वीं की परीक्षा |
- **उपनिवेशवाद-** विश्व के शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देशों के शासन संचालन को अपने अनुकूल चलाना |
- **एप्रेंटिसशिप-** ब्रिटेन में बिना विद्यालय गए घर में सीखी जाने वाली कलाओं को कहा जाता था |

15.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. देशज काल में शिक्षा का क्या स्वरुप था ? यह किस प्रकार से वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भिन्न है ?
2. औपनिवेशिक शिक्षा का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?
3. अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था ? अपने तर्क में उत्तर लिखिये |
4. क्या भारत में वैकल्पिक शिक्षा की अवश्यकता है ? अपने तर्क में उत्तर लिखिये ?

15.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- घोष, एस.सी., (**2001**), "प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास",मुंशीराम मनोहरलाल प्रकाशन, दिल्ली |
- शर्मा,एस.आर., "आधुनिक भारत में शिक्षा का इतिहास और विकास ", (2004),नेहा प्रकाशन, दिल्ली |
- शर्मा, आर.एन. और शर्मा, आर.के, "भारत में शिक्षा का इतिहास ", (2004),एटलानटिक प्रकाशन, नई दिल्ली |
- शर्मा,राम नाथ, "भारत में शिक्षा का इतिहास ", (2007),शुभी प्रकाशन, दिल्ली|
- अग्रवाल,एस.पी., "भारत में शिक्षा का विकास ",(1999),कंसेप्ट प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली |
- आचार्य, परमेश., " देशज शिक्षा औपनिवेशिक विरासत और जातीय विकल्प '',(2000)शिल्पी इंडिया प्रकशन, दिल्ली |
- कुमार,कृष्ण., " गुलामी कि शिक्षा और राष्ट्रवाद",(2013) शिल्पी इंडिया प्रकशन, दिल्ली|
- सिंह,योगेश कुमार," भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास ''(2007),ए.पी.एच प्रकाशन |

- Agarwal,J.C.,,“Landmarks in the History of modern education’’,(2007), Vikas Publishing House, Noida
- दयाल,बी., 1953 भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास|
- मुखर्जी, एस.एन, 1957 भारत में शिक्षा का इतिहास|
- नूरुल्लाह और नायक, 1956 भारत में ब्रिटिश काल के समय शिक्षा का इतिहास |
- बासु, अपर्णा 1985 भारत में शैशिक और राजनैतिक विकास |

इकाई 16

भाषा की राजनीति एवं स्कूल शिक्षा पर इसके प्रभाव

(भारत में भाषा की नीतियों का सन्दर्भ, बहुभाषी शिक्षा, स्कूली शिक्षा के माध्यम पर परिचर्चा (घर की भाषा बनाम मानक भाषा), त्रिभाषा सूत्र, संवैधानिक प्रावाधान, और स्कूल की भाषा नीतियों के सन्दर्भ में औपनिवेशिक बहस)

Politics of language in its impact on school Education

(Context of language policies in India, Multilingual education, Discourse on the medium of schooling (home language vs standard language) three language formula, the constitutional provisions and the colonial debates on school language policies)

इकाई की रूपरेखा

16.1 प्रस्तावना

16.2 उद्देश्य

16.3 भाषा की राजनीति एवं स्कूल शिक्षा पर इसके प्रभाव

16.4 संघ की भाषा एवं भाषा सम्बंधित विवाद

16.5 बहुभाषी शिक्षा

16.6 स्कूली शिक्षा के माध्यम पर परिचर्चा (घर की भाषा बनाम मानक भाषा)

16.7 त्रि भाषा सूत्र, संवैधानिक प्रावाधान

16.8 स्कूल की भाषा नीतियों के सन्दर्भ में औपनिवेशिक बहस

16.9 सारांश

16.10 शब्दावली

16.11 निबंधात्मक प्रश्न

16.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

16.1 प्रस्तावना

सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक पुरातन देश है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास एक नए सिरे से ब्रिटेन के शासनकाल में, स्वतंत्रता-संग्राम के साहचर्य में और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नवोन्मेष के सोपान में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही । वे भाषाएँ भारतीय स्वाधीनता के अभियान और आंदोलन को व्यापक जनाधार देते हुए लोकतंत्र की इस आधारभूत अवधारणा को संपुष्ट करतीं रहीं कि जब आज़ादी आएगी तो लोक-व्यवहार और राजकाज में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होगा। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात समय समय पर अनेक समस्याएं प्रश्न रूप में हमारे समक्ष आयीं| बहुत सी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न हुआ और उसका समाधान खोजा भी गया | लेकिन भारत वर्तमान भाषा कि समस्या एक ऐसे चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी है कि जैसे-जैसे इसका संतुलित समाधान खोजने का प्रयास किया गया वैसे-वैसे ही समस्या का स्वरुप बढ़ता ही गया, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़े | यदि भाषा की समस्या का सम्बन्ध शिक्षा की एक साधाराण समस्या की तरह होती तो शायद इसका समाधान ढूंढा भी जा सकता था किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों के हाथ में यह समस्या आकर यह समस्या जटिल से जटिलतर होती गयी | भाषा के राजनीतिकरण पर विचार करते समय भाषा के विभिन्न रूप हमारे सामने भाषा के विविध रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं जैसे- मूल भाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, राज भाषा, सांस्कृतिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा एवं मातृभाषा| इस सम्बन्ध में विचार करते समय सर्वप्रथम हमारा ध्यान भाषा के उदगम की ओर जाता है | इसमें कोई दो राय नहीं कि समस्या की उत्पत्ति अंग्रेज़ी शासनकाल से सम्बंधित है|

16.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- भाषा की राजनीति के विभिन्न पक्षों कों समझ सकेंगें।
- भाषा सम्बंधित विवादों के विभिन्न आयामों कों समझ सकेंगें।
- त्रि भाषा सूत्र की उपादेयता को समझ सकेंगें|
- भाषा सबंधित संवैधानिक प्रावाधनों कों समझ सकेंगें|
- घर की भाषा एवं स्कूल की भाषा की बीच सामंजस्यबनाने के महत्व कों समझ सकेंगें|
- स्कूल की भाषा नीतियों के सन्दर्भ में औपनिवेशिक बहस के महत्व कों समझ सकेंगें|

16.3 भाषा की राजनीति एवं स्कूल शिक्षा पर इसके प्रभाव (Politics of language and its impact on school education)

स्वतन्त्रता के बाद हमने संविधान बनाने का उपक्रम शुरू किया। संविधान का प्रारूप अंग्रेज़ीमें बना, संविधान की बहस अधिकांशतः अंग्रेज़ी में हुई। यहाँ तक कि हिंदी के अधिकांश पक्षधर भी अंग्रेज़ी भाषा में ही बोले। यह बहस 12 सितंबर, 1949 को 4 बजे दोपहर में शुरू हुई और 14 सितंबर, 1949 के दिन समाप्त हुई। प्रारंभ में संविधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेज़ी में ही एक

संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के विषय में आवेश उत्पन्न करने या भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए कोई अपील नहीं होनी चाहिए और भाषा के प्रश्न पर संविधान सभा का विनिश्चय समूचे देश को मान्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाषा संबंधी अनुच्छेदों पर लगभग तीन सौ या उससे भी अधिक संशोधन प्रस्तुत हुए।

14 सितंबर की शाम बहस के समापन के बाद जब भाषा संबंधी संविधान का तत्कालीन भाग14 क और वर्तमान भाग 17, संविधान का भाग बन गया तब डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे। वे शब्द आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। उन्होंने तब कहा था, "आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी।" उन्होंने कहा, "इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।" उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषाविषयक - प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने वक्तव्य के उपसंहार में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा, "यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एकदूसरे के- निकटतर आते जाएँगे। आख़िर अंग्रेज़ी से हम निकटतर आए हैं, क्यों कि वह एक भाषा थी। अंग्रेज़ी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परंपराएँ एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुतसी भाषाओं का प्रयोग होता- या वे प्रांत पृथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।"

अभ्यास प्रश्न

भाषा की राजनीति से आप क्या समझते हैं ?

भाषा की राजनीति का स्कूली शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा ? स्पष्ट करें |

16.4 संघ की भाषा एवं भाषा सम्बंधित विवाद (The language constitution and language related issues)

संविधान-सभा की भाषा-विषयक बहस लगभग 278 पृष्ठों में मुद्रित हुई है। इस भाषा-विषयक समझौते की बातचीत में डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं श्री गोपाल स्वामी आयंगार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह सहमति हुई कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी,

किंतु देवनागरी में लिखे जाने वाले अंकों तथा अंग्रेज़ी को 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रयोग करते रहने के बारे में बड़ी लंबी-चौड़ी गरमा-गरम बहस हुई। अंत में आयंगरमुंशी फ़ार्मूला भारी बहुमत से स्वीकार हुआ। वास्तव में अंकों को छोड़कर संघ की राजभाषा के प्रश्न पर अधिकांश सदस्य सहमत हो गए। अंकों के बारे में भी यह स्पष्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय अंक भारतीय अंकों का ही एक नया संस्करण है। कुछ सदस्यों ने रोमन लिपि के पक्ष में प्रस्ताव रखा, किंतु देवनागरी के पक्ष में ही अधिकांश सदस्यों ने अपनी राय दी। आशंकाएं तब गहरा गयीं, जब पंद्रह वर्ष की कालावधि के बाद भी अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग की बात सामने आई। वे आशंकाएँ सच साबित हुई। पंद्रह वर्ष 1965 में समाप्त होने वाले थे। उससे पूर्व ही संसद में उस अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश हुआ। अब संविधानिक स्थिति यह है कि नाम के वास्ते तो संघ की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेज़ी सह भाषा है, जबकि वास्तव में अंग्रेज़ी ही राजभाषा है और हिंदी केवल एक सहभाषा। लगता है कि संविधान में इन प्रावधानों का प्रारूप बनाते समय कुछ संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में यह बात पहले से थी। हुआ यह कि राजनीति की भाषा और भाषा की राजनीति ने मिलकर हिंदी की नियति का अपहरण कर लिया।

अभ्यास प्रश्न

भारत के सन्दर्भ में भाषा सम्बंधित विवाद से आप क्या समझते हैं ?

भाषा के सन्दर्भ में संवैधानिक स्थिति क्या है? स्पष्ट करें |

16.5 बहुभाषी शिक्षा (Multilingual Education)

बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है | यहाँ तक कि दूर-दराज स्थित गाँव में तथाकथित “एक भाषा” बोलने वाला एक ऐसे शाब्दिक भण्डार (Verbal Repertoire) कों नियंत्रित करता है,जो उसमें कई तरह की संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है | वस्तुतः भारतीय भाषिक व सामाजिक भाषिक मैट्रिक्स में भारतीय भाषिक स्वरों की बहुलता एक दूसरे से संवाद करती है, जो कि कई तरह से साझे भाषिक व सामजिक भाषिक खासियतों पर कही होती है | दूसरी तरफ हाल के कई अध्ययनों ने दिखलाया है कि द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास व विद्वत-उपलब्धि से गहरा सकरात्मक सम्बन्ध है |

भाषाओं की बहुलता और कई महत्वपूर्ण कार्यों में अंग्रेज़ी की बढ़ती जा रही उपयोगिता ने यह साबित कर दिया है कि बहुभाषी समाज में भागीदारी सुनिश्चित कराने वाली और जनतांत्रिक व्यवस्था के बने रहने के लिए भाषा के मामले में कोई सीधा सरल समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है |

औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान प्रयुक्त अंग्रेज़ी ने इतना लंबा सफर तय कर लिया है कि इससे आती औपनिवेशिकता की गंध अब खत्म हो गयी है और इसके प्रति प्रतिक्रियावादी रुख भी तेज़ी से लुप्त होते गए| अब रोजगार के अवसर प्रदान कराने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में बढ़ रहे इसके प्रयोग ने इसकी महता कों और बढ़ा दिया है| दूसरी तरफ, देश के शैक्षणिक और सत्ता संरचना में अनेक अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाएँ अपनी प्रबल दावेदारी के साथ शामिल होने के लिए उभरकर सामने आ रहीं हैं| साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में भी हिन्दी लगातार फ़ैल रही है|

बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा – व्यवस्था कों इसे दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए| पटनायक (198१) ने दिखलाया है कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत बहुभाषिकतावाद से मिलते आ रहे फायदों को दबाने एवं कमजोर करने का कार्य किया है| इवान इलीच (198१) ने भी कहा है कि हमें हाशिए पर अवस्थित, आदिवासी और विलुप्तप्राय भाषाओं कों बचाने के लिए और उनका सशक्तिकरण का भरपूर प्रयास करना चाहिए|

भारत जैसे देश में सामाजिक सौहार्द्रता तभी सम्भव है जब लोग एक दूसरे की भाषा और संस्कृति कों सम्मान दें| इस प्रकार का सम्मान ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है| अज्ञानता, भय, घृणा और असहिष्णुता कों जन्म देती है और राष्ट्रीय अस्मिता की अखण्डता के रास्ते में रोड़ा अटकाने का कार्य करती है| प्रत्येक राज्य में एक वर्चस्व प्राप्त भाषा के साथ ही नस्लगत (समुदायगत) रूख एवं निष्ठा का पनपना स्वाभाविक ही है| यह लोगों एवं विचारों के स्वतंत्र आवागमन कों तो रोकता ही है, साथ ही रचनात्मक, नवाचार आदि कों दबाता है और समाज के आधुनिकीकरण की धार कों कुंद करता है| अब जब कि हम पाते हैं बहुभाषिकता, संज्ञानात्मक विकास व शैक्षणिक सम्प्राप्ति के बीच सकारात्मक जुडाव है- तो यह अत्यंत ज़रूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण कों प्रोत्साहित किये जाए|

अभ्यास प्रश्न

बहुभाषी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट करें |

बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है ? इस कथन की व्याख्या करें|

16.6 स्कूली शिक्षा के माध्यम पर परिचर्चा (घर की भाषा बनाम मानक भाषा) (Discourse on the medium of schooling (home language vs standard language))

1953 में जब यूनेस्को ने घोषणा की कि बच्चे की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा से बेहतर और कोई भाषा नहीं हो सकती तब तमाम समूह अपनी –अपनी भाषाओं कों मान्यता दिलाने व संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए उठ खड़े हुए| प्राथमिक शिक्षा दो भाषाओं में होनी चाहिए| इसे इस तरह से क्रमिक विस्तार देना चाहिए कि बाद में यह समेकित बहुभाषीय रूप ले सके| स्कूल का सबसे पहला दायित्व बनता है कि – घर की भाषा से स्कूल की भाषा कों जोडना| उसके बाद, एक या उससे अधिक भाषा कों जोड़ दिया जाय ताकि बच्चा पहली भाषा कों बिना छोड़े अन्य भाषा में आसानी से पहुँच सके| इससे सभी भाषाओं का एक दूसरे के पूरक होने का का लक्ष्य भी आसानी से पाया जा सकता है| माध्यम भाषा के रूप में मातृभाषा का उपयोग, घर में बोली जाने वाली भाषा के बीच के अंतर की वजह से भाषिक एवं सांस्कृतिक फासले को मिटा सकता है अर्थात सन्दर्भ के लिए बिंदु अल्पसंख्यक भास्सा या बहुसंख्यक भाषा हो सकती है| आचार्य (1984) के अनुसार आरंभिक स्तर पर ही 26 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं| इसकी वजह शिक्षा में रुचि न होना है जिसके लिए मुख्य रूप से भाषा में सांस्कृतिक विषयावस्तु का अभाव है| इसका कारण भाषा संस्कृति का एक अवयव मात्र न होकर संस्कृति की संवाहक भी होती है| घर की भाषा से स्कूल की भाषा की ओर बढ़ना हो सकता है यदि मातृभाषा कों शिक्षा का माध्यम बना दिया जाये|

घर की भाषा बोली और स्कूल की भाषा के बीच अंतराल कों पूराकरने और इससे उबरने के लिए बच्चों कों सहायता प्रदान करने के लिए अध्यापक की संवेदनशीलता और प्रशिक्षण दोनों ही अनिवार्य हैं| इसका सबसे सरल माध्यम यह हो सकता है कि जब बच्चे धीरे मिलने वाले अनुभव से क्षेत्रीय / स्कूल की भाषा अर्जित कर रहे होते है, उन्हें घर की भाषा में स्वयं कों अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए| चूँकि इस अवधि के दौरान, कक्षा में सुनना, बोलना तथा सहपाठी के साथ स्वतंत्र खेल ही प्रमुख कार्यकलाप होते हैं| शिक्षकों को भी बच्चों की घर की भाषा के कुछ शब्द और मुहावरे सीखने का प्रयास करना चाहिए|

1988 एवं 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं में यह प्रस्ताव दिया गया है कि स्कूली शिक्षा के दौरान सभी स्तरों पर या कम से कम आरंभिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए| लेकिन यहां मातृ भाषा और क्षेत्रीय भाषा के बीच के अंतर की गंभीर समस्या कों नज़रंदाज़ कर दिया गया| इस फ्रेमवर्क में कहा गया कि यदि क्षेत्रीय भाषा विद्यार्थी की मातृभाषा नहीं है तो उसके पहले दो साल की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए| तीसरी कक्षा एवं उसके बाद से क्षेत्रीय भाषा कों माध्यम भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है| शिक्षाविदों एवं शिक्षा योजनाकारों के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्कूल में आने वाले बच्चे अपने घर या आसपास बोली जाने वाले भाषा (अपनी मातृभाषा) में पारंगत हो सकते हैं जो घोषित राजभाषा, अनुसूचित भाषा या क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो|

अभ्यास प्रश्न

घर की भाषा एवं मानक भाषा से आप क्या समझते हैं ?

स्कूली शिक्षा के माध्यम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें |

1988 एवं 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं में क्या प्रस्ताव दिया गया था ?

16.7 त्रि – भाषा सूत्र एवं संवैधानिक प्राव्धान (Three language formula, the constitutional provisions)

भारतीय संविधान के सत्रहवें भाग में धारा 343-351 तक तथा अनुसूची में भाषाओं के मुद्दों कों सम्मिलित किया गया है| धारा 343 (1) के अनुसार, "भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी " साथ ही हिन्दी के विकास के लिए कुछ दिशा निर्देश भी प्रदान किये गए हैं – हिन्दी भाषा का इस तरह विकास और प्रोत्साहन दिया जाये ताकि यह भारत की सामायिक संस्कृति के सभी तत्वों कों अभिव्यक्त प्रदान कर सकने वाला माध्यम बन सके| (धारा 351)| यहाँ गौरतलब है कि हिंदी हमारी राजभाषा संविधान की धारा 343 (2) के अनुसार सभी कार्यालयी कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेज़ी कों पन्द्रह वर्षों तक प्रयोग करने की बात की गयी| लेकिन 1965 तक आते आते हिन्दी एवं आर्य –वर्चस्व के खतरों कों भाँपते हुए दक्षिण भारत में व्यापक स्तर दगें आदि हुए| इससे यह पता चल गया कि अंग्रेज़ी कों राजभाषाई पद से पूर्णतःहटानासंभव नहीं होगा| 1965 में इसे सहायक कार्यालयी भाषा का दर्ज़ा मिला| संविधान में इस बात का भी प्रावाधान है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और संसद के अधिनियम के भाषा अंग्रेज़ी ही रहेगी| साथ ही संविधान प्रत्येक नागरिक कों अपनी भाषा में राज्य कों सम्बोधित करने का अधिकार प्रदान करता है| धारा 350अ (सातवाँ संशोधन अधिनियम, 1965) में, प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों कों उनकी मातृभाषा में पठन- पाठन की बात की गई है| यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि 8 वीं अनुसूची का शीर्षक भाषाएँ है| आज़ादी के बाद से इसमें भाषाओं की संख्या 14 से 22 हो गयी| आज ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी भाषा जो देश में प्रयोग हो रही है वैधानिक रूप से 8वी अनुसूची का भाग हो सकती है|

सन 1961 में देश के विभिन् राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से त्रिभाषा सूत्र उभर कर आया | श्रीधर (1989:22) के अनुसार सामूहिक अस्मिता के हितों (मातृभाषायें और क्षेत्रीय भाषाएँ), राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता (हिन्दी) तथा प्रशासकीय सुविधा व तकनीकी उन्नति (अंग्रेज़ी) को समायोजित करने के उद्देश्य से कोठारी कमीशन द्वारा त्रि भाषा सूत्र में सुधार लाया गया| जैसा कि पटनायक (1986) का भी मानना है कि त्रिभाषा सूत्र एक रणनीति है न कि राष्ट्रीय भाषा नीति | इस नीति कों ऐसे कई मुद्दों व क्षेत्रों का ख्याल करना होगा जो संविधान में एवं त्रिभाषा सूत्र दोनों में छूट गया हो |

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात पर फिर जोर डाला और हम इसका संशोधित रूप 1992 की कार्यकारी योजना में देखते हैं | 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 की शिक्षा नीति में दिए गए भाषा सम्बंधित प्रस्तावों का समर्थन किया था | 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा कि विकास के प्रश्न पर गहन रूप से विचार किया गया | इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों से स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सका एवं ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे| इस तरह की स्थिति बहुत से जटिल मुद्दों पर ध्यान नहीं देती और यह धारणा बना लेती है कि 1960 से भाषाओं के क्षेत्र में कुछ भी विशेष काम नहीं हुआ | यहाँ तक कि 1968 की नीति का ठीक से क्रियान्वयन भी नहीं हुआ | 1968 की नीति के अनुसार

विद्यालय में पहली भाषा जो पढाई जाय वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा

द्वितीय भाषा- 1. हिन्दी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेज़ी

2. गैर हिन्दी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिन्दी या अंग्रेज़ी होगी|

तृतीय भाषा

1. हिन्दी भाषी राज्यों में त्रिस्तरीय भाषा अंग्रेज़ी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो |
2. गैर हिन्दी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेज़ी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो |

इसके साथ साथ यह सुझाव भी दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों कों इस सूत्र कों अपनाने के साथ साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हिन्दी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो, हिन्दी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी हो | विश्वविद्यालय तथा कालेज स्तर पर भी हिन्दी और अंग्रेज़ी के उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन भाषाओं में विद्यार्थी अपने स्तर के हिसाब से कुशलता हासिल कर सकें |

त्रिभाषा सूत्र भाषा सीखने के लिए कोई लक्ष्य या सीमा निर्धारित नहीं करता है, बल्कि वह तो इस यात्रा का प्रस्थान बिंदु मात्र है जिसमें लगातार फैलते हुए ज्ञान की खोज और देश की भावनात्मक एकता की तलाश है | इस तरह अपने मूल भावना में त्रिभाषा सूत्र हिन्दी भाषी राज्यों के लिए हिन्दी अंग्रेज़ी एवं भारतीय भाषाओं (खास कर दक्षिण भारतीय भाषा) का, और हिंदीतर राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी व अंग्रेज़ी का प्रावाधान प्रस्तावित करता है| लेकिन इसके प्रति प्रतिबद्धता से ज़्यादा इसका अतिक्रमण करते हुए ही पाया गया है| हिन्दी राज्य हिन्दी, अंग्रेज़ी व संस्कृत तथा गैर

हिन्दी राज्य खासकर तमिलनाडु द्विभाषी सूत्र यानी तमिल और अंग्रेज़ी से ही काम चलाते है | तथापि बहुत सारे राज्य त्रिभासी सूत्र कों अपनाए हुए हैं जैसे उडीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्य |

अभ्यास प्रश्न

द्वितीय भाषा से आप क्या समझते हैं ?

तृतीय भाषा से आप क्या समझते हैं ?

त्रि – भाषा सूत्र के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावधानों पर टिप्पणी लिखें ?

16.8 स्कूल की भाषा नीतियों के सन्दर्भ में औपनिवेशिक बहस (Colonial debate over language with reference to school language policies)

भाषा की समस्या की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की समस्या की मूल में, भाषा स्वयं का प्रश्न न होकर पाश्यात्य तथा भारतीय संस्कृति के भिन्न दृष्टिकोण के संघर्ष का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है | यदि आज यह दलील दी जाये कि आज के वैज्ञानिक युग में अंग्रेजी ही किसी राष्ट्र के विकास में सहायक है तो यह तर्क बिलकुल निर्मूल दिखाई देता है | क्योंकि आज विश्व अनेक विकसित राष्ट्र, जिन्होंने विश्व विश्व में ख्याति प्राप्त कर अपने कों मजबूत बनाया है ऐसे हैं जहाँ बालकों ने अंग्रेजी कों स्पर्श तक नहीं किया है | ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के पश्चात के बाद ही जब यह स्वीकार कर लिया गया था कि शिक्षा संबंधी सुविधाएँ प्रदान करना कंपनी का ही दायित्व होगा तभी से पहली बार इस संघर्ष का प्रारम्भ होता है | उस समय स्वयं अंग्रेज़ अधिकारियों के दो दलों के बीच यह समस्या थी कि देश में शिक्षा का माध्यम किस भाषा कों बनाया जाये | तभी एक पक्ष भारतीय भाषाओं कों शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने के पक्ष में था और दूसरा दल अंग्रेज़ी कों स्थान दिलाना चाहता था | सन 1833 में यह प्राच्य-पाश्चात्य विवाद खुले रूप में

सबके सामने आया| सन 1834 में 10 जून को जब लार्ड मैकाले जनरल के कौंसिल के सदस्य रूप में भारत आया और 2 फरवरी 1835 में जब उसने शिक्षा के सम्बन्ध में उदगार व्यक्त करते हुए एक विवरण –पत्र प्रस्तुत किया उसी समय यह भाषा विवाद गहराई से अपनी जड़ें पकड़ गया | उसने अपने वक्तव्य द्वारा भारतीय भाषाओं को कमतर बताते हुए यंहा तक कह डाला कि यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय के एक आलमारी का अंग्रेज़ी साहित्य भारत तथा अरब के सम्पूर्ण साहित्य से महत्वपूर्ण है | मैकाले के ऐसी ही अनेक कथनों ने देश के जनमानस में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही, विश्व के विशाल साहित्य के समृद्ध ज्ञान –भण्डार कों आत्मसात करने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा |

मैकाले की घोषणा के बाद लार्ड विलियम बैंटिक ने अंग्रेज़ी कों शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया और सन 1844 में लार्ड हार्डिंग की इस घोषणा ने कि अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों कों ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी, अंग्रेज़ी भाषा के जड़ों कों और मज़बूत कर दिया | 1882 के प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने इस बात कों और अधिक पुष्ट कर दिया जब कि उन्होंने अपने सुझाव देते हुए कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ ही रहें लेकिन माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी भाषा ही होगी| इस प्रकार देखने में आता है कि एक ओर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के कारण तथा दूसरी ओर शिक्षा आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप अंग्रेज़ी भाषा ने मजबूती से अपने पाँव जमा लिए|

जैसे जैसे देश में जन- जागरण का अभियान चला राष्ट्रीय आंदोलन उग्र होते चले गए| नौकरशाही की भावना को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय विकास की भूमिका में अति महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि यदि भारतीय बच्चे यह समझते हैं कि बिना अंग्रेज़ी की शिक्षा प्राप्त किये वे सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसे मैं उनके मानसिक दासता का ही प्रतीक मानूंगा | अतः धीरे - धीरे यह स्वीकार किया जाने लगा कि अंग्रेज़ी ने देश की संस्कृति, सभ्यता तथा जीवन पर कुठाराघात किया है | इसलिए एक विदेशी भाषा के स्थान पर मातृभाषा कों शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ | मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी ने कहा कि मातृभाषा जीवन के विकास के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध | यही कारण रहा कि बुनियादी शिक्षा के आंदोलन में मातृभाषा कों शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया|

अभ्यास प्रश्न

स्कूल की भाषा नीतियों के सन्दर्भ में औपनिवेशिक बहस पर विस्तार से एक टिप्पणी लिखें ?

भाषा की समस्या का मूल क्या है? स्पष्ट करें|

भाषा के सन्दर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे ?

16.9 सारांश

निश्चय ही भाषा की राजनीति ने स्कूल की शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाला है और ये प्रभाव परिलक्षित भी है| , भारत में भाषा की नीतियों के सन्दर्भ में बहुत से निर्णय लिए गए जिनमें कालान्तर में बहुत से बदलाव भी आये | इसमें कोई दो राय नहीं के हमारे देश में भाषा को लेकर विवाद गहरे तक समाये हैं एवं इसका निदान आसान नहीं होगा| इसके लिए दृढ प्रतिज्ञ राजनैतिक चिन्तन एवं समस्या के प्रति संवेदनशीलता रखनी होगी|

16.10 शब्दावली

- **मातृभाषा :** मातृभाषा से हमारा तात्पर्य उन भाषाओं से है जो घर में बोली जाती है, पड़ोस में, साथियों के साथ और सगे सम्बन्धियों के बीच बोली जाती है|
- **क्षेत्रीय भाषाएँ :** वे भाषाएँ जो प्रत्येक राज्य के विभिन्न भागों में बोली जाती है, भले ही उन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी गयी हो या नहीं|
- **राज्य भाषाएँ** : राज्य भाषाएँ वे भाषाएँ हैं जिनमें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल हैं|

16.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतवर्ष के विशेष सन्दर्भ में भाषा विवाद की वास्तविकता को उजागर करते हुए एक विस्तृत लेख लिखें।
2. स्कूल की भाषा नीतियों के सन्दर्भ में औपनिवेशिक बहस पर विस्तार से एक टिप्पणी लिखें ?
3. स्कूली शिक्षा के माध्यम पर (घर की भाषा बनाम मानक भाषा) आप के क्या विचार हैं ? स्पष्ट करें
4. बहुभाषी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें|
5. भाषा की राजनीति एवं स्कूल शिक्षा पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें|

16.12 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, पी. और संजय वुफमार2000 (संपादकग), हिंदी देशकाल में|
- चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं.।
- चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेजेस 35.1.26-58
- चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड् न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविच।

- चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्सः रिफलेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।
- चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिनटेक्स, कैंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
- चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
- चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, वैंफब्रिज, मास: एम. आई. टी.।
- दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।
- हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉस्फिकल डिसकोर्स ऑफ मॉडर्निटी, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमल।
- शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966 |
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।
- पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।
- रिचर्ड्स, जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, कैब्रिज :कैब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सायर, डी. 1924, दी इपैफक्ट ऑपफ बाइलिंगुएलिस्म ऑन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 14:25-38 |
- श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुलिज्म,नयी दिल्ली, मनोहर।
- तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगण), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- यूनेस्को, 2003, एजुकेसन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।
- व्योगोत्सकी, एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैंफब्रिज, मॉस: हार्वड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जमील, वी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग, टी. ई. एस. ओ. एल. त्रिमासिक, 19.1
- इस वेबसाइट को जरूर देखें : http//www.languageindia.com

इकाई- 17

भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एवं वैश्वीकरण

(शिक्षण और पाठ्यक्रम में परिवर्तन, जाति, धर्म, वर्ग और लिंग की सीमाओं को लांघना, वर्तमान से सम्बन्धित चिंताओ, सार्वजनिक बनाम निजीकरण, गुणात्मक नियंत्रण बनाम मात्रात्मक विस्तार, शिक्षा का समावेश और स्तरीकरण बनाम बहिष्कार)

Liberalisation and Globalisation of Indian Economy

(Pedagogic and Curricular Shifts,Transcending Caste,Religion,Class and Gender,Current Concerns relating to Plebianisation,Public vs Privatization,Quantitative Expansion vs Qualitative Control vs Inclusion and Stratification of Education)

इकाई की रूप रेखा

17.1 प्रस्तावना
17.2 उद्देश्य
17.3 भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण
17.4 वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी तत्व
17.5 वैश्वीकरण के खतरे
17.6 वैश्वीकरण वं शिक्षा प्रक्रिया
17.7 वैश्वीकरण के शैक्षिक निहितार्थ
17.8 वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव
17.9 शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण/वैश्वीकरण
17.10 शिक्षण शास्त्र एवं पाठ्यक्रम का वर्तमान में कार्य क्षेत्र
17.11 भारत में उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव
17.11.1 सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का प्रभाव
17.11.2 गुणात्मक विस्तार एवं मात्रात्मक नियंत्रण
17.11.3 धर्म, जाति, वर्ग, एवं लिंग पर प्रभाव

17.12 सामाजिक असमानता को दूर करने के उपाय

17.13 सामाजिक असमानता को दूर करने मे शिक्षा की भूमिका

17.14 सारांश

17.15 शब्दावली

17.16 निबंधात्मक प्रश्न

17.17 संदर्भ ग्रन्थ सूची

17.1 प्रस्तावना

सोवियत संघ के विघटन तथा साम्यवाद के पलायन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में सामने आया | संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा 1 जनवरी 1995 के गैट के स्थान पर अस्तित्व में आये विश्व व्यापर संगठन ने आर्थिक क्षेत्र में जिस नीति को अपनाने पर विश्व के देशों पर दबाव डाला गया उसे एल.पी.जी. अर्थात उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति कहा जाता है | इस नीति ने सम्पूर्ण विश्व में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए जिसका प्रभाव भारत पर भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है | भारत की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक सभी क्षेत्रो पर अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव पड़ा है | इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात हम भारत में उच्च शिक्षा पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के प्रभाव को भली भांति समझ सकेंगे |

17.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

- भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव को समझ सकेंगे |
- वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी तत्व को जान सकेंगे |
- वैश्वीकरण और शिक्षा में सम्बन्ध को समझ सकेंगे |
- भारत में उच्च शिक्षा पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के प्रभाव को जान सकेंगे |

17.3 भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण

भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वैश्वीकरण का तत्काल प्रभाव है। उदारीकरण आमतौर पर मुक्त व्यापार के रूप मे जाना जाता है। इससे तात्पर्य है मुक्त व्यापार के लिए प्रतिबन्ध एवं बाधाओं को हटाना।

नई आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों मे उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना, मुद्रास्फीति को कम करना तथा विदेशी मुद्रा भण्डार का पुननिर्माण।

1993 मे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम निरस्त कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आसान प्रवेश मे मदद मिली। विदेशी कंपनियो के साथ सयुंक्त

उपक्रम बनाने तथा आयात शुल्को मे कमी आई निर्यात सब्सिडी को हटाया, चालू खाते पर रूपया की पूर्ण परिवर्तनशीलता, प्रोत्साहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

उदारीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शोषण हो रहा है।

निजीकरण निजी व्यक्तियों या कम्पनियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के स्वामित्व का हस्तांरण और नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाएं गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के परिणाम के रूप में अपरिहार्य हो गया है।

निजीकरण के उद्देश्य -

1- निजी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए।
2- सरकार का शिक्षा और बुनियादी सुविधा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए।
3- सार्वजनिक क्षेत्रों मे अक्षमता बढ रही है। वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए निजीकरण को बढाने का फैसला लिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्रों की क्षमता के कारणों मे प्रमुख हैं - नौकरशाही प्रशासन, उत्तरदायित्व की कमी, ट्रेड यूनियनों, उचित विपणन गतिविधियों का अभाव।

निजीकरण के लाभो में कार्यकुशलता एवं क्षमता को बढावा दिया जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, विशिष्ट सेवा, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जबावदेही, प्रतिस्पर्धा माहौल का सृजन, नवाचार, अनुसंधान और विकास, संसाधनों का उचित प्रयोग, आदि।

निजीकरण के दो दोष प्रमुख हैं - श्रम का शोषण, अधिकारियों की शक्ति का दूरूपयोग, धन और आय के असमान वितरण, कर्मचारियों की नौकरी के लिए सुरक्षा की कमी, अत: कुछ नियंत्रण सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर भी किया जाना चाहिए।

वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज विश्व के प्राय: सभी देशों मे देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृति और उद्योग, धन्धों का विस्तार, मिशनरी गतिविधियॉ, तकनीकी, परिवर्तन, आदि अनेक देशो में फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के मूल निवासी एक दूसरे के निकट आ जाते है जो कि स्पष्ट करती है कि ऑस्ट्रेलियां के दो विखण्ड टापू के आदिवासियों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपना लिया है।

कला और संस्कृति के क्षेत्रों मे वैश्वीकरण देखने को मिल रहा हैं। देश की ललित-कलाएं या संगीत के कई प्रकार है। जो कि स्थानीयता से बाहर निकलकर दुनिया भर मे पहुँच गई है। इस प्रकार राजनीति व आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ नए आयाम वैश्वीकरण के कारण देखने को मिलते है। हमारे देश में स्थानीयता यानि राज्यों की राजनीति केन्द्र को प्रभावित करने लगी यह कहा जाता है कि आज के आधुनिक युग में ऐसी संस्कृति विकसित हो गई जो विश्व व्यापी है। इस संस्कृति में परिवार, विवाह, मनोंरजन, साहित्य, कला और जीवन के कई अन्य तत्व शामिल है। वे विचारक जो कि विश्व संस्कृति की पहल करते है उनका विरोध भी करते है। विरोध मे यह तर्क दिया जाता है कि कोई भी संस्कृति राज्य की क्षेत्रीयता में बंधी होती है।

रॉलैण्ड रोबर्टसन के अनुसार 'विश्वसनीयता का अर्थ परिभाषा-माइक फेदरस्टोन द्वारा सम्पादित पुस्तक 'ग्लोबल कलचर' में रोबर्टसन ने विश्वव्यापीकरण की व्याख्या की है। उनके अनुसार सम्पूर्ण दुनिया के हस्तक्षेप के बिना आज दुनिया में कुछ नही हो सकता है। विश्वव्यापीकरण मे अनुभाविक

पहलू भी अंर्तनिहित हैं रोबर्टसन ने विशाल सन्दर्भ में विश्वव्यापीकरण की आधुनिकीकरण और अन्तर आधुनिकीकरण का एक अंग मानते हुए लिखा है कि –"मै वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सापेक्षिक रूप अर्वाचीन प्रघटना मानता हूँ। वास्तव में मेरा तर्क है कि यह प्रघटना आधुनिकीकरण एवं आधुनिकवाद और इसी प्रकार उत्तर आधुनिकीकरण एवं उत्तर आधुनिकवाद से जुडी हुई है। यह प्रक्रिया सम्पूर्ण दुनिया को एक साकार संरचनावाद के स्तर पर रखती है"

17.4 वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी तत्व -

1- स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक दृष्टिकोण |
2- प्रौद्योगिक एवं सूचना क्रान्ति |
3- विकास की तीव्रतर गति |
4- विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में आभासीय समानताएं।
5- पूँजी की गतिशीलता।

17.5 वैश्वीकरण के खतरे

आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक विकास, व्यापारिक, संभावनाओं और बैकिंग क्षेत्रों के साथ-साथ जीवन शैली भी भूमण्डलीकरण के कारण बहुत तेजी से बदल रही है। इसके निम्नलिखित खतरे हैं।

1- **लद्यु उद्योगों को खतरा** - मशीनों से बना उत्पाद, हरन्त निर्मित उत्पाद से सस्ता होता है। मशीनीकरण एवं अन्य देशों से स्वतंत्र व्यापार के परिणामस्वरूप लद्यु उद्योगो का अपना अस्तित्व भी खतरें में पड़ जाने की संभावना बढ़ जाती हैं |
2- **जीवन शैली में परिवर्तन**- जीवन में संतोष को सर्वोपरी स्थान देने वाली भारतीय सभ्यता एवं शैली में भूमण्डलीकरण के कारण परिवर्तन आया है। हम पाश्चात्य शैली मे जीवन यापन को श्रेष्ठ मानने लगे है भारत जिसकी पहचान उसके मूल्य थे उनमें शिथिलता का गई हैं।
3- सांस्कृतिक विलम्बना -अपनी संस्कृति केा बनाएं रखना प्रत्येक समाज का दायित्व है। विश्वग्राम की अवधारणा से मिश्रित सांस्कृतिक मूल्यों की व्यवस्था जन्म लेगी जिसमें जरूरी नही कि सब अच्छा है, ग्रहण किया जाए। इस प्रकार यह प्रक्रिया सांस्कृतिक प्रदूषण उत्पन्न करेगी।
4- स्वदेशी आघात - न्यून कीमतों पर क्रय करने की सहज इच्छा स्वदेशी एव महंगे उत्पाद की तुलना में सस्ते एवं विदेशी उत्पाद को क्रय करने की इच्छा को बढ़ावा देती है। यहाँ शिक्षा भी एक उत्पाद के रूप में माना जाने लगा है। यदि यही स्थिति रही तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे।

17.6 वैश्वीकरण एवं शिक्षा प्रक्रिया

शिक्षा की प्रक्रिया पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव परिलक्षित होते है।

1- **वैश्वीकरण में शिक्षक का स्थान** - भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में योग्य कुशल एवं वैश्विक स्तर का प्रयोग किए जाने वाले ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता होंगी। यह शिक्षक ज्ञान प्रदान करने के अलावा विभिन्न संस्कृति में समन्वय स्थापित करने के योग्य भी होने चाहिए।

2- **वैश्वीकरण एवं पाठ्यक्रम -** विश्व के अन्य देशों के साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए परम्परागत पाठ्य-वस्तु एवं विषय सामग्री से आगें निकलकर शिक्षा-क्रम। पाठ्यचर्या का पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाएगा । अनिवार्य साक्षरता से आगे जाकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार गठित है कि वह विश्व में किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक के लिए मूलभूत कुशलताएं एवं ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए|

3- **वैश्वीकरण एवं शिक्षा के लक्ष्य -**शिक्षा के लक्ष्य सार्वकालिक एवं तात्कालिक मूल्यों से दिशा निर्देश प्राप्त करते है। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया से मूल्य विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अत: शिक्षा के लक्ष्यों को पुन: निर्धारण भी अनिवार्य हो गया है। आर्थिक विकास के साथ-साथ व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना भी शिक्षा का अनिवार्य लक्ष्य माना जाएगा।
विश्व ग्राम में समन्वय के साथ प्राणी रह सकें। इस हेतु शिक्षा के लक्ष्यों की विवेचना नवीन परिदृश्य में करनी होगी।

17.7 वैश्वीकरण के शैक्षिक निहितार्थ

वैदिक काल से ही भारतवर्ष में सम्पूर्ण विश्व को एक मानने के धारणा चली आ रही है। भारतीय लोग विश्व के किसी भी कोने या किसी भी दिशा या देश से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छा अपनी ऋचाओं में समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए मंगल कामना करते आ रहे हैं। इस मूलभूत विचार को ध्यान में रखकर आधुनिक युग के आर्थिक भूमण्डलीकरण को सांस्कृतिक एवं नैतिक भूमण्डलीकरण का नाम देना मात्र ही पर्याप्त नही होगा अपितु नैतिक एवं सांस्कृतिक रूप में समग्र विश्व का एक जैसे मूल्य, विचार एवं व्यवहार प्रतिमान प्रदान करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होंगी। आर्थिक भूमंडलीकरण के प्रभाव भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के साथ इस रूप में आत्मसात किए जाए कि हमारी संस्कृति के मूलभूत तत्व यथावत-मूल्यों का संकट उत्पन्न होने का खतरा सदैव रहेगा। शिक्षा द्वारा इस दिशा में जागरूक नागरिकों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। इससे संबंधितनिम्नलिखित प्रमुख बिन्दु है -

1- विद्यालय के शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार के विद्यालय से कहाँ शिक्षा ग्रहण करनी है। यह तय करने के लिए राजकीय एवं गैर राजकीय निर्देशन सेवाएं स्थापित करने पर ही भूमण्डलीकरण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

2- आधुनिक प्रतिस्पर्धा में भारतीय विद्यालय अपनी गुणवत्ता स्थापित करने में कठिनाई महसूस कर रहें है। वित्तीय संसाधनों की न्यूनतम का प्रभाव शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है।

3- आर्थिक क्षेत्र मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिए जाने वाले अनुदानों के साथ-साथ शिक्षा के अनुदान भी भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के कारण ही कम किए गए है। तथा विद्यालयों को स्वंय के वित्तीय संसाधन विकसित करने के लिए प्रयास करने पड़ रहे है। जिससे शिक्षा की कीमत बढ़ रही है।

4- भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के सामाजिक, सांस्कृतिक दुष्परिणाम से किस प्रकार भारतीय सामाजिक संरचना को बचाया जा सकता है । सर्वप्रथम इसका ज्ञान एवं जागरूकता शिक्षार्थी को प्रदान करना अनिवार्य है । इस जनसंख्या बहुल राष्ट्र में भूमण्डलीकरण के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है । जैसे कि शिक्षित बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, सांस्कृतिक प्रदूषण, मानव मूल्यों का हास भारतीय परम्पराओं और विरासत का लुप्त होना आदि।

17.8 वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव

1- **असमानता -** वैश्वीकरण असमानता का प्रमुख कारण है । वैश्वीकरण की नीतियों के कुछ (उदारीकरण,विश्व व्यापार संगठन की नीतियाँ आदि) विकसित देशों के लिए आर्थिक फायदेमन्द होते है । मुक्त व्यापार ऐजेडें को अपनाया है । जैसे चीन भूमण्डलीकरण को सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है लेकिन भारत जैसे देश बस समस्या को दूर करने मे सक्षम नहीं है ।

2- **वित्तीय अस्थिरता -** भूमण्डलीकरण का एक परिणाम के रूप विदेशी-पूंजी के प्रवाह में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था मे लगातार उतार-चढ़ाव के अधीन है।

3- वैश्वीकरण ने रोजगार के अवसर खोल दिए है लेकिन रोजगार की सुरक्षा नही है श्रमिक ट्रेड यूनियनों को व्यवस्थित करने के अनुमति नहीं है, कार्यकर्ता दबाव में कार्य करते रहे है ।

4- भारतीय किसान वैश्विक बाजार में खतरों का सामना कर रहे है। सस्ती विदेशी उत्पादित वस्तुएं एक गंभीर प्रतिस्पर्धा का महौल बना रही है ।

5- वैश्वीकरण का पर्यावरण पर भी प्रभाव पडा है । विश्व व्यापार की मात्रा में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । व्यापक आयाता और मांस निर्यात इसके प्रमुख कारण है ।

6- बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वैश्वीकरण की असली ताकत है । ये कम्पनियां कॉरपोरेट शक्तियों के रूप में उभर रही है । वे मेजबान देशों के सस्ते श्रम और संसाधनों का शोषण कर रही है ।

वैश्वीकरण अपरिहार्य है परन्तु भारत को सभी क्षेत्रों मे वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करनी चाहिए । उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इन शब्दों ने विश्व की दूरियों को घटाकर उन्हें करीब ला दिया हैं । शिक्षा के वैश्वीकरण के तीन माध्यम अपनाएं जा रहे है । पहला विदेशी संस्थाओं मे प्रवेश लेना, दूसरा विदेश में चल रहे संस्थानों से समझौता व सहयोग करके शिक्षा चुनाव करना तथा तीसरा विदेशी धरा पर शिक्षा संस्थान स्थापित करना । यद्यपि विकसित देशों द्वारा ये तीनों ही माध्यम अपनाएं जा रहे किन्तु कोई विदेशी संस्थान भारत में अपना पूर्ण शिक्षा परिसर स्थापित करने में कामयाब नही हुआ है ।

वैश्वीकरण से विकसित देशो में यथा - अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड आदि में भारतीय विद्यार्थी प्रवेश लेने लगे । जबकि यह निर्विवाद है कि अन्य विकसित देशों की अपेक्षा भारत में शिक्षा प्रदान करना सस्ता है ।

भारत में शिक्षा का निजीकरण - भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था का अधिकतम हिस्सा द्रुतगति से निजीकृत हो रहा है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति, आधारभूत रूप में त्रुटिपूर्ण है।

17.9 शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण/वैश्वीकरण -

विश्व व्यापार, संसूचना एवं आर्थिक संबंधोमें 20 वी सदी के अन्त में आए परिवर्तनों ने 21वीं सदी के अन्त में आए परिवर्तनों ने 21 वी सदी की शुरूआत में उच्च शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा को गहनता से प्रभावित किया है । शिक्षा में नवाचार के प्रयोग, इन्टरनेट पर आधारित दूरस्थ शिक्षा, शाखा संस्थान शैक्षिक फ्रेन्चाइजी छात्रों को अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर अध्ययन करने एवं सीखने के लिए आवश्यक अवसरों का प्रसार किया है । इसके अतिरिक्त अधिकतम देशों द्वारा सर्वोत्तम छात्र को चुनने की अवधारणा ने छात्रों मे विदेशी डिग्री प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा को बढावा दिया है जो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में उपयोगी सिद्ध हुआ है ।

उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के परिदृश्य में भारतीय छात्रों को विदेशी शिक्षा दो कारणों से अपनी और आर्कषित कर रहीं है । इसमें कमियां ओर अवसर दोनो ही है । इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों की संशयपूण्रगुणवत्ता, कम्प्यूटर सुविधाओं का अभाव, इन्टरनेट का अभाव आदि है ।

भारतीय छात्रों में प्रवेश देने वाली विदेशी विश्वविद्यालय विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय छात्रों को आकर्षित कर रही है ।

भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने व्यावसायिकता का रूप ले लिया है। जिसने शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को गौण बनाकर रख दिया है ।

भारत में विदेशी संस्थानों के संचालन के लिए निश्चित रूप से एक नीति का निर्धारण कर उसे कठोरता से लागू किए जाने की आवश्यकता है ।

गुणवत्ता से भरपूर उच्च शिक्षा को प्रोन्नत करने हेतु यह उचित होगा कि उचित व सही सम्बन्ध पैदा किए जावें जो कि समान सहभागिता पर आधारित हो तथा गुणवत्ता एवं वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधितप्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम हों । इस दिशा में एक कदम यह उठाया गया कि 1999 में भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की ग्राण्ट को कवर करते हुए कुछ दिशा-निर्देश दिए, जो मुख्य शर्ते रखी वे निम्नलिखित है -

1. भारतीय संस्थापन (साझेदार) रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित पर्याप्त मात्रा में सुविधांए एंव साधन उपलब्ध हों ।
2. कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारतीय व विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा उनसे सम्बन्ध शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा संयुक्तत: समान परिमाप के आधार पर किया जाये ।
3. विदेशी-विश्वविद्यालय भारतीय डिग्री के समकक्ष ड्रिगी है व मान्यता प्राप्त हो ।

शिक्षा के नाम पर धोखाधडी छात्रों के भविष्य के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है । उसी क्रम में शिक्षा के उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का उपयोग विश्व कल्याण, विश्व बन्धुत्व एवं विश्व के चहुमूखी विकास के लिए किया जाए तो इसका सदुपयोग हो सकेगा तथा वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा की पूर्ति हो सकेंगी ।

17.10 शिक्षण शास्त्र एवं पाठ्यक्रम का वर्तमान में कार्यक्षेत्र

शिक्षण शास्त्र उन शिक्षण-स्थितियों की समुचित व्यवस्था करता है जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशनं के अत्युत्तम साधन प्रदान कर सकती है ।

शिक्षण शास्त्र की मुख्य तीन विशेषताएं -

1- समुचित अधिगम स्थिति का निर्माण|
2- शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति|
3- अनुदेशन के सर्वोत्तम साधनों की व्यवस्था।

शिक्षण शास्त्र का आधुनिक विषय कें रूप में तेजी से विकास हो रहा है। यह वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास पर आधारित है। अध्यापक, विद्यार्थी तथा शिक्षण-अधिगम में सुधार करना इसका अनिवार्य लक्ष्य है यह सम्प्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा शिक्षक पद्धति में आधुनिकीकरण का प्रयास किया जाता है। यह शैक्षिक कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाता है। यह शिक्षण से जुडी समस्याओं के लिए तकनीकी निर्देशन प्रस्तुत करता है।

शिक्षण शास्त्र के अन्तर्गत दृश्य-श्रव्य साधनों के अतिरिक्त यंत्रो उपकरणों, का प्रयोग होता है। इसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के लिए विकसित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्व-अनुदेशन सामग्री का अभिकरण भी किया जाता है।

शिक्षण शास्त्र में अधिगम, माइक्रो शिक्षण, व्यवहार विश्लेषण,यथार्थवत शिक्षण तथा प्रणाली उपागम के सिद्धान्तों का समावेश है।

शिक्षण शास्त्र का संबंध शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। यह शैक्षिक उद्देश्यों, शैक्षिक विषय-वस्तु, शैक्षिक पर्यावरण शिक्षा सामग्री, विद्यार्थियों का आचरण, अध्यापकों का व्यवहार, अध्यापक-विद्यार्थियों के अन्त संबंध का नियंत्रण करके शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक उपयोगी बनाता है।

आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, एवं उदारीकरण, के संदर्भ में शिक्षण शास्त्र एवं पाठ्यक्रम का निम्न विवरण प्रस्तुत

1- **शिक्षण एवं अधिगम का विश्लेषण** - के अंतर्गत शिक्षण की वर्तमान, परिप्रेक्ष्य में अवधारणा, शिक्षण के चर, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण, शिक्षण का स्तर, शिक्षण की अवस्थाओं, शिक्षण के सिद्धान्त, अधिगम की अवधारणा, अधिगम के सिद्धान्त, शिक्षण एवं अधिगम में संबंधीआदि इसमें समावेशित रहते हैं।
2- **शैक्षिक लक्ष्यों की पहचान** -यह शैक्षिक व्यवहार के संदर्भ में शैक्षिक लक्ष्यों को रेखांकित करता है।
3- **पाठ्यक्रम का विकास -** शिक्षण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
4- **शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास** -शिक्षण शास्त्र वांछित लक्ष्यों, पाठ्यक्रम तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास मे सहायता प्रदान करता है। इसमें अभिक्रमित शिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर सहायक अधिगम सामग्री, कम्प्यूटर सहायक अधिगम सामग्री, जन माध्यम अनुदेशन सामग्री व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री आदि के विकास की विधियॉ सम्मिलित है।
5- **अध्यापक की तैयारी -** शिक्षक शास्त्र अध्यापकों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षण तैयारी में सहायता प्रदान करता है। जैसे - शिक्षण प्रतिमान, दलीय शिक्षण, यर्थाथवत

शिक्षण, माइक्रोशिक्षण, कक्षीय अन्तक्रिया आदि के द्वारा अध्यापक के व्यवहार का शिक्षक तैयारी में सहयोग करता है।

6- **शिक्षण-अधिगम नीतियां -** शिक्षण शास्त्र द्वारा शिक्षण अधिगम की विभिन्न नीतियाँ विकसित की जाती है। तथा विभिन्न उपलब्ध शिक्षण प्रतिमानों एंव शिक्षण विधियों में से किस का चुनाव किया जाए जिससे शिक्षण-अधिगम प्रभावशाली बन सके।

7- **शिक्षा की उप-प्रणालियों का प्रयोग -**शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उस की विभिन्न उप-प्रणालियों (Input) प्रदा (Object) सें संबंधित प्रकरणों का अध्ययन करता है। यह शिक्षण एंव अधिगम में मनुष्य मशीन एवं माध्यम के संबंधो का अध्ययन करके शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली संगठन प्रदान करता है।

8- **मूल्याकन द्वारा पृष्ठपोषण एवं नियंत्रण -**शिक्षण शास्त्र द्वारा शिक्षण-अधिगम पर उचित नियंत्रण की व्यवस्था भी करता है। यह शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया के निरन्तर मूल्यांकन के लिए उचित साधनों एवं उपकरणों का विकास करता है।

शिक्षण शास्त्र का संबंध व्यक्तिगत अनुदेशन के अतिरिक्त सामूहिक शिक्षण के साथ भी है। यह जन माध्यम के द्वारा व्यक्तियों समूहों तथा सामान्य जन समूह तक शिक्षकों को पहुंचाता है। टेलीविजन, रेडियो, फिल्मे, टेली-टैक्सट, कम्प्यूटर नियंत्रित, विधियाँ पत्राचार कोर्स आदि शिक्षण शास्त्री के प्रयोग क्षेत्र को व्यापक आयाम प्रदान करते हैं।

17.11 भारत मे उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव

17.11.1 सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र पर प्रभाव

निजीकरण में निजी व्यक्तियों, कम्पनियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के स्वामित्व का हस्तांतरण और नियंत्रण।

निजीकरण का उद्देश्य -निजी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रो पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए। क्षमताओं में सुधार के लिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमता के कारण -

- राजनीतिक हस्तक्षेप
- उत्तरदायित्व की कमी व अक्षमता
- उचित विपणन गतिविधियों का अभाव

निजीकरण के लाभ -

- क्षमता में बढ़ोतरी
- राजनैतिक हस्तक्षेप की अनुपस्थिति
- व्यवस्थित विपणन
- आधुनिक प्रोद्योगिकी का प्रयोग
- जवाब देही

- प्रतिस्पर्द्धा महौल का सृजन
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
- संसाधनों का उचित प्रयोग

निजीकरण के दोष -

- श्रम का शोषण
- अधिकारियों द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग
- धन और आय के सुसमान वितरण
- कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की कमी।

निजीकरण वर्तमान परिदृश्य में अपरिहार्य हो गया है। लेकिन कुछ नियंत्रण निजी क्षेत्रों सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

17.11.2 शिक्षा में गुणात्मक विस्तार एंव मात्रात्मक नियंत्रण -

शिक्षा के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में बढावा, मिला है। समस्त जाति धर्म, वर्ग लिंग एवं संस्कृतियों मे आपसी समन्वय एवं परस्पर निर्भरता की भावना बढ़ी है। इन्टरेक्शन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन हो रहे है आमतौर पर शिक्षा ने एक औद्योगिक रूप ले लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र अपनी, क्षमता के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है जबकि निजी क्षेत्र ने इसे उद्योग रूप में लेकर न केवल भारत के अच्छे शिक्षा संस्थानों बल्कि विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा बढा दी है। जो विद्यार्थी भारत के प्रीमियर संस्थानों मे अपनी सीटें सुरक्षित नही रख पाते वे विदेशो में अध्ययनरत हेतु रूख करने लगे है। इसी प्रकार विदेशी शिक्षण संस्थान भारतीय छात्रों को आकर्षित कर रहे है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेषत: प्रोद्योगिकी एवं प्रबन्धन ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीय विद्यार्थी विदेशी शिक्षण संस्थानों मे प्रवेश ले रहे हैं। तेजी से बढ़ रही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ, उपलब्धता और शैक्षिक संसाधन प्रतिस्पर्धा करन में भारतीय शिक्षाविदों को प्रेरित कर रहे हैं।

वैश्वीकरण के बाद शिक्षा ने निजी उद्योग का रूप ले लिया है। शैक्षिक गतिविधियों मे सयुंक्त उद्यमों में विदेशी सहयोग के लिए अनुसंधान प्रतिबन्ध, स्नातक छात्रों के प्रवेश प्रोत्साहन, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप मे दिखाई देने लगे हैं।

उच्च शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा के उदारीकरण के लिए विस्तृत, दृष्टिकोण आदि में वैश्विक वातावरण ने अवसरों का लाभ दिया है। भारत में विशेषाकर रोजगार के संबंध में सतत शिक्षा और प्रशिक्षण मे व्यस्क भागीदारी बढ़ाने के संबंध में नीति निर्माताओं का ध्यान आर्कषित किया है। इसके द्वारा आजीवन सीखनें जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा दिया है।

17.11.3 भारतीय सामाजिक व्यवस्था (जाति, धर्म, वर्ग, एकं लिंग) पर उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का प्रभाव -

भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी तेजो से बदल रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं विकास के कारण आर्थिक असमानता कम हो रही है। असमानताओं एंव अन्य सामाजिक संकेत को, के अनुसार बच्चों मे खून की कमी व कुपोषण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगारों में बहुत कम है। ऐसे तथ्य दर्शाते है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकेगी यह एक सपना मात्र है। भारत में बढती आर्थिक-सामाजिक असमानता के कारण उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्षीण होते जा रहे है। समकालीन भारतीय समाज में दलितो, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बराबर के अधिकार नही है, विभिन्न स्तरो पर उनका शोषण होता है।

विश्व के विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया जुडी हुई हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में असमानता के क्षेत्र- वर्ग - भारतीय समाज मे दो प्रकार के प्रमुख वर्ग पाए जाते है। - अमीर व गरीब। कुछ लोग इसका वर्गीकरण इस प्रकार करते है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग। ये वर्ग भारत के प्रत्येक प्रान्त और प्रत्येक प्रान्त के प्रत्येक जिले में देखने को मिलते है। दोनों वर्गो से आने वाले बच्चों की निष्पत्तियों में भी अन्तर पाया जाता है। इस अन्दर के साथ-साथ इन दोनों वर्गो से आने वाले बच्चों के पास शिक्षा सुविधाओं व साधनों के क्षेत्र में भी अन्तर देखने को मिलता हैं। अत: निष्पत्तियों'के अभाव व निम्न स्तर के कारण भी उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के बच्चों में शिक्षा में शिक्षा सुविधाओं की समानता पाई जाती है।

इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे प्रमुख धर्मों के लोग भी विभिन्न प्रान्तों में रहते है, जो अन्य क्षेत्र है असमानता का।

लिंग के आधार पर भी असमानताएं दृष्टिगोचर होती है। स्त्री समाज का एक बड़ा व महत्वपूर्ण वर्ग है परन्तु यह वर्ग शताब्दियों से अज्ञानता के अन्धकार में सामाजिक कुरीतियों तथा परम्पराओं के कारण भटकता रहा है। अत: इस क्षेत्र में शिक्षा मे असमानता पाई जाती है। इस असमानता को हम इस प्रकार देख सकते है। कि स्वतंत्रता के समय (1947) में 6 से 11 आयु वर्ग के लड़को का प्राथमिक शिक्षा में नामांकन प्रतिशत 53 था। तथा लड़कियों का प्रतिशत 17.4 था। प्रथम योजना के प्रारम्भ में लड़को का नामांकन प्रतिशत 58 था। जबकि लड़कियो का नामांकन केवल 24 प्रतिशत ही था। प्रथम योजना के अन्त में यह प्रतिशत 58 था जबकि लडकियों का नामांकन केवल 32 था। दूसरी योजना की समाप्ति तक यह प्रतिशत लडकों मे 82 तथा लड़कियों में 41 प्रतिशत था तीसरी योजना में लडको का प्रतिशत 90 तथा लड़कियों का 61 प्रतिशत था।

शिक्षा के असमान स्तर के अतिरिक्त ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में भी असमानताए दिखाई देती है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पिछडे वर्ग की स्थिति पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इनकी शिक्षा के प्रति रूचि जाग्रत करना आवश्यक है,क्योंकि इस वर्ग की उन्नति में भारत की प्रगति का भविष्य छिपा है। इस वर्ग के बच्चों में हीनता की भावना को दूर कर संतुलित विकास की परिधि मे लाना वर्तमान की प्राथमिक आवश्यकता है।

पिछडे वर्ग के लोगो में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, निश्चित क्षेत्र व व्यवसाय के अभाव मे ये वर्ग अधिक निर्धन हो रहे है। जीविका के पूर्व साधन न होने से ये शिक्षा की और सोच भी नही पाते है।

कई बार इनके जीवन में स्थायीपन नही हो पाता इसलिए इनके लिए शिक्षा सुविधाएं जुटाना कठिन कार्य हो जाता है।

सभी वर्गो, जातियो, धर्मो एंव स्त्रियों को समान रूप से शैक्षिक अवसर सुलभ कराने के लिए विभिन्न आयोगों ने समय-समय पर सुझाव दिए है। परन्तु उदाकरण और वैश्वीकरण के इस युग में सैदान्तिक रूप में सभी प्रयासों के बावजूद प्रायोगिक रूप में इन्हें सफल बनाने में अनेकों कठिनाइयों का सामन करना पड़ रहा है।

17.12 सामाजिक असमानता को दूर करने के उपाय -

समाज मे विभिन्न प्रकार की असमानताएं लम्बे समय सें चली आ रही है कुछ प्राचीनकाल से चली आ रही है। कुछ आधुनिक युग की देन है। विश्व का कोई समाज इन असमानताओं से अछूता नहीं है। वैश्वीकरण एव उदारीकरण के दौर में अनेको प्रयास किए गए इन असमानतओं को दूर करने हेतु।

1- जाति प्रथा के रूप् में विकसित असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए। जनजाति एवं पिछडी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
2- अस्पृश्यता निषेध कर दिया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भारत में पूरी तरह लागू कर दिया गया।
3- सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति को मजबूत करन के लिए उच्च शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षा के सभी क्षेत्र सभी वर्गो के लिए खोल दिए गए।
4- लिंग समानता हेतु सभी स्त्री शिक्षा में सुधार किए गए। महिलाएं न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। बल्कि ऊँचे पदो पर विराजमान है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा कानून, दहेज निरोधन कानून बनाए व लागू किए गए।
5- आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप् से पिछडे वर्गो को शिक्षा, निशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बी.पी.एल. परिवारों हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

17.13 सामाजिक असमानता को दूर करने मे शिक्षा की भूमिका -

यहाँ शिक्षा से तात्पर्य व्यवहारगत परिवर्तन एंव अभिवृत्यात्मक परिवर्तन से है। वास्तव में शिक्षा द्वारा आया सकारात्मक परिवर्तन ही सामाजिक असमानताओं को दूर करने मे सहायक होता है। किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करने मे शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा समाज में वंचित वर्ग को अनिवार्य एक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। उच्च शिक्षा के द्वार सभी जाति एवं वर्गो के लिए खोल दिए गए है। इसके अतिरिक्त पिछडों के लिए आरक्षण भी दिया जा रहा है।

शिक्षा से जहां एक ओर आत्मनिर्भर बढ रही है। वही दूसरी और प्रेरणा व आत्म विश्वास का भी संचार हो रहा है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सजग रहता है। समाज में फैल रही असमानताओं के प्रति सजग रहता है। उन्हें दूर करने में अपना सक्रिय योगदान भी दे सकता है।

17.14 सारांश

विश्व के सभी देशों की भाँति भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उदारीकरण और वैश्वीकरण का तीव्र प्रभाव पड़ा | भारत वर्ष में वैदिक काल से ही "वसुदेव कुटुम्बकम" की भावना चली आ रही है | इसी भावना को और अधिक सुदृढ बनाने का कार्य वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति ने किया है| उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने भारतीय छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयो में प्रवेश लेने हेतु आकर्षित किया है | भारत में शिक्षा को अत्याधुनिक परिस्थितियों के अनुसार बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गए हैं तथा शिक्षा को सर्वव्यापक एवं सर्वसुलभ बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं |

17.15 शब्दावली

- **विश्वग्राम-** वैश्वीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व का एक गांव के रूप में उभरकर सामने आना |
- **वित्तीय अस्थिरता-** विदेशी पूंजी के प्रवाह में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था में होने वाला उतार-चढ़ाव |
- **उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण-** शिक्षा में नवाचार के प्रयोग द्वारा अपने देश की सीमाओं के बाहर जाकर अध्ययन करना |
- **शिक्षण शास्त्र-** अध्यापक विद्यार्थी तथा शिक्षण अधिगम के सम्बन्ध में अध्ययन करने वाला विषय |

17.16 निबंधात्मक प्रश्न

1- भारतीय अर्थ व्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषाताएं बताइए।
2- उदारीकरण एव वैश्वीकरण के फलस्वरूप शिक्षण शास्त्र पाठ्यक्रम सम्बन्धी परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।
3- वर्ग जाति धर्म, सम्बन्धी परिवर्तनों के स्वरूप की चर्चा कीजिए।
4- स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित सामाजिक परिवर्तनो का उल्लेख कीजिए।
5- सार्वजनिक एवं निधि क्षेत्र में गुणात्मक विस्तार एवं आध्यात्मक नियंत्रण कहाँ तक परिलक्षित होता है। विवरण दीजिए।

17.17 संदर्भ ग्रंथ सूची

- सिंह, विजेन्द्र, त्यागी ओंकार (2005), उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
- उपाध्याय, प्रतिभा, (2003), भारतीय शिक्षा के उदयीमान प्रवृत्तियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद |

- गुप्ता, एस.पी. (2003), भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद|
- अरोड़ा, रीता (2005), शिक्षा में नवचिंतन, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर|
- शर्मा, आर.ए. (2011), शिक्षक तकनीकी, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ|

इकाई -18

भारत की शैक्षिक विरासत

(शिक्षा के वैदिक प्रणाली, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा गुरुकुल, मठ विहार, मदरसों और मकतबों की विशेषताएं, पुरुषार्थ की अवधारणा, पारंपरिक भारतीय मूल्य)

Educational Heritage of India

(Vedic System of Education, Education in Ancient & Medieval India, characterstics of Gurukuls, Matha & Vihar, Madrassas, & Maktabs, the concepts of Purusharths, Traditional Indian Values)

इकाई की रूपरेखा:

18.1 प्रस्तावना

18.2 उद्देश्य

18.3 'भारत की शैक्षिक विरासत और शिक्षा के वैदिक प्रणाली का अर्थ'

18.4 शिक्षा का अर्थ

18.5 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

18.5-1 स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन

18.5-2 ज्ञान का विकास

18.5-3 सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन

18.5-4 संस्कृति का सरंक्षणएवं विकास

18.5-5 नैतिक एवं चारित्रिक विकास

18.5-6 जीविकोपार्जन एवं कला–कौशल की शिक्षा

18.5-7 आध्यात्मिक उन्नति

18.6 शिक्षण विधियाँ

18.6-1 अनुकरण,आवृति एवं कंठस्थ विधि

18.6-2 व्याख्या एवं दृष्टान्त विधि

18.6-3 कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि

18.6-4 तर्कविधि

18.7 पाठ्यक्रम

18.8 शिष्य–गुरु सम्बन्ध

18.9 भारतीय शिक्षा पर प्रभाव

18.10 बौध शिक्षा प्रणाली(Buddhist Education)

18.11 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

18.11-1 ज्ञान का विकास

18.11-2 सामाजिक आचरण की शिक्षा

18.11-3 मानव संस्कृति का सरंक्षणएवं विकास

18.11-4 चरित्र विकास

18.11-5 कला–कौशल एवं व्यख्यों की शिक्षा

18.11-6 बौध धर्म की शिक्षा

18.12 मुख्य शिक्षण विधियाँ

18.13 अभ्यास प्रश्न -1

18.14 मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली

18.15 मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य

18.15-1 ज्ञान का प्रसार

18.15-2 धर्मप्रचार

18.15-3 नैतिक विकास

18.15-4 राजनीतिक उद्देश्य

18.16 शिक्षा की व्यवस्था

18.17 पाठ्यक्रम

18.18 स्त्री शिक्षा

18.19 अभ्यास प्रश्न -2

18.20 गुरुकुल,मठ,विहार,मकतब तथा मदरसों की विशेषताएं

18.21 गुरुकुलों की स्थिति ब स्वरुप

18.22 छात्रों का प्रवेश व उपनयन संस्कार

18.23 गुरुकुलों की दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य

18.24 परीक्षाएं एवं उपाधियाँ

18.25 समावर्तन समारोह

18.26 बौध मठ एवं विहार

18.27 बौध मठों एवं विहारों की स्थिति एवं स्वरूप

18.28 छात्रों का प्रवेश एवं पबज्जा संस्कार

18.29 मठों एवं विहारों की दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य

18.30 परीक्षाएं एवं उपाधियाँ

18.31 उपसम्पदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा में प्रवेश

18.32 मकतब और मदरसे

18.33 मकतब

18.34 मदरसा

18.35 पुरुषार्थ की अवधारणा

18.36 अभ्यास प्रश्न -3

18.37 सारांश

18.38 शब्दावली

18.39 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

18.40 निबन्धात्मक प्रश्न

18.41 संदर्भ ग्रन्थ

18.1-प्रस्तावना

शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जिसका आयोजन राष्ट्रीय विकास एवं उत्पादनशीलता की दृष्टि से आज विश्व का हर राष्ट्र कर रहा है| जहाँ एक ओर हर समाज में शिक्षा संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है,वहां दूसरी ओर एक स्वतंत्र अनुशासन अथवा विद्या या विषय के रूप में भी शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है| यदि हम एजुकेशन शब्द का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एडुकेयर से हुई इस लैटिन शब्द का अर्थ है शिक्षित करना,बढ़ाना,ऊपर उठाना| देश के वर्तमान और भविष्य के निर्माण की नींव उस का अतीत होता है| अपनी नींव का आयात अमेरिका या इंग्लैंड के नहीं कर सकते कोई भी निर्माण हम अपने अतीत,अपनी प्राचीन संस्कृति पर ही कर सकते हैं| वेदकालीन हमारी प्राचीनतम संस्कृति है| अत: इसका अध्ययन आवश्यक है| प्राचीन भारत की यह विशेषता रही है कि इसका निर्माण राजनीतिक,आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म के क्षेत्र में हुआ| भारतीय संस्कृति धर्म की भावनाओं से ओत-प्रोत हमारे पूर्वजों ने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा वसुधैव-कुटुम्बकम ही उनका आदर्श था|

18.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढने के वाद विद्यार्थी:

- भारत की शैक्षिक विरासत और शिक्षा के वैदिक प्रणाली की भूमिका के बारे में जानने में सक्षम होंगे |
- वैदिक काल में शिक्षा के अर्थ,उद्देश्य तथा आदर्श,पाठ्यचर्या,शिक्षण-विधियां तथा अनुशासन को समझने में सक्षम होंगे |
- मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के अर्थ,उद्देश्य तथा आदर्श,पाठ्यचर्या,शिक्षण-विधियां तथा अनुशासन को समझने में सक्षम होंगे |
- गुरुकुल,मठ,विहार,मकतब तथा मदरसों की विशेषताएं को समझने में सक्षम होंगे|

18.3-'भारत की शैक्षिक विरासत और शिक्षा के वैदिक प्रणाली का अर्थ'

जब हम शिक्षा विषय का अध्ययन आरम्भ करते हैं तब हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम यहजाने कि शिक्षा क्या है | शिक्षा के इतिहास तथा अन्य सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन से हमें यह मालूम होता है कि समय-समय पर शिक्षा के स्वरुप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है | इस प्रकार शिक्षा के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गए हैं वे तत्कालीन समाज और संस्कृति के अनुरूप हैं | दूसरे शब्दों में शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है | शिक्षा के वे आधार जो शिक्षा –क्रिया के सामाजिक स्वरुप या उसके सामाजिक अवलम्ब को स्पष्ट करते हैं,शिक्षा के सामाजिक आधार कहलाते हैं | शिक्षा की नीतियां एवं लक्ष्य क्या हों इसके लिए दर्शन शास्त्र की सहायता ली जाती है | शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में पारस्परिक सम्बन्ध क्या हों,एक विकासशील समाज के लिए शिक्षा का स्वरुप क्या हो,समाज के स्तरीकरण तथा गतिशीलता का शिक्षा में किस प्रकार का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यह सब बातें शिक्षा के समाज शास्त्र के माध्यम से स्पष्ट होती हैं | शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसका सम्पादन तथा संचालन ओपचारिक अथवा अनोपचारिक दोनों ही रीतियों से किया जाता है| भारतीय दृष्टि से शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के संस्कारों का समावेश होता है | जैसा कि हमें ज्ञात है संस्कार शब्द 'सम्यक करणम' से सम्बन्ध है जिसका अर्थ है उन्नति करना,श्रेष्ठ बनना | यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतीय परम्परा जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल देती है | अत: शिक्षा का कार्य आध्यात्मिक जीवन की तैयारी है | महात्मा गाँधी ने उस शिक्षा को शिक्षा माना है जो व्यक्ति को सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्ति दिलाये और जो व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो | विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा की भारतीय परम्परा का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि शिक्षा केवल जीविका का साधन नहीं है और न सिर्फ नागरिकता की ही शिक्षा है बल्कि शिक्षा का कार्य आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराना है और व्यक्ति को इस योग्य बनाना है की वह सत्य का अनुसरण कर सके और सदगुणों का विकास तथा अभ्यास कर सके | जब व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है तब उसका दूसरा जन्म होता है | कभी –कभी शिक्षा के स्वरुप के सम्बन्ध में यह विवाद उठता है कि शिक्षा कला है या विज्ञान | इस विवाद में जो बातें कही जाती हैं उनमें काफी सच्चाई होती है | सच तो यह है कि शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी | शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरुप से परिचित होता है चूंकि कला का सम्बन्ध आध्यात्मिक

जीवन से है इसलिए शिक्षा कला का अंग है | शिक्षा विज्ञान के रूप में उस समय उपस्थित होती है जब कि इसमें व्यवहार और प्रयोग पर बल दिया जाता है | शिक्षा की सामग्री के अंतर्गत बालक,उसका पर्यावरण और शिक्षक प्रमुख हैं | शिक्षा का केंद्र बालक है अत: शिक्षा बालक सम्बन्धी उन सभी बातों में रूचि रखती है जो उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं| बालक के शारीरिक,बौधिक,भावात्मक,सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा प्रयत्नशील होती है | अत: इनसे सम्बन्धित विषय शिक्षा की सामग्री के अंतर्गत हैं | बालक के घर परिवार और समाज का पर्यावरण भी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है | अत: शिक्षा की सामग्री के अंतर्गत इस पर्यावरण का भी महत्व है | शिक्षक बालक को शिक्षा प्रदान करता है और अपने व्यक्तित्व से भी उसे प्रभावित करता रहता है | बालक शिक्षक के व्यवहार को आदर्श के रूप में ग्रहण करता है| और वैसा ही कार्य तथा व्यवहार करने की कोशिश करता है | इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत बालक, उसका पर्यावरण और शिक्षक का बड़ा महत्व है | इसीलिए इन्हें शिक्षा सामग्री का प्रमुख अंग मानते हैं|

वैदिक काल को भी –भिन्न विद्वानों ने उपकालों में विभाजित किया है | शिक्षा की दृष्टि से उसे दो उपकालों में विभाजित किया गया है – प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल| उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो गया था | इसलिए कुछ विद्वान उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली कहते हैं | और चूँकि ये दोनों शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित हुई थी | इसलिए कुछ विद्वान इन दोनों को हिंदु शिक्षा प्रणाली कहते हैं | हमारी दृष्टि से इन्हें वैदिक शिक्षा प्रणाली कहना अधिक उपयुक्त है और वह इसलिए की २००० वर्ष लम्बे इस वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली में मूलभूत समानता रही थी, केवल ज्ञान में विकास के साथ-साथ इसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में विकास हुआ था | हम उसका अध्ययन भी समग्र रूप से करने के पक्ष में हैं | उत्तर वैदिक काल उसमे जो परिवर्तन एवं विकास हुआ उसे यथासंदर्भ में देखा समझा जा सकता है |

18.4-शिक्षा का अर्थ

वैदिक काल में शिक्षा शब्द का का प्रयोग ज्ञान,विद्या,विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता था और इन रूपों में भी संकुचित और व्यापक, दोनों अर्थों में किया जाता था | सामान्यत: बच्चों को परिवारों में विद्यारम्भ संस्कार और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कला कौशल में प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था| यह शिक्षा का संकुचित अर्थ था | परन्तु जब शिष्य गुरुकुल शिक्षा पूरी कर लेते थे तो समावर्तन समारोह होता था | और इस समारोह में गुरु शिष्यों को एक उपदेश यह भी देते थे कि स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करना | इसका अर्थ है कि उस काल में जीवन भर स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया जाता था| यह शिक्षा का व्यापक अर्थ था |

18.5-शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

18.5-1 स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन– वैदिककालीन ऋषि और गुरुओं की मान्यता थी कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर और निर्मल मन की होती है |

18.5-2 ज्ञान का विकास:यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था| तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था, और यह माना जाता था कि ये दो नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं परन्तु हमारा तीसरा नेत्र हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है | यह हमें सत्य-असत्य का भेद स्पष्ट करता है | वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा,व्याकरण,कृषि,पशुपालन और कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी |

18.5-3 सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन: वैदिक कालीन शिक्षा का यह तीसरा मुख्य उद्देश्य था| उस समय शिष्यों को समाज तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था| और उनके पालन में प्रशिक्षित किया जाता था| गुरुकुल शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन समारोह होता था| इस समारोह में गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे| उनमें एक उपदेश यहभी होता था कि माता –पिता की सेवा करना,समाज की सेवा करना और गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करना |

18.5-4 संस्कृति का सरंक्षण एवं विकास:हमारी संस्कृति शुरू से ही धर्म प्रधान रही है| हमारे रहन –सहन एवं खान-पान की विधियाँ,रीति–रिवाज और मूल्य सभी धर्म पर आधारित रहे हैं| वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संस्करण और हस्तांतरण था| उस काल में गुरुकुलों की सम्पूर्ण कार्य पद्धति धर्मप्रधान और संस्कार प्रधान थी| उस काल में शिष्यों को वेद मन्त्र रटाये जाते थे संध्या वन्दन की विधियाँ सिखाई जाती थीं|

18.5-5 नैतिक एवं चारित्रिक विकास:वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्मसम्मत आचरण में शिक्षित करने से लिया जाता था| उसके आहार–विहार और आचार–विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने से लिया जाता था| उस समय बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उन्हें प्रारंभ से ही धर्म और नीतिशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी|

18.5-6 जीविकोपार्जन एवं कला–कौशल की शिक्षा: कुछ विद्वानों का यह भ्रम निराधार है की वैदिक काल में मनुष्यों को व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी| उस काल की शिक्षा के संदर्भ में यह तथ्य उजागर हुए हैं कि प्रारम्भिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यताअनुसार कृषि,पशुपालन,एवं अन्य कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी| उस समय हमारा देश धन –धान्य से सम्पन्न था, लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे|

18.5-7 आध्यात्मिक उन्नति: वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था| इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को भाषा,साहित्य,धर्म,और नीतिशास्त्र का ज्ञान कराया जाता था, उनमें धार्मिक भावना और ईश्वर भक्ति की भावना का विकास किया जाता था|

18.6- शिक्षण विधियाँ

वैदिक काल में शिक्षण सामान्यता मौखिक रूप से होता था और प्राय: प्रश्नोतर,शंका समाधान,व्याख्यान और वाद–विवाद द्वारा होता था| उस समय भाषा की शिक्षा के लिया अनुकरण विधि और कला-कौशल की शिक्षा की लिये प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था | उस समय विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता था अत: यहाँ इनके प्राचीन रूप को स्पष्ट करना आवश्यक है|

18.6-1 अनुकरण,आवृति एवं कंठस्थ विधि: अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है | वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी |

18.6-2 व्याख्या एवं दृष्टान्त विधि: वैदिक काल में शिष्यों व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मन्त्र कंठस्थ करने के बाद उसकी व्याख्या करते थे | उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टान्तों का प्रयोग करते थे |

18.6-3 कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि: वैदिक काल में कृषि,पशुपालन,कला –कौशल,सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कथन,प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी |

18.6-4 तर्कविधि: उत्तर वैदिक काल में तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ | उस समय इस विधि के पांच पद थे| प्रतिज्ञा,हेतु,उदहारण,अनुपयोग,और निगमन |

18.7-पाठ्यक्रम:

छात्रों को वेद,वेदांग,पुराण,उपनिषद,आदि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी| साथ-साथ लौकिक ज्ञान भी दिया जाता था| धार्मिक साहित्य के अतिरिक्तगणित,ज्योतिष,काव्य, इतिहास, दर्शन, राजनीतिशास्त्र व अर्थशास्त्र,कृषि विज्ञान,मूर्तिकला,सैनिक शिक्षा,आयुर्वेद तथा शिल्प विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे |

18.8-शिष्य–गुरु सम्बन्ध:

विद्यार्थी गुरु के गृह पर रहकर गुरु की सेवा करता था विद्याध्ययन करता था| विद्यार्थी 'आचार्य कुलवासी' कहलाता था तथा गुरु विद्यार्थी का आध्यात्मिक पिता माना जाता था | गुरु के लिए भिक्षान्न,इंधन तथा जल लाना तथा अन्य सेवा करना उसका कर्तव्य था और विद्या प्राप्त करने की पात्रता का घोतक था |

18.9-भारतीय शिक्षा पर प्रभाव

वैदिक शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा है | प्रत्यक्ष रूप में वह वैदिक काल से लेकर आज तक निरंतर रूप में चली आ रही है| आज भी देश भर में गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, यह बात दूसरी है कि यह वैदिक कालीन गुरुकुलों से कुछ भिन्न हैं| दूसरी ओंर हमारी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने भी इसके कुछ गुणों को स्वीकार किया है और इसके दोषों से अपने को बचाया है | इसे हम वैदिक शिक्षा का आधुनिक भारतीय शिक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव मन सकते है |

अंत में हम यह कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली उस समय की संसार की सबसे श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली थी | परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरुप और उसकी भावी आवश्यकताओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं और कुछ तत्व त्याज्य हैं |

18.10- बौध शिक्षा प्रणाली(Buddhist Education)

ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी में वैदिक काल के हिंदु धर्म कर्म में कुछ दोष आने लगे | वास्तविक धर्म का लोप होने लगा | कर्मकाण्ड को ही लोग धर्म मानने लगे| यज्ञ के नाम पर पशुबलि दी जाने

लगी। तपस्या के नाम पर लोग गृह त्यागकर वनों में मारे –मारे फिरने लगे। ऐसी अन्धकारमयी स्थिति में ज्योति दिखलाने वाला एक क्षत्रिय राजकुमार था जिसको कि गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि बलि और यज्ञ से जीव- हिंसा होती है। तथा व्यर्थ धन व्यय होता है। अत: इस प्रथा को समाप्त करो। महात्मा बुद्ध ने ऐसे धर्म सिद्दान्तों का वर्णन किया जो प्रत्यक्ष जीवन की वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करके धर्म का एक व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करें| वे समझते थे कि संसार दु:खमय है अत: उसका त्याग करके मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है।

18.11-शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

18.11-1 ज्ञान का विकास:महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है| अत: उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया।

18.11-2 सामाजिक आचरण की शिक्षा: बोध धर्म मानव मात्र के कल्याण का पक्षधर है| यही कारण है कि इसमें सबसे ज्यादा बल करुना और दया पर दिया गया है।

18.11-3 मानव संस्कृति का सरंक्षण एवं विकास: बोध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं,मानवमात्र की संस्कृति के सरंक्षणएवं विकास का पोषक है।

18.11-4 चरित्र विकास:बोध धर्म में आत्मसंयम,करुणा और दया का सबसे अधिक महत्व है| बौधों की दृष्टि से जो इसका पालन करता है,वही चरित्रवान है।

18.11-5 कला–कौशल एवं व्यख्यों की शिक्षा: बौध धर्म मनुष्यों को संसार से विमुख होने का उपदेश नहीं देता,वह तो मनुष्यों को संसार के दुखों से बचने का उपदेश देता है।

18.11-6 बौध धर्म की शिक्षा: यूँ तो बौध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा दी गई थी परन्तु सर्वाधिक बल बौध धर्म की शिक्षा पर ही दिया जाता था और यह पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग थी।

18.12- मुख्य शिक्षण विधियाँ: अनुकरण विधि,प्रश्नोत्तर विधि,व्याख्या विधि,वाद-विवाद एवं तर्क विधियाँ,व्याख्यान विधि,प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि आदि।

अत: हम कह सकते हैं कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में रख दी थी। परन्तु उसका पूर्ण ढांचा बौध शिक्षा प्रणाली में तैयार किया गया|

18.13-अभ्यास प्रश्न-1. सही उत्तर का चयन कीजिए

1. वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

(अ)शारीरिक विकास (ब) ज्ञान संवर्द्र

(स) आध्यात्मिक उन्नति (द)नैतिक शिक्षा (स)आध्यात्मिक उन्नति

2. वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था?

(अ)तक्षशिला (ब) मिथिला (स)प्रयाग (द)काशी

3. वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर था|

(अ) 8 वर्ष (ब) 10 वर्ष (स) 12 वर्ष (द) कभी भी

18.14-मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली

मुसलमानों के आक्रमण तथा मुस्लिम शासकों के स्थाई रूप बस जाने से भारतीय जन-जीवन में विशेष परिवर्तन हो गए | इसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ | प्रारम्भ में मुस्लिम शिक्षा शहरी क्षेत्रों तक सीमित रही | कुछ मुस्लिम बादशाहों ने वैदिक शिक्षा में रूचि ली और संस्कृत के ग्रन्थों का फारसी और अरबी में अनुवाद किया | परन्तु अधिकतम बादशाहों ने मंदिरों और विहारों को नष्ट किया और हिंदु शिक्षा को नष्ट किया | प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा किसी तरह जीवित रह गई |

18.15-मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य

18.15-1 ज्ञान का प्रसार:मुस्लिम पैगम्बरों के अनुसार ज्ञान को रेगिस्तान में मित्र,एकांत में साथी दुःख में सहानुभूति देने वाला,मित्रों के मध्य शोभा बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं से रक्षक मन जाता था |

18.15-2 धर्मप्रचार: इस्लामी शिक्षा का दूसरा उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार था | इस्लाम धर्म का प्रचार एक धार्मिक कर्तव्य माना गया |

18.15-3 नैतिक विकास:इस्लामी कानून,सामाजिक प्रथाओं और राजनीतिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी जिससे बालक को नैतिक-अनैतिक में भेद का ज्ञान हो तथा नैतिक गुणों का विकास संभव हो|

इस्लामी शिक्षा में रूचि बनाये रखने के लिए शिक्षित व्यक्तियों को राज्य में अनेक पदों पर आसीन किया जाता था| हिंदु भी फारसी भाषा के विद्वान होकर ऊँचे पदों पर नियुक्त हुए|

18.15-4 राजनीतिक उद्देश्य: मुसलमान शासकों का यह विचार था कि जब तक भारत की अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को नष्ट नहीं किया जायेगा, मुस्लिम राज्य की स्थाई नींव नहीं पड़ सक्ती |

18.16 शिक्षा की व्यवस्था

मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी | मुग़ल काल में भारत में मकतबों की भरमार हो गई थी | मकतब इस्लामी प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को 3R’s पढना,लिखना तथा गणित की शिक्षा देना तथा ऐसी धार्मिक प्रार्थनाएं सिखाना था जो प्रतिदिन की जाती थीं या जिनकी धार्मिक उत्सवों में आवश्यकता होती थी| यह मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे | मकतब प्रवेश की भी एक विधि होती थी | जब बालक चार वर्ष,चार माह और चार दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह की रस्म मनाई जाती थी |

18.17-पाठ्यक्रम

मदरसों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–लौकिक एवं धार्मिक लौकिक शिक्षा के अंतर्गत गणित ,ज्योतिष, संगीत, चिकित्सा, इतिहास, साहित्य, तर्कशास्त्र, कानून आदि विषय थे | धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान का गहन एवं विस्तृत अध्ययन,इस्लामी कानून तथा सूफी धर्म के सिदान्त सम्मिलित थे |

18.18 स्त्री शिक्षा

मध्यम वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था| उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनके माता –पिता द्वारा दी जाती थी | बचपन में उनको बालकों के साथ पढ़ाया जाता था| जब वे बढ़ी हो जाती थीं तो उनको घर पर पढ़ाया जाता था | उनके पाठ्यक्रम में भी 3 R‘s की शिक्षा तथा कुरान की शिक्षा प्रारम्भिक स्तर पर थी | शाही तथा धनी परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध उनके निवास पर हो जाता था |

18.19 अभ्यास प्रश्न -2.सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में विस्मिल्लाहखानी रस्म किस आयु पर होती थी ?

   (अ) 4 वर्ष, 4 माह,4 दिन (ब) 5 वर्ष,5 माह,5 दिन (स) 6 वर्ष,6 माह,6 दिन (द) 8 वर्ष,8 माह,8 दिन

2. मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी ?

   (अ) मकतबों (ब) मदरसों (स) खान का हों (द) दरगाहों (ब) मदरसों

3. शाहजहाँ ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को शिराजे –ए –हिन्द कहा था ?

   (अ) दिल्ली (ब) आगरा (स) फिरोजावाद (द) जौनपुर

18.20 गुरुकुल,मठ,विहार,मकतब तथा मदरसों की विशेषताएं:

गुरुकुल:

वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से गुरुकुल में होती थी |

18.21 गुरुकुलों की स्थिति व स्वरुप

प्रारम्भिक काल में गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में किसी नदी या झरने के किनारे स्थित होते थे परन्तु उत्तर वैदिक काल में यह बड़े-बड़े गांवों और तीर्थ स्थानों के निकट स्थापित होने लगे | उस नगर में गुरुकुल आवासीय होते थे,इनके अपने नियम होते थे और अपनी कार्यपद्धति होती थी |

18.22 छात्रों का प्रवेश व उपनयन संस्कार

वैदिक काल में गुरुकुलों में भिन्न –भिन्न वर्ण के बच्चों का प्रवेश भिन्न-भिन्न आयु पर होता था| ब्राह्मण बच्चों का आठ वर्ष की आयु पर,क्षत्रिय बच्चों का दस वर्ष की आयु पर और वैश्य वर्ण के बच्चों का बारह वर्ष की आयु पर प्रवेश के समय सभी बच्चों का उपनयन संस्कार होता था | उपनयन का अर्थ है समीप लाना अर्थात बच्चे को गुरु के सम्मुख उपस्थित करना |

18.23 गुरुकुलों की दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य

वैदिक काल में गुरुकुलों की दिनचर्या बड़ी नियमित एवं कठोर होती थी | गुरु और शिष्य दोनों परता ब्रह्ममुहूर्त में उठते थे | पूजा पाठ करना,भिक्षा के लिए जाना जंगले से लकड़ी लाना,जल स्त्रोतों से जल लाना और अन्य कार्य व्यवस्थित करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था | शिक्षण कार्य ज्यादातर खुले मैदानों में पेड़ की छाया के नीचे होता था |

18.24 परीक्षाएं एवं उपाधियाँ

सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछ कर यह निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं | इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था| ये विद्वान छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे |

18.25 समावर्तन समारोह

वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था | समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना | समावर्तन समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनाये जाते थे | इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाते थे | वेद मन्त्रों से देवताओं की आराधना होती थी | इसके बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे |

वैदिक कालमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिकरणों द्वारा भी होती थी | इनमें ऋषिआश्रम, परिषद,सम्मेलन मुख्य हैं |

18.26 बौध मठ एवं विहार

बौध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक एवं उच्च,दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था बौध मठों एवं विहारों में होती थी | यूँ तो ये मठ और विहार मूल रूप से धार्मिक केंद्र थे और इनका संचालन बौध संघों द्वारा होता था परन्तु साथ ही इनमें शिक्षा की व्यवस्था भी की जाने लगी थी और उस समय ये ही शिक्षा की मुख्य संस्थाएथीं |

18.27 बौध मठों एवं विहारों की स्थिति एवं स्वरूप

बौध मठ एवं विहार बड़े-बड़े नगरों के निकट खुले स्थान पर बनाये गए थे | अधिकतर मठों एवं विहारों के भवन बहुत विशाल अवन भव्य थे | कुछ बौध मठों एवं विहारों में केवल धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी,कुछ में केवल धार्मिक एवं प्राथमिक शिक्षा की व्यवास्था थी और कुछ में धार्मिक,प्राथमिक एवं उच्च सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी |

18.28 छात्रों का प्रवेश एवं पबज्जा संस्कार

बौध मठों एवं विहारों में सभी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था परन्तु अस्वस्थ,विकलांग,डाकू,राज्य द्वारा दण्डित और राज्य कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था| प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी | प्रवेश के समय बच्चों का पबज्जा संस्कार होता था| पबज्जा का अर्थ है बाहर जाना |

18.29 मठों एवं विहारों की दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य

मठों एवं विहारों में गुरु-शिष्य दोनों बहुत कठोर एवं नियमित जीवन जीते थे | प्रात:काल उठाना,दांतून एवं स्नान नित्य कर्म करना,व्यवस्थानुसार शेष कार्य करना और शेष समय में अध्ययन-अध्यापन करना और समय से रात्रि विश्राम करना मठों एवं विहारों में रहने वालों के लिए अनिवार्य था |

18.30 परीक्षाएं एवं उपाधियाँ

बौध काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी| प्राथमिक स्तर पर तो अधिकारी शिक्षक संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे | इस स्तर पर उतीर्ण छात्रों को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था | उच्च स्तर पर शिक्षकों एक पैनल छात्रों की मौखिक रूप से परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियाँ दी जाती थीं |

18.31 उपसम्पदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा में प्रवेश

बौध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के वाद कुछ छात्र तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे | भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुन: परीक्षा होती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्रमण को दस प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त आठ प्रतिज्ञाएँ और लेनी होती थीं | तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था | इसे उपसम्पदा संस्कार कहा जाता था|

18.32 मकतब और मदरसे

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी| इनके अतिरिक्त खानकाहें,दरगाहें,कुरान स्कूल,फारसी स्कूल, फारसी–कुरान स्कूल और अरवी स्कूलों की व्यवस्था थी |

18.33 मकतब

मकतब शब्द अरवी भाषा के कुतुब शब्द से बना है | जिसका अर्थ है-वह स्थान जहाँ पढना – लिखना सिखाया जाता है | मध्यकाल में ये मकतब प्रायः मस्जिदों से सलंग्न होते थे और एक अध्यापकीय होते थे | उस समय पर्दा प्रथा थी,इसके बावजूद लड़के तथा लड़कियां एक साथ पढ़ते थे| मकतबों में बच्चों का प्रवेश चार वर्ष,चार माह,चार दिन की आयु पर किया जाता था | प्रवेश के समय सभी बच्चों की बिस्मिल्लाहखानी की रस्म होती थी | बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक के सामने उपस्थित किया जाता था | शिक्षक बच्चे को कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहरवाते थे और जो बच्चे कुरान शरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे | बिस्मिल्लाह का अर्थ है - अल्लाह का नाम पर | और इसके बाद बच्चे को मकतब में प्रवेश दिया जाता था | मकतबों में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थीं,इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी,अरबी और फारसी की शिक्षा भी दी जाती थी और गणित भी पढ़ाया जाता था |

18.34 मदरसा

मदरसा शब्द अरबी भाषा के 'दरस' शब्द से बना है जिसका अर्थ है भाषण देना और चूंकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी इसलिय उन स्थानों को जहाँ शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े–बड़े नगरों में स्थापित किये गए थे। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय, छात्रावासों आदि के निर्माण में उस समय के मुसलमान शासकों का बड़ा योगदान रहा है। ये मदरसे बहु अध्यापक थे। इनके अध्यापकों को उच्च वेतन दिया जाता था। वेतन आदि की व्यवस्था के लिए भी राजकोष से आर्थिक सहायता दी जाती थी। पुस्तकालयों के बड़े–बड़े भवन थे और इनमें अरबी एवं फारसी भाषा और इस्लाम धर्म के सभी मुख्य ग्रंथों की कई-कई प्रतियाँ थीं, साथ ही अध्यापक निवास और छात्रावास भी थे। ये भी उच्च श्रेणी के थे और इनमें हर प्रकार की सुविधा थी।

18.35 पुरुषार्थ की अवधारणा

समाज का चार वर्गों में विभाजन ही चार मूल्यों वाला भारतीय नितिदर्शन का केन्द्र बिन्दु है। इन मूल्यों को पुरुषार्थ कहा गया है। 'पुरुषार्थ' शब्द दो शब्दों पुरुष और अर्थ के संयोग से बना है। अत: पुरुषार्थ का अर्थ हुआ जो पुरुष के लिए लाभदायक हो। जिस लक्ष्य से कोई नाकाम करता है वह उसे लाभदायक प्रतीत होता है। अत: व्यक्ति के कर्मों के लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। जिनके लिए मनुष्य की चेष्टाएँ होती हैं वे ही उसके पुरुषार्थ हैं। चार्वाक को छोड़ अन्य सभी भारतीय दर्शिकों ने कर्मों के चार लक्ष्य बताए हैं। अर्थ,काम,धर्म और मोक्ष। ये चारों ही मनुष्य के पुरुषार्थ हैं। मोक्ष सर्वोच्च लक्ष्य है। इनमें से प्रथम तीन का साधक मूल्य है और मोक्ष का साध्य मूल्य। उपनिषदों में मात्र अर्थ ही नहीं काम को भी एक पुरुषार्थ माना गया है। काम मनुष्य का मौलिक पुरुषार्थ है। काम शब्द सामान्य अर्थ में व्यवहृत होता है और विशेष अर्थ में भी। सामान्य अर्थ में विषयानुभवजन्य सुख काम है अर्थात बाह्या वस्तु,जो सुखद प्रतीत हो,उसके अनुभव की इच्छा काम है। काम के अंतर्गत केवल इन्द्रियजन्य सुख ही नहीं,बल्कि मानसिक सुख भी आ जाता है। सुख और आनन्द दोनों इसके अंतर्गत हैं। धर्म की अवधारणा का उपनिषदों में विशेष महत्व है। अर्थ और काम दोनों को उसके अंतर्गत होना चाहिए जिससे सर्वोच्च लक्ष्य की पूर्ती हो सके। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य कर्म। अत: नैतिक कर्मों का आचरण ही धर्म है। कर्तव्यों का पालन,नियमानुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल कर्म ही धर्म है। तप दान,आर्जन,अहिंसा,सत्य पांचसदगुण बताए गए हैं। धर्म के लिए उनका पालन आवश्यक है। संसार के बन्धनो से छुटकारा की इच्छा ही मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। सभी पुरुषार्थ का अपना–अपना क्षेत्र है और अपने क्षेत्र से अतिक्रमण करने पर वह इच्छनीय पुरुषार्थ नहीं रहते।

18.36 अभ्यास प्रश्न -3.सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. दिल्ली में मदरसा-ए-मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी ?

(अ) कुतुबद्दीन ऐबक (ब) इल्तुतमिस ऐबक (स) हुमायूँ (द) औरंगजेब

2. बुद्ध काल में बौध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी?

(अ) संस्कृत (ब) पाली (स)प्राकृत (द)अपभ्रंश

3. वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी ?

(अ) संस्कृत (ब) पाली (स) विशुद्ध संस्कृत (द)अपभ्रंश

18.37 सारांश

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव का पत्थर है | सच बात तो यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग नहीं हो सकते| बौध शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सर्वश्रेस्ठ शिक्षा प्रणाली थी परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरूप एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं एवं संभावनाओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं और कुछ तत्व त्याज्य हैं| मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली इस देश में एक विदेशी पौधा थी वह इस देश के मूल निवासियों को उतनी उपयोगी नहीं हो सकी जितनी कि किसी भी समाज की शिक्षा प्रणाली को होना चाहिए | मदरसे में आध्यापकों की एक प्रबंध समिति का गठन किया जाता था जो निर्माण कार्य,नियुक्ति कार्य और नियुक्ति कार्य और प्रवेश कार्य का सम्पादन करती थी| अत: यह कहा जा सकता है कि मदरसों की शिक्षा प्रणाली का प्रबंध अच्छे तरीके से होता था|

18.38- शब्दावली

- **मकतब -** मकतब शब्द 'कुतुब' से बना है जिसका अर्थ है 'उसने लिखा'।
- **मदरसा -** मदरसा उर्दू के फारसी शब्द 'दरस'से बना हुआ है जिसका अर्थ है 'भाषण देना'।
- **बिस्मिल्लाह -** अल्लाह के नाम पर
- **उपसम्पदा संस्कार-** प्रतिज्ञा लेने के वाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश
- **पबज्जा -** बाहर जाना
- **उपनयन -** समीप लाना अर्थात बच्चे को गुरु के सम्मुख उपस्थित करना|
- **3 R's-** पढ़ना, लिखना और गणित

18.39- अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1.

1. (अ) आध्यात्मिक उन्नति

2. (ब) तक्षशिला

3. (स) 10 वर्ष

अभ्यास प्रश्न -2.

1. (अ) 4 वर्ष,4 माह,4 दिन

2. (ब) मदरसों

3. (द) जौनपुर

अभ्यास प्रश्न -3.

1. (अ) इल्तुतमिस ऐबक

2. (ब) पाली

3. (स) विशुद्ध संस्कृत

18.40-निबन्धात्मक प्रश्न

1. वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन करें|
2. वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा न का सामान्य परिचय दीजिये|
3. बौध शिक्षा प्रणाली के गुण व दोषों का विवेचन कीजिए|
4. मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे ? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए|
5. मध्यकालीन मुख्य शिक्षा केन्द्रों का सामान्य परिचय दीजिए|

18.41- संदर्भ ग्रन्थ

- भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्याएं –रमन विहारी लाल,कृष्ण कान्त शर्मा
- आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं - डॉ० बी० बी० अग्रवाल
- शिक्षा के सिद्धांत- पाठक एवं त्यागी
- नवीन शिक्षा दर्शन - डॉ० कामता प्रसाद पाण्डेय
- शिक्षा सिद्धांत - डॉ० जायसवाल तथा कुमारी सक्सेना
- उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा – एन० आर० स्वरुप सक्सेना

इकाई -19

बौद्ध काल के दौरान शिक्षा, बौद्ध शिक्षा की प्रकृति, वैदिक और बौद्ध शिक्षा के बीच तुलना, शिक्षा(सीखने के) के केन्द्र, मध्यकालीन (इस्लामी) शिक्षा

Education during Buddhist Period, Nature of Buddhist Education, Comparison between Vedic and Buddhist-education, Buddhist Centers of Learning, Medieval (Islamic) Education

इकाई की रूपरेखा

19.1 प्रस्तावना

19.2 उद्देश्य

19.3 बौद्ध कालीन शिक्षा

- 19.3.1 परिभाषा
- 19.3.2 बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य
- 19.3.3 बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएं
- 19.3.4 शिक्षा के केन्द्र

19.4 बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रकृति

- 19.4.1 शिक्षा व्यवस्था
- 19.4.2 शिक्षण पद्धति
- 19.4.3 पाठ्यक्रम
- 19.4.4 गुरु-शिष्य संबन्ध
- 19.4.5 स्त्री-शिक्षा
- 19.4.6 गुण व दोष

19.5 वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा की तुलना

19.6 मध्यकालीन (इस्लामी) शिक्षा

19.6.1 मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य

19.6.2 शिक्षा व्यवस्था

19.6.3 विशेषताएं

19.7 सारांश

19.8 शब्दावली

19.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

19.10 निबंधात्मक प्रश्न

19.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

19.1 प्रस्तावना (Introduction)

बौद्ध कालीन शिक्षा के अन्तर्गत बौद्ध काल में प्रचलित शिक्षा पद्धति के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत इकाई में आप बौद्ध कालीन शिक्षा व उसकी प्रकृति, वैदिक कालीन शिक्षा से बौद्ध कालीन शिक्षा की तुलना एवं मध्यकालीन शिक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

19.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ बताकर परिभाषित कर सकेंगे।
- बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रकृति एवं प्रमुख शिक्षण केन्द्र बता सकेंगे।
- बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं विशेषताएं बता सकेगें।
- बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण विधि बता सकेंगे।
- बौद्ध कालीन शिक्षा एवं वैदिक कालीन शिक्षा की तुलना कर सकेंगे।
- मध्यकालीन (इस्लामिक) शिक्षा के बारे में बता सकेंगे।

19.3 बौद्ध कालीन शिक्षा (Buddhist Period Education)

वैदिक शिक्षा प्रणाली में समय के साथ आयी संकीर्णता दूर करने के लिये एवं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये जो शिक्षा प्रचलन में आई, वह बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति कहलाती है। बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध (567-487 ई0) थे। महात्मा बुद्ध का शाक्य गणाधिपति शुद्धोधन के पुत्र थे। यह प्रणाली ब्रह्मिण शिक्षा प्रणाली की तरह कठोर नहीं थी बल्कि आम व्यक्तियों की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई थी। बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रारम्भ भारतवर्ष में ही हुआ परन्तु इसका विकास भारतेत्तर देशों- सिंहल, वर्मा, तिब्बत, जावा, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान आदि राष्ट्रों में अधिक हुआ।

19.3.1 परिभाषा (Definition)-

डॉ० आर० के० मुखर्जी के अनुसार:- बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है।

19.3.2 बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य (Aims Buddhist Period Education)-

बौद्ध कालीन शिक्षा मुख्यतः मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए थी। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य की शिक्षा प्रदान करना था । अतः शिक्षा प्रदान करने के लिए जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद भाव नहीं था।

- **सामाजिक विकास-** बौद्ध कालीन शिक्षा में सामाजिक विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाता था ताकि विद्यार्थी एक कुशल एवं योग्य नागरिक बन सके, क्योंकि कुशल एवं योग्य नागरिक ही किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बना सकते हैं।
- **चरित्र निर्माण-** किसी भी व्यक्ति के लिये उसका चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। चरित्रवान व्यक्ति ही किसी देश को गर्त से उठाकर हिमालय की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं इसलिए विद्यार्थी के चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था ताकि इस शिक्षा का सादा जीवन उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सके।
- **संस्कृति का प्रचार-** बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रचार न केवल भारत में अपितु अन्य राष्ट्रों में भी हुआ जिस कारण एक प्रमुख लक्ष्य अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना एवं संरक्षण करना भी शामिल था।
- **निर्वाण प्राप्ति-** बौद्ध कालीन शिक्षा में व्यक्ति के लिये अन्तिम लक्ष्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त करना था। महात्मा बौद्ध के अनुसार केवल परमतत्व ईश्वर सत्य है एवं व्यक्ति को उसे प्राप्त करने के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिए।

19.3.3 बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताऐं (Characteristics of Buddhist Period Education)-

बौद्ध युग में प्रारम्भिक शिक्षा की कुछ मूलभूत विशेषताऐं थी जिनका उल्लेख निम्नवत है-

- प्राथमिक शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी ।
- शिक्षा सार्वभौमिक थी जाति, धर्म का कोई बन्धन नहीं था।
- शिक्षा व्यवस्था का मूल केन्द्र संघ होता था। जिसका प्रशासन व प्रबन्ध योग्य अनुभवी व्यक्ति करता था। शिक्षा को राजा का संरक्षण प्राप्त था किन्तु नियंत्रण नहीं था। संघ के अपने नियम-कानून थे ।
- शिक्षा का माध्यम जनभाषा था, यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण भी था।
- शिक्षा प्रणाली जनतान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित थी। निर्णय मतदान के आधार पर लिये जाते थे।

- बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। धम्म-संघ-गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता था।
- बौद्ध शिक्षा पद्वति की एक सबसे प्रमुख विशेषता थी- शास्त्रीय विवाद। छात्र समय-समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे और ज्ञान का संवर्द्धन करते थे। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान आजीवन अविस्मरणीय रहता था एवं अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी।

19.3.4 शिक्षा के केन्द्र (Centers of Learning)-

बौद्ध कालीन शिक्षा केन्द्र निम्न हैं -

- **तक्षशिला-** तक्षशिला रावलपिण्डी के पश्चिम में 20 मील की दूरी पर स्थित था। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी जिसे राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर बसाया था।
- **नालन्दा-** नालन्दा पटना से 40 मील दूर स्थित विश्वविद्यालय था। सम्राट अशोक के द्वारा यहां पर एक विहार का निर्माण कराया गया था जिस कारण यह 450 ई. के लगभग शिक्षा का केन्द्र बन गया था।
- **बल्लभी-** बल्लभी 475 ई0 से 775 ई0 तक बौद्ध शिक्षा का केन्द्र रहा। धार्मिक शिक्षा के अलावा यहां पर राजनय नीति, चिकित्सा संबन्धी अध्ययन कराया जाता था।
- **विक्रमशिला-** विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा के किनारे एक पहाडी पर स्थित था। इसमें 108 मन्दिर व मठ थे।
- **ओदन्तपुरी-** पाल राजाओं द्वारा इसका विकास किया गया। यहां पर लगभग 1000 भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे।
- **मिथिला-** मिथिला वैदिक काल से ही शिक्षा का केन्द्र रहा है एवं बौद्ध काल में भी शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों में से एक था।
- **जगदल-** जगदल बंगाल में गंगा के तट पर स्थित है। यह लगभग 100 वर्षों तक शिक्षा का केन्द्र रहा। विभूतिचन्द्र, शुभकर, दानशील आदि यहां के प्रमुख शिक्षक हुये हैं।

अभ्यास प्रश्नः- 1

1. बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था?

   (क) नालन्दा (ख) गया (ग) गुजरात (घ) बंगाल।

2. बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम .... थी।

19.4 बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रकृति (Nature of Buddhist Education)

बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी जिन्हें विहार कहते थे। एवं शिक्षा प्रदान करने में सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखा जाता था कि किसी भी प्रकार की संकीर्णता को बढ़ावा न मिले, इसी कारण से इस विहारों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए

सभी जाति के लोगों के लिए द्वार खुले हुये थे । डॉ॰आर॰के॰मुखर्जी ने लिखा है- ''बौद्ध शिक्षा केन्द्रों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों और विभिन्न परिस्थितियों के सभी बालक बिना किसी भेदभाव के पारिवारिक सम्पर्क स्थापित करते थे और ज्ञान का अर्जन करते थे।

अनेक विदेशी यात्रियों जैसे फाह्यान, ह्वेनसांग आदि द्वारा अपने लेखों में बौद्ध कालीन शिक्षा का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। इन लेखों में कहा गया है कि इस काल में भारतीय विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में विदेशी छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करते थे।

वैसे तो बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी जन सामान्य के लिए खुले हुये थे जिसमें सभी धर्म, जाति के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकते थे परन्तु चाण्डाल, कोढ़ी, सरकारी नौकर, डाकू, कैदी एवं जिसके माता-पिता ने शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा न दी हो शिक्षा के पात्र नहीं थे। अर्थात उपरोक्त सभी को बौद्ध मठों व बौद्ध बिहारो में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था।

19.4.1 शिक्षा व्यवस्था -

बौद्ध कालीन शिक्षा में एक शिक्षण सत्र की अवधि 12 मास होती थी। पठन-पाठन प्रातः काल से मध्यान्ह और पुनः भोजनादि क्रिया के बाद सांयकाल से पूर्व तक चलता था । अवसर के अनुसर अवकाश भी हुआ करते थे। शिक्षण का कार्य मठों में किया जाता था जो बड़े-बड़े भवन हुआ करते थे जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था थी गुरु-शिष्य साथ-साथ रहा करते थे । इनमें खाने-पीने रहने की व्यवस्था थी बौद्ध काल के उतरार्द्ध कुछ विहार/मठ सामान्य विद्यालयों की तरह कार्य करने लगे जिनमें विद्यार्थी अपने घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकता था। भारत के इतिहास में बौद्ध विहार सर्वप्रथम संगठित संस्था थी।

मठों या शिक्षा संस्थाओं में योग्यतानुसार छात्रों को अलग-अलग कक्षाओं में रखा जाता था । सबसे छोटी कक्षा में छात्र सुतन्त की पुनरावृत्ति करते थे अगली कक्षा विनय के लिए होती थी। छात्र परस्पर तर्क-विर्तक द्वारा निपुणता हासिल करते थे।

पाठ्यक्रम इस शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक व व्यावहारिक था । धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन और लौकिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल-विद्या, शिल्प कला आदि विषय पढ़ाए जाते थे।

बौद्ध काल में प्रवेश लेने के लिये तथा प्रवेश के उपरान्त अनेक प्रकार के संस्कार होते थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

- प्रवज्जा संस्कार- बौद्ध युगीन शिक्षा का प्रारम्भ 6 या 8 वर्ष से माना जाता था । शिक्षा का मूल केन्द्र मठ हुआ करता था उसमें प्रवेश करने से पहले बच्चे का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था । इस संस्कार में शिष्य अपने सिर के बाल मुँडाता था, पीले वस्त्र धारण करके सुखासन मे बैठ जाता था। फिर मठ का सबसे बड़ भिक्षु शिष्य को शरण तंत्री प्रदान करता था । शरण तंत्री के अन्तर्गत शिष्य को तीन शब्द तीन बार उच्चारिक करने होते थे।

  बुद्धं शरणं गच्छामि
  धम्मं शरणं गच्छामि
  संघं शरणं गच्छामि

प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण, सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। छात्रों को छः माह तक सिद्धिरस्तु नामक बालपोथी पढ़नी पड़ती थी जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इसको समाप्त करने के बाद बालक पाँच विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करता था। शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या अध्यात्म विद्या।

- उपसम्पदा संस्कार- प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के उपरान्त 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर शिष्य का उपसम्पदा संस्कार होता था। उपसम्पदा संस्कार के बाद वह एक भिक्षु के रूप जीवन व्यतीत करता था जिसकी अवधि 20 वर्ष होती थी। उपसम्पदा संस्कार के उपरान्त नवभिक्षु 10 नियमों के पालन का संकल्प लेता था-
    1. जीव हत्या न करना
    2. चोरी न करना
    3. शुद्ध रहना
    4. असत्य न बोलना
    5. मादक पदार्थों का प्रयोग न करना
    6. समय पर भोजन करना
    7. नृत्य संगीत, तमाशा से दूर रहना
    8. श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना
    9. भूमि शयन करना
    10. स्वर्ण, चाँदी दान न लेना

19.4.2 शिक्षण पद्धति -

शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षण का माध्यम जनभाषाएं व पाली थी। बुद्ध ने कहा कि ''ओ शिक्षुओं मैं तुममें से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में सीखने की आज्ञा देता हूँ।'' रटने पर ज्यादा जोर था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद विधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। यथोचित अवसरों पर देशाटन, विशेषज्ञ वार्ता, सम्मेलन व प्रकृति निरीक्षण का प्रयोग होता था। कला कौशल की शिक्षा कारीगरों के साथ रहकर छात्र सीखते थे। प्रमुख शिक्षण पद्धतियों का विवरण निम्न है -

- **मौखिक शिक्षा-** लेखन सामग्री के अभाव के कारण बौद्ध कालीन शिक्षा भी मौखिक अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा जैसी थी। इस समय पुस्तकें नहीं थी तो मौखिक शिक्षा पद्धति ही प्रचलन थी। सभी गुरुजन तर्क, प्रवचन, भाषण आदि के माध्यम से उपस्थित सभी शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे एवं शिष्य श्रवण, चिन्तन, मनन के द्वारा ग्रहण की गई विषयवस्तु को कण्ठस्थ करते थे।
- **स्वाध्याय-** बौद्ध काल में स्वाध्याय विधि भी प्रचलन में थी। इस विधि को चार सोपानों में किया जा सकता है।आवृत्ति, संचय, मनन और धारण।
- **वाद विवाद-** शिक्षण की प्रमुख विधियों में से यह एक प्रमुख विधि थी इसमें उपयुक्त एवं संदर्भित विषय को सही माना जाता था। बुद्ध धर्म का जन्म ही एक विरोध के रूप में हुआ था जिस कारण विभिन्न धर्मों के साथ वाद-विवाद में सक्रिय भाग लेना पडता था। मैत्रेय ने

अपनी पुस्तक सप्त दशा-भूमि शास्त्र में योगाचार्य के मध्य वाद-विवाद विधि का विस्तृत वर्णन किया है।

- **यात्रा/भ्रमण-** अनेक बौद्ध गुरुओं के द्वारा इस पद्धति का भी समर्थन किया गया है। बौद्ध गुरुओं के अनुसार केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था इसी कारण से व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए पर्यटन विधि के महत्व को स्वीकारा जाता था।
- **तर्कशास्त्र-** वाद विवाद के समान यह विधि भी अधिक महत्वपूर्ण थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास में पूर्ण रूपेण सहायक थी।
- **सम्मेलन-** सम्मेलन का आयोजन महीने के पहले दिन पूर्ण चन्द्रमा के समय किया जाता था। अनेक संघों से आये हुये बौद्ध भिक्षु अपने ज्ञान एवं संदेशों को सभी के सामने प्रस्तुत करते थे। इस सम्मेलन में प्रत्येक भिक्षु की उपस्थिति अनिवार्य होती थी।
- **एकान्त चिन्तन-** जो भिक्षु सांसारिक सुखों को त्यागकर एकान्त चिन्तन करना चाहता था एवं पर्याप्त समय संघ में व्यतीत किया हो, केवल वह ही इस उपलब्धि का हासिल कर सकता था।

19.4.3 पाठ्यक्रम -

इस काल में ज्ञान का विभाजन वैदिक आधार पर नहीं था। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान को शाश्वत ज्ञान व परिवर्तनीय ज्ञान के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। बौद्ध कालीन पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु दुःख निरोध था तथापि सामाजिक कल्याण के लिए विषयों में विभाजन किया गया था। इनमें से कुछ विषय पूर्णतः धार्मिक प्रकृति के थे एवं कुछ विषय लौकिक आधार पर थे। अर्थात बौद्ध दर्शन का पाठ्यक्रम का एक समन्वयकारी दृष्टिकोण के आधार पर बनाया गया था।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थियों को सामान्यतः पढ़ना, लिखना तथा सामान्य गणित का शिक्षण कराया जाता था, जबकि उच्च शिक्षा में दर्शन, धर्म, चिकित्सा जैसे विषयों को शामिल किया गया था। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा था। कला एवं व्यवसाय से सम्बन्धित विषयों में सैद्धान्तिक के साथ व्यवहारिकता पर भी अधिक ध्यान दिया जाता था। सामान्य विषयों को पढने के साथ विद्यार्थी एक विशिष्ट विषय के चुनाव करने के लिए भी स्वतंत्र था। विशिष्ट विषय के चुनाव के लिए किसी भी प्रकार जाति या धर्म सम्बन्धित भेद भाव नहीं था।

- **धार्मिक पाठ्यक्रम-** धार्मिक पाठ्यक्रम मूल रूप बौद्ध भिक्षुओं के लिये था जिसके माध्यम से वे सभी निवार्ण प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर सकें एवं बौद्ध दर्शन के अच्छे प्रचारक बन सकें। धार्मिक पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश था।
    1. चार आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी को विश्व की व्यवस्था, संसार में मानव का स्थान, संसार के कार्य व्यापार, विश्व की परिवर्तनशीलता एवं क्षणिकता, सांसारिक जगत में आभाषित होने वाले सुख जो कि वास्तव में दुःख हैं आदि के बारे में विस्त्रत अध्ययन आता है।
    2. मठों एवं विहारकों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान।
    3. तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक साहित्य का अध्ययन।

4. बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक, सुतन्त, विनय, धम्म आदि।
5. विहारों में प्राप्त दान की सम्पत्ति के आय व्यय का ब्यौरा एवं प्रबन्धन।

- **लौकिक पाठ्यक्रम-** लौकिक पाठ्यक्रम जनसाधारण के लिए था ताकि वे एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वयं को प्रकट कर सके जिससे कि उनका आर्थिक व सामाजिक जीवन उपयुक्त बन सके। लौकिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्न विषय सम्मिलित थे -
  1. **व्यवसायिक विषय-** व्यवसायिक विषयों के अन्तर्गत पशु पालन, चिकित्सा, कृषि, आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा विषय सम्मिलित थे।
  2. **सामान्य विषय-** सामान्य विषयों मे लेखन कला, गणित एवं शास्त्रार्थ को रखा गया था।
  3. **कला कौशल-** कला कौशल में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, कातना, बुनना, छपाई, रंगाई,सिंचाई आदि शिल्प कलाएँ सम्मिलित थे।
  4. **शारीरिक शिक्षा-** अन्य विषयों के समान शारीरिक पर भी बल दिया जाता था जिससे कि व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए व्यायाम, खेलकूद को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था।
- **निषिद्ध विषय-** उपरोक्त विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के साथ ही कुछ विषयों को अध्ययन के लिए पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया था जिसमें सबसे प्रमुख लोकायत्त साहित्य था। इसके अलावा ज्योतिष, शगुन विचार, आध्यामिक आलौकिकताऐं, देव बलि, चुडैल कर्म आदि थे।

19.4.4 गुरु शिष्य संबन्ध -

बौद्ध काल में गुरु एवं शिष्य के मध्य सम्बन्धों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि था। इसका प्रमाण कठोपनिषद एवं छान्दोग्य उपनिषद् में मिलता है। गुरु का आचरण पवित्र एवं उदार होता था। गुरु अपने शिष्यों को पुत्र के समान एवं सभी शिष्य अपने गुरु को अपने पिता के समान मानते थे। गुरु एवं शिष्य के मध्य सम्बन्ध बहुत ही स्नेहपूर्ण था। शिष्य का पवित्र कर्तव्य था वह गुरु की सेवा करें, उनकी दिनचर्या का ख्याल रखे, साफ-सफाई, भिक्षा द्वारा भोजन व्यवस्था करें और गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु भी छात्र के प्रति पितृवत दायित्व निभाता था उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए ज्ञान देता, समाज में रहने योग्य बनाता था। अतः दोनों ही एक-दूसरे की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। गुरु अपने शिष्यों के साथ मठों में निवास करते थे तथा दोनों अत्यन्त सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि गुरु का कर्तव्य था कि वह अपने शिष्यों के समक्ष उच्च आदर्श प्रस्तुत करें और सादा जीवन व्यतीत करें। किसी भी अनिर्णय या अनिश्चितता की स्थिति में विद्यार्थी पहले अपने पास उपलब्ध साधनों के माध्यम से जिनमें धार्मिक वाद-विवाद या अन्य लोगों की सहायता सम्मिलित थे, हल प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। यदि अध्यापक किसी गलत सिद्धान्त का प्रतिपादन करे तो शिष्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अध्यापक से वाद विवाद के रूप में संघर्ष करे। संघ की दृष्टिकोण से शिष्य एवं शिक्षक सम्बन्ध भिन्न प्रकार के थे। कारण शिष्यों को यह अधिकार देता था कि अगर अध्यापक गम्भीर अपराध करे तो शिष्य अध्यापक को संघ से दण्डित कराये। बौद्ध मठों में केवल वह भिक्षु ही शिक्षक बनने के योग्य था जिसने कम से कम एक वर्ष तक भिक्षु के रूप में कार्य किया हो एवं उसका

चरित्र एवं आचरण अत्यन्त ही पवित्र हो । उसके अन्दर उच्च ज्ञान, आत्मचिंतक, पवित्र विचार, पाप से डरने वाला, वात्सल्य मानसिक योग्यता, तक्र शक्ति एवं विविध प्रकार के मानवीय एवं सामाजिक गुणों का समावेश हो। वह विद्यार्थी को उपयुक्त नैतिकता एवं व्यवहार के क्षेत्र में प्रवीण करने में एवं उनके विचारों को उन्नत एवं पवित्र बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो।

19.4.5 स्त्री शिक्षा -

बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। बौद्ध काल के प्रारम्भ में स्त्रियों का मठों में प्रवेश वर्जित था परन्तु महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द एवं विमाता महाप्रजापति के आग्रह पर मठों में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। परन्तु स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से मठों एवं विहारों की व्यवस्था की गई। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। मठ/बिहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। यहां स्त्रियां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुये शिक्षा ग्रहण करती थी। किन्तु व्यवसायिक एवं कुलीन वर्ग की स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति के परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा उच्च वर्ग तक ही सीमित रही। अल्तेकर ने लिखा है कि- ''स्त्रियों को संघ मे प्रवेश करने दी हुई अनुमति विशेषकर समाज के कुछ व्यवसायिक वर्गों में स्त्री शिक्षा के निमित्त एक अच्छा प्रोत्साहन थी।''

व्यवसायिक शिक्षा भी बौद्ध युगीन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग थी। बौद्ध साहित्य महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई-बुनाई, सिलाई का प्रशिक्षण गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले अनुनायियों का वर्णन है। जीविकोपार्जन की शिक्षा दी जाती थी। संघमित्रा बौद्ध काल की ऐसी विदुषी का उदाहरण है जो महान सम्राट अशोक की पुत्री थी एवं उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था|

19.4.6 गुण व दोष -

गुणः-

- **शिक्षा का माध्यम-** बौद्ध काल की शिक्षा के प्रचलन का मुख्य कारण शिक्षा का माध्यम रहा। जनभाषा का शिक्षा में प्रयोग लोकप्रियता का कारण था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं लोकभाषा थी जो कि जनसामान्य के सबसे निकट थी एवं सभी इसे आसानी से गृहण कर सकते थे।
- **निष्पक्ष शिक्षा-** बौद्ध काल में मठों में प्रवेश लेने के लिए किसी भी प्रकार का जाति बन्धन नहीं था। बौद्ध धर्म की विचार धारा सभी जाति एवं वर्गों के लोगों के लिए समान थी। बौद्ध शिक्षा केन्द्र सम्प्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन देते थे।
- **अध्ययन केन्द्र-** विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा का सुभारम्भ बौद्ध काल से ही हुआ। बौद्ध शिक्षा के केन्द्र अन्य राष्ट्रों में भी खोले गये। अनेक मठों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापन के फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में अत्यधिक सुधार हुआ। बौद्ध शिक्षा केन्द्र अत्यधिक सुव्यवस्थित थे।

- **नि:शुल्क शिक्षा-** बौद्ध बिहारों व मठों में पूर्णत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान था। इस शिक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप अत्यन्त निर्धन वर्ग के परिवार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने लगे।
- **आदर्श शिक्षक एवं शिष्य सम्बन्ध-** मठों में शिक्षक, छात्रों के लिए एक आदर्श के रूप में था। शिक्षक को शिष्य पिता तुल्य मानते थे। छात्र अपने गुरु का आदर करते थे एवं गुरु की आज्ञओं का पालन करते थे।
- बौद्ध शिक्षा केन्द्र पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा, विषय का अनूठा संग्रह उपलब्ध था।
- बौद्ध काल में छात्रावास की व्यवस्था प्रारम्भ हुई।
- बौद्ध काल में लेखन कला का विकास हुआ।
- स्त्रियों की शिक्षा के लिये उचित विषयों की व्यवस्था की गई।

दोष:-

- स्त्री शिक्षा का सार्वभौमिकरण न हो पाया था, कुलीन स्त्रियाँ ही शिक्षा ग्रहण करती थी।
- इस शिक्षा से अधिकतर भिक्षुओं को बढ़ावा मिला अपितु कृषकों तथा अन्य सामान्य नागरिकों को अपेक्षाकृत कम बढावा मिला।
- लौकिक विषयों की उपेक्षा।
- अहिंसा पर आधारित होने के कारण मठों में युद्ध विद्या एवं हथियार निर्माण की शिक्षा नहीं दी जाती थी जिस कारण राष्ट्र की सैन्य शक्ति कमजोर पड गई और राष्ट्र को विदेशी आक्रमण का शिकार होना पड़ा।
- आजीवन ब्रह्मचर्य ने भिक्षुओं को विलासिता की ओर ढकेलना शुरु किया तथा मठों/विहारों में उनमुक्ता ने अवांछित तत्वों को आकर्षित किया।
- कट्टर विचारों पर बल देना |
- मठों में शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा बौद्ध धर्म अपने सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करने पर ज्यादा जोर देने लगे।

अभ्यास प्रश्नः- 2

1. संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था।

   (क) श्रमण (ख) नवभिक्षु (ग) सामनेर (घ) उपर्युक्त सभी।

2. बौद्ध कालीन शिक्षा में एक शिक्षण सत्र की अवधि होती थी।

   (क) 6 माह (ख) 8 माह (ग) 12 माह (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

3. उपसम्पदा संस्कार ....की उम्र में होती थी।
4. व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिये ....का प्रयोग किया जाता था।

19.5 वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा की तुलना (Comparison between Vedic and Buddhist-education)

जैसा कि डॉ० मुखर्जी ने कहा था कि बौद्ध काल की शिक्षा ब्रह्मिण शिक्षा का ही परिवर्तित रूप है। तथा बौद्ध काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक काल की संकीर्णताओं को समाप्त करना था। अतः दोनों शिक्षाओं में अनेक समानताऐं तथा विषमताऐं थी, जिनका वर्णन निम्नवत है -

समानता:-दोनों काल की शिक्षाओं में निम्न समानताएँ थी।

- दोनों शिक्षाओं का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष या निवार्ण प्राप्त करना था।
- दोनों शिक्षाओं में विद्यारम्भ संस्कारों के माध्यम से होता था।
- दोनों शिक्षाओं में उपवास पर बल दिया जाता था।
- दोनों शिक्षाओं में विद्यारम्भ की आयु निश्चित थी।
- दोनों शिक्षाओं में अहिंसा पर बल दिया गया था।
- दोनों शिक्षाओं गुरु व शिष्य के सम्बन्ध अत्यधिक ही स्नेहपूर्ण हुआ करते थे।
- दोनों शिक्षाओं भिक्षाटन शिष्यों की दिनचर्या में सम्मिलित था।
- दोनों शिक्षाओं में भोग व विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग करना पूर्णतः निषिद्ध था।

असमानता:-दोनों काल की शिक्षाओं में निम्न असमानताएँ थी।

- बौद्ध शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रचार भी सम्मिलित था जबकि, वैदिक काल में धर्म के प्रचार पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया।
- बौद्ध काल में संघ सर्वोपरि था, जबकि वैदिक काल में गुरु का वर्चस्व होता था।
- समय के साथ बौद्ध धर्म विलासिता की ओर अग्रसर हो गया, जबकि गुरुकुल जीवन सादगी भरा रहा।
- बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का जाति बन्धन नहीं था, जबकि वैदिक काल में केवल उच्च वर्गों के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी।
- संघ में स्त्री व पुरुष साथ-साथ रहते थे, जबकि गुरुकुल में साथ रहने की अनुमति नहीं थी।
- बौद्ध काल में अध्ययन की भाषा पाली या जनभाषा थी, जबकि वैदिक काल में केवल संस्कृत में शिक्षण प्रदान किया जाता था।
- बौद्ध काल में शिक्षा समुदाय प्रधान थी, तबकि वैदिक काल में परिवार प्रधान थी।
- बौद्ध काल में उपसम्पदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था, जबकि वैदिक काल में समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश लेता था।

- बौद्ध काल में विद्यालयों पर संघ का नियंत्रण था, जबकि गुरुकुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र था।

अभ्यास प्रश्नः- 3

1. दोनों शिक्षाओं में विद्यारम्भ.......................... के माध्यम से होता था।
2. बौद्ध काल की शिक्षा...................प्रधान वरन वैदिक कालीन शिक्षा.................. प्रधान थी।

19.6 मध्यकालीन (इस्लामी) शिक्षा (Medieval (Islamic) Education)

प्रारम्भ से ही भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन विदेशी शासकों के साथ उनकी परम्परा व संस्कृति का भी आगमन हुआ जिससे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। भारतीय शिक्षा में पूर्व से प्रचलित शिक्षा प्रणाली की भाँति इस्लामी शिक्षा का आधार भी धर्म का प्रचार प्रसार करना था।

अन्य प्रचलित धर्मो की भांति इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मुहम्मद साहब कहा करते थे- ''दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है।'' मुहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया अलाउद्दीन खिलजी आदि प्रारम्भिक शासकों ने भी अनेक जगह मकतब, मदरसों का निर्माण कराकर इस्लाम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया।

तेरहवीं सदी में तुगलक वंशीय शासकों ने शिक्षा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया मुहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक के राज्याश्रय में कई विद्वानों ने साहित्य का विकास किया प्रत्येक मस्जिद के साथ मकतब बनाये गये, अन्य भाषा साहित्य का फारसी में अनुवाद किया गया। सभा जाति सम्प्रदाय के लोगों को शिक्षा के अवसर दिये जाने लगे।

मुगलों की भारतीय विजय के साथ ही भारतीय शिक्षा में आये ठहराव को गति आ गई। बाबर से लेकर औरंगजेब तक देश के कोने-कोने में शिक्षा का प्रकाश पहुँचा। अच्छी शिक्षा नीति का निर्माण हुआ बाबर ने अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के विकास में योगदान दिया उसने शोहरते आम विभाग की स्थापना की। हुमायूँ को पुस्तकालय से विशेष प्रेम था, हुमायूँ के मकबरे से सम्बद्ध एक मदरसा भी था। अकबर के सिंहासन पर बैठते ही शिक्षा भारतीय शिक्षा ने एक नवीन युग में प्रवेश किया। उसने आगरा को शिक्षा का मुख्य केन्द्र बनाया। उसने आवास सहित मदरसों का निर्माण करवाया उसमें गठित, नक्षत्र विद्या, कृषि, प्रशासन नीतिशास्त्र व्याकरण भौतिक का ज्ञान दिया जाता था।

मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केन्द्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुण्ड, मालवा, जालन्धर, मुल्तान आदि थे।

19.6.1 मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य -

इस शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न लिखित थे-

- **इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार-** मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार करना था। वे अपने धर्म के प्रचार को सबसे पुण्य कार्य मानते थे और उनका विश्वास था कि धर्म का प्रचार करने वाला ही गाजी होता है । मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना ताकि सामान्य जनता मुस्लिम कानूनों, सिद्धान्तों, प्रथाओं के बारे में जान सकें ।
- **भौतिक सुख की प्राप्ति-** इस्लामिक शिक्षा एक अन्य मुख्य उद्देश्य सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी । इन लोगों का मानना था जीवन में सुख-सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना-लिखना बेहद जरूरी है । इस्लामी शिक्षा में छात्रों की रूचि उत्पन्न हो सके इसके लिए उन्हें उच्च पद, सम्मान तथा अन्य प्रलोभन दिये जाते थे। जो व्यक्ति शिक्षित होते थे, उन्हें मुसलमान शासक, सिपहसालार, काज़ी या वजीर इत्यादि के उच्च पद पर नियुक्त कर देते थे। अतः इसी लोभ के वशीभूत होकर मुसलमानों के साथ-साथ हिन्दुओं ने भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया ताकि वे भी उच्च पद प्राप्त कर सकें।
- **ज्ञान का विस्तार-** मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था ताकि वे जन्म मरण से छुटकारा पा सकें। पैगम्बर साहब ने ज्ञान को अमृत बताया और प्रत्येक मुसलमान बच्चे से ज्ञानार्जन करने की इच्छा व्यक्त की । पैगम्बर साहब ने यह भी कहा कि निजात की प्राप्ति के लिये उच्च ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है ।
- **व्यवसायिक विकास-** मध्यकाल में शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान करना था ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जीविका चला सकें। इस हेतु शिल्पकारी, काशीदाकारी, औषधि शास्त्र, पशु पालन, सोने का काम, व्यापार आदि विषयों पर भी अत्यधिक ध्यान दिया जाता था।
- **राजनैतिक उद्देश्य-** इस्लाम धर्म के भारत आगमन का प्रारम्भिक कारण तो आर्थिक एवं धर्म का प्रचार था किन्तु बाद में यह उद्देश्य सम्राज्यवादी हो गया। शासन करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिए योग्य व कुशलतम लोगों की आवश्यकता थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही इस राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी । मुहम्मद तुगलक एवं अकबर के द्वारा किये गये शैक्षिक प्रयास राजनैतिक व सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित थे।

19.6.2 शिक्षा व्यवस्था -

प्रत्येक समय की शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति से सम्बद्ध होती है । मध्यकालीन शिक्षा भी इस्लाम धर्म के अनुसार संगठित थी। सम्पूर्ण इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था मकतब एवं मदरसों पर आधारित थी। जिसका वर्णन निम्नवत है -

- **मकतब-** इस्लामिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार था इसलिये प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिये मस्जिद के साथ एक-एक प्राथमिक विद्यालय खोले गये । मस्जिद के साथ लगे इन प्राथमिक विद्यालयों को ही मकतब कहते थे। मकतब में प्रवेश की आयु 4-5 वर्ष के मध्य की होती थी। इसमें प्रवेश करने से पहले प्रत्येक छात्र का उपनयन

संस्कार की तरह विसमिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक चार वर्ष चार माह चार दिन का होता था।

- **मदरसा-** मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा पर भी बल दिया गया इसके लिए मदरसों की स्थापना की गई। मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिये जाते हैं। मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ हुआ करते थे।

19.6.3 विशेषताएं -

1. शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी।
2. शिक्षण कार्य परम्परागत विधियों के आधार पर किया जाता था।
3. प्रारम्भिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी।
4. शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा।
5. शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी।
6. शिक्षा निःशुल्क थी।
7. शिक्षा में अध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था।

अभ्यास प्रश्नः- 4

1. मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था-

   (क) इस्लाम धर्म का प्रचार　　(ख) भौतिक एश्वर्य की प्राप्ति

   (ग) ज्ञान की प्राप्ति　　(घ) उपर्युक्त सभी

2. बिस्मिल्लाह संस्कार होता था-

   (क) 4 वर्ष 4 माह 2 दिन पर　　(ख) 4 वर्ष 3 माह 3 दिन पर

   (ग) 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर　　(घ) 4 वर्ष 1 माह 2 दिन पर

19.7 सारांश (Conclusion)

महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित थी जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार की संकीर्णता को बढावा न मिले। महात्मा बुद्ध ने सादगी भरे जीवन पर सबसे अधिक जोर दिया एवं वे ब्राह्मणीय शिक्षा के घोर विरोधी थे। निर्वाण प्राप्ति ही शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य था।

इस युग की शिक्षा व्यवस्था में लचीलेपन का पूर्णरूप से अभाव था। समय-समय पर इसमें बदलाव अवश्य किये गये परन्तु वक्त की मांग के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने में सदैव असफल रही । इस युग में विद्यार्थी विलासिता प्रेमी बन गये फलस्वरूप प्राचीन भारतीय उच्च आदर्शों को बहुत बड़ा धक्का लगा।

19.8 शब्दावली (Vocabulary)

- **मकतब** - मकतब शब्द 'कुतुब' से बना है जिसका अर्थ है 'उसने लिखा'।
- **मदरसा** - मदरसा उर्दू के फारसी शब्द 'दरस' से बना हुआ है जिसका अर्थ है 'भाषण देना'।

19.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न - 1

1. नालन्दा 2. जनभाषा

अभ्यास प्रश्न - 2

1. उपर्युक्त सभी 2.12 माह 3.20 वर्ष 4. भ्रमण विधि

अभ्यास प्रश्न - 3

1. संस्कारों 2.समुदाय, परिवार

अभ्यास प्रश्न - 4

1. उपर्युक्त सभी 2. 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर

19.10 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type questions)

1. बौद्ध कालीन शिक्षा किन बिन्दुओं पर वैदिक कालीन शिक्षा से अलग थी ।
2. बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. बौद्ध कालीन शिक्षा एवं मुस्लिम युगीन शिक्षा में किन-किन बिन्दुओं पर समानताएं और भिन्नता थी, वर्णन कीजिए।
4. बौद्ध कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को क्या देन है?
5. मध्यकाल में प्रचलित शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए।

19.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference book list)

- वशिष्ठ,नम्रता और शर्मा रामप्रकाश (2014), वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स|
- माथुर, एस. एस. (2011), शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधारआगरा : श्री विनोद पुस्तक मंदिर |
- मंसूरी, आई. के. और गुप्ता,यू. सी. (2008), ‘‘शिक्षा ज्ञानकोश : खण्ड-1’’ नई दिल्ली :के. एस. के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स |
- मंसूरी, आई. के. और गुप्ता, यू. सी. (2008), ‘‘शिक्षा ज्ञानकोश: खण्ड-3’’ नई दिल्ली : के. एस. के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स|
- कुमार, हेमन्त,कुमार गौरव और कु.अनुराधा (2008),‘‘उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा’’ लुधियाना : विनोद पब्लिकेशन्स |
- गौड़, रंजना (2002), ‘‘त्रिपिट साहित्य में प्रतिबिम्बत समाज’’ लखनऊ : सुलभ प्रकाशन|